जन्म-भूमि विवाद
AYODHYA CONTROVERSY

जन्म-भूमि विवाद

AYODHYA CONTROVERSY

(Past, Present & Future)

प्रो० रमेशचन्द्र गुप्त

(हिस्टोरिकल कांग्रेस कॉमिमोरेशन, मगलदास पक्वासा' स्वर्णपदक विजेता,
नागपुर यूनिवर्सिटी)

उर्मिला पब्लिकेशन्स

दिल्ली (भारत)

आमुख

जीवन की हर समस्या सारतः सामंजस्य की समस्या होती है। श्रीराम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद राष्ट्र-जीवन की ऐसी ही एक समस्या है। दूसरे, हर समस्या के गर्भ मे उसका समाधान भी निहित होता है। अर्थात् समस्या उत्पन्न ही इसलिए होती है कि उसका समाधान हो और जीवन आगे बढ़े। जन्म-भूमि विवाद इस समय राष्ट्र के लिए एक ज्वलंत चुनौती है और साथ ही साथ एक दुर्लभ अवसर भी।

इन्ही मान्यताओ के साथ इस पुस्तक मे इस विवाद मे संबंधित भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी पहलुओ को प्रस्तुत किया गया है। इस प्रस्तुतीकरण मे एक वस्तुनिष्ठ तटस्थता बरतने का पूरा-पूरा प्रयास है। समस्या के बाह्य लक्षणो के साथ, उसके पीछे काम करने वाली, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक शक्तियो का विश्लेषण भी है, ताकि सुज्ञ पाठकों को अपनी एक अतर्दृष्टि उपलब्ध करने में सहायता मिले। अन्त मे एक सम्यक् समाधान का सकेत भी है और उसके उपलब्ध न होने पर आसन्न सभावनाओ की परिकल्पनाए भी प्रस्तुत की गयी हैं।

सभव है कि हमारे न चाहते पर भी कुछ पाठको को इस पुस्तक मे छद्म प्रचार या एकांगिता का आभास हो सकता है, किन्तु यदि ऐसा हुआ भी हो तो वह जानबूझ कर नही बल्कि वास्तविकता को पूरा वजन देने के प्रयास मे हुआ है।

इस पुस्तक के आविर्भाव का सर्वाधिक श्रेय प्रकाशक श्री दीपनारायण पाण्डेय जी को है, जिन्होने इसी कृति के साथ प्रकाशन के जगत् मे साहसिक पदार्पण किया है। मैं उनकी सफल यात्रा के प्रति आश्वस्त हूँ और कृतज्ञ भी।

इस पुस्तक का प्रारभिक अध्याय 'हिन्दू पक्ष' मित्रवर श्री अम्बिका प्रसाद तिवारी जी की ही अभिव्यक्ति है, जिसे मैंने मात्र शब्दबद्ध किया है। पुस्तक के लिए साहित्य जुटाने मे भी उनका बहुमूल्य योगदान रहा है। लेकिन उनका आभार मानने की औपचारिकता करूंगा तो वे नाराज हो सकते हैं। पुस्तक मे प्रस्तुतीकरण का संतुलन बनाने में मेरे अन्य परममित्र श्री महेश्वर मौर्य ने

महत्वपूर्ण सुझाव दिये, मैं उन्हे हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

जिन महानुभावो, चिन्तको और कार्यकर्ताओ के विचार उद्धरणो के रूप मे इस पुस्तक मे सग्रहित हैं, उनका चिर कृतज्ञ हूँ, साथ ही उन पुस्तको और समाचार पत्रो का, जिनका सन्दर्भ साहित्य के रूप में मैंने उपयोग किया है।

पुस्तक के टकण आदि मे बेटी क्राति तथा बहूरानी शीला ने तत्पर योगदान दिया जिससे पाण्डुलिपि शीघ्र तैयार हो सकी। मैं उन्हे हृदय से आशीर्वाद ही दे सकता हूँ।

शेष शुभ !

सादतपुर,
२० दिमम्बर, १९९०

लेखक

भूमिका

जन्मभूमि विवाद का सीधा सम्बन्ध हिन्दुओं के स्वाभिमान व मुसलमानों के स्वाभिमान से है। इस टकराव का ही परिणाम है कि आज पूरे देश में आग लगी है। यद्यपि आग लगाने वाले को भी इस बात का अहसास नहीं होता कि वह अपने ही घर में अपने ही भाई को जला रहा है क्योंकि दंगाई किसी जाति या धर्म के नहीं होते उनका धर्म या मजहब दंगा भड़काना ही होता है।

राम और खुदा दोनों हमारी संस्कृति के पर्याय हैं जिनका विरोध न हिन्दू करते हैं न मुसलमान, न ही उन्हें करना चाहिए। बाबर एक विदेशी आक्रमणकारी था यह तथ्य भी इतिहास द्वारा प्रमाणित है। फिर राम या बाबर को लेकर तो कोई मुद्दा बनता ही नहीं। मन्दिर या मस्जिद का विवाद चल रहा है।

अयोध्या वह भूमि है जो युद्ध के योग्य नहीं है। इसका शाब्दिक अर्थ भी इसी प्रकार है—'न योद्धु शक्या सा भूमि. अयोध्या' अर्थात् जो भूमि युद्ध करने योग्य नहीं है, अयोध्या है। वह भूमि जो कभी युद्ध से जीती नहीं जा सकती अयोध्या है। परन्तु इसका अर्थ अतियोध्या होता जा रहा है क्योंकि लेखक के अनुसार इस विवाद को लेकर अब तक ७३ युद्ध हो चुके हैं। यह समय भी यदि युद्ध का मानें तो ७४वां युद्ध होगा। आश्चर्य की बात तो यह है कि ये सारे युद्ध भी अयोध्या या फैजाबाद के स्थानीय लोगों द्वारा नहीं शुरू किये गये। लेखक ने दोनों पक्षों पर तथ्यात्मक गम्भीर विवेचन प्रस्तुत किया है। अयोध्या वासियों ने इस विवाद को हिन्दू या मुसलमान-स्वाभिमान का प्रतीक कभी नहीं माना। अयोध्या में आज भी ऐसे अनेक धार्मिक प्रतिष्ठान हैं जहाँ हिन्दू व मुसलमानों की समान सहभागिता है।

प्रो० रमेश चन्द्र गुप्त ने प्रस्तुत पुस्तक में हवाई बातें न करके शोधार्थी की भांति पुरातात्त्विक प्रमाणों व सन्दर्भों को आगे रखकर, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को रेखांकित करते हुए इस पूरी समस्या पर गहन विचार प्रस्तुत किये हैं। अदालतों के फैसले तो इसीलिए होते हैं कि उन पर अमल हो। कानून इसीलिए बनते हैं कि उनका पालन किया जाय, परन्तु जब कोई वर्ग किसी कानून या फैसले को स्वीकार

ही न करना चाहे तो उसकी खुशामद करके कब तक हम उसे मनाते रहें। सचमुच भारतमाता का मन्दिर श्रीराम मन्दिर या बाबरी मस्जिद से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है। परन्तु क्या श्रीराम मन्दिर बनने से भारतमाता का मन्दिर टूट जाएगा ? यदि हाँ तो विवादग्रस्त स्थल को राष्ट्रीय स्मारक ही क्यों नहीं बना दिया गया ?

धर्मनिरपेक्षता का अर्थ तो यह है कि किसी भी धर्म को सरकार या संविधान महत्त्व नहीं देगा। सबका एक मानवता ही धर्म होगा। फिर इस प्रकार का विवाद क्यों ? सरकारें भी जब तब धार्मिक मामलों को लेकर अपने वोट बटोरती रही हैं। धर्म-निरपेक्षता की खादी को नेताओं ने इस प्रकार पहना कि आज किसी भी पार्क में चार हिन्दू एक पत्थर रखकर मन्दिर बना लेते हैं और उस भूभाग पर कब्जा कर लेते हैं या चार मुसलमान या सिख मिलकर किसी सरकारी जमीन पर अपने धार्मिक स्थान बना लेते हैं और सरकारें चुप-चाप सरक जाती हैं। विवाद खड़े होते हैं, झगड़े होते हैं, कर्फ्यू लगाये जाते हैं, पुलिस की आलोचना होती है। पुनः नेतागण अपनी धर्मनिरपेक्षता की खादी पहनकर बड़ी-बड़ी तकरीरें करते हैं, महात्मा गांधी की दुहाई देते हैं, प्रेस व बुद्धिजीवी इन परिचर्चाओं का लाभ उठाते हैं। आम आदमी जो महज आदमी है, सब कुछ खुली आँखों से देखता रहता है। क्योंकि वह 'योगिनाः रमन्ति यस्मिन् स राम', सत नाम वाहेगुरु या अल्लाह के सच्चे रूप को ठीक से या तो समझ गया है या उसे दो वक्त की रोटी के सत्य के सामने सब कुछ असत्य लगता है। आम आदमी को न तो शंकराचार्य के 'ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या' से कोई सरोकार है न ही सूफियों के कौल—'ला मौजूद इललिल्लाह' से। यद्यपि इन दोनों ही वाक्यों का हिन्दी अनुवाद एक ही है, चाहे कोई 'हमः ऊस्त' कहे या 'सर्वं खलु इद ब्रह्म' कहे अर्थ तो एक है। इस विवाद के पीछे अशिक्षा या स्वल्पशिक्षा एक प्रमुख कारण है। आज का बुद्धिजीवी भी अपने स्वार्थों के चश्मे के निश्चित कोण से इस विवाद को देख रहा है। वह कभी तो सरकार को पूर्ण दोषी ठहराने पर आमादा हो जाता है और कभी सरकार का सीधा प्रचारक बन जाता है।

आज की इस समस्या का आरम्भ देश की आजादी से सीधा जुड़ा है। बटवारे के बाद हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की नीवें तो रखी गयीं किन्तु इस द्वेष भावना का परिणाम महात्मा गाँधी की हत्या सहित भीषण नरसंहार के रूप में सामने आया था। यह विवाद भी उसी बटवारे की नीति का एक हिस्सा है। सन् १८५७ में अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने सम्पूर्ण राम जन्मभूमि में हिन्दुओं को अधिकार देने का वायदा किया था। लेखक के अनुसार सन् १८५७ की क्रांति विफल करने के बाद अंग्रेजों ने अलगाव के बीज बोए ताकि हिन्दू मुसलमान एक न हो सकें। अंग्रेज जज का इस विवाद के सम्बन्ध में फैसला प्रकाश डालता है—अंग्रेजी जज एम०ई०ए० चैमियर ने अपने आदेश पत्र में लिखा था (१८८६) "यह दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे स्थल पर मस्जिद बनाई गई है जो कि हिन्दुओं का पवित्र स्थल रहा है। लेकिन आज ३५६ वर्ष हो चुके हैं। इस दिशा में कदम

उठाने के लिए अब देर हो चुकी है।"

अदालत का रास्ता इस प्रकार के विवाद हल नहीं कर सकता। मेरी दृष्टि मे सहानुभूति सहअस्तित्त्व के बोध को ही जब लोग महत्त्व देंगे तभी कोई मार्ग निकलेगा। लेखक ने इस विवाद के पक्ष व विपक्ष दोनो को मौलिक ढंग मे प्रस्तुत किया है। आशा है इस पुस्तक के प्रकाशन से दोनों सम्प्रदायो को वास्तविक जानकारी मिलेगी और यह परिस्थिति सुधरेगी। दुष्यंत कुमार के शब्दो मे—

"सिर्फ हगामा खडा करना मेरा मकसद नही
मेरी फितरत है कि ये सूरत बदलनी चाहिये।"

दिल्ली —भारतेन्दु मिश्र
२२-१२-६०

प्रकाशकीय

समय की परिवर्तनशीलता की सत्यता सर्वव्यापी है। इस तथ्य का उदाहरण अनिश्योक्ति नही है। भूत, वर्तमान की दृष्टि से भविष्य की झलक स्पष्ट हो चुकी है। जिसका ज्वलन्त उदाहरण "जन्म-भूमि विवाद" है। सम्प्रति जाहिर होने के साथ आज का मानव समाज इसमे उलझा हुआ है। आये दिन एक दूसरे की होड मे टकराव के अतिरिक्त कुछ नही है। अपने समय को यूँ ही बर्वाद करना व्यर्थता का प्रतीक है। एक दूसरे को आदर्श देना गौरव है। रक्त एक है। धरती माता की गोद मे पल रहे मनुष्य तो मनुष्य समस्त जीव मात्र का खून लाल है। इस माहौल से जीव मात्र मे मनुष्य की कृतियाँ सूझ-बूझ की दृष्टि से अग्रसर हुई हैं। जब प्रत्येक वर्ग के मनुष्य का रक्त एक है, चाहे वह हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई हैं तो विचार एक क्यो नही ? मानवाधिकारो को बचाते हुए समता की दृष्टि से एक सच्चे नागरिक को 'भारत महान' बनाने के लिए प्रेरक सिद्ध होगी। "जन्म-भूमि" मर्यादा पुरुषोत्तम रामजी के शासन काल से सम्बधित है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, को सोदाहरण अपनाइये एव जिस सूझ-बूझ की दृष्टि से 'प्रजातन्त्र' राज्य मे शासकगण देश को अग्रसर करते चले आ रहे हैं उनकी नीतिओ को स्वीकार कीजिए। जब तक आप स्वीकारेंगे तब तक सफलता आप के चरण तले रही हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पडित जवाहर लाल नेहरू, श्री लालबहादुर शास्त्री, माननीया श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा श्री राजीव गांधी ने देश के लिए क्या नही किया। कौन-सा पिता ऐसा है जो अपने परिवार को एक दृष्टि से देखने मे हिचक करता रहेगा एव उन्हे अलग-अलग पथ मार्ग दर्शित करता रहेगा। भूतपूर्व प्रधानमत्री विश्वनाथ प्रताप सिह की कोशिश देश मे समता पनपाने की कोशिश रही है। तथा वर्तमान श्री चन्द्रशेखर का अटल विश्वास सदैव राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने का है। इसमे सबके समक्ष एक न एक कठिनाइयाँ आती रही हैं जिसे आम समाज कह देता है सरकार की विफलता है, नही। सरकार की कभी भी विफलता नही होती, सरकार तो देश को एक सच्चे की भाँति माता-पिता की हैसियत से निभाती है।

बच्चो की अनेक रुचियाँ होती हैं, जिद्दबाजियाँ होनी हैं जिसे कोई भी माता-पिता सदैव पूर्ति नहीं कर पाता है, ठीक उसी प्रकार जिन-जिन महोदयों ने सरकार चलाई वे अपनी सूझ-बूझ मे कमी नही रखे और यह कहना भी मूल साबित होता है कि कोई सरकार विफल हो गयी है। जिस प्रकार माता-पिता के सामने बच्चे विफल व सफल होते हैं उसी प्रकार सरकार को सफल या विफल का दर्जा देश के नागरिक के हाथ मे होता है। प्रकाशन के क्षेत्र मे कार्यशील रहते हुए लगभग १५ वर्षों के अनुभव मे यह पहली पुस्तक मैंने "जन्म-भूमि विवाद" प्रकाशित करने की इच्छा प्रकट करते हुए प्रथम पुष्प के रूप मे मैं समस्त पाठक-गणों को अर्पित करता हूँ एव त्रुटिपूर्ण शब्दो के लिए क्षमा चाहता हूँ तथा विश्वास करता हूँ कि पुस्तक मे जो कमियाँ दिखाई पड़े उसे अवश्य मुझे सम्बोधित करें जिससे अन्य सस्करण मे सुधार किया जा सके। पुस्तक प्रकाशन हेतु मेरी धर्म पत्नी श्रीमती उर्मिला पाण्डेय का विशेष सहयोग रहा है एव इनकी प्रेरणाश्रोत के जरिये मैं पुस्तक प्रकाशित कर रहा हूँ अथक त्याग एव कठिन मार्ग को तय कराने के लिए मैं अपनी धर्म पत्नी के पिता श्री विद्याशंकर पाण्डेय ग्राम-भतुवाही, पोस्ट-बदलापुर, जिला-जौनपुर, उ०प्र० का आभारी हूँ क्योकि उनके द्वारा दिया गया मेरे लिए निर्देश साहसपूर्ण एव सफल सिद्ध हुआ है। मेरे अग्रज श्री अनिरुद्ध प्रसाद पाण्डेय एव पिता श्री आद्याचरण पाण्डेय तथा माता श्रीमती करमा देवी पाण्डेय का अमिट आशीर्वाद सदैव रहा है एव वर्तमान कार्यरत रक्षा लेखक नियन्त्रक कार्यालय इलाहाबाद के अपने अग्रज श्री नरसिंह पाण्डेय, पी-७, गोविन्दपुर (नजदीक इंजीनियरिंग) कालेज, इलाहाबाद, उ०प्र० के द्वारा अजित एव बचपन से गोद मे खेलने से लेकर आज तक की समस्त शिक्षाओं को इनके कठिनतम् त्याग द्वारा प्राप्त किये जाने के फलस्वरूप यह पहली पुस्तक प्रकाशित की गयी। मैं श्री नरसिंह भइया के चरण मे अर्पित कर ऋणात्मक आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहा हूँ, आशा है भइया मेरे लिए कतई नही हिचकिचायेंगे। अनुज श्री जयनारायण पाण्डेय किसी भी कठिनाई को झेलते हुए मेरी छाया बनकर सदैव मेरे साथ रहने के लिए हठी है, मैं इन्हे प्रत्येक क्षेत्र मे सफल होने हेतु हार्दिक आशीर्वाद दे रहा हूँ। पुन समस्त पाठक गणो को "जन्म-भूमि" विवाद नामक पुस्तक रुचिकर हो इस भावना से प्रकाशित कर रहा हूँ। आशा एव विश्वास है कि पाठकगण अपनी रुचि अवश्य "जन्मभूमि विवाद" नामक पुस्तक मे लगाकर मुझे आशीर्वाद प्रदान करेंगे।

धन्यवाद सहित।

दीपनारायण पाण्डेय

प्रकाशक

अनुक्रम

(नवभारत टाइम्स के सौजन्य से)

१. विवाद क्यों : हिन्दू पक्ष

श्रीराम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद का बीज अथवा मूल कारण क्या है ?

हिन्दू पक्ष के प्रतिपादन (जिसके बारे मे पुस्तक मे आगे विस्तृत विवेचना की गई है) का निचोड यह है कि विवाद का बीज जन-साधारण के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। हिन्दुत्ववादियो के अनुसार पिछले पांच सौ वर्षों मे ७३ बार इस जन्म-स्थली को लेकर रक्तपाती युद्ध हुआ और इस बार के युद्ध को मिला लिया जाये तो ७४ बार युद्ध हो चुका है। इसमे अब तक साढे तीन लाख से अधिक लोग मारे गये हैं या अपना बलिदान दे चुके हैं। ९० हजार लोग औरंगजेब काल मे युद्धस्थल पर मारे गए, जिसमे औरंगजेब का शाहजादा भी था। इसी तरह इस मन्दिर के स्थान पर मस्जिद जब तक है, तब तक युद्ध चलता रहेगा। इसे कोई नही रोक सकता। क्योंकि इसका सीधा सम्बन्ध हिन्दू स्वाभिमान से है।

यदि यह भूल सोमनाथ की तरह सुधार ली गयी होती तो अब तक लोग बाबर या बाबरी मस्जिद को सामान्यतया भूल गये होते। लेकिन मुस्लिम स्वाभि-मान अब उसे गिराने नही देता और हिन्दू स्वाभिमान इसे बर्दाश्त नही कर पा रहा है।

क्या यथास्थिति मे इसका समाधान नही है ? अवश्य है—किन्तु यह यथा-स्थिति वह है जो बाबर काल से पहले थी। तब वहाँ जो कुछ भी रहा हो, वही स्थिति फिर बहाल होनी चाहिए। तभी यह युद्ध टलेगा, जैसे सोमनाथ का युद्ध टल गया।

प्रश्न उठाया जाता है कि इस स्वाभिमान की सीमा क्या है ? क्या इस मस्जिद को हटाकर राममन्दिर बना देने के बाद हिन्दू स्वाभिमान मथुरा का कृष्णजन्म मन्दिर और काशी विश्वनाथ मन्दिर पर भी अपना दावा नही करेगा ?

जहाँ तक दावा करने की बात है, दावे का तो प्रश्न ही नही उठता। क्योंकि वह तो हिन्दू संस्कृति का अभिन्न अंग है। एक बर्बर संस्कृति ने जो बर्बरता दिखाई और उसके प्रति हिन्दुओं ने जो उदारता अपनायी, उसके परिणाम स्वरूप ही इस

समस्या का समाधान अब तक नहीं हो सका। विश्वनाथ मन्दिर की ही बात लें तो यह स्पष्ट है कि जहाँ नन्दी जी होते हैं, उसके बिलकुल सामने शिवलिंग होता है। लेकिन काशी में बाबा विश्वनाथ के मन्दिर मे, नन्दी बाबा के सामने मस्जिद है। इस मस्जिद के निर्माण के मूल मे एक ईर्ष्या थी, अन्यथा काशी मे और भी जगहें पडी हैं, जहाँ मस्जिद बनाई जा सकती थी।

लेकिन आज हिन्दू जो इस स्थान की माग कर रहे हैं, उसमे ईर्ष्या नहीं है। वे अपने स्वाभिमानवश पौराणिक तथा ऐतिहासिक यथास्थिति की माग कर रहे हैं। यदि उनकी माँगो पर गभीरता से ध्यान नही दिया गया, तो दिल्ली मे जिस तरह साढे तीन हजार मन्दिर औरगजेब काल मे तोड दिए गए थे, वैसी ही प्रतिक्रिया, आने वाली पीढी मे नासूर बन कर उभर सकती है।

प्रश्न यह भी उठाया जाता है कि हम जिसे हिन्दुओ की उदारता कहते हैं, क्या वह उनकी कमजोरी या मजबूरी नहीं थी? जी नहीं, यह हिन्दुओ की न तो कमजोरी, न ही मजबूरी थी, बल्कि मात्र उदारता थी। इसका मूल कारण भारत की भौगोलिक स्थितियाँ हैं। यहाँ तमाम भौगोलिक स्थितियो मे तमाम मनुष्यो की जातियाँ हैं। जैसे हूण, यवन, आर्य आदि अनेक जातियाँ, अनेक जातियों की अनेक संस्कृतियाँ, अथवा उनमे आये विकारो के सुधारको के विभिन्न मत-पथ, इन सबकी मिली-जुली सस्कृति को यहाँ के जन साधारण ने सर्वमान्य स्वीकार किया।

वर्तमान समय मे भी एक ही व्यक्ति, राम, शिव, हनुमान, विष्णु और इन्द्र आदि का उपासक पाया जाता है जबकि ये सब देव अलग-अलग सस्कृति से संबंध रखते हैं। इन सस्कृतियो के जो मनीषी, ऋषि और मत हुए उनकी खोज का आधार प्रकृति, आत्मा और परमात्मा रहा है। लेकिन कालान्तर मे इस्लाम या ईसाई नामक जिन सस्कृतियो ने इस देश मे प्रवेश किया, उनके मूल मे सत्ता, शासक और अदृश्य सत्ता रूप एक काल्पनिक ईश्वर रहा है। स्पष्ट है कि दोनों की अर्थात् भारतीय और बाहरी संस्कृतियो की ईश्वर की परिभाषा में जमीन-आसमान का फर्क है। प्रथम, भारतीय सस्कृति का ईश्वर कण-कण मे व्याप्त है। द्वितीय, सभी उपासना के मार्ग ईश्वर को प्राप्त करने के साधन हैं। इसके विपरीत इस्लाम का या ईसाई ईश्वर ससीमित, किसी काल्पनिक सातवें आसमान का निवासी है। पूजा विधियों की विविधता को इस्लाम कुफ्र कहता है और अपने आसमानी एकेश्वरवाद मे भिन्न विचार रखने वाले को काफिर। वह ऐसे काफिर के वध का न केवल निर्देश देता है—बल्कि साथ ही ऐसे वधिक को पुरस्कृत करने का वादा भी करता है। जरा अलग सदर्भ मे 'सलमान रुशदी' की हत्या का निर्देश इसका ताजा उदाहरण है।

अगर गहन अध्ययन किया जाये तो उक्त दोनो—इस्लाम तथा ईसाई-धर्मो

के ग्रंथ मात्र राजनैतिक ग्रंथ हैं। इनका आत्मा-परमात्मा के सूक्ष्मतम अध्ययन से कोई सम्बन्ध नहीं है। ये अपने अनुयायियों को काल्पनिक संसार के लोभ और भय से इतना धर्मांध बना देते हैं कि उनका अपना विवेक शून्य हो जाता है।

उपरोक्त कारणों से ये संस्कृतियाँ अन्य भारतीय संस्कृतियों में अब तक घुल-मिल न सकी, न भविष्य में ही इसकी संभावना है। दोनों के चिन्तन में अन्तर है। जैसे ये शाकाहार पर बल देती हैं, वे मांसाहार पर। ये निवृत्तिमार्गी हैं तो वे सवृत्ति मार्गी। निवृत्तिमार्गी का अर्थ है "तेन व्यक्तेन भुंजीथा" यानी उस ईश्वर का दिया हुआ, उसके नाम से त्याग कर, यथा प्राप्त भोगो और दूसरे के धन की कभी इच्छा न रखो। जबकि सवृत्तिमार्गी का अर्थ होता है, जिसकी प्रवृत्तियों में तामसिक वृत्तियों ने प्रवेश कर लिया हो। अर्थात् सब कुछ पाने के लिए सब कुछ दाँव पर लगा दो।

दोनों के आदर्श में भी अन्तर है। हिन्दू का आदर्श त्याग है। यहाँ बादशाहों का बादशाह सन्यासी होता है जब कि इस्लाम और ईसाइयत के असवाव शासन और सुन्दरी हैं। इस्लाम की जन्नत में शराब की नदियाँ बहती हैं। ईसाई इससे भी आगे बढ़ कर हैं। उनके पोप धरती में ही स्वर्ग की सीट रिजर्व कर देते हैं। कुल मिलाकर इन कबीलाई, ऊलजलूल संस्कृतियों का समन्वय भारतीयों की ओजपूर्ण, बुद्धिनिष्ठ संस्कृतियों से नहीं किया जा सकता। धीरे-धीरे ११०० वर्षों की गुलामी के पश्चात् मात्र ४० वर्षों में जो हिन्दुओं का क्षात्रधर्म जगा है, वह अगले दस वर्षों में विश्व से तमोवृत्ति समाप्त कर देने की स्थिति तक शक्तिशाली बन जाने की संभावना है।

यहाँ इस्लाम और ईसाइयत के जिन दोषों को गिनाया गया है, हमारे कुछ बुद्धिजीवी यह शंका उठाते हैं कि चिन्तन और आदर्श की कसौटी पर तो ऐसे दोष हिन्दू धर्म में भी विद्यमान हैं। ईसाई और इस्लाम धर्म के मूल संस्थापक तो भारतीय ऋषि मुनियों, सन्यासियों और अवतारों की तरह ही परम पवित्र थे। ईसा स्वयं एक संन्यासी थे और कहते थे कि 'एक सूई के नेढ़े से ऊंट गुजर सकता है किन्तु ईश्वर के स्वर्ग द्वार से कोई अमीर अन्दर नहीं जा सकता।' मुहम्मद पैगम्बर जिस दिन मरे तो उनके घर में तेल नहीं था और उनके कपड़ों में कम से कम सात पैबंद लगे हुए थे। यानी वे अपने राज्य के उपभोग शून्य स्वामी थे और ईश्वर के आदेश से ही उन्होंने तलवार उठायी एवं राज्य स्थापित किया था, जिस प्रकार गीता के भगवान के आदेश से अर्जुन ने शस्त्र उठाया और राज्य जीता। फिर हिन्दुओं के स्वर्ग में भी देवगण सोम पीते हैं, और अप्सराओं के साथ स्वच्छंद भोग करते हैं। फिर किस प्रकार अनुयायियों के भ्रष्टाचार से हिन्दू धर्म अछूता नहीं है। पोप लीला जैसे छूतअछूत जैसे पाखण्ड हिन्दूधर्म के पोंगा पंडितों ने भी बहुतेरे चलाये हैं। जिनका धर्म-सुधारकों ने विरोध भी किया है। फिर कैसे हम हिन्दू

धर्म को सर्वश्रेष्ठ चिन्तन और आदर्श का प्रमाणपत्र दे सकते हैं और कैसे इस्लाम और ईसाइयत को हेय मान सकते हैं ?

बुद्धिजीवियों में ऐसे प्रश्न - प्रतिप्रश्न, शंका-कुशंकाएँ, तर्क-कुतर्क उठना स्वाभाविक है। हिन्दू धर्म उनका स्वागत भी करता है और तदनुसार सुधार के लिए सदैव तत्पर भी रहता है। क्या इस्लाम के साथ यह बात है ? फिर जो किसी समाज का नेतृत्व सम्भालते हैं उनका जीवन उनके अनुयायियों का आदर्श होता है । उदाहरण के लिए हिन्दुओं में राम को अगर लिया जाये तो पुत्र का माँ और बाप से, भाई का भाई से, शिष्य का गुरु से, राजा का प्रजा से, निर्बल का सबल से, शत्रु का शत्रु से, शत्रु का मित्र से, पति का पत्नि से, न्यायाधीश का न्याय से, जो आदर्श सम्बन्ध हो सकता है, वह उन्होंने अपने जीवन में ढाल कर अमिट आदर्श अपने अनुयायियों को दिया। इन्हीं आदर्शों का परिणाम है, कि भारत, भारत के रूप में जीवित है। तमाम सामाजिक बुराइयों के बावजूद हम यहाँ मुक्त विचार, सहिष्णुता और लोकतंत्र की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। कथित धर्म-निरपेक्षता की बात यहाँ इसीलिए की जाती है क्योंकि यहाँ हिन्दू बहुसंख्यक हैं। हम शक्तिशाली होने पर भी किसी विदेशी राज्य पर आक्रमण की कभी सोचते तक नहीं। यह हिन्दू जीवन के समग्र दृष्टिकोण का ही प्रतिफल है जो उसकी तमाम बुराइयों का पलड़ा हलका कर देता है।

इसके विपरीत इस्लाम ने जो धर्मग्रंथ —अपने अनुयायियों को दिये, उसके उपदेशकों ने जो विचार अनुयायियों के मस्तिष्क में भरे, उनके परिणाम स्वरूप उसके अनुयायी एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार लेकर निकल पड़े। विश्व के कोने-कोने तक उन्होंने कुकृत्यों का नंगा नाच किया। मानव और मानवता की हजारों वर्ष की खोजपूर्ण उपलब्धियाँ इन बर्बर अत्याचारियों ने संभवतः समाप्त ही कर दीं। अगर ईसाइयत को लिया जाए तो उसने भी प्रकृति के धर्मों का जगह-जगह उल्लंघन किया है। उदाहरणार्थ अनेक खुशी के प्रसंगों पर वहाँ निरीह पशुओं के वध की आज्ञा दी गयी है। उनके आदर्श में निरीह पशुओं या अन्य जीवों के लिए अहिंसा का प्रयोग भूलकर भी नहीं किया गया, जिसका मूल कारण कबीलाई और भौगोलिक परिस्थितियाँ ही रही होंगी। इसी संस्कृति ने हमें दो-दो विश्वयुद्ध और सर्वनाशी अणुबम दिये हैं। साम्राज्यवादी शोषण तन्त्र सम्भवतः मानवता को उसकी सबसे बहुमूल्य देन रही है। हिन्दुत्ववादियों के अनुसार जिस समय इस्लाम की आँधी चली, मौत का नंगा नाच विश्व में होने लगा, तो उसके प्रभावक्षेत्र के राज्य एक-एक कर इस्लाम की गोद में चले गये। तलवार की नोक पर उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। लेकिन भारतवर्ष के योद्धा तीन सौ वर्षों तक इस देश में इस्लाम को प्रवेश न करने देने में सफल रहे। समय वश लुटेरों की हैसियत से इस्लाम के अनुयायी लोग दो चार

चार आए और गए। समयवश ही यहाँ के हिन्दू राजा विकेन्द्रीकरणवादी हो गए। उन्होंने अपनी सारी शक्ति आपसी युद्धों में समाप्त प्रायः कर दी। तब आक्रामक लुटेरों को पैठने और पैर जमाने का मौका मिला। यहाँ की भौतिक संपदाओं के लोभ से उन्होंने सोचा यहाँ अपनी सत्ता किसी न किसी तरह स्थापित करनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने अपनी कट्टरता में ढील दी और सत्ता स्थापना में सफल रहे। धीरे-धीरे भारतीय विद्वानों के प्रति दुष्प्रचार, षड्यंत्रों द्वारा उनका वध, कमजोरों पर जजिया टैक्स, लोभियों का जागीरें और अहंकारी प्रवृत्ति के लोगों को शासकीय पद देकर उन्होंने धर्मपरिवर्तन की शुरुआत की। इसका नंगा नाच औरंगजेब के समय में देखा गया।

यह कहना गलत नहीं होगा कि आज के भारतीय मुसलमानों के पूर्वज अत्याचार के सामने घुटने टेक कर, इस्लाम धर्म को स्वीकार करने पर मजबूर हुए। आज उनकी सतानों को गर्द के साथ इस मैले चोले को उतार कर फेंक देना चाहिए। और जो भारतीय उन्हें स्वीकार करने से इन्कार करें, उन्हें, उन्हीं के कटघरे में खड़ा कर देना चाहिए। क्योंकि अपने पूर्वजों से लेकर आज तक ये बराबर जो हिंसा अत्याचार, सामाजिक भेदभाव और मानसिक घृणा सहन करते आये हैं, उसे मिटाने का एक मात्र साधन पुनः अपने घर की वापसी ही हो सकती है। अपने घर से तात्पर्य यहाँ हिन्दू धर्म से है। यदि सारे कश्मीरी पूर्व ब्राह्मण पुनः ब्राह्मण धर्म स्वीकार कर लें, या लोहार, धुनिया, बढ़ई, कहार, कुम्हार जो जजिया टैक्स वश मुसलमान बने थे, या जो सुन्नी खानजादे, ताल्लुकेदार, अत्याचार या लोभवश घर छोड़ कर चले गये थे, या घर से निकाल बाहर किए गए थे, उन्हें पूर्ण अधिकार के साथ अपने वतन-वापसी की माग करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश इस कार्य के लिए नियुक्त अथवा प्रवृत्त 'आर्यसमाज' भी मात्र 'अहम्' का अड्डा बन चुका है।

धर्म का तात्पर्य

यहाँ प्रश्न उठेगा कि धर्म से हिन्दू चिंतन का तात्पर्य क्या है? हिन्दुत्ववाद का मानना है कि धर्म मानव जीवन को संतुलित विधि से जीने की वह परम्परा है जो सर्वमान्य और जीवमात्र की हितैषी हो। भारतीयों का जीवन किसी व्यक्ति विशेष का चलाया हुआ नहीं है। इसमें वह सामयिक नियम भी हैं, जिनकी खोज तमाम समाजशास्त्रियों ने की। इस धर्म में वह व्यक्तिगत और शारीरिक नियम भी हैं, जिन्हें तमाम योगाचार्यों और वैद्यों की खोज ने प्रचलित किया। इस धर्म में जीवन के उन तमाम अंगों को छूने वाले रीतिरिवाज संस्थापित हैं, जिनको समय-समय पर अनेक सम्प्रदायों के ऋषि मनीषियों ने मानव मात्र के लिए खोजा और विकसित किया। जीवन का प्रथम खण्ड स्वास्थ्य और शिक्षा, जीवन का

दूसरा खण्ड व्यवहार और व्यापार, तीसरा खण्ड समाज-सुधार और चौथा खण्ड आत्मोद्धार के लिए निश्चित किया गया है। संभवतः मानव की सम्पूर्ण कामनाएं उपरोक्त चतुर्वर्ग मे समा जाती हैं। यह तो हुआ मनुष्य धर्म। इसके विपरीत हम उसे धर्म नही मानते, जो अहिंसा, सत्य, समता और सदाचार की अवहेलना करता हो। धर्म किसी धर्मग्रंथ की निजी बपौती नही है। धर्म का क्रमिक विकास होता है, जो जीवन के प्रत्येक अंग को प्रभावित करता है और धर्म के ही अधीन सृष्टि क्रम भी चलता रहता है।

इसके विपरीत यदि कोई धर्म के नाम पर किसी को काल्पनिक विचारो से बहकाता है, जिन्हे विवेक, तर्क और परिणामों की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता और जिनका परिणाम मानवमात्र का विकास या जीवमात्र का हित नही है, तो वह धर्म नही, अधर्म है।

यहां एक प्रश्न उठता है जो सामाजिक धर्म मे सम्बन्धित है। अहिंसा और न्याय के तालमेल की जब समस्या होती है तो यह प्रश्न उत्पन्न होता है। यदि जहाँ अहिंसा का पालन किया जाता है तो न्याय सकुचित हो जाता है, और यदि न्याय का पालन होता है तो अहिंसा आकुचित हो जाती है, तो वहां क्या किया जाए ? किसे वरीयता दी जाए ?

भारतीय परम्परा के अनुसार, जघन्य अपराधों के न्याय मे जहाँ शास्त्र मौन हो जाता है वहाँ विवेक के आधार पर ही न्याय या दण्ड दिया जाता है। सस्कार के आधार पर भोग अवश्यभावी है। इस नीति का उल्लघन भारतीय संस्कृति मे कही भी उपलब्ध नही है। जैसे राम के पिता दशरथ ने श्रवणकुमार के पिता के शापवश शरीर त्यागा। उदार राम ने कौए की आँख फोडी। सौ जन्म से पूर्व किये अपराधवश भीष्म पितामह शरशय्या पर लेटे। धृतराष्ट्र द्वारा पूर्व जन्म मे हिरण की आँख निकाल लेने पर उन्हें जन्मान्ध बनना पडा। पुराणो के ये दृष्टात संभवतः न्यायविधि को प्रभावित करने के लिए ही दिये जाते हैं। यह भी भारतीय सस्कृति का अभिन्न अग है। वर्तमान राजनीतिक या गैरराजनीतिक दुराचारियो को, भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने के अपराध मे लिप्त होने पर, उपरोक्त कटघरे मे स्वय को खड़ा करके सोचना चाहिए। अन्यथा परिणाम भयंकर हो सकता है।

उपरोक्त विवेचन से, यह स्पष्ट होता है कि हिन्दू पक्ष के अनुसार, पिछले पाँच सौ वर्षों से चला आ रहा यह युद्ध छद्म धर्मनिरपेक्षता की तोता रटन् से, मुस्लिमो के खोखले, स्वार्थपूर्ण तुष्टिकरण-से, गोलियो की बौछार से कभी समाप्त नही होने वाला है। और अयोध्या की इस बलिवेदी पर जो साढे तीन लाख सिर चढे हैं उनकी संख्या को बढ़ाने या यही पर रोक देने का कार्य यहाँ के प्रबुद्ध धर्माचार्यों, राजनीतिज्ञों, समाज सेवको एव जन-सामान्य का है।

२. युद्धभूमि अयोध्या

'अयोध्या' का शाब्दिक अर्थ है, 'वह (नगरी) जहाँ युद्ध नहीं होता या जो युद्ध मे जीती नही जा सकती।' इतिहास की विडम्बना है कि वही विगत ५०० वर्षो से युद्धभूमि बनी हुई है।

वेदोक्त प्रागैतिहासिक काल से लेकर वैदिक, औपनिषदिक, पौराणिक और ऐतिहासिक काल से यह एक महत्त्वपूर्ण नगरी रही है। कही इसे सृष्टि की आदि नगरी कहा गया है। कहीं देवताओ द्वारा निर्मित नगरी के रूप मे उसका उल्लेख है। उसे पावन सप्तपुरियों मे से एक माना गया है। यह नगरी भी अन्य नगरियो की तरह उत्थान और पतन के कई दौरों से गुजरी। कई बार बसी और उजड़ी और फिर बसी।

ऋग्वेद मे पहली बार सिंधु और सरस्वती नदियो के साथ उस सरयू नदी का उल्लेख आया है, जिसके तट पर यह नगरी बसी है। ऋग्वेद का १०, ६४, ६ मत्र है 'सरस्वती: सरयू सिंधुर्हमिभिः महोमयी रवासायतु वक्षणीः"। इसके बाद अथर्ववेद के द्वितीय खण्ड मे अयोध्या का सीधा उल्लेख आया है। कहा गया है कि देवताओ द्वारा निर्मित अयोध्या नगरी मे ८ चक्र (मण्डल) नौ द्वार तथा अपार धनवैभव है। यह नगरी स्वर्ग की भाँति समृद्ध थी"। 'अष्टचक्र नवद्वारा देवाना पूज्य अयोध्या।' इसका अधिपति चित्ररथ था। वाल्मीकि रामायण में भी इस कौशल देश के चित्ररथ का उल्लेख मिलता है। प्राचीन इतिहास के अनुसार राज्यसस्था के प्रादुर्भूत हो जाने के बाद मनु आर्यो का पहला राजा था। इस उत्तर-वैदिक कालीन आदि-काव्य-ग्रथ वाल्मीकि रामायण मे अयोध्या को 'मनु-निर्मित नगरी' कहा गया है।" अयोध्या नाम तत्रास्ति नगरी लोक विश्रुता। मनुना मानवेन्द्रेण पुरवै निर्मिता स्वय'। महर्षि वाल्मीकि के अनुसार अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी थी। पौराणिक अनुभूतियों के अनुसार मनु के वशज इक्ष्वाकु, माधाता आदि ने अयोध्या मे राज्य किया। उन्होंने अयोध्या की लम्बाई १२ योजन और चौड़ाई तीन योजन बताई है। रामायण के अनुसार इस नगरी की रक्षा के लिए चारो ओर एक कोट था। कोट के ऊपर नाना प्रकार के शतघ्नी

(तोप जैसे) आदि मारक यंत्र सैकड़ो की संख्या मे रखे रहते थे। किले की दीवार के साथ एक खाई भी थी। उस समय अयोध्या के चार द्वार थे जिनमे एक का नाम वैजयन्त द्वार था।

इक्ष्वाकु की इकतीस पीढी पीछे राजा हरिश्चन्द्र अयोध्या की राजगद्दी पर बैठे। आगे चलकर इसी वश मे राजा दिलीप, भगीरथ, रघु, अज, दशरथ आदि प्रतापी राजा हुए। ६५वीं पीढी में दाशरथि राम ने वहाँ राज्य किया। प्रसिद्ध इतिहासकार सत्यकेतु विद्यालंकार के अनुसार तो ऋग्वेद कालीन आर्यों से बहुत पहले सूर्यवश की ये ऐतिहासिक घटनाए घट चुकी थी। क्योंकि ऋग्वेद मे 'इक्ष्वाकु' तथा 'माधाता' आदि सूर्यवंशी राज्यो का स्पष्ट उल्लेख आया है। इससे अयोध्या के राजाओ का इतिहास पूर्ववैदिक सिद्ध होता है।

महाकाव्य काल में—उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास एक तरह से अयोध्या के इतिहास से जुड़ा रहा है। वैदिक कालीन समाज मे ही अयोध्या को मनु के वशज भरत तथा सूर्यवशी राजाओं के कारण धार्मिक, राजनैतिक एव सांस्कृतिक महत्व प्राप्त हो चुका था। इसके बाद कृष्ण यजुर्वेद के तैतरीय आरण्यक मे देवानाम पुरी 'अयोध्या' का वर्णन मिलता है।

ऐतरेय ब्राह्मण मे शुनः शेष ने अयोध्या की आवासीय बस्ती का उल्लेख किया है। साख्यायन श्रौत सूत्र, आरुणोपनिषद् मुक्तिकोपनिषद् मे भी इसका उल्लेख है।

वाल्मीकि रामायण कालीन जिस कोशल देश की राजधानी अयोध्या थी वह उत्तरकोशल तथा दक्षिणकोशल इन दो भागो मे विभक्त था। राजा दशरथ की रानी कौशल्या दक्षिण कोशल की राजकुमारी थी। पर अयोध्या नगरी उत्तर कोशल मे अवस्थित थी। सरयू नदी के किनारे बसा हुआ यह एक धनधान्यपूर्ण राज्य था। मनु के द्वारा निर्मित उसकी राजधानी का विस्तार लम्बाई में बारह योजन और चौड़ाई में तीन योजन था। कनिंघम के अनुसार प्राचीन कोशल देश सरयू तथा घाघरा द्वारा दो भागो मे विभक्त था। जहाँ अयोध्या स्थित थी वही उत्तरी भाग कोशल के रूप में जाना जाता था और दक्षिणी भाग 'बनौध' कहलाता था। भरत और शत्रुघ्न ने अपने मामा के यहाँ गिरिव्रज से लौटते हुए वैजयन्त द्वार से ही अयोध्या मे प्रवेश किया था। विश्वामित्र के साथ श्रीराम और लक्ष्मण पूर्व द्वार से गये थे। सीता जी को वन मे छोडने के लिए लक्ष्मण जी दक्षिण द्वार से गये थे। अयोध्या की जनता सरयू तट पर उत्तर द्वार से जाया करती थी।

श्रीराम के शासन काल मे राजमहल और किले की रक्षा इस प्रकार की गयी थी, प्रासाद के मुख्य द्वार पर हनुमानजी, उनके दक्षिण मे सुग्रीव और अगद, दुर्ग के दक्षिण द्वार पर नील और सुषेण, पूर्व द्वार मे गवाक्ष; पश्चिम द्वार पर दधिवक्त्र, शतवली, गंधमादन, ऋषभ, शरभ और पनस, तथा उत्तर द्वार पर विभीषण और उनकी पत्नी सरमा रहते थे। उनके पूर्व मे द्विविद, मयन्द, दक्षिण

भाग मे जामवत और केसरी रहते थे। इनमे से अब केवल चार स्थानो की पहचान बची है—हनुमान गढी, सुग्रीव टीला, अंगद टीला और मत्तगजेन्द्र।

श्रीराम ने अपने सामने ही अपनी सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया था। अपने एक पुत्र कुश को कुशावती (विंध्याचल के आसपास का क्षेत्र) और दूसरे पुत्र लव को शरावती (श्रावस्ती)—मध्यक्षेत्र—दिया था। भरत के पुत्रो मे से तक्ष को तक्षशीला और पुष्कल को पुष्कलावती (पेशावर)—पश्चिम क्षेत्र दिया था। लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु को मल्लदेश और अगद को कारुपथ—मध्यपूर्व क्षेत्र—सौंपा था। शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु और शत्रुघाती को क्रमश मथुरा और विदिशा का क्षेत्र दिया था। बाली पुत्र अगद को किष्किधा और दक्षिण पथ तथा विभीषण को लका का राज्य दिया था।

भगवान श्रीराम के सरयू मे आत्मार्पण के बाद ही अयोध्या को सरयू नदी ने बाढ मे समेट लिया और उसका समस्त वैभव नष्ट हो गया। वायु पुराण के अनुसार महाराजा कुश ने, जो कि विंध्याचल क्षेत्र मे कुशस्थली नामक राजधानी से राज्य करते थे, बाढ के बाद फिर अयोध्या को बसाया और वहाँ श्रीराम की कीर्ति को चिरस्थायी बनाने के लिए उनके स्थान पर एक भव्य मदिर का निर्माण किया। लोमश रामायण के अनुसार यह मदिर कसौटी पत्थर के ८४ खम्भो पर बना हुआ था। कालिदास के रघुवश से विदित होता है कि अयोध्या की दीन-हीन दशा देखकर कुश ने पुन. उसे बसाया और अपनी राजधानी बनाया। अयोध्या वापसी के दौरान उनकी मुठभेड नागराजा कुमुद से हो गयी थी। जनश्रुति के अनुसार कुश ने उसे पराजित कर उसकी बहन कुमुद्वती से विवाह किया।

महाभारत काल मे कोशल के सिंहासन पर बृहद्बल नामक राजा था जो महाराज लव की वश परपरा मे से था। अर्थात् कुश की वंश-परंपरा महाभारत काल आते-आते लुप्त हो चुकी थी। बृहद्बल ने महाभारत युद्ध मे कौरवो का साथ दिया था। चक्रव्यूह भेदते समय अभिमन्यु के हाथो उसका बध हुआ था। उसके बाद अयोध्या मे सूर्यवश का अस्त हो गया।

इसके बाद अयोध्या का इतिहास अज्ञात हो जाता है—बौद्ध काल तक। महात्मा बुद्ध के आविर्भाव के बाद पुन· इसका उल्लेख मिलने लगता है। लेकिन साथ ही इसका नाम और स्थान, आधुनिक इतिहासविदो की दृष्टि मे विवादास्पद बन जाता है। इस विवाद की चर्चा हम आगे करेंगे। किन्तु गौतमबुद्ध का संपूर्ण जीवन कोशल प्रदेश मे ही बीता था। उनका जन्म कपिलवस्तु मे, निवास मुख्यत सरावस्ती (श्रावस्ती) मे, धर्मप्रचार सारनाथ (वाराणसी मे) और मृत्यु कुशीनगर मे हुई थी। ये सभी क्षेत्र कोशल प्रदेश मे ही आते थे। बुद्ध के समय मे कोशल की राजधानी सरावस्ती थी, जिसे लव ने बसाया था। गौतम बुद्ध अयोध्या में आये थे। उस समय अयोध्या एक वैभवशाली नगरी नही रही थी। गौतमबुद्ध

दा।" बाबर इसके लिए तैयार नही था, लेकिन फकीर ने जिद की और कहा कि—"यदि तू नही मानेगा तो मैं तुझे बद्दुआ दूगा।" इसी बात पर बाबर ने मीरबांकी को मदिर तोडने का हुक्म दिया था।*

२. तारीख वारीता मदीन तुल औलिया के अनुसार बाबर अपनी किशोरावस्था मे पहले भी हिन्दुस्तान आया था। उस समय वह अयोध्या के दो फकीरो—कलदर और मूसा आशिकान से मिला था। बाबर ने दोनो से प्रार्थना की कि वह उसे हिंदुस्तान का बादशाह हो जाने की दुआ दें। फकीरो ने कहा कि तुम जन्म-स्थान पर बने मदिर को तोडकर मस्जिद बनवाने की प्रतिज्ञा करो तो हम तुम्हारे लिए दुआ करें। बाबर ने उनकी बात मान ली और अपने देश लौट गया। इसी वचन की पूर्ति उसने १५२८ मे मीर बांकी को मंदिर तुडवाने का आदेश देकर की।

महात्मा बालकराम विनायक कृत 'कनक भवन रहस्य' मे मस्जिद बनाने का ब्योरा इस प्रकार दिया गया है :

"मीर बांकी ने सेना लेकर मंदिर पर चढाई की। १७ दिनों तक लडाई होती रही। अत मे हिन्दुओ की हार हुई। जब बांकी ने मदिर मे प्रवेश करना चाहा, तो पुजारी चौखट पर खडा हो गया और बोला, "मेरे जीते जी तुम मंदिर मे प्रवेश नही कर सकते। इस पर झल्लाकर बांकी ने उसका कत्ल कर दिया। लेकिन जब वह मंदिर के अन्दर गया तो पाया कि मूर्तियाँ वहां नही हैं। बाद मे वे मूर्तिया लक्ष्मण घाट के पास सरयू नदी से किसी दक्षिण भारतीय ब्राह्मण को मिल गयी। स्वर्गद्वार के मदिर मे उन्ही को प्रतिष्ठित किया गया था।"

मीर बांकी ने मदिर की सामग्री मे ही मस्जिद का निर्माण कराया था। मीर बांकी का प्रतिरोध करने वालों के अग्रणी थे भीटी नरेश महताब सिह, हंसवर के राजगुरु प० देवीदीन पाण्डेय, हसवर नरेश रणविजय सिह और महारानी जयराज कुमारी।

१५३० मे १५५६ ई० तक हुमायूं के समय मे १० बार युद्ध हुए। स्वामी महेश्वरानद साधु-सेना लेकर लड़े और शहीद हुए। रानी जयराज कुमारी स्त्री सेना लेकर लडी। १५५६ से १६०५ ई० तक अकबर के काल मे २० बार युद्ध हुए। स्वामी बलरामाचार्य लडे व वीरगति प्राप्त की। अकबर ने राजा बीरबल और राजा टोडरमल की मध्यस्थता मे हिन्दुओं को चबूतरे पर मदिर निर्माण की आज्ञा दे दी थी।

१६५८ मे १७०७ ई० तक औरंगजेब के काल मे ३० बार युद्ध हुए जिसमे दशमेश गुरु गोविंद सिहजी, बाबा वैष्णवदास, कुंवर गोपाल सिह, ठाकुर जगदम्बा

* देखिए 'अयोध्या का इतिहास'—लाला सीताराम बी.ए. (अवध) कृत

सिंह आदि ने लोहा लिया। अंतिम युद्ध को छोडकर शेष सभी मे हिन्दू विजयी रहे।

१७७० से १८१४ ई० तक अवध के नवाब सआदत अली के समय मे ५ बार आक्रमण हुए। अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह ने मुकाबला किया। युद्धो से तंग आकर इन्होने भी अकबर की भाँति हिन्दुओ और मुसलमानो को साथ-साथ पूजन और नमाज की अनुमति दे दी।

१८१४ से १८३६ ई० तक नवाब नासिरुद्दीन हैदर के समय मे ३ बार युद्ध हुए जिनमें मकरही के राजा ने मुकाबला किया।

१८४७ से १८५७ ई० तक नवाब वाजिद अली शाह के समय मे दो बार लड़ाई हुई, जिसमे बाबा उद्धवदास और भीटी नरेश ने भाग लिया।

नवाब वाजिद अली शाह ने ३ व्यक्तियो का—एक हिन्दू, एक मुसलमान और एक ईस्ट इंडिया कपनी का प्रतिनिधि—एक आयोग बैठाया। इस आयोग का निष्कर्ष था कि वहाँ कभी मस्जिद थी ही नही। वास्तव मे मीर बाकी ने मस्जिद तोडकर जो भवन बनाया उसके पत्थर पर स्पष्ट लिखा है कि वह "फरिश्तो के अवतरण का स्थल है।"

इस संबध मे कुछ मुस्लिम अनुश्रुतियाँ भी हैं। मुसलमानो का कहना था कि सृष्टि के आरंभ से ही अयोध्या मुसलमानो के अधिकार में रही है। अल्ला ताला ने पहले आदम को बनाया और जब उसने शैतान के कहने मे आकर गेहूँ खा लिया तो उन्हे फिरदौस (स्वर्ग) से गिरा दिया गया। वे लंका द्वीप मे गिरे। वहाँ एक पर्वत पर आदम के पैर के निशान दिखाये जाते हैं। ये निशान ३ गज लबे हैं। आदम के विशाल डील-डौल का अनुमान पैर के निशान स लगाया जा सकता है। यह भी कहा गया है कि आदम हज करने मक्का जाते थे। उनके दो बेटो—अयूब और शीश की कब्रें अयोध्या मे बनाई गई थी। अबुल फज़ल ने भी लिखा है कि इस नगर मे दो बडी कब्रें थी—एक ६ गज और दूसरी ७ गज लम्बी। साधारण लोग इन्हे अयूब और शीश की कब्रें मानते हैं, और इनके बारे मे तरह-तरह की अजीबो गरीब बातें कहते हैं। संभवतः यही कथित 'फरिश्तो का अवतरण' रहा हो।

अयोध्या मे एक स्थान पर मक्का खुर्द (छोटा मक्का) भी माना गया है। थाने के पीछे तूफान वाले नूह की कब्र ८ गज लम्बी है। इतिहासकार इसे 'गजे शहीदाँ' मानते हैं।*

हिन्दुओं का इस बारे मे कहना है कि यह मनगढ़त कहानियाँ इसलिए प्रचलित की गयी ताकि यह सिद्ध हो कि मुसलमान औलियो और फ़कीरों का यहाँ कदीमी

* अयोध्या का इतिहास—लाला सीताराम

अधिकार रहा है।

अयोध्या पर ज्यादातर कब्जा मुसलमान बादशाहों का ही रहा। अकबर ने यहाँ एक तांबे की टकसाल स्थापित की थी।

पंडित माधव प्रसाद शुक्ल ने 'सुदर्शन' पत्र में लिखा था—"मुसलमानों के शासन काल में अयोध्या की महिमा घट गयी थी। मुसलमानों ने इसे अपने मुर्दों के लिए करबला बनाकर इसका स्वरूप ही बदल दिया। मंदिरों के स्थान पर मस्जिदों और मकबरों का निर्माण खूब हुआ। साधु-सन्यासी और पुजारियों के अनुपात में मुल्ला मौलवियों की संख्या बढ़ गई।

अकबर के समय हिन्दुओं ने मस्जिद के बाहर चबूतरे पर श्रीराम मंदिर का निर्माण करा लिया था। नागेश्वरनाथ, चन्द्रहरी आदि मंदिर भी पुनः बनवा लिए गये थे। औरंगजेब ने उन्हें पुनः तुड़वाकर मस्जिदें बनवा दीं। हिन्दू इनके लिए निरंतर संघर्ष करते रहे। मुगल बादशाह इन हमलों से परेशान हो गये थे। दिल्ली की बादशाही कमजोर हुई तो अवध की नवाबी स्वतंत्र हो गयी। दक्षिण में मराठों का जोर बढ़ गया। पंजाब में सिख प्रबल हुए। तब नवाबों को अपनी-अपनी चिन्ता हो गयी। इधर साधुओं को भगवद्भजन के साथ अयोध्या के उद्धार की भी चिन्ता थी। इसीलिए उन्होंने अखाड़े चलाए। उनमें कुश्ती लड़ना, हथियार चलाना और अन्य सैनिक प्रशिक्षण भी दिया जाने लगा।

अयोध्या ऐसे लड़ाकू सन्यासियों या बैरागियों का घर रहा है। हनुमानगढ़ी इनका दुर्ग है। बैरागी परंपरा में हिन्दू धर्म के रक्षक व्रती कहलाते हैं। अपने धर्म पर वे सदा जान देने को तैयार रहते रहे हैं। कई लड़ाइयों में उनके अखाड़ों ने डट कर हिस्सा लिया था।

सन १७३१ में दिल्ली के बादशाह ने अवध के झगड़ालू क्षत्रियों से घबरा कर अवध का सूबा सआदत अली खाँ को दे दिया। तब से वहाँ नवाबी की जड़ें जमीं। मंसूरअली के समय अवध की राजधानी फैजाबाद हो गई। मुसलमानों के राज्य-काल में अयोध्या में मुसलमान काफी संख्या में बस गए थे। लक्ष्मण घाट से चक्र तीर्थ तक मुसलमानों के मोहल्ले रहे हैं।

अंग्रेजी राज में अयोध्या ५-६ हजार का एक कस्बा मात्र रह गया जो सरयू के तट पर बसा हुआ था। इस समय यहाँ की सड़कें पक्की और चौड़ी कर दी गयीं। रेल निकलवाई गई। यात्रा की सुविधा के कारण लाखों लोग तीर्थाटन पर यहाँ आने लगे। रामनवमी, झूलन आदि मेले लगने लगे। पंचकोशी आदि परिक्रमाएं होने लगीं। आजकल अयोध्या मंदिरों का नगर है। धर्मशालाएं और मंदिरों की विपुलता है। यह उत्तर भारत की धार्मिक राजधानी बन गई है। श्रीराम-जन्मभूमि अपने समाज-मनोवैज्ञानिक महत्व के कारण एक नये मुक्ति-संग्राम और नव हिन्दू जागरण-ज्वार का केन्द्र बन गयी है। जन्म-भूमि विवाद के

साथ अयोध्या की ऐतिहासिकता, और जन्म-भूमि की वास्तविकता के बारे में भी एक विवाद उठ खड़ा हुआ है।

नया ऐतिहासिक, विवाद

जन्मभूमि-मस्जिद विवाद की गर्माहट में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के डॉ० रोमिला थापर तथा अन्य कुछ इतिहास अध्यापकों ने राम, रामायण और अयोध्या की ऐतिहासिक सत्यता पर ही प्रश्न उठाने वाले निबंध प्रकाशित किये।

ज० ने० वि० के इतिहासज्ञ रामायण को इतिहास का स्रोत मानने में अस्वीकार करते हैं। उनके अनुसार, "राम की कहानी से संबंधित घटनाएं, वास्तव में 'रामकथा' नामक पुस्तक में बताई गई, जो बहुत समय से उपलब्ध नहीं है, और यही कथाएं एक महाकाव्य के रूप में वाल्मीकि द्वारा रामायण में पुर्नलिखित हैं। चूंकि यह एक कविता है, इसमें बहुत कुछ काल्पनिक भी हो सकता है, जैसे विशिष्ट स्थान, व्यक्तित्व, घटनाएं, आदि, जिन्हें इतिहासकार अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय स्रोतों के अभाव में स्वीकार नहीं कर सकते। बहुधा ऐतिहासिक साक्ष्य लोकप्रिय मतों का खण्डन करते हैं।"

हिंदुत्ववादी इतिहासकारों ने इस मूल आपत्ति का खण्डन करते हुए, इसे उसी सिलसिले की नवीनतम कड़ी बताया जो भारतीय इतिहास को विकृत करती आयी है। इनके अनुसार "ज० ने० वि० के इतिहास विदों की राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाएं, साम्यवादी दृष्टिकोण और सोद्देश्य लेखन उनके इतिहास पर लीपा-पोती करा रहा है।"

डॉ० कुंवरलाल अपने 'पुराणों में इतिहास' नामक शोधपूर्ण ग्रंथ में कहते हैं, "आंग्लप्रभुओं ने अपनी षड्यन्त्रपूर्ण मैकाले योजना के अंतर्गत ऐसे समय में भारत का इतिहास लिखना प्रारंभ किया जब कि भारत देश अपने अतीत के गौरव एवं प्राचीनतम इतिहास को अधतम अज्ञानावर्त में डाल चुका था। आंग्ल प्रभुओं ने अपने मिथ्या ज्ञान के द्वारा उस पर और गर्द चढ़ाई। इसमें कोई संदेह नहीं कि भेद (फूट) और अज्ञान के बीज भारतवर्ष में अत्यंत प्राचीन काल से थे और अब भी हैं। विदेशी शासकों द्वारा भारत के भेदमूलक तत्वों तथा जातिवाद, भाषावाद, सम्प्रदायवाद और (अब वर्गवाद) अज्ञान का लाभ उठाना स्वाभाविक था, अतः उन्होंने इनका विस्तार किया।

"अंग्रेजों ने भारतीय एकता के उपादानों या घटनाओं का अपने इतिहास ग्रंथों में कोई उल्लेख नहीं किया। यथा अगस्त्य या पुलस्त्य, राम, हनुमान, श्याम (या कृष्ण) को उन्होंने ऐतिहासिक पुरुष ही नहीं माना। इनकी ऐतिहासिकता की उन्होंने पूर्ण उपेक्षा ही की। आर्य-अनार्य या आर्य-दस्यु या आर्य द्रविड़ समस्या

खडी करके यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि भारतवर्ष सदा से ही विदेशी जातियो का उपनिवेश या अड्डा रहा है।

"अगस्त्य-पुलस्त्य के दक्षिण अभियान की उन्होने चर्चा ही नही की जो उत्तर-दक्षिण भारतीय एकता का महान प्रतीकात्मक उपक्रम था। वेद, जो न केवल भारतवर्ष वरन् विश्व संस्कृति का मूल है, उसे केवल उत्तर-भारतीय या पंजाब या पाचाल (उत्तर प्रदेश) की संपत्ति सिद्ध किया गया। संस्कृत भाषा, जो मानव-जाति की आदिभाषा या मूल भाषा है, उसका उद्गम एक काल्पनिक या बाह्य इंडो-यूरोपियन भाषा से माना गया।

"पाश्चात्यो का षड्यंत्र और मिथ्या ज्ञान तो स्वाभाविक ही था, परन्तु स्वतत्रता के पश्चात् भी उसी पाश्चात्य आग्ल विद्या का गुणानुवाद और पठन-पाठन चल रहा है। आज भी स्वतत्रता के ४० वर्ष पश्चात् हमारे विद्यालयो, महाविद्यालयो एवं विश्वविद्यालयो मे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति संबंधी पाश्चात्य लेखको के ग्रंथ ही परम प्रामाणिक ग्रन्थो के रूप मे पढाये जा रहे हैं जो पाश्चात्यो ने भारत पर शासन करने की दृष्टि से लिखे थे। हमारे विश्व-विद्यालयो के प्राध्यापको मे वे ही अंग्रेजीकाल के सड़े-गले विचार भरे हुए हैं। वे इन्ही भ्रष्ट एव मिथ्या पाश्चात्य ग्रंथो को पढते हैं और उन्ही के आधार पर पढाते हैं। न केवल इतिहास के क्षेत्र मे, वरन् राजनीति, मनोविज्ञान, गणित, ज्यामिति, शिल्प, यंत्रविज्ञान, दर्शन या चिकित्साविज्ञान आदि क्षेत्र मे अभी तक परम प्रामाणिक भारतीय लेखको या ग्रंथो का प्रवेश तो क्या, स्पर्श तक भी नही है। पाठ्यक्रमो के राजनीतिक शास्त्र ग्रंथो मे अरस्तू या प्लेटो की बहुधा चर्चा होती है, परन्तु शुक्राचार्य, विशालाक्ष, बृहस्पति, व्यास या चाणक्य का नाममात्र भी नही मिलेगा। इतिहास के क्षेत्र मे रामायण, महाभारत और पुराणो को तो कीथ आदि की कृपा से अछूत ही बना दिया गया है। हमारा मत यह है कि प्राचीन भारत का मूल इतिहास पुराणो मे ही लिखा मिलता है"'

भारतीय इतिहास की विकृतियो के कारण डॉ० कुवरलाल ने इस प्रकार बताये हैं। एक, मैकाले योजना के अतर्गत पाश्चात्यों द्वारा इतिहास लेखन का उद्देश्य-विजेता (व्यक्ति या जाति) द्वारा विजित की परपरा (इतिहास) और गौरव को या तो पूर्ण नष्ट कर देना या उसमे तोड़-मरोड़ करना। दो, पाश्चात्यो का संस्कृत विद्या से इसी उद्देश्य से परिचय ताकि भारतीयो की पोलपट्टी खोली जाये। तीन, विकासवाद का भ्रमजाल, जो 'ईश्वर ही ब्रह्माण्ड है' के प्राचीनतम भारतीय सिद्धान्त से मेल नही खाता है। चार, अनेक बार प्रलय—जिनमे कृष्णयुग या हिमयुग के कारण आंशिक या पूर्ण जीवसृष्टि नष्ट हुई और पुनरुत्पन्न हुई। प्राचीन साहित्य मे केवल दो प्रलय स्मृति शेष हैं। महाभारत के शल्यपर्व तथा द्रोणपर्व मे प्रथम अग्निप्रलय का उल्लेख है। रामायण के अरण्यकाण्ड मे जलप्रलय

का उल्लेख है, जिसके बाद स्वायम्भुव मनु ने नवीन मानव सृष्टि की। पाँच, मन्वन्तरों और अवतारों में विकासवाद की मिथ्या कल्पना : भाषा, आर्यजाति, आदि संबंधी मिथ्या कल्पनाएं, देव, दैत्य, असुर आदि जातियों के बारे में मिथ्या कल्पनाएं। छह, मिथ्या कालविभाग या भ्रामक युग विभाजन, इतिहास पुराणों के भ्रष्ट पाठ, आदि···

इनमें कुछ तो बाह्य और कुछ आंतरिक रहे हैं। ज० ने० वि० के इतिहास विदों द्वारा भारतीय इतिहास परवश और जन-भावना को झुठलाने का प्रयास पहली कोटि में आता है। इन साम्यवादी, धर्मनिरपेक्षतावादी इतिहासकारों की मुख्य ऐतिहासिक आपत्तियां इस प्रकार हैं—

कोई भी व्यक्ति ४००० ई० पू० की अयोध्या—जहाँ राम का निवास स्थान माना जाता है और राम के इतिहास के बारे में निश्चित मत नहीं रख सकता। साथ ही अयोध्या के अपेक्षाकृत जन्मस्थान के बारे में भी मतैक्य स्थापित नहीं किया जा सकता। इसके बारे में भी कोई विश्वसनीय स्रोत नहीं है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण एक महत्वपूर्ण राममंदिर को नष्ट करके किया गया। यह भी संदेहास्पद है कि बाकी ने मस्जिद संबंधी कोई कदम उठाया भी था नहीं।

वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा राम त्रेता युग में जन्मे थे। जो कि कलियुग, जिसका आरंभ ३१०२ ई० पू० से माना जाता है, से हजारों वर्ष पहले की बात है। कोई ऐसा पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है, जिससे यह माना जा सके कि इतने पुरातन काल में उस क्षेत्र में, जहाँ वर्तमान अयोध्या है, लोग बस गये थे। अधिक से अधिक पुरातन तिथि इस संदर्भ में ईसा पूर्व आठवीं शताब्दी मानी जा सकती है। पुरातात्विक अवशेषों से जिस जन-जीवन का पता चलता है, वह वाल्मीकि रामायण में वर्णित जीवन से अधिक प्राचीन है।

रामायण में नगरीय स्तर पर महलों और भवनों का व्यापक पैमाने पर संकेत दिया गया है जिसकी पुष्टि ८वीं शताब्दी ई० पू० के पुरातात्विक साक्ष्यों से नहीं होती।

अयोध्या की स्थिति में भी मतैक्यता नहीं है। प्रत्येक बौद्ध पुस्तक में श्रावस्ती और साकेत के नाम आते हैं, अयोध्या के नहीं, जो कि कौशल के विशाल नगर हैं। जैन पुस्तकों में भी साकेत का उल्लेख कौशल की राजधानी के रूप में आता है। अयोध्या के बारे में बहुत कम प्रसंग ही हैं जो कि गंगा के किनारे स्थित बताई गई है, न कि सरयू के, जिसके किनारे वर्तमान अयोध्या बसी है।

साकेत गुप्त राजा द्वारा रक्षित अयोध्या थी। पाँचवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्कंद गुप्त ने अपना आवास साकेत में बना लिया और उसे अयोध्या कहने लगा। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और इसे अपने सोने के सिक्के में प्रयुक्त किया। अतः रामायण में वर्णित काल्पनिक अयोध्या साकेत से अपेक्षा-

कृत काफी बाद मे प्रादुर्भूत हुई। इससे यह भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि गुप्त राजा राम के भक्त थे। साकेत से अयोध्या नाम रखने का उनका उद्देश्य सूर्यवंशी राजाओं की परंपरा को धारण कर अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करना था।

सातवीं शताब्दी के बाद अयोध्या के प्रसंग पुस्तकों मे श्रेणीबद्ध हैं। पुराण, जो (इन इतिहासविदों के मत मे) एक हजार वर्ष पुराने हैं, रामायण को मानते हैं और अयोध्या को कौशल की राजधानी के रूप में स्वीकार करते हैं।

स्थानीय परम्परा से अयोध्या की उत्पत्ति का संदिग्ध या अस्पष्ट इतिहास ही प्रकट होता है। जनश्रुति यह है कि अयोध्या का अन्त त्रेतायुग मे ही हो गया था और इसकी पुनर्खोज विक्रमादित्य के द्वारा हुई। विक्रमादित्य ने उस स्थान की पहचान की लेकिन स्थान के पहचान की यह प्रक्रिया अनिश्चित और कपोल-कल्पित लगती है।

इसलिए डॉ० रोमिला थापर, प्रभृति ज. ने. वि. के इतिहास विद यह निष्कर्ष निकालते हैं कि आज की अयोध्या पांचवी शताब्दी के पूर्व की साकेत नगरी है तथा वाल्मीकि के रामायण की अयोध्या काल्पनिक है। अतः राम जन्म-भूमि का स्थान अयोध्या मानना श्रद्धा प्रेरित है, ऐतिहासिक साक्ष्य से प्रमाणित नहीं।

अयोध्या केवल वैष्णव धर्म का ही नहीं, बहुत से धर्मों का पवित्र केन्द्र रहा है। अतः उक्त इतिहासकारों के मत मे राम की आराधना के महान केन्द्र के रूप मे इसका उद्‌भव अपेक्षाकृत अत्यधिक नवीन एवम् समसामयिक है।

पांचवी से आठवी शताब्दी और इसके बाद के शिलालेखों, अभिलेखों आदि से अयोध्या का पता तो चलता है, लेकिन उनमें से किसी से भी राम के पूजास्थल के प्रसंग मे इसकी पुष्टि नहीं होती।

ह्वेन सांग अयोध्या को बौद्ध धर्म का महान केन्द्र बताता है जहाँ कई एक मठ थे। कुछ अबौद्ध भी वहाँ थे। बौद्धों के लिए अयोध्या एक पवित्र स्थान है, क्योंकि भगवान बुद्ध कुछ समय के लिए, उन लोगों की मान्यतानुसार यहाँ ठहरे थे।

बौद्ध स्त्रोतों में अयोध्या और साकेत दो अलग-अलग नगर हैं और अयोध्या गंगातट पर बसा है। बौद्ध स्त्रोतों में अनेक ऐसे उल्लेख हैं, जिनसे अयोध्या का साकेत से भिन्न होना सिद्ध होता है। ऐसा कहा गया है कि अयोध्या गंगा किनारे स्थित थी और बुद्ध वहाँ दो बार गये। एक समय उन्होंने फेन सुत्त का प्रवचन किया और एक अन्य समय में दारुखण्ड सुत्त का।

जैन तीर्थ यात्रियों के लिए भी अयोध्या एक महत्वपूर्ण केन्द्र रहा है। जैनों के लिए यह स्थान पहले और चौथे तीर्थंकरों की जन्मभूमि रहा है। चौथी से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व मे पाई गई एक पुरातात्विक जैन स्मृति अब तक की सभी

स्मृतियों में पुरानी है।

ग्यारहवी सदी का इतिहास अयोध्या मे गोपतरु तीर्थ की पुष्टि तो करता है लेकिन राम जन्मभूमि का कोई संकेत नहो देता। राम की उपासना तेरहवी शताब्दी से लोकप्रिय हुई प्रतीत होती है। यहां तक कि रामानन्दी संप्रदायी जिसने राम की उपासना को लोकप्रिय बनाया—पद्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी मे अयोध्या में पूर्णरूपेण नही बसे थे। शैवमत राम की उपासना से अधिक महत्व-पूर्ण था। अठारहवी शताब्दी से ही व्यापक पैमाने पर रामानन्दी साधुओ के बसने का प्रमाण मिलता है। तभी से अगले वर्षों में उन्होने अयोध्या मे अपने मंदिर बनवाये।

इस प्रकार कोई भी व्यक्ति, रामजन्म के इतिहास, ई० पू० ४००० मे अयोध्या का उद्‌भव और साथ ही साथ अयोध्या मे जन्म के उस स्थान से संदर्भित उन सभी तथ्यो के प्रति निश्चित दृष्टिकोण स्थापित नही कर सकता।

इन इतिहास विदो का खण्डन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला के प्रो० ए० आर० खान तथा पुरातत्व विद डॉ० स्वराज्य प्रकाश गुप्त, पूर्व निदेशक, इलाहाबाद सग्रहालय ने किया है। अपने प्रतिपादन की पुष्टि मे जो ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य उन्होने प्रस्तुत किये हैं—उनकी समीक्षा उपयुक्त होगी।

३. ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य

एक—उक्त इतिहासकार रामायण को इतिहास का स्त्रोत मानना अस्वीकार करते हैं।

यह तो सही है कि रामायण अथवा प्राचीन भारतीय वेद-इतिहास-पुराण ग्रंथो मे सब कही सभी कुछ अकाट्य सत्य नही है। भ्रष्ट पाठ, चारण भाटो के लोभभय तथा प्रतिलिपिकारो की गलतियो से उनमे बहुत सारी कपोल कल्पित बातें, अतिरंजनाएं तथा अविश्वसनीय काल गणनाए प्रक्षिप्त हो गयी हैं।

इस अनैतिहासिक प्रतीत होने वाली विकृति का एक उदाहरण युगगणना है। प्राचीन भारत मे युगगणना के निम्न प्रकार प्रमुख थे—*

१. पच सवत्सरात्मक युग; २. ऐसे पंच वर्षात्मक युगों के १२ पंचक मिल कर एक षष्ठिमवत्सर या बार्हस्पत्ययुग बनता था, वेद और आरण्यक ग्रन्थो मे इनका उल्लेख है। ३. मानुष युग—यह शत वर्षीय होता था। इतिहास पुराणों में तिथि गणना मानुष युगों में ही होती थी। ४. दिव्ययुग—यह ३६० सौर अथवा मनुष्य वर्षों का होता था न कि ३६० मानुषयुगों का—जैसा कि प्रांतिवश पुराणों मे बाद मे प्रक्षिप्त हो गया। ५. सप्तर्षियुग—यह २७०० वर्ष का होता था—सप्तर्षि मण्डल के सप्ततारा, मघादि नक्षत्रो मे १००-१०० वर्ष ठहरते हैं। इस गणना से २७ सौ वर्षों का एक युग होता था। ६. ध्रुवयुग—यह ८०६० वर्ष का था जो कि तीन सप्तर्षि युगो के बराबर होता था। ७. चतुर्युग—इसे महायुग भी कहते थे जो १२,००० वर्ष का होता था; न कि प्रक्षिप्त गपोड़े के अनुसार ४३ लाख २० सहस्त्र वर्षों का। महाभारत, मनुस्मृति एवं प्रायः सभी पुराणो में चतुर्युग कृत, त्रेता, द्वापर और कलि का मान क्रमशः ४८०० वर्ष, ३६०० वर्ष, २४०० वर्ष और १२०० वर्ष गणित है। इस गणना के अनुसार ३६०० वर्ष वाले त्रेतायुग का आरम्भ विक्रम पूर्व ६२०० वर्ष होता है और अंत ५६०० विक्रम पूर्व। इसके बाद २४०० वर्षो का द्वापर युग आया जो विक्रम पूर्व ३०८० मे वासुदेव कृष्ण के ब्रह्मनिर्माण के दिन समाप्त हुआ था।

---

* डॉ० कवरलाल—पुराणो मे इतिहास पृ० १३५

इस उदाहरण से स्पष्ट है कि वर्तमान पुराणपाठो मे कितनी अशुद्धि एवं पाठ-च्युति या पाठ भ्रष्टता है। यही कारण है कि उन पर अनैतिहासिकता का आरोप आसानी से लगा दिया जाता है।

प्रो० ए० आर० खान के अनुसार "रामायण मे निश्चित रूप मे ऐतिहासिक पुट है। रामायण वाल्मीकि के पहले से भी शताब्दियो से साहित्यिक, गौरव का केन्द्र बिन्दु रही है।" वाल्मीकि के रामायण मे व्यक्तित्व, चरित्र आदि की अतिशयोक्ति मान लेने पर भी वर्तमान अयोध्या का राम से सम्बद्ध होने का खण्डन कोई भी इतिहासकार चाहे जितने नीचे स्तर का हो, स्वीकार नही कर सकता।

"यह किंवदन्ती कि रामायण की घटना नवी शताब्दी ई०पू० मे घटी, और वाल्मीकि द्वारा पीछे इसका वर्णन किया गया—इस बात का मूल्यांकन नही किया जा सकता।"

"ज० ने० वि० के इतिहासकारो के निरीक्षण के अनुसार '८वी शताब्दी ई० पू० मे अयोध्या के पुरातात्विक अवशेषो से अयोध्या के जिस जन-जीवन का पता चलता है, वह वाल्मीकि रामायण में वर्णित अयोध्या से भिन्न है। वाल्मीकि ने रामायण की घटनाओ को समलंकृत करने के लिए ऐसा किया होगा।"

"जहां तक युग का प्रश्न है, 'त्रेता' उनकी अलंकारिक अभिव्यक्ति या कोई अन्य विशिष्ट अर्थ रखता है, जिसे बहुत से पडितो ने स्वीकार किया है। इसका अर्थ राम का जन्म कलियुग के ठीक पहले नही बल्कि द्वापर युग के पहले (सैकडो हजारो वर्ष पहले) मानना चाहिए।"

"अयोध्या के बारे मे ज०ने०वि० इतिहासकार बताते हैं कि बौद्ध और जैन ग्रथो मे कम उल्लेख मिलते हैं। कोशल के दो महान नगर उनमे श्रावस्ती और साकेत बताये गये है। जिस अयोध्या का उल्लेख है वह गगा के किनारे बसी हुई है न कि सरयू के जो वर्तमान अयोध्या तट से गुजरती है। केवल इस आधार पर ऐतिहासिक साक्ष्यो को अस्वीकार करना कि वे बहुत थोडे हैं 'इतिहास' के प्रति सम्मान को ठेस पहुचाना है। प्रथम तथ्य तो यह है कि अयोध्या का उल्लेख मिलता है। द्वितीय यह है कि सम्भव है, भौगोलिक स्थिति के बारे मे प्राचीन लेखको ने भूल कर दी हो। या हो सकता है कि लेखक सम्पूर्ण गगावर्ती क्षेत्र को ही 'गगा-नदी' समझ बैठा हो—क्योंकि वह भारत के अन्य क्षेत्र का था। एक बौद्ध ग्रथ मे साकेत को भी गलती से गगा नदी के किनारे बसा हुआ बताया गया है। यह सत्य है कि बौद्ध ग्रंथो ने साकेत को अयोध्या की बहन बताया है। जैन ग्रथो मे भी इस नगर का यही नाम दिया गया है और इसे विनीता कहा गया है। —यह अधिक सभाव्य है कि शताब्दियो पहले से वाल्मीकि तक कोशल की राजधानी को वैकल्पिक रूप से साकेत, विनीता एव अयोध्या के नाम से जाना जाता रहा हो।"

"ज०ने०वि० के इतिहासज्ञ अपना मत व्यक्त करते हैं कि 'यह पूर्व मुस्लिम युग मे बौद्धो और जैनियो का धार्मिक केन्द्र-थी। इसका राम के पूजास्थल के रूप मे उद्‌भव अभी हाल का है। ये अपने ही सिद्धान्त का अपने ही दूसरे सिद्धान्त से विरोध करते हैं। क्योकि एक स्थान पर वे यह उल्लेख स्वय करते हैं कि इस कारण (सूर्यवंश की प्रतिष्ठा) से स्कंदगुप्त ने अयोध्या का नाम रखा होगा। उनके अनुसार ऐसा करके स्कदगुप्त अपने को सूर्यवंशी राजाओ की उस श्रेणी मे होने की प्रतिष्ठा अर्जित करना चाहता था जिसमे राम का जन्म हुआ था। इससे यही सिद्ध होता है कि आज से १५०० वर्ष पूर्व भी लोगों के मस्तिष्क मे राम के प्रति श्रद्धा थी। जिसके आधार पर राजा स्कदगुप्त एक नगर के नामकरण से ही अपनी प्रतिष्ठा अर्जित करना चाहता था।"

डॉ० स्वराज्य प्रकाश गुप्त के अनुसार, "वाल्मीकि रामायण का रचना काल, विद्वानो द्वारा आम तौर पर ईसापूर्व दूसरी शताब्दी से दूसरी सदी तक माना गया है। (जब कि परम्परा के अनुसार वाल्मीकि राम के समकालीन थे, यानी उन्होंने ईसापूर्व कम से कम ६००० वर्ष पहले रामायण की रचना की—ले०) वे मानते हैं कि पहले उसकी रचना मौखिक रूप मे हुई तथा गुरु-शिष्य परम्परा से मौलिक रूप मे ही उसका हस्तांतरण हुआ। कथा के विविध तथ्यो के छिटपुट उल्लेख—जैसे अयोध्या शब्द का आविर्भाव आदि, उत्तर वैदिक, बुद्धपूर्व (अथवा ६०० ईसापूर्व से पहले) कालीन साहित्यिक कृतियों—जैसे तैत्तिरीय आरण्यक मे मिलते हैं। कथा का कम से कम एक रूप बौद्ध साहित्य में यहाँ तक कि चीन मे 'दशरथ जातक' के रूप मे भी उपलब्ध है।

"अयोध्या मे मानवीय निवास स्थानों का सर्वाधिक निचले स्तर का पुरातात्विक काल ईसा पूर्व आठ से नौ सदी पहले तक चला जाता है। यदि इस स्थल की सबसे प्राचीन तिथि को वाल्मीकि तथा उनके रामायण का काल माना जाये, या यह कुछ बाद का भी मान लिया जाये, तो यह परम्परा कम से कम ३००० वर्ष पुरानी हो जाती है। यह बताना होगा कि कथा के कुछ भाग महाभारत मे भी आते हैं, जिसका मूलरूप, ज्योतिष शास्त्रीय गणना के आधार पर ईसा पूर्व १४५० के आसपास रचित माना गया है। इस तरह रामकथा अधिक नहीं तो ३५०० वर्ष प्राचीन है।"

"रोमिला थापर जैसे कुछ इतिहासकार यह प्रतिपादित करते हैं कि असली मुद्दा उस त्रेता-युग का तिथि-निर्णय है, जब राम का जन्म हुआ बताया जाता है। त्रेता-युग (द्वापर तथा) कलियुग से पहले आता है और कलियुग ईसापूर्व ३१०२ से शुरू हुआ बताया जाता है। इन लोगो के अनुसार, चूंकि पुरातात्विक दृष्टि से अयोध्या का स्थान ईसा पूर्व ८०० से पहले आबाद ही नही था, हिन्दुओ का दावा ऐतिहासिक तौर पर सही नहीं है।"

"किन्तु इस मुद्दे पर प्राचीन इतिहास के कुछ विद्वान मानते हैं—जैसे डी०डी० कोसम्बी जो भारत के ज्येष्ठतम मार्क्सवादी इतिहासविद् रहे हैं—कि 'युग' की अवधारणा, एक ही वर्ष के चार भिन्न खण्डो के रूप मे समझी जानी चाहिए, जो कि चार मुख्य ऋतुओ तथा उनकी तात्कालिक कठिनाईयों एवं सुखो से सम्बन्धित है। ऐसी स्थिति में त्रेता उन ऋतु का प्रतिनिधित्व करेगा, जब राम का जन्म हुआ। जैसा भी हो, हम इतिहासविद् बिना कोई पक्ष लिए साफ मस्तिष्क से यह मानते हैं कि चूंकि रामायण एक महाकाव्य है, उसका विकास विश्वकोश की तरह हुआ है। उदाहरणार्थ बालकाण्ड तथा उत्तरकाण्ड उसमें अन्य काण्डों की अपेक्षा बाद के काल मे जोड़े गये। अन्य कुछ हिस्से भी इस तरह विकास की प्रक्रिया में जोड़े गये हो सकते हैं। हम यह तथ्य भी अच्छी तरह समझते हैं कि यह एक काव्य-साहित्य की रचना है, अतः मुख्य कथा का काव्यात्मक अलंकरण पूर्णतया स्वाभाविक है। इसी तरह हम जानते हैं कि सभी महाकाव्यो मे लौकिक तथा अलौकिक (अति प्राकृतिक) का अनिवार्य मिश्रण होता है, चाहे वे भारतीय हो या अभारतीय। हम यह भी मानते हैं कि प्रत्येक युग मे जब ऐसी केन्द्रीय कथाओ का पुनर्कथन होता है, तो उसमे समकालीन स्थिति के चित्र आसानी से प्रक्षिप्त हो जाते हैं। यह तुलसीदास के रामचरित मानस के मामले मे हुआ है और रामायण के अन्य सस्करणो मे भी ऐसा हुआ है। महाभारत तथा बाइबिल भी इसके अपवाद नही हैं। इनमे से हर रचना समय क्रम मे प्रक्षेपों तथा परिवर्तनो के जरिये विकसित होती आयी है।"

"अत हम इतिहासविद्' लौकिक से अलौकिक को छाटने, अलग करने की कोशिश करते हैं। 'मूल' से 'प्रक्षिप्त' को और 'बीज' से 'विकास' को पृथक् पहचानने का यत्न करते हैं, ताकि मूल केन्द्रीय आशय का पता चल सके। इसके बाद प्रमाणो के मूल्याकन हेतु हम निम्नलिखित प्रश्न उठाते हैं"—

"क्या सपूर्ण कथा काल्पनिक है, या कम से कम मूल, केन्द्रीय या बीजरूप कथा, सत्य घटना हो सकती है ?"

"इस सदर्भ मे पहले हमे रामकथा के अलौकिक अथवा धर्मशास्त्रीय अश की अलग श्रेणी बनानी होगी। इन्हे कठोर ऐतिहासिक शर्तों पर, यानी काल और स्थल की दृष्टि से न तो हम प्रमाणित कर सकते हैं, न अप्रमाणित। लेकिन इतिहासविदो से इसकी अपेक्षा भी नही की जाती। इतिहासविद् तथा जनसाधारण साफ तौर पर यह जानते हैं कि सामाजिक यथार्थताएं इन अलौकिक या धर्मशास्त्रीय विश्वासो पर व श्रद्धाओ पर आधारित होती हैं—बनिस्वत: ऐतिहासिक घटनाओ के। यह हिन्दू महाकाव्यो—रामायण तथा महाभारत के बारे मे ही सही नही है, बल्कि सभी यूनानी और रोमन महाकाव्य ऐसी अलौकिक श्रद्धाओं, आस्थाओं से भरे हुए हैं। फिर भी ऐतिहासिक सत्यो और सामाजिक

यथार्थों को इन काव्यों में से अलग छाँटा जा सकता है। इस तरह काम करते हुए, हम यह भलीभांति जान लेते हैं कि राम के जन्म को सिद्ध नहीं किया जा सकता, कम से कम त्रेता युग में जन्म को। अतः उससे यह समझ कर बरतना होगा कि यह महाकाव्य का ऐसा हिस्सा है, जो मूल को अथाह प्राचीनता प्रदान करता है।"

"ठीक यही बात तब होती है, जब हम 'अवतार' की अवधारणा पर विचार करने लगते हैं। यह इतिहास का ऐसा विषय न तो कभी रहा है, न रह सकता है, जो पचाङ्ग के वर्षों की कालगणना के दायरे में आ सकता हो।"

"कभी किसी इतिहासविद् ने, किसी भी धर्म में, गणना का यह माप लागू नहीं किया है, चाहे वह ईसाइयत हो, चाहे इस्लाम या जैन अथवा बौद्ध। ईसा मसीह कैसे पैदा हुए ? पवित्र मेरी द्वारा पुरुष-संयोग के बिना हुई अलौकिक गर्भ-धारणा से। बुद्ध कैसे पैदा हुए ? माया देवी के नितंब भाग से। अब डॉ० थापर या डॉ० गोपाल को ही इन्हें ऐतिहासिक घटनाओं के रूप में सिद्ध (अथवा असिद्ध) करने दीजिए। लेकिन इसमें संदेह नहीं कि ईसा और बुद्ध मानव प्राणी के रूप में विद्यमान रहे, चाहे वे कितने ही श्रेष्ठ और अलौकिक रहे हों। ईसा को भी देवत्व प्रदान किया गया, जैसे राम को देवत्व पद मिला। बुद्ध को भी भगवान या 'देव' कहा गया। इस तरह हम इतिहासविदों ने 'अलौकिक' को छाँट कर अलग कर दिया (हम जानते हैं कि मानव प्राणियों को अपने श्रेष्ठ सामाजिक अथवा धार्मिक नेताओं पर अलौकिकत्व आरोपित अथवा प्रक्षिप्त करने की आदत होती है।) ताकि दो तरह के सत्यों तक पहुँचा जा सके—ऐतिहासिक घटनाओं तथा सामाजिक यथार्थों तक। हमारे लिए इनमें से कोई भी असत्य नहीं है। दोनों ही सामाजिक इतिहास के तथ्य हैं। वस्तुतः अधिकांश सामाजिक यथार्थ जोकि धार्मिक आस्थाओं और आचरणों से उत्पन्न होते हैं, ऐतिहासिक घटनाओं की अपेक्षा भी ज्यादा ऐतिहासिक मूल्य रखते हैं, क्योंकि सामाजिक यथार्थ, अधिकांश जन साधारण को, अधिकांश समय छूते रहते हैं, जबकि ऐतिहासिक घटनाओं का ऐसा प्रभाव विरला ही होता है। राम के सत्य को मानव इतिहास में विद्यमान इन तुलनीय स्थितियों की रोशनी में ही देखा जाना चाहिए।"

जैन-तीर्थंकरों की परम्परा के आधार पर भी ९वीं शताब्दी ई० पू० तक के अयोध्या के अस्तित्व तथा इतिहास की स्थापना के साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं।

जैनों के २४ तीर्थंकर हुए हैं जिनमें अंतिम तीर्थंकर महावीर हुए। इन्हें बुद्ध के समकालीन (६ वीं शताब्दी ई० पू०) माना जाता है। उनके एक पूर्ववर्ती तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे जिन्हें ८वीं या ९वीं शताब्दी ई० पू० के ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हैं कि

तीर्थंकरों की परम्परा ऐतिहासिक है। इसी जैन परम्परा के अनुसार प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और चौदहवें तीर्थंकर अयोध्या में ही जन्मे थे। ये सब ईक्ष्वाकुवंश के ही थे जिनके श्रीराम भी थे। जैन परम्परा में वैदिक युग से, मौर्य व गुप्तवंश एवं तुर्क अफगानों तक निरंतरता के संकेत मिलते हैं। जैनों की अयोध्या में उपस्थिति से संबंधित पुरातात्विक अभिलेख ४ शताब्दी ई० पू० के हैं। इसका कोई कारण नहीं है कि उनके प्रथम तीर्थंकर जहाँ उत्पन्न हुए उसे काल्पनिक ढंग से खोजा गया। और यह समझना हास्यास्पद सा लगता है कि अपनी निरंतर उपस्थिति के साथ वे अपने पाँच तीर्थंकरों के स्थान को ही भूल गये और भूल से यह प्रतिष्ठा अयोध्या को दे बैठे। क्या जैन तीर्थंकरों ने अपनी परंपरा को स्वयम् ही खण्डित कर दिया? और क्या उसी समय राम तथा विक्रमादित्य ने भी वही किया? इस प्रकार का अनुमान, अयोध्या नगरी के हजारों वर्षों के प्राचीन महत्व की संभावनाओं और सामान्य बुद्धि से निरूपित करने पर समीचीन नहीं लगता।

अततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वाल्मीकि की रामायण के पीछे राम की कोई भी कहानी क्यों न रही हो, लेकिन ५वीं शताब्दी से, जब विक्रमादित्य ने अयोध्या में राम (विष्णु) मन्दिर का निर्माण कराया और इस नगर का नाम कथित रूप से अयोध्या रखा, चाहे वह पूर्व परम्परा के अनुसार हो या किसी नयी स्थापना के लिए हो, अयोध्या राम की पूजा का केन्द्र रहा है। अत जब बाबर के लोग अयोध्या पहुचे, तो उन्हें शताब्दियों पुराने और कट्टर रामोपासक वहाँ मिले।

यहाँ हम मसले के ऐतिहासिक हिस्से पर आ जाते हैं। पहला प्रश्न है: सम्पूर्ण विवाद में विभाजन रेखा खींचने वाली वह तिथि कौन-सी है?

यह है ई० स० १५२८ का वर्ष, जब बाबरी मस्जिद बनी।

दूसरा प्रश्न है: क्या मस्जिद के निर्माण स्थान पर पहले मंदिर था? यदि था तो उसकी निर्माण तिथि क्या है?

इस संबंध में ज० ने० वि० के इतिहासज्ञ निम्न निष्कर्ष पर पहुचते हैं. अभी तक कोई भी ऐसे विश्वसनीय स्रोत प्राप्त नहीं हो सके हैं कि बाबरी मस्जिद को एक महत्वपूर्ण राममंदिर तुड़वाने के बाद बनवाया गया। यह भी संदेहास्पद है कि इस संबंध में बाबर की भी कोई भूमिका थी। इस विषय में भी कोई साक्ष्य नहीं है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण उसी स्थान पर कराया गया, जहां पहले मंदिर बना हुआ था।

"मंदिर के दरवाजे के दोनों ओर जो इबारत पाई जाती है, उसके अलावा ऐसा कोई और साक्ष्य नहीं है, जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि बाबर की ओर से किसी मस्जिद का निर्माण कराया गया था। श्रीमती बीवरिज ने—जिन्होंने सर्वप्रथम 'बाबरनामा' का अनुवाद किया, उपरोक्त लिपि के अनुवाद को प्रस्तुत

किया है। उसमे इस प्रकार उल्लेखहै कि, "बादशाह बाबर की आज्ञा से—जिसका इसाफ स्वर्ग की ऊँचाइयो को छूता है, मीर बख्शी ने अद्भुत दैवी स्थान—फरिश्तो के स्थान का निर्माण कराया।"

"अभिलेख मे केवल एक सामंत मीर बख्शी का उल्लेख मिलता है। उसमे यह कही भी नही मिलता कि मस्जिद को मन्दिर के स्थान पर बनवाया गया और न ही बाबर की आत्मकथा मे अयोध्या में किसी मन्दिर को ध्वस्त करने का उल्लेख है।"

"आइने अकबरी मे अयोध्या को 'रामचन्द्र की पावनस्थली' के रूप मे वर्णित किया गया है। इसमे त्रेता मे जन्मे राम के आध्यात्मिक एव राजसी दोनो ही रूपो का समन्वित रूप प्रस्तुत किया गया है, लेकिन कही भी अकबर के बाबा बाबर द्वारा मन्दिर के स्थान पर मस्जिद के निर्माण का उल्लेख नही है।"

"यह और भी दिलचस्प है कि अकबर के समकालीन तुलसी दास जो इसी क्षेत्र के निवासी माने जाते हैं, तथा रामभक्त हैं, राम जन्म-भूमि के स्थान पर बने किसी मन्दिर के तोडे जाने का उल्लेख नहीं करते।

"मन्दिर गिराकर मस्जिद बनाने की यह कहानी उन्नीसवी शताब्दी मे प्रचलित हुई और सरकारी बहीखातो मे आयी और यही तथ्य अन्य लोगो द्वारा वैध ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप मे उद्धृत किए गए। ब्रिटिश अभिलेखो के आधार पर इस क्षेत्र के सबंध में मन्दिर गिराने की कहानी, बिना किसी खोज के, एक ऐतिहासिक सच्चाई के रूप मे परिणित कर दी गई।

ज० ने० वि० के इतिहासज्ञों ने इसे 'फूट डालो और राज करो' वाली ब्रिटिश प्रणाली का प्रतिफल बताया है। उन्होंने यह भी कहा है कि, मुस्लिम शासक सदैव, स्वाभाविक रूप से हिन्दुओ के तीर्थस्थानो का विरोध व विध्वस करते रहे हैं—यह धारणा ऐतिहासिक साक्ष्यो द्वारा सदैव प्रमाणित नहीं होती।

"मुस्लिम नवाबो की संरक्षकता मे अयोध्या का विस्तार हिन्दू तीर्थ केन्द्र के रूप मे हुआ। नवाबी शासन कायस्थों पर निर्भर था और उनके सैन्य बल मे शैव पंथी नागा बैरागियो का प्रभुत्व था। नवाबी शासन पद्धति की यह विशेषता थी कि वे मन्दिरो और हिन्दू-तीर्थस्थलो को उपहार प्रदान किया करते थे। नवाब सफदरजंग के दीवान ने अयोध्या के मन्दिरो का निर्माण करवाया और उनका जीर्णोद्धार भी करवाया। सफदरजग ने अयोध्या मे हनुमान पहाड़ी पर मन्दिर बनाने के लिए निर्वाण अखाड़ा को जमीन प्रदान की "हिन्दू-मुस्लिम झगडे के समय भी मुस्लिम शासको ने दृढता से मुसलमानो का ही साथ दिया हो, ऐसा नही है। "आदि"

इस पर हिन्दू पक्ष का कहना यह है—

"हिन्दूधर्म को विनष्ट करने और इस्लाम का प्रचार करने के दृष्टिकोण से

मुस्लिम शासक हिन्दू मन्दिरो को नष्ट कर उनके स्थान पर मस्जिदो का निर्माण करते रहे हैं—यह ऐतिहासिक तथ्य है। उन्होंने मथुरा, वृन्दावन, वाराणसी, नालंदा आदि पर आक्रमण किया और वहाँ पावन स्थलो और मन्दिरो को तुडवाकर मस्जिदें बनवाईं। उन्ही के पदचिह्नों पर चलते हुए बाबर ने अयोध्या में १५२८ ई० मे जन्मभूमि मन्दिर को तुडवाकर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया।"

"प्रामाणिक मुस्लिम अभिलेखो से यह तथ्य प्रमाणित है कि १८५५ से पहले भी इस मस्जिद को 'मस्जिद-ई-जन्मस्थान' तथा 'सीता रसोई मस्जिद' कहा जाता था। सीता रसोई इसी परिसर मे एक पावन स्थान है। इस तथ्य का ब्रिटिशो की फूटनीति और कूटनीति मे कोई सबध नही रहा है।

मस्जिद में प्राचीन मदिर के अवशेष

डॉ० स्वराज्य प्रकाश गुप्ता ने मन्दिर को तुडवाकर मस्जिद बनाने के गभीर पुरातात्विक साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं। ये इस प्रकार हैं—

"बाबर पूर्वकाल मे यहाँ मन्दिर होने के कलात्मक एव पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं। मस्जिद मे ऐसे १४ स्तभ मौजूद हैं, जिन पर इस मस्जिद की इमारत का एक ऊपरी हिस्सा टिका हुआ है। ये स्तभ स्लेट किस्म के काले 'कसौटी पत्थर' के हैं। यह पत्थर हिमालयनि क्षेत्र मे चम्बा से गढवाल और कुमाऊ तक पाया जाता है। इन क्षेत्रो के मदिरो मे इसी पत्थर से गढी हुई मूर्तिया रखी गयी हैं। ये ९वी से १२वी शताब्दी मे बनी हैं। इमी तरह के दो और स्तंभ जो काले पत्थर से बने हैं, एक मुस्लिम औलिया फजले अब्बास उर्फ मूसा आशीखान के मकबरे की बगल मे ऊपरी हिस्सा नीचे करके गाडे हुए हैं। इस औलिया पर परपरा से यह आरोप लगाया जाता रहा है कि उसने ही तत्कालीन हुक्मरानो को जन्मस्थान का मदिर तुड़वाकर मस्जिद बनवाने के लिए उकसाया। विभिन्न आधुनिक इतिहासकारो ने, जिनमे 'अयोध्या' के लेखक हैंस बेकर भी शामिल हैं, इसका उल्लेख किया है।

स्तभो के तलवर्ती हिस्सो मे 'पूर्णघट' या कुभ अथवा पवित्र-जलपात्र उत्कीर्ण हैं। उन पर बेलो और फूलपत्तियो की शैलीयुक्त नक्काशी है। इनमे से एक सजावटी कमल उगता दिखाया गया है। एक स्तभ के अष्टकोणीय अंगों मे से एक पर एक नारी आकृति (लगभग १५-२० सें० मी० ऊची) त्रिभग मुद्रा मे अब भी दृश्यमान है, हालाकि वह काफी भग्न स्थिति मे है। द्वार-स्तंभ भी, इन्ही स्तभों वाले पत्थर का बना है। यह ११५ सें० मी० लम्बा है और ऊपर से नीचे तक उत्कीर्ण आकृतियो से अलकृत है। तल मे एक छोटा कमानीदार आला है जिसमे एक खडी मनुष्याकृति दिखाई देती है। मूर्ति के हाथ मे त्रिशूल तथा सिर

पर मुकुट है। गले में वनमाला है। आले के ऊपर दो सजावटी बद बने हुए हैं। दाहिना बद उगती हुई बेल का निर्देश करता है, बायें में पाँच देव-कन्याओ अथवा *अप्सराओ की आकृतियां हैं। सबसे ऊपर वाली आकृति वास्तव मे 'शालभंजिका'* की है। इस नारी-मूर्ति ने एक पुष्पित वृक्ष की डाली को झुकाते हुए पकड रखा है। प्राचीन भारत मे यह बौद्धो तथा गैर बौद्धो द्वारा समान रूप से प्रयुक्त एक लोकप्रिय प्रतीक था।"

वि० हि० प० प्रवक्ता के अनुसार इन मूर्तियो तथा कला-प्रतीको को देखकर ही मौके की पड़ताल करने आये, जैन आचार्य सुशील मुनि ने कहा था—"कौन कहेगा कि यहाँ मन्दिर नही था?" यही बात इन्ही तथ्यों के मद्देनजर भूतपूर्व प्रधानमंत्री वी० पी० सिंह ने दूसरे शब्दो में दोहराई थी—"इसे आप मस्जिद कहते क्यो हैं, यह तो रामलला का मन्दिर है।" हालांकि बाद को राजनीतिक उठा-पटक मे उन्होने, मासदो के स्तर के जिम्मेवार व्यक्तियो के सामने व्यक्त अपने इन उद्गारो से पल्ला झाड़ लिया।

डॉ० गुप्ता ने आगे लिखा है—"इन सभी का तिथि निर्णय उस विज्ञान के आधार पर हो सकता है, जिसे कला-शैली-विज्ञान कहते हैं। यदि हम सजावट के इन विभिन्न तत्वो को सावधानी से देखें—जैसे बेलों की किस्म को, कलश के *आकार को, वनमाला को, नारी-आकृतियो को,* कमानो के आकार तथा पलस्तर जैसे स्थापत्य शास्त्रीय लक्षणो को—तो हम इस निष्कर्ष पर पहुचते हैं, कि ये स्तम्भ निश्चित रूप से ११वीं-१२वी सदी मे उत्कीर्ण किये गये थे, लगभग आठ-नौ सौ वर्ष पहले शैली-विज्ञान की दृष्टि से ये आकार कला-इतिहास के उत्तर-प्रतिहार या गहड़वाल शैली के माने जाते हैं क्योकि यह शैली गहड़वाल शासको के काल मे आविष्कृत हुई।"

इस पर ज० ने० वि० के इतिहासकारो ने आपत्ति की कि, "मान लेते हैं कि ये स्तम्भ ११-१२वी सदी के हैं, इसका क्या प्रमाण है कि ये स्तंभ तथा द्वार-स्तम्भ उसी मन्दिर के हैं, जो उसी स्थल पर बना था और अन्यत्र कही से नही लाये गये हैं?"

डॉ० गुप्ता के अनुसार इस तरह के प्रश्नो का सतोषजनक उत्तर क्षेत्र-पुरातत्व विज्ञान द्वारा ही दिया जा सकता है।

"कुछ पुरातत्वविदो द्वारा इस स्थल पर किये गये पुरातात्विक उत्खनन क्या प्रकट करते हैं?

"१९६९ तथा १९७० में प्रो० ए०के० नारायण (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय) ने अयोध्या के स्थल का उत्खनन करवाया। उन्होने अयोध्या मे तीन विभिन्न स्थानो पर तीन खदक खुदवाये। १९७५ से १९८० तक प्रो० वी० वी० लाल, पूर्व महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षक तथा निदेशक, इंडियन

इन्स्टिट्यूट आफ एडवान्स्ड स्टडीज ने अयोध्या के विभिन्न स्थलो में १४ तक खंदक खुदवाए, जिनमे एक जन्मभूमि स्थल पर तथा एक बाबरी मस्जिद के ठीक पीछे था। पुरातात्विक अनुसधान के लिए यह कार्य पुरातत्व के सर्वेक्षण के सहयोग से एक विशाल राष्ट्रीय परियोजना के हिस्से के रूप मे कराया गया था। इसे केन्द्रीय सरकार ने तब प्रायोजित किया था, जब प्रो० नूरुल हसन शिक्षा और संस्कृति मंत्री थे। इस परियोजना का नाम 'रामायण स्थलो का पुरातत्व' था। इन खंदकों से निम्न तथ्य उजागर हुए जो हमारे विचाराधीन मसले पर सीधी रोशनी डालते हैं—

"प्रथम, इन उत्खननों मे सबसे पहला निवास-स्थानीय स्तर प्राकृतिक भूमि पर पाया गया जहाँ भारतीय मृद्भाण्ड कला के सुन्दर नमूने मिले। इन्हे रुपहली और सुनहली आभा से युक्त उत्तरी काले चमकदार पात्रो की श्रेणी मे रखा जाता है। इन्हे अति उच्च तापमान की (१ हजार सेंटिग्रेड) भट्ठी मे पकाया जाता था। इससे न सिर्फ उनमे अनोखी चमक पैदा होती थी बल्कि धातु जैसी अनोखी ध्वनि भी पैदा होती थी। कई तरह की वैज्ञानिक पद्धतियो द्वारा, जिनमे मस्का' संशोधन युक्त रेडियो-कार्बन डेटिंग भी शामिल है—इनका तिथि निर्णय किया गया। इन मृद्भाण्डो का काल ईसा पूर्व ८वी-६वी, शताब्दी से बाद का नही सिद्ध हुआ है।

"द्वितीय, जन्मभूमि मस्जिद क्षेत्र मे लगभग लगातार मानव विकास के १०वी सदी तक के स्तर-चिह्न पाये जाते हैं।

"तृतीय, ११वी सदी मे पकी हुई ईंटो के स्तभनुमा ढाँचो या चौकोर—आधार-तलों की मालिका निर्मित पायी गयी है। यह १०वी सदी से पूर्व की इमारत के अवशेषो को तराश कर बनायी गयी है। इन तलो का उपयोग नीव की खाइयों मे भराव के तौर पर किया गया, ताकि स्तम्भो का भारी बोझ जमीन आसानी से संभाल सके। ये आधारतल—(बश) नियमित ढग से स्थापित किये गये हैं, जो कि जन्मभूमि मे शोधकार्य हेतु खदक खोदते समय उजागर हुए। यदि खदक को और बढाया जाता है, तो इस तरह के और साक्ष्य मिल सकते हैं।

"चतुर्थ, एक सुनिर्मित फर्श, जो सफेद गुलाबी चूने का बना हुआ है, तथा ईंटो के तलो के सबसे ऊपरी सिरो से कुछ ऊचे स्तर पर है, पूरे खदकक्षेत्र मे आरपार फैला हुआ पाया गया।"

"यह सब इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि, मदिर का ढांचा इन ईंट के तलो पर बना हुआ था और पाषाण-स्तभो के गिर्द, उसका पक्का चूने का फर्श बना हुआ था। यह एक अत्यंत विशाल स्तभागार का हिस्सा था। हम मौके पर उपस्थित पुरातत्वविद् निश्चित रूप से मानते हैं कि यदि यहाँ बड़े पैमाने पर उत्खनन का अवसर मिल जाये तो और भी स्तभ-तलो के साक्ष्य उजागर हो सकते

हैं, साथ ही मन्दिर के चूने से बने फर्श के भी'। इस प्रकार के कलात्मक तथा पुरातात्विक प्रमाण दो बातों को सिद्ध करते हैं।"

एक : अयोध्या स्थल की प्राचीनता आज से अधिक नहीं तो ३००० वर्ष पूर्व की है।

दो : ११वी-१२वी सदी मे इस स्थल पर एक हिन्दू मन्दिर बना हुआ था। यह स्थल जन्मभूमि के नाम से विख्यात रहा है। यहाँ अब १६वीं सदी की एक मस्जिद है, जिसमे एक हिन्दू मन्दिर के काले पत्थर के स्तंभ लगे हुए हैं। यह स्तभ सुन्दर बेल-बूटो तथा अधिकाश टूटी-फूटी मानवाकृतियो से अलङ्कृत खड़े हैं।

ये कलात्मक तथा पुरातात्विक प्रमाण सकेत करते हैं कि यदि रामायण की केन्द्रीय कथा किसी ऐतिहासिक घटना पर आधारित है, तो राम के जन्म समेत ये घटनाए ३००० वर्ष के कालखण्ड मे अवश्य घटी थी। आगे, मन्दिर के कुछ स्तभ जबकि अब भी यथास्थान नजर आते हैं, कई सारे लापता हैं और बाकी पूर्णतया ध्वस्त कर दिये गये है। सभवत: मस्जिद के लिए चूना गारा बनाने हेतु उन्हें कूट-पीटकर चूरा कर दिया गया था। कई स्तभो का लुप्त हो जाना समझा जा सकता है, क्योंकि मन्दिरो को तोडने के पीछे एक पद्धति पायी जाती है, पहले गर्भ-गृह (सैंक्टमसैक्टोरम) मुख्य मूर्ति के साथ ध्वस्त किया गया और स्तंभों को अन्यत्र उपयोग के लिए हटा लिया गया। फिर स्तंभागार को नष्ट किया गया।

डॉ० गुप्ता ने विवाद के इस दूसरे बिन्दु पर भी प्रकाश डाला है कि वर्तमान अयोध्या स्थल, सरयू, जिसे घाघरा भी कहते हैं—के तट पर फैजाबाद जिले मे बसा हुआ है—यह वाल्मीकि रामायण की अयोध्या नही भी हो सकती है। इस सदेह के पक्ष मे उक्त इतिहासविद् कुछ बौद्ध साहित्यिक रचनाओ के उद्धरण प्रस्तुत करते हैं, जिनमे इस स्थली को अयोध्या नही बल्कि साकेत कहा गया हैं। अधिकाश जैन साहित्यिक स्रोत भी प्राय: इस स्थान को अयोध्या नही, बल्कि 'विनिता' और 'साकेत' की सज्ञा देते हैं। केवल ब्राह्मण साहित्य में अयोध्या को कही-कही साकेत कहा गया है। इन विद्वानो की दृष्टि मे यह दो नाम एक दूसरे से बहुत दूर स्थित दो भिन्न नगरो के नाम हैं।

"पहली बात यह है कि, साकेत (जैन व बौद्ध पुस्तको मे) नामक प्राचीन नगर कोशल नामक प्राचीन राज्य की राजधानी थी, उसी कोशल की जो बुद्ध-काल के सोलह महाजनपदो मे एक था। अर्थात् ई० पू० ६वी शताब्दी, शायद उससे भी १०० साल पहले—जैन व बौद्ध सहित अनेक साहित्यिक स्रोतो के अनुसार यह महाजनपद बुद्ध पूर्वकाल के थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या कोशल साम्राज्य की राजधानी थी, जहाँ राम के पिता दशरथ सहित इक्ष्वाकु राजवंश के अनेक पराक्रमी नरेशों ने राज किया था।"

"तो क्या कौशल सहित अन्य महाजनपदो मे दो भिन्न-भिन्न राजधानियाँ रखने का प्रचलन था ? इस प्रकार का कोई उदाहरण तो हमारे पास नही है। अतः वे दोनों एक ही नगर के दो नाम होने चाहिए। कुछ बौद्ध सूत्र ऐसे भी हैं जो कहीं-कही साकेत के लिए 'अयोध्या' शब्द का इस तरह प्रयोग करते हैं, जैसे दोनो नाम परस्पर परिवर्तनीय हो। असल मे ७वी सदी के प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वानसाग 'अयोध्या' शब्द का चीनी सस्करण प्रस्तुत करते हैं, साकेत का न ी; वह है ए-यो-टो। साफ है कि यदि साकेत बौद्ध नगरी थी, जो हिन्दू नगरी अयोध्या से अलग स्थान पर मौजूद थी तो बौद्ध सन्यासी ह्वानसाग 'साकेत' शब्द का चीनी सस्करण प्रस्तुत करते न कि 'अयोध्या' का। आखिरकार वह मुख्यतः नगर के बौद्ध प्रतिष्ठानो का वर्णन कर रहे थे।

इसमे आश्चर्य की कोई बात नही है। वाराणसी नगर को 'काशी' भी कहा जाता रहा है और सारनाथ काशी क्षेत्र मे स्थित था। जब कि प्रयाग उस स्थान का नाम था, जहाँ आश्रम और मन्दिर बने थे, प्रतिस्थानपुर वह स्थान था, जहाँ आम जनता रहती थी, दोनो ही स्थान प्रयाग क्षेत्र मे स्थित थे। इसी प्रकार पाटलिपुत्र अर्थात बिहार के आधुनिक पटना को प्राचीन साहित्य मे कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था। असल मे अयोध्या का एक नाम और भी था। विनिता जिसे जैनियो न कई बार प्रयुक्त किया था। उसे प्रथम तीर्थंकर का जन्मस्थान कहा जाता है, जिन्हे आदिनाथ या ऋषभदेव कहते थे। कहते हैं कि बुद्ध की तरह महावीर भी उक्त स्थान पर आये थे। अतः इन सभी समानताओं के साथ, अयोध्या नगरी व क्षेत्र के अपने खण्ड थे। कुछ धर्म किसी एक खण्ड का (section) सरक्षण करते थे, तो अन्य धर्म किसी अन्य खण्ड का, और उन्हे पृथक् नाम दिये जाते थे। किन्तु वे सभी मूल रूप से एक ही मानव-निवास क्षेत्र से सबधित होते थे।

भारत मे बौद्ध, जैन व ब्राह्मण साथ-साथ, अगल-बगल, और एक नहीं अनेक स्थानो पर रहते थे। एलोरा मे इन तीनो धर्मों के चट्टान काट कर बनाये गये अनेक मन्दिर मौजूद हैं। मथुरा, कौशाम्बी व काशी मे भी इन तीनो धर्मों के अवशेष हैं। यदि साकेत-विनिता-अयोध्या मे भी यही स्थिति हो तो इसमे हैरानी की कोई बात नही है।

वस्तुतः ५वी सदी के सुप्रसिद्ध संस्कृत कवि कालिदास ने अपनी प्रसिद्ध कृति रघुवंशम् मे दोनों नाम परस्पर विकल्प के रूप मे प्रयोग किये हैं। ५वी सदी के गुप्त राजवश के सम्राट समुद्रगुप्त ने अयोध्या मे विष्णु मन्दिर की नीव रखी थी, यह बात उत्कीर्ण लेख मे अंकित है। वह भगवान सदिगिन अर्थात धनुष्य-बाण से सुसज्जित भगवान का भक्त था, अर्थात स्पष्ट है, राम का। इस तरह हमारे पास ऐसे अनेक ऐतिहासिक प्रमाण हैं, जो सिद्ध करते हैं, १५०० वर्षों मे अयोध्या को प्रभु राम का जन्म स्थान माना गया था, और साकेत शब्द इसी नगरी के लिए

प्रयुक्त होता था। यह दोनो नाम एक ही स्थान के हैं।

"इसी तरह 'गंगा' शब्द पाली—बौद्ध ग्रंथों मे, कई बार अन्य नदियों के लिए भी प्रयुक्त हुआ है, सिर्फ 'गंगा' नदी के लिए ही नहीं। एम-मोनियर विलियम्स के सस्कृत-अंग्रेजी शब्दकोष मे 'गंगा' का अर्थ बताया गया है, 'स्विफ्ट गोअर' अर्थात तेजी से भागने वाली। स्पष्टतया गंगा शब्द किसी भी नदी के लिए प्रयुक्त हो सकता था और होता था। ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक मिथकों द्वारा गंगा का मानवीकरण हुआ और यह शब्द एक नदी-विशेष के लिए प्रयोग में आने लगा। किंतु यह बंधन बौद्धो के लिए कभी पूर्ण रूप से लागू नही हुआ। जनसाधारण में पहले भी और आज भी 'गंगा' शब्द का प्रयोग 'पवित्र नदी' के लिए ही किया जाता है, केवल मात्र उस नदी के लिए नही किया जाता जो गगोत्री से निकल कर गंगा-सागर मे जा मिलती है।"

ज० ने० वि० के इतिहासज्ञों की राय मे तुलसी दास वस्तुतः एक महान रामभक्त थे। यह दृढतापूर्वक एवं तर्कसंगत रूप से कहा जा सकता है कि राममन्दिर की ध्वस्तता को लेकर तुलसी को शोक-संतप्त स्वर मे आक्रोश एवं निषेध करना चाहिए था। इस पर प्रो० खान का कहना है—

"तुलसी ने असख्य मन्दिरों के विनाश और मस्जिदो के निर्माण को स्वाभाविक रूप से दर्शाया होता तो उनका बाबरी मस्जिद के प्रति शान्त रहना महत्व का विषय होता। लेकिन अब इस विख्यात कवि की रचनाओ पर इस सदर्भ मे दृष्टिपात करना सहारा मरुस्थल मे पेंगुइन पक्षियों और अंटार्कटिका मे ऊंटो को खोजना है।"

डॉ० थापर का कहना है कि डॉ० गुप्ता के दावे के विपरीत प्रो० लाल ने अपनी रिपोर्ट मे इन स्तभाधारो का जिक्र नही किया है। इस पर डॉ० गुप्ता ने लिखा कि जिस रिपोर्ट की बात डॉ० थापर कर रही हैं, वह डॉ० लाल की १९७६-७७ मे छपी अति सक्षिप्त रपट है। २७ जून, १९८९ को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को दिए गए प्रो० लाल के आधिकारिक, अधिक विस्तृत रिपोर्ट: 'आर्केलाजी आफ दि रामायण साइट्स प्रोजेक्ट—इटस् जेनेसिस एण्ड ए समरी आफ दि रिजल्ट्स' के पृष्ठ १० पैरा मे प्रो० लाल ने स्पष्ट लिखा है—

"इन दि जन्मभूमि एरिया, दि अपरमोस्ट लेवेल्स आफ ए ट्रेंच, दैट ले इमीडिएटली ट दि साउथ आफ दि बाबरी मस्जिद, ब्रॉट टु दि लाइट, ए सिरीज ऑफ ब्रिक बिल्ट बेसेज विच एविडेंटली कैरीड पिलर्स देयर आन। इन दि कन्स्ट्रक्शन ऑफ दी बाबरी मस्जिद ए फ्यू स्टोन पिलर्स हैड बीन यूज्ड व्हिच मे हैव कम फ्राम दिस प्रेसीडिंग स्ट्रक्चर।" अर्थात् "श्रीराम जन्मभूमि क्षेत्र मे दक्षिण की ओर बाबरी मस्जिद के ठीक बगल मे पोछे की खुदाई मे ऊपर के स्तरो से कई एक ईंटो के बने आधार प्रकाश मे आये हैं जो स्वय सिद्ध है कि इन पर स्तम

खड़े किये गए हैं। बाबरी मस्जिद के बनाने में पत्थर के जो थोड़े से स्तंभ काम में लाए गए थे, वे इससे पहले के बने भवन से लिए गए होंगे।"

प्रो० आर० एम० शर्मा ने डॉ० गुप्ता पर यह आक्षेप लगाया कि अयोध्या में हुई दोनों खुदाइयों की किसी *टीम में वे नहीं थे।* इस पर *डॉ० गुप्ता का* कहना है, "मैं 'चश्मदीद गवाह' रहा हूँ कि नहीं इस बात की पुष्टि वे स्वयं प्रो० लाल से दिल्ली के पुराने किले में स्थित पुरातत्व उत्खनन विभाग में जा कर कर लें। जिन दिनों श्रीराम जन्मभूमि की ऊपरी पर्तों की खुदाई हो रही थी, जिसमें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के डॉ० केसरवानी भी थे, उनके पास की बन रही धर्मशाला में कनातों के बीच में रहा था या नहीं।"

डॉ० थापर का बचाव यह है—ईंटों के बने स्तंभागारों की बिना पर मन्दिर का दावा नहीं किया जा सकता। ये स्तंभागार किसी हॉल या बरामदे के हिस्से भी हो सकते हैं, जो मस्जिद के साथ बनाए गए हों।

जिन स्तंभों पर बने हिन्दू धार्मिक चिन्हों का डॉ० गुप्ता ने जिक्र किया है, उनके बारे में डॉ० थापर का कहना है कि ये चिह्न किसी भी तरह रामायण या राम से जुड़े हुए नहीं हैं। स्तंभों पर यक्ष, देवकन्या, गण आदि के चिह्न हैं, जो किसी जैन मन्दिर में भी पाये जा सकते हैं। प्रो० शर्मा के अनुसार स्तंभों पर गण, त्रिशूल आदि के स्थान हैं, जो शैव मन्दिरों में आमतौर पर पाये जाते हैं। इसलिए यह राममन्दिर तो क्या कोई वैष्णव मन्दिर भी नहीं था। प्रो० शर्मा के अनुसार अयोध्या में बौद्ध मठ-मन्दिरों की भरमार थी। बाबरी मस्जिद के जिन स्तंभाधारों को हिन्दू-मन्दिर का अवशेष कहा जा रहा है, वे बौद्ध स्तूपों की तरह हैं। स्तम्भों पर 'सालभंजिका' जैसे बौद्ध चिह्न इस बात को और स्पष्ट करते हैं कि बाबरी मस्जिद का परिसर कभी बौद्ध-मठ रहा होगा।

किन्तु प्रो० शर्मा के साक्ष्य डॉ० थापर के वामपंथी धर्मनिरपेक्षवादी पक्ष को मजबूत नहीं करते। वे स्वयं भी कम से कम इतना तो स्वीकार करती हैं कि कोई न कोई मन्दिर या गैर-इस्लामी पूजा स्थल वहाँ था। अब चाहे वह जैन या शैव रहा हो या बौद्ध। और मस्जिद में उसके अवशेषों का उपयोग हुआ था।

४. अदालत-दर-अदालत

जैसा कि हमने पीछे देखा है, नवाब वाजिदअली शाह और अंग्रेज रेसिडेंट की मध्यस्थता से दोनो संप्रदायों के मुख्य लोगों में समझौता हो गया। समझौते के अनुसार वहाँ दोनो सम्प्रदाय के लोगों को पूजा की अनुमति दे दी गई। लेकिन यह समझौता ज्यादा दिन तक चल न सका। १८५७ की क्रान्ति के समय यह व्यवस्था फिर अस्त-व्यस्त हो गयी।

नवाब ने संपूर्ण राम जन्मभूमि मे हिन्दुओं को अधिकार देने का वायदा किया था। लेकिन ५७ की क्रान्ति कुचल देने के बाद अंग्रेजों ने हिन्दुओं और मुसलमानों को अलग रखने की सोची-समझी नीति बनाई। इसी के तहत् सपूर्ण जन्मभूमि पर हिन्दुओं को अधिकार देने के बदले उन्होने महन्तो को 'नाजुल भूमि' पर अधिकार दे दिया और उन्हें बाबरी मस्जिद के सामने एक चबूतरा, राम जन्मस्थान के रूप में बनाने की आज्ञा दे दी। बाबरी मस्जिद से इस स्थान को दूर रखने के लिए एक दीवार खड़ी की गई। १८८६ के बाद मुसलमानो को केवल उत्तरी द्वार से प्रवेश की अनुमति दी गई।

इस विवादास्पद स्थान पर हिन्दू मन्दिर बनाने का प्रयास जनवरी सन् १८३५ में किया गया। एक हिन्दू महंत रघुवीर राम ने उपन्यायाधीश फैजाबाद से, उसी स्थान पर, जहाँ बाबरी मस्जिद क बाहर हिन्दुओ को पूजा करने की अनुमति दी गई थी, एक मन्दिर बनाने की अनुमति माँगी। फरवरी १८८५ को सब जज ने यह माँग खारिज कर दी और कहा कि मन्दिर मस्जिद के अत्यधिक समीप हो जायेगा। इसके बाद इस आदेश के लिए जनपद न्यायाधीश से, मार्च १८८६ में अपील की गई। जनपद न्यायाधीश ने भी अपील निरस्त कर दी। अंग्रेजी जज एफ० ई० ए० चैमियर ने अपने आदेशपत्र मे लिखा था—"यह दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे स्थान पर मस्जिद बनाई गई, जो कि हिन्दुओं का पवित्र-स्थल रहा है। लेकिन आज ३५६ वर्ष हो चुके हैं, इस दशा मे कदम उठाने के लिए, अब बहुत देर हो चुकी है।"

मस्जिद को लेकर साम्प्रदायिक दगे सन् १९१२ ई० और सन् १९३४ ई० मे

हुए। १९३४ का 'दगा' बकरीद त्योहार पर की गई गोहत्या को लेकर हुआ।* इसमे सैंकड़ों मुसलमानों और हजारों हिन्दू मारे गये। हिन्दुओं के आक्रमण से मस्जिद को क्षति पहुँची। सरकार ने मस्जिद के जीर्णोद्धार का खर्च वहन किया और इस खर्च को वसूल करने के लिए दण्डस्वरूप हिन्दुओं पर एक विशिष्ट कर लगाया गया।

सन् १९३६ तक मस्जिद को स्थानीय मुस्लिम सम्प्रदायों द्वारा उपासना-स्थल के रूप मे प्रयोग किया जाता रहा। बाद में आर्थिक कारणो से अनेक मुसलमान फैजाबाद के निकट आ बसे। अयोध्या में मुसलमानों की स्थिति मे गिरावट आई। यही नही, जो परिवार मस्जिद की देखभाल के लिए तैनात था, वह भ्रष्ट पाया जाने के कारण, उससे यह प्रभार छीन लिया गया किन्तु किसी अन्य को वह नही सौंपा गया। मस्जिद का अनुपयोग तभी से प्रारम्भ हुआ। कुछ स्त्रोतो के अनुसार मुसलमानो ने इसे इस कारण से अपवित्र मानकर वहाँ नमाज पढना बन्द कर दिया, कि उसके अन्दर हत्याएं हुई थी।

उ०प्र० मुस्लिम वक्फ अधिनियम के अनुसार बैठाए गए जांच आयोग ने यह निर्णय दिया कि बाबरी मस्जिद, बाबर, जो कि सुन्नी मुसलमान था, के द्वारा बनवाई गई थी। यह रिपोर्ट राजपत्र मे २० फरवरी १९४४ को प्रकाशित हुई। १९४५ मे शिया केन्द्रीय वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच सिविल जज, फैजाबाद की अदालत मे मुकदमा चला। सिविल जज एस० ए० अहसान ने अपने निर्णय मे २३ मार्च १९४६ को कहा कि, मस्जिद का निर्माण बाबर के द्वारा करवाया गया था। लेकिन साक्ष्यों के अनुसार मस्जिद, शिया और सुन्नी दोनों मुस्लिम सम्प्रदायो के सदस्यो द्वारा प्रयोग मे लाई गई है।

सन् १९३६ से मस्जिद का अप्रयुक्त रहना झगड़े का सकेत देता है। २३ मार्च १९५१ को लिखे सिविल जज के आदेश पत्र के अनुसार, "कम से कम सन् १९३६ से न तो मुसलमानो ने इस मस्जिद का प्रयोग किया है, और न ही वहाँ नमाज पढ़ी है और जब कि हिन्दू विवादास्पद स्थान पर निरन्तर अपनी पूजा करते रहे हैं।"

मस्जिद के बारे मे मुस्लिमो की उपेक्षा के विपरीत हिन्दू बराबर उसी महत्व के साथ इस स्थान को भगवान रामचन्द्र जी के जन्म-स्थान के रूप मे पूजते रहे। दिसम्बर सन् १९४९ मे कई सौ रामभक्तों ने भवन के सामने पाक्षिक (पखवाड़े भर) कीर्तन किया। हिन्दू जनश्रुति और विश्वास के अनुसार, इस आराधना के परिणाम स्वरूप २२ दिसम्बर सन् १९४९ की वह पावन रात्रि आई जब भगवान राम की प्रतिमा अद्भुत रूप से मस्जिद मे प्रकट हुई। इसी प्रतिमा ने मस्जिद को हिन्दू विश्वास के अनुसार मदिर मे बदल दिया और मुसलमानो

*डॉ० बी० आर० आंबेडकर : पाकिस्तान अथवा पार्टीशन ऑफ इंडिया।

के शब्दों मे 'मस्जिद अपवित्र हो गई।'

इस घटना की रिपोर्ट एक पुलिस सिपाही माता प्रसाद ने अयोध्या थाने में प्रातः ६ बजे दी। तब एक रेडियो प्रसारण द्वारा मुख्यमंत्री ने सूचना प्रसारित करवाई।

"कुछ हिन्दुओ ने बाबरी मस्जिद में रात्रि को उस समय प्रवेश किया, जब मस्जिद सुनसान थी। उन्होने वहाँ एक देवता की प्रतिस्थापना कर दी। जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक और आरक्षी बल मौके पर है। स्थिति नियंत्रण मे होने के कारण वहाँ १५ व्यक्तियो की पुलिस टुकड़ी तैनात थी, लेकिन उसमे किसी ने ठीक से कार्य नही किया।"

अब जिलाधीश के ऊपर लखनऊ से मूर्ति को हटवाने और शान्ति बनाये रखने के लिए दबाव डाला जाने लगा। इधर मस्जिद मे प्रवेश करने के लिए दर्शनार्थियों की भीड उमड़ने लगी। २३ दिसम्बर, १९४९ को जिलाधीश महोदय ने लिखा।

"भीड ने मस्जिद मे प्रवेश के लिए अथक प्रयास किये। ताला तोड़ दिया गया। सिपाहियो के पैर कुचलते हुए वह आगे बढ़ी। हम सभी अधिकारियो और आदमियो ने किसी प्रकार भीड को पीछे धकेला और द्वार पर पहुँचे। साधुओ पर आदमियो और हथियारों का कोई प्रभाव नही पडा था। बडी ही कठिनाई से हमने द्वार पर कब्जा किया। द्वार की रक्षा की गई। और उसमे बाहर से लाकर ताला डाल दिया गया। पुलिसबल और मजबूत किया गया।"

नेहरू सरकार ने इस मामले को न्यायप्रविष्ट छोड़ दिया। मूर्ति तो नही हटाई गई, लेकिन ताला डाल दिया गया। तब से पुजारी लोग पूजा बाहर से ही करते रहे। राम जन्मभूमि सेवा समिति ने मूर्ति को वर्ष मे एक बार 'प्राकट्य' दिन (रामनवमी) के अवसर पर पूजा करने की अनुमति प्राप्त कर ली। हिन्दू कार्यकर्ताओ ने वहाँ अखण्ड कीर्तन आरम्भ कर दिया। मूर्ति अभिषेक के बाद प्रशासनिक आदेश के तहत् साम्प्रदायिक दंगों की आशंका से भवन मे ताला डाल दिया गया। मूर्ति को न हटाने का कारण देते हुए आयुक्त को जिलाधीश ने लिखा कि इससे पुनः साम्प्रदायिक लहर दौड़ सकती है: "यदि सरकार किसी भी तरह मूर्ति को हटवाती है तो मेरे जाने के बाद जो भी अधिकारी आयेगा, हो सकता है, वह अपने गुणो के आधार पर कोई ऐसा समाधान ढूंढ निकाले, जो मैं नही निकाल पाया। लेकिन जहाँ तक मेरी भूमिका का प्रश्न है, तो मेरे द्वारा इस सदर्भ में जो वैधानिक समाधान हो सकता है वह यही (मूर्तियाँ यथास्थान रखना) है। क्योंकि मुझे स्पष्ट आभास है कि इससे व्यापक साम्प्रदायिक दगे एवं जनहानि हो सकती है।"

जिलाधीश का समर्थन संभागीय आयुक्त ने भी किया। उन्होंने उसी दिन मुख्य सचिव को पत्र लिखा, "मैंने स्थिति का अच्छी तरह जायजा लिया है और

जनमत के दृष्टिगत मैं अपनी पूर्ण संतुष्टि के साथ एवं दृढतापूर्वक कहता हूँ कि सरकारी अधिकरण द्वारा मूर्ति का हटाया जाना व्यापक पैमाने पर साम्प्रदायिक दंगों को उभाडना होगा। पी०मी० १४५ के तहत् हम अपना कदम उठायेंगे और वर्तमान पुजारियों के स्थान पर अनुकूल पुजारियों को नियुक्त किया जायेगा। लेकिन भोग और कलेवा को बंद करना बुद्धिमानी नहीं होगी। इसी दौरान हल ढूढ निकालने के लिए हम सवैधानिक तरीकों और दोनों सम्प्रदायों को शान्ति समर्थक प्रभावशाली व्यक्तियों की सहायता से अपने प्रयास जारी रखेंगे। जैसा कि मेरा विचार है, समय के साथ-साथ लोगों की उत्तेजना कम हो जायेगी और तब इस समस्या के अन्त के लिए हम कोई साहसपूर्ण समाधान ढूढ निकालेंगे।"

तब अतिरिक्त नगर मैजिस्ट्रेट फैज़ाबाद को जब पुलिस तथा अन्य विश्वसनीय स्रोतों से सूचना मिली कि "राम जन्म भूमि विवाद पर हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक दंगे, इसके मालिकाना हक न्यायालय द्वारा घोषित किये जाने तक शान्त हैं, और रामकोट अयोध्या मे शांति एवम् व्यवस्था की स्थिति कायम है।" उन्हें भवन से सम्बन्धित सारे कार्य सौंपे गये। फैजाबाद सह अयोध्या नगरपालिका के अध्यक्ष को प्राप्तकर्ता नियुक्त किया गया। उन्हे २९ दिसम्बर १९४९ को विवादास्पद संपत्ति की रक्षा का भार सौंपा गया। अध्यक्ष ने ५ जनवरी, १९५० को अपना पदभार ग्रहण कर लिया।

जनवरी सन् १९५० को सिविल जज फैजाबाद के न्यायालय मे श्री गोपाल सिंह विशारद ने एक अपील दायर की। इसमें अनुरोध किया गया था कि उन्हे जन्मभूमि एवं अन्य संबद्ध स्थानों में पूजा की अनुमति दी जाये।

"कि वह सनातन धर्मी अयोध्या का निवासी है। वह सदैव ही भगवान रामचन्द्रजी की पूजा करता रहा है और जन्मभूमि मे दर्शन हेतु जाता रहा है। १४-१-५० को उसे पूजा करने से तथा राम जन्मभूमि मे प्रवेश करने से (अधिकारी क्र० ९ के) अधिकारियों द्वारा रोका गया। उक्त स्थानीय अधिकारी हिन्दुओं पर रामजन्म-भूमि पर न जाने के लिए अनावश्यक दबाव डाल रहे हैं। इन अधिकारियों की क्र० १ से ५ तक के अधिकारियों द्वारा मदद की जा रही है। न तो क्र० ६ न ही ७ से ९ को जन्मभूमि जैसे धार्मिक मामलों मे दखल करने का अधिकार है।

"उसके द्वारा मांगी गयी रियायतें इस प्रकार हैं:

(क) उसे बिना किसी व्यवधान एवं अवरोध के भगवान रामचन्द्र के स्थान तक जाने दिया जाये।

(ख) भगवान रामचन्द्र और अन्य देवताओं की मूर्ति को रामजन्मभूमि स्थान से हटवाए जाने पर प्रतिबंध लगाया जाये।

इस सम्बन्ध में उन्होंने साक्ष्य के द्वारा समर्पित पृथक् आवेदन पत्र भेजा,

जिसके तहत् १६-१-५० को निर्णय दिया गया कि "सभी पक्षों पर मूर्ति को स्थान से हटाने के सम्बन्ध मे प्रतिबन्ध लगाया जाता है और पूजा आदि से भी प्रतिबन्ध हटाए जाने चाहिए।"

अधिकारी क्र० १ से ५ तक—(१) जहूर अहमद (२) हाजी फेकू (३) मोहम्मद फालिक (४) मोहम्मद सामी (५) मोहम्मद अच्छन मियाँ ने निम्न आधारों पर १३-२-१९५७ को उपरोक्त निर्णय का विरोध प्रस्ताव दाखिल किया—(१) *बाबरी मस्जिद का भाग जो बाबर के द्वारा बनवाई गयी थी।* (२) मुसलमानो के प्रयोग मे आरम्भ से ही रही है। (३) तब से वहाँ हिन्दुओ ने कोई पूजा नही की। (४) उसमें जो मूर्तियाँ हैं, उन्हें हाल ही मे प्रतिस्थापित किया गया है।

उन्होंने यह भी दलील दी कि (५) यह अभियोग नोटिस यू/एस ८० सी० पी०सी० के अभाव मे दोषपूर्ण था। २५-३-५० तक अधिकारी क्र० ६-९ तक कोई भी विरोध प्रस्ताव नही दाखिल किया गया। ये अधिकारी थे —(६) उ० प्र० सरकार (७) उपायुक्त फैजाबाद (८) सिटी मैजिस्ट्रेट फैजाबाद (९) पुलिस अधीक्षक फैजाबाद।

"वास्तव मे सही निर्णय के लिए मर इकबाल अहमद जो अधिकारी (१-५ तक) के विरोध पर विचार करने आये थे, ने भवन के मानाचत्र की आवश्यकता पर जोर दिया।

आयुक्त की नियुक्ति की तिथि को १ से ५ तक के अधिकारियो ने भवन के फोटोग्राफ लेने की अनुमति माँगी जो उन्हें मिल गयी। इसका मानचित्र और छायाचित्र लिया गया जो आज रिकार्ड के रूप मे उपलब्ध है। २४-४-५० को ८० सी०पी०सी० के अभाव मे वहाँ भी इसे दोषपूर्ण ठहराया गया। इस विषय मे यह भी कहा गया कि ८० सी०पी०सी० अधिकारी क्र० १ से ५ तक के समक्ष स्पष्ट नही थी।···

उन्होने अपने तर्कों की कृष्णेश्वरी बनाम सैय्यद अहमद का आधार दिया।

इस उद्देश्य के लिए पहले तो यह समझना आवश्यक था कि वादी ने अपने अधिकार का दावा किया है या उसका अधिकार खतरे में है व असुविधाओं में अभिप्रेरित होकर उसने अभियोग हेतु प्रार्थना की है जिसके सम्बन्ध मे यह मुक्ति आदेश जारी किया गया है। यह बात तो प्रत्येक ओर से सिद्ध थी कि मुकदमा दायर करने के पहले से ही मस्जिद मे मूर्ति स्थापित थी। और कुछ मुसलमानो ने भी अपनी दलील मे कहा था कि मस्जिद को सन् १९३६ से मुसलमानो के द्वारा नमाज आदि में नहीं प्रयुक्त किया गया था और हिन्दू निरन्तर इस विवादास्पद स्थान पर पूजा अर्चना आदि करते रहे थे। अधिकारी क्र० १ से ५ तक को वे सभी प्रमाण प्रस्तुत करने को कहा गया जिनके आधार पर इस बात की पुष्टि होनी थी

कि विवादास्पद स्थान सदैव ही मस्जिद रहा है। ऐसी स्थिति मे जब तक समस्त साक्ष्य मौखिक और लिखित दोनो रूप मे से ही स्पष्ट नहीं हो जाते, किसी भी निर्णय पर पहुंचना असम्भव है। यह निर्विवाद सत्य है कि जिस दिन वादी ने अभियोग दायर किया उस दिन उसने अन्य व्यक्तितो के साथ (यद्यपि प्रतिबन्धित रूप मे) रामजन्मभूमि मे पूजा की। इससे मूर्ति के प्रामाणिक आधार की पुष्टि होती है।

जहाँ तक न्यायिक सन्तुलन का प्रश्न है तो इस अन्तरिम निर्णय को ऐसी अवस्था मे वापस लेना वादी की भावनाओ के प्रति ठेस होगी। पक्षो के होने का प्रश्न है तो मोहल्ला (राजकोट) मे कई अनेक मस्जिदें भी हैं। अतः स्थानीय मुसलमानों को इस निर्णय को अभियोग के न्यायिक निर्णय तक लागू रखने मे किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नही करना पड़ेगा।

इसी अन्तराल मे गोपाल सिंह विशारद की अपील २ (१९५०) के अतिरिक्त तीन और अपीलें सग्राहक और वक्फ को लेकर की गई। निर्मोही अखाडे ने भी इस पर अपना मालिकाना दावा ठोका जिसे निर्णय की तिथि तक प्रतीक्षित माना गया।

सुन्नी वक्फ बोर्ड ने १९६१ मे जब वाद सख्या १२/१९६१ दायर किया तो बोर्ड के दावे के साथ महत का दावा सबद्ध कर दिया गया। उन्होंने अपने दावे मे उ० प्र० सरकार, जिलाधीश फैजाबाद तथा पाँच मुसलमानो को विपक्षी बनाया था जिसमे सभी मुस्लिम प्रतिपक्षी मर चुके हैं। मात्र राज्य सरकार और जिलाधिकारी ही प्रतिपक्षी शेष रहे।

२५ जनवरी सन् १९८६ को अयोध्या के एक वकील उमेशचन्द्र पाण्डेय ने मुंसिफ के न्यायालय मे एक प्रार्थनापत्र दिया जिसमे उन्होंने अपने द्वारा और हिन्दुओं के सभी समुदायो के द्वारा जन्मभूमि की पूजा पर प्रतिबन्ध न लगाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र को नियमित रूप से सूट न० २-१९५०, (समेकित रूप से अपील १२-१९६१, २५-१९५० और २६-१९५४ को अग्रिम मामले १२-१९६१ मे) सम्बद्ध कर लिया गया। मुंसिफ ने २८ तारीख को आदेश जारी करने से इस आधार पर इन्कार कर दिया कि चल रही कार्यवाही के तहत ही आदेश जारी किए जा सकते हैं।

३१ जनवरी सन् १९८६ को मुंसिफ के आदेश के विरोध मे जिला न्यायाधीश को एक अपील दी गई। न्यायाधीश ने १ फरवरी सन् १९८६ को अपील को स्वीकार करते हुए प्रतिवादियों, उ०प्र० सरकार, जिलाधीश, सिटी मजिस्ट्रेट, और फैजाबाद के पुलिस अधीक्षक को ताला खुलवाने का निर्देश दिया और दर्शन तथा पूजा में किसी भी प्रकार अवरोध उत्पन्न न करने के लिए (आवेदकों और अन्य समुदायों के लिए सामान्यतः) आदेश जारी किए। न्यायाधीश ने अपने आदेश

मे कहा—"यह स्पष्ट हो गया है कि शान्ति व्यवस्था और मूर्ति सुरक्षा के लिए द्वारो पर ताला डालना कतई आवश्यक नहीं है।

"मूर्ति और भक्तो के बीच किसी भी कृत्रिम व्यवस्था की आवश्यकता नही है। ऐसा लगता है कि विपक्षी दल उसी पुराने निर्णय के आदी रहे हैं। किसी ने यह निर्णय ले लिया कि ताला डाल दिया जाए लेकिन ताला डालने के बाद किसी ने भी इस ओर दृष्टि निक्षेप नही किया कि यह निर्णय कहाँ तक और किस समय तक के लिए उचित है, और इसकी आवश्यकता भी है या नही।" आगे भी न्यायाधीश ने कहा कि—

"ताला खुलवाने और उसके अन्दर विद्यमान मूर्ति की पूजा की अनुमति से मुसलमानो को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जब हिन्दू सम्मानजनक और शान्तिपूर्ण ढग मे ३५ वर्ष से इस स्थान पर पूजा कर रहे हैं तो द्वारों के हटाये जाने से स्वर्ग तो गिर नहीं जाएगा। जिलाधीश ने आज मेरे समक्ष कहा है कि मुस्लिम समुदाय के सदस्यो को विवादास्पद स्थान मे जाने की और किसी भी प्रकार नमाज आदि पढने की अनुमति नही है।" न्यायाधीश ने आगे कहा कि—

"ताला हटाने से किसी भी समस्या के उत्पन्न होने के आसार नहीं है और यदि कमावेश कुछ है भी तो स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए जिलाधीश और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद, प्रयास करेंगे। इसके लिए ताले का मन्दिर मे लगा रहना किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं है।"

इस प्रकार इस निर्णय के कुछ ही समय पश्चात् राम-जन्मभूमि का ताला खुलवा दिया गया।

फैजाबाद न्यायालय ने शान्ति और व्यवस्था की दिशा मे व्यावहारिक कदम उठाए। लेकिन मालिकाना अधिकार से सबधित मामला अभी भी न्यायालय के विचाराधीन पड़ा हुआ था।

भारत सरकार के तत्कालीन गृहमंत्री श्री बूटासिंह द्वारा कुछ मुसलमान नेताओं को दिये गये आश्वासन के अनुपालन मे राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र देकर सभी मुकदमो को मगाकर शीघ्र सुनवाई करने की माँग अदालत से की। इसके तहत १० जुलाई १९८९ को सभी मुकदमो को एक साथ सुनने के लिए मंगा लिया गया। सुनवाई के लिए तीन न्यायाधीशो की विशेष पूर्ण खण्डपीठ का गठन किया गया।

फरवरी १ को बाबरी मस्जिद का ताला हिन्दू पूजा के लिए खोला गया। हिन्दुओ ने मस्जिद के अन्दर प्रवेश किया और बड़े उत्साह के साथ पूजा आयोजन किया।

१४ अगस्त सन् १९८९ को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, एक साथ पांच मुकदमों—जो जन्मभूमि से सम्बन्धित थे, पर विचार किया। इसने मालिकाना अधिकार पर अपना अन्तिम निर्णय दिया "सभी पक्ष—अपनी सम्बन्धित सम्पत्ति की प्रकृति मे परिवर्तन नही लाएंगे।" तब से इसमे सम्मिलित पक्ष रहे हैं—सुन्नी वक्फ बोर्ड, उ०प्र० राज्य सरकार, राम-जन्मभूमि न्यास, और विभिन्न हिन्दू और मुस्लिम पदाधिकारी, जिसमे एक प्रतिनिधि पास मे स्थित निर्मोही अखाड़ा से भी था। बाबरी मस्जिद सहयोग समिति ने कहा कि वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करेगी। इसने जनता को सन् १९५१ के निर्णय को भी याद दिलाया जिसमे कहा गया था कि मूर्ति तो नही हटाई जाएगी लेकिन इसके (बाबरी मस्जिद के) दावे को भी नहीं बदला जाएगा। अखिल भारतीय बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ऐसे तीन न्यायिक सदस्यो को वरीयता देगी जो दक्षिण भारतीय हो, न तो वे हिन्दू हो और न ही मुसलमान। विश्व हिन्दू परिषद ने सम्पत्ति की प्रकृति और शान्ति तथा सद्भावना सम्बन्धी प्रस्ताव मे, २७ सितम्बर १९८९ को केन्द्रीय गृहमंत्री की सलाह पर हस्ताक्षर भी कर दिए।

केन्द्र सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार ने कई अवसरो पर स्पष्ट रूप से यह घोषणा की है कि वह अदालत के फैसले के अनुसार ही समस्या को हल करने मे योगदान करेगी। इस विचार से असहमत नही हुआ जा सकता। लेकिन प्रश्न है कि न्यायालय का निर्णय कब सामने आएगा।

हमारे देश मे अदालती प्रक्रिया इतनी लम्बी और दुरूह है कि फैसले जल्द नही होते खासकर दीवानी मामलो मे वर्षों का समय लगना साधारण सी अवधि है।

राम-जन्मभूमि विवाद ने अदालत की महत्ता को एक बार पुनः प्रतिष्ठापित होने का अवसर दिया है, जिसकी गारन्टी उत्तर प्रदेश एवं केन्द्र सरकार ने ली है। साथ ही इस विवाद ने यह सोचने को मजबूर भी किया है कि आखिर हमारी व्यवस्था मे कौन-सी खामियां हैं, जो विवादित मामलो को जल्द निपटाने में बाधक हैं। यह विवाद पिछले चालीस वर्षों से अधिक समय से लंबित पड़ा है लेकिन इसकी सुनवाई १९८९ के पूर्व तक नही होती थी और जब यह अपने धार्मिक रंग मे आया तो सैकड़ो इन्सानों की बलि इसी न्यायालय के विलम्ब के कारण हो गई।

नवम्बर ९० के अंतिम सप्ताह मे वी०पी० सिंह सरकार ने एक आकस्मिक अध्यादेश द्वारा इस मुकदमो को सुप्रीम कोर्ट के जिम्मे सौंपने तथा संपूर्ण विवादित स्थल का अधिग्रहण करने की घोषणा की, किन्तु भाजपा नेताओ की अनुकूल प्रतिक्रिया के बावजूद बाबरी एक्शन कमेटी तथा विश्व हिन्दू परिषद के निषेधात्मक रुख के कारण उसी तेजी से अध्यादेश वापस ले लिया।

कांग्रेस (इ) समर्थित चद्रशेखर सरकार केन्द्र मे बनी तो कांग्रेस के अध्यक्ष राजीव गाधी ने फिर इस विवाद को सुप्रीम कोर्ट को सौंपने का सुझाव दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के दस्तावेजों को इसी स्तर पर जांच पड़ताल की जाए।

न्यायमूर्ति पी०एन० भगवती ने इस विवाद मे व्यक्तिगत स्तर पर पहल की। अनौपचारिक कानूनी सलाह देते हुए उन्होंने दोनो पक्षों के दावो के दस्तावेज मांगने को सरकार से कहा। दोनो पक्षों ने अपने-अपने दावे पेश करने पर सहमति व्यक्त की। गृह मंत्रालय को जो दस्तावेजी दावे दिए जायेंगे, न्यायमूर्ति भगवती अपनी न्यायबुद्धि से उनकी पडताल करेंगे। उसके वाद वह गृह मत्रालय को अपनी सलाह देंगे। यह स्थिति दिसम्बर १९९० के प्रथम सप्ताह की है।

केन्द्र सरकार मस्जिद सरकार के झगडे मे उच्चतम न्यायालय की राय चाहती है। यदि इरादा राष्ट्रीय समाधान का है, तो सुप्रीम कोर्ट को इस बार दीवानी अदालत की तरह नही, बल्कि बरगद के नीचे बैठे पच-परमेश्वर की तरह अथवा लोकअदालत की तरह फैसला देना होगा। शायद उसे यह भी तोलना होगा कि क्या यह जगह हिन्दुओ के मन मे बरसो से असाधारण आस्था एव उद्वेलन का विषय रही है और क्या मस्जिद भी मुसलमानो के लिए उतनी ही ऐतिहासिक चीज है। उच्चतम न्यायालय का फैसला अधिक से अधिक छह-आठ महीनो मे प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार यह भय भी नही है कि इक्कीसवी सदी तक कानूनी दावपेंच ही चलते रहेंगे। विश्व हिन्दू परिषद १९८९ मे शिलान्यास के समय बूटासिह और नारायणदत्त तिवारी को यह लिखित आश्वासन दे चुकी है कि वह इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्थगन आदेश मे बाधा न डालकर यथास्थिति को बनाए रखेगी। हो सकता है कि यह प्रतिज्ञा सिर्फ शिला-न्यास कार्यक्रम तक सीमित हो और आज वह लागू न हो। लेकिन जो वचन उसने पिछले साल दिया था, वह केन्द्र सरकार के ताजा स्वागत योग्य कदम के बाद एक बार फिर क्यो नहीं दिया जा सकता। भगवान राम इतनी प्रतीक्षा तो कर ही सकते हैं।

किन्तु विश्व हिन्दू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने विवादित मामले मे अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया है कि वह राम-जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के सबध मे न्यायालय द्वारा दिये गए फैसले का तभी स्वागत करेगी जब निर्णय उनके पक्ष मे होगा। इसके विपरीत स्थिति को मानने के लिए वे कतई तैयार नही हैं। अपने पक्ष मे उनका कहना है कि शाहबानो प्रकरण मे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय को बदला जा सकता है, तब इस मामले में ऐसा क्यो नहीं हो सकता।

एक तरह से विहिप पक्ष व भाजपा के तर्क मे वजन है। यह इसलिए ठीक

प्रतीत होता है कि पूर्व में न्यायालय के निर्णय को खारिज किया गया है, और सांसद द्वारा उसे बदला गया है जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामान्य सिद्धान्तो के विरुद्ध है। एक देश मे दो नागरिको पर दो तरह के भौतिकवादी कानून को धर्म की आड देकर तुष्टीकरण का जो खेल खेला गया है, उसी का परिणाम है कि आज साम्प्रदायिक तनाव में पूरा देश जकड़ा हुआ है।

शाहबानो का मामला किसी भी रूप मे धार्मिक नही कहा जा सकता था, क्योंकि वह मनुष्य होने के रूप मे "समानता के अधिकार" का मामला था, लेकिन दुर्भाग्य से पूरे मामले को धार्मिक रंग दे दिया गया और उसी का उदाहरण देकर इन संगठनो के नेता आज अदालत के फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं हैं।

कम से कम यह तर्क कि राम-जन्मभूमि का सवाल अदालत के फैसले से बाहर है, सही है। भाजपा का दावा है कि यह हिन्दुओ की भावना का सवाल है, जिस पर अदालत विचार नही कर सकती। शुरू मे हिन्दुवादी संगठन इस तर्क को आधार बनाकर चले कि अयोध्या मे जहाँ आज बाबरी मस्जिद है, वहाँ पहले मंदिर था। इस तर्क को लेकर जब विवाद छिड़ा तो लगने लगा कि यहाँ आपत्ति की काफी सम्भावना है। तब हिन्दुओ ने तर्क बदल दिया और किसी अदालती फैसले को नामंजूर करने का इरादा बना लिया।

निश्चय ही जनभावना जैसी अमूर्त चीज को अदालत मे परखा नही जा सकता। अदालत मे हम इस विवाद को तीन स्तरो तक पड़ताल कर सकते हैं, लेकिन उनसे समाधान निकलना मुश्किल है। सबसे पहला स्तर यह है कि विवादित जमीन पर किसका मालिकाना हक है। शिलान्यास के वक्त यह मामला चला था और आज भी चल रहा है। लेकिन यह मुद्दा गर्भगृह से नही मस्जिद की बाहर की जमीन से सबद्ध है, फिर जमीन की मिल्कियत आप एक सीमा तक ही जान सकते हैं। मसलन आज कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है, जो एक हजार साल पहले की स्थिति बता सके।

दूसरे स्तर पर अदालत से इस बात का फैसला करने को कहा जा सकता है कि क्या मस्जिद बनने से पहले वहाँ मंदिर था। या वह स्थान किसी भी रूप से हिन्दू धर्मभावना का केन्द्र था। यहाँ अगर अदालत कहती है कि मंदिर नही था तो हिन्दू संगठन इस फैसले की अवमानना करने की ठान चुके हैं। विचार का तीसरा स्तर यह हो सकता है कि उस विवादित स्थल पर ही राम का जन्म हुआ था या नही। हमारे ख्याल से विवाद को इस स्तर तक ले जाने का यहाँ कोई औचित्य नही है। पुराण पुरुषो की ऐतिहासिकता साबित करनी पड़े तो सिर्फ राम ही नही, दूसरे तमाम देव पुरुषो का अस्तित्व भी खतरे मे पड़ जाएगा।

बहरहाल फिर उसी दूसरे स्तर पर लौटें। अगर अदालत मस्जिद से पहले मंदिर होने की बात मान लेती है तो हिन्दू संगठन इस फैसले को निश्चय ही अपनी

जीत बताएंगे। अगर फैसला खिलाफ जाता है तो जाहिर है उनका जवाब होगा कि मंदिर रहा हो या नही, करोडो हिन्दू राम के भक्त इसे राम-जन्मभूमि मानते आए हैं, लिहाजा उस भावना का आदर होना चाहिए।

करोडो हिन्दू इसे जन्मभूमि मानते आए हैं, क्या इस दावे को परखने का कोई तरीका है। मान लिया आठ सौ हजार साल पहले। नहीं, इस बारे मे इतिहास हमारी मदद नही कर पाएगा और कम से कम आज तो इस विवाद के चलते हिन्दू ऐसा मानते ही हैं।

जनभावना के इस मुद्दे को चुनौती तो दी जा सकती है, लेकिन उससे फिलहाल कुछ साबित नही हो सकता। जन्मभूमि के अस्तित्व पर विश्वास वैसा ही विश्वास है, जैसा पैगम्बर मोहम्मद, ईसा मसीह या अन्य किसी भी दूसरे देव पुरुष को लेकर है। अगर करोडो लोग वैसा मानते हैं तो आप ऐतिहासिक प्रमाणो के नाम पर उनकी मान्यता की अवमानना नही करते। कम से कम आजकी दुनिया मे, जहाँ धर्माचरण को कानूनी स्वीकृति है, यह स्थिति है।

जब जनभावना वाले इस तर्क को नकारा नही जा सकता तो सहज रूप से इसके बाद सवाल उठता है कि ऐसे स्थल पर उस घटना (राम जन्म) का स्मारक क्यो नही बनने दिया जाए। और क्यो सिर्फ इसलिए इस कोशिश को रोका जाए कि वहा कभी किसी ने एक मस्जिद खडी कर दी थी।

ये तर्क काफी प्रबल है और जिस किसी को भी यह सूझा, वह निस्संदेह बुद्धिमान व्यक्ति है : इन तर्को के आधार पर बहस चले तो कोई उससे पार नही पा सकते।

भाजपा के तर्क को स्वीकार करने पर इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि मंदिर निर्माण की कोशिश अतीत के एक कृत्य को सुधारने की कोशिश है। इस पूरे विवाद की कोई परिभाषा अगर देनी हो तो वह यही होगी। निजी जीवन मे भी मानव के बहुत से काम इसी श्रेणी मे आते हैं। समाज और राज्यो के स्तर पर भी हर स्थान और हर काल मे अतीत को सुधारने की कोशिशें जारी रहती हैं। सोवियत सघ के बाल्टिक गणराज्यो की अशान्ति, कुवैत पर इराक का हमला, जर्मन एकीकरण और तिब्बत का स्वतत्रता सघर्ष कुछ परिचित उदाहरण हैं। अन्तराष्ट्रीय राजनीति मे एक शब्द है—इरेडैन्टिज्म, जिसका मतलब है इतिहास के आधार पर किसी देश के भाग पर दूसरे देश का दावा। इरेडैन्टिज्म के दसियो उदाहरण मिलेंगे। ये सब अतीत के कृत्यो को सुधारने की कोशिशें हैं। हमारे देश मे ऐसी कोशिश के कई उदाहरण पहले से ही हैं, जैसे कश्मीर विवाद।

तीस अक्टूबर के टकराव के बाद अयोध्या विवाद उस दौर मे पहुँच गया है, जहाँ अक्लमदी की सलाह और बहस मुकाबलों से शिकजे ढीले नहीं पड़ते। अगला मोड़ अब इतिहास की हलचलो, भारतीय समाज की इच्छा और राष्ट्रीय परिवर्तन

से तय होगा। यानी जितनी बड़ी जिद, उतना बड़ा प्रहार उसे तोड़ने के लिए चाहिए। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर है कि अगले चुनाव में भाजपा को क्या मिलता है, हिन्दू समाज की व्यापक प्रतिक्रिया क्या रहनी है और हिन्दू नेताओं के विचार कहाँ पर टकराते हैं ?

इसका जवाब यह दिया जाता है कि—

"जनभावना (भड़के या भड़का दी जाए) इन सुधारों की प्रेरक हो सकती है, लेकिन एकमात्र प्रेरक वह नहीं है। वह एकमात्र प्रेरक होती तो इस देश में हमें हर दूसरे दिन हर मुद्दे पर जनमत संग्रह कराने होते। हर हफ्ते सरकार काश्मीरियों और सिखों से पूछ रही होती कि आपको साथ रहना है या नहीं। तब दुनिया में शायद ही कोई देश या समाज या व्यवस्था चौबीस घंटे से ज्यादा चल पाती। तो कौन है जो तय करता है कि सुधार हो या नहीं, और हो तो किस तरह हो।

इसकी कसौटी जनभावना नहीं है। सरकार भी नहीं है और पार्टियां भी नहीं। इसकी कसौटी है वे मूल्य, सिद्धान्त या आदर्श, जो समाज ने अंगीकार किए हैं। जरूरी नहीं कि वे सिद्धान्त संविधान में भी हों, लेकिन वे सामान्य जनमानस में मौजूद होने चाहिए।

यानी पहले यह देखिए कि इस देश में कौन-सी बातें हैं, जो हम सब हर हाल में कायम रखना चाहेंगे। फिर यह देखिए कि अतीत को सुधारने की कोशिश इन आदर्शों में मेल खा रही है या नहीं। अगर टकराव हो रहा है तो निश्चय ही यह कोशिश जायज नहीं है।

ऐसे कौन-से आदर्श हो सकते हैं, जिन पर इस देश की सभी जातियों, वर्गों और धर्मों के लोग एकमत हो सकते हैं। हमारे ख्याल से ये आदर्श हैं, शांति, राष्ट्रीय अखण्डता और आर्थिक विकास। किसी समाज या राष्ट्र के सर्वांग कल्याण की तीन शर्तें भी हैं। एकदम सामान्य बुद्धि वाला नागरिक भी इन तीन परिस्थितियों से इन्कार नहीं करेगा।

समाज में शान्ति बनाए रखने के लिए दो शर्तें जरूरी हैं, समानता और स्वतंत्रता। इन जरूरतों की पूर्ति के लिए संविधानों और संहिताओं में कई रास्ते बनाए जाते हैं। एक रास्ता लोकतंत्र है। एक रास्ता धर्मनिरपेक्षता है, जो लोकतंत्र और शान्ति के लिए जरूरी है।

बहरहाल शान्ति, अखण्डता और विश्वास के आदर्शों से किसी को इन्कार नहीं है, भाजपा को भी नहीं। ३० अक्टूबर के आसपास जारी भाजपा के एक विज्ञापन में ये पंक्तियाँ ध्यान देने लायक हैं, भाजपा भारत की एकता और अखण्डता के लिए कटिबद्ध है। भाजपा चाहती है कि सभी सम्प्रदायों की मित्रता के मजबूत धरातल पर भारत के उज्ज्वल भविष्य का सपना साकार हो। यह पहले सुजला सुफला बने।

यह कहीं भी स्पष्ट नही है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की मुहिम से भाजपा का यह महान लक्ष्य किस तरह पूरा होता है। अलबत्ता कोई भी व्यक्ति अपनी साम्प्रदायिक राजनीतिक पक्षधरता को कायम रखते हुए खुद यह विचार कर सकता है कि मंदिर निर्माण का इन तीन मौलिक आदर्शों से क्या रिश्ता है।

"अयोध्या विवाद से समाज की शान्ति भंग हुई है। देश में फसाद का नया दौर छिड़ा है। इससे समाज में अलगाव पैदा हुआ है, जो राष्ट्रीय अखण्डता के लिए नई चुनौती बन सकता है। इस अशांति से विकास का अवरुद्ध होना लाजमी है। शायद यह अकेला विवाद है, जो हमारे सुखी जीवन की किसी भी आवश्यक शर्त मे मेल नहीं खा रहा। फिर इसके असर यहीं तक सीमित नहीं हैं। अशान्ति के एक सिलसिले की यह शुरुआत हो सकती है।

भाजपा का तर्क सही है। हो सकता है मस्जिद जहाँ बनी है, वही राम का जन्म स्थल हो। हो सकता है अतीत मे यह अन्याय हुआ हो। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि उस अन्याय की भरपाई आज बीसवी सदी के अंतिम दौर मे ही की जाए। भारत आज वह नही, जो मीर बाँकी के समय था। आज के भारत की जरूरतें दूसरी हैं। अन्याय की भरपाई से न्याय ही हो यह गणित उन समाजो के लिए हैं, जहाँ सैंकड़ो सालो मे भी कुछ नही बदलता। अन्याय की भरपाई और भी बड़ा अन्याय हो सकता है। क्योंकि भारत श्रीराम का जन्म स्थल ही नही है, यह मंदिर-मस्जिद के अलावा भी बहुत कुछ है। यह दसवाँ औद्योगिक देश, सातवाँ उपग्रह देश, सबसे बड़ा लोकतंत्र और दूसरा सबसे भीड़ भरा राष्ट्र भी है। यह अपने पड़ोस का सबसे ताकतवर, आधुनिक प्रगतिशील और समृद्ध देश है। इसे निस्संदेह न तो श्रीलंका बनना चाहिए, न लेबनान न पाकिस्तान। भारत के लिए सबसे बेहतर सेवा यही है कि इसे भारत ही रहने दिया जाए।"

५. जन-आन्दोलन

देश की स्वाधीनता के बाद हिन्दू-पक्षीय जन-आन्दोलन के इस मोड तक पहुँचने की जो यात्रा रही है उसकी कालदर्शिका इस प्रकार प्रस्तुत की जा सकती है—

१५ अगस्त, १६४७ को देश आजाद हुआ। तत्कालीन गृहमंत्री सरदार पटेल ने देश में गुलामी के चिह्नों को हटाने का सकल्प किया। केन्द्रीय मंत्रिमडल की स्वीकृति से सौराष्ट्र में महमूद गजनवी द्वारा तोडे गए भगवान सोमनाथ के मदिर का पुनर्निर्माण कराया। मदिर का उद्‌घाटन राष्ट्रपति श्री राजेन्द्र प्रसाद जी ने किया।

२२-२३ दिसम्बर १६४६ की रात को फैजाबाद के जिलाधीश श्री कृष्ण कुमार नैयर के काल मे अयोध्या मे जन्मभूमि पर श्रीराम की मूर्ति विराजमान हुई, जिसकी पूजा सरकार द्वारा नियुक्त पुजारी प्रतिदिन दोनो समय आज भी करते हैं।

१६४६ मे वहाँ श्री गोविन्दवल्लभ पन्त के मुख्य मंत्रित्व काल मे लोहे के सरिए लगाकर उस पर ताला लगाया गया, किन्तु पूजन प्रतिदिन होता रहा।

१६६४ में जन्माष्टमी के दिन विश्व हिन्दू परिषद की स्थापना सादीपनी आश्रम मे धर्माचार्यों द्वारा की गई।

७-८ अप्रैल, १६८४ को दिल्ली मे आयोजित प्रथम धर्मसंसद मे देश भर से सभी सम्प्रदायो के ५२८ सन्त पधारे। सभी ने एकमत से श्रीराम जन्मभूमि की मुक्ति का निर्णय लिया।

२५ सितम्बर, १६८४ को 'राष्ट्र चेतना जाग्रत करने के उद्देश्य से' सीतामढी (बिहार) से श्रीराम जानकी रथ यात्रा प्रारम्भ हुई।

६ अक्टूबर, १६८४ को हजारो संतों और लाखो राम भक्तो द्वारा सरयूतट पर अयोध्या मे संकल्प लिया गया और लखनऊ तक पद यात्रा की गई। विशाल धर्मसभा मे अवैध ताला खोलने की माँग की गई।

८ अक्टूबर, १६८४ को श्रीराम जानकी रथ यात्रा अयोध्या से लखनऊ को चली।

१४ अक्टूबर, १६८४ को लखनऊ मे यात्रा का अभूतपूर्व स्वागत हुआ और एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। उसी दिन एक प्रतिनिधि मण्डल उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री से जन्मभूमि की मुक्ति के सम्बन्ध में मिला।

१६ अक्टूबर, १६८४ को श्रीराम-जानकी रथ की दिल्ली यात्रा प्रारम्भ हुई किन्तु ३१ अक्टूबर १६८४ को इन्दिरा जी की निर्मम हत्या के कारण कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया।

२६ मार्च, १६८५ को ५० लाख राम भक्तों के बलिदानी जत्थे तैयार करने का निर्णय लिया गया।

१८ अप्रैल, १६८५ रामनवमी तक ताला नही खुला तो महंत रामचन्द्रदासजी आत्मदाह करेंगे, ऐसी ऐतिहासिक घोषणा की गई। आन्दोलन को विश्वव्यापी बनाने की योजना तैयार की गई।

२३ अक्टूबर, १६८५ विजयादशमी से पुन. रथ यात्राओं को प्रारम्भ किया गया।

३१ अक्टूबर, १६८५ को उडुप्पी (कर्नाटक) मे द्वितीय धर्मससद अधिवेशन और सन्त सम्मेलन मे ८५१ सत पधारे जिन्होंने भावी सघर्ष की योजना बनाई।

१८ दिसम्बर, १६८५ को "बजरग दल" द्वारा उत्तर प्रदेश बन्द का आह्वान किया गया।

१६ जनवरी, १६८६ को सम्पन्न उत्तर प्रदेश के संतों के सम्मेलन मे महा-शिवरात्री से सघर्ष प्रारम्भ करने की घोषणा की गई।

१ फरवरी, १६८६ को फैजाबाद के जिला न्यायालय ने ताला खुलवा दिया। देश भर मे प्रसन्नता की लहर फैली।

ताला खुलने के बाद श्रीराम जन्मभूमि मदिर पर निर्माण आदि के लिए श्रीराम जन्मभूमि न्यास का गठन हुआ।

१४ फरवरी, १६८६ को मुसलमानों ने विरोध मे काला दिवस मनाया। कश्मीर मे १०० मदिर नष्ट कर दिए गए।

जनवरी, १६८७ मे शहाबुद्दीन के नेतृत्व मे बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने गणतत्र दिवस के बहिष्कार की घोषणा की। संविधान का विरोध किया गया और वोट क्लब, दिल्ली मे सभा का आयोजन किया गया।

१६८७ मे उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जानकी रथो की यात्रा को प्रति-बन्धित किया।

१६८७ मे देश भर मे श्रीराम जन्मभूमि मुक्ति समितियों का गठन किया गया।

जुलाई १६८८ मे हरिद्वार सन्त सम्मेलन मे मार्चो का डटकर विरोध करने का निर्णय हुआ।

१२ अगस्त, १६८८ को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी द्वारा अयोध्या में मिनी मार्च और २२ अक्टूबर को लॉग मार्च करके श्रीराम मंदिर पर नमाज पढ़ने की घोषणा की गई।

८ अक्टूबर, १६८८ को बजरंग दल द्वारा लॉग मार्च के विरोध मे उत्तर प्रदेश की समस्त शिक्षा संस्थाएं बन्द कराई गई।

१४ अक्टूबर, १६८८ को लॉग मार्च के विरोध मे उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक बन्द हुआ। दिल्ली मे बजरंग दल द्वारा जामा मस्जिद पर हनुमान चालीसा पढने की घोषणा की गई। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मे भी युवा संस्थाओ द्वारा अपने-अपने क्षेत्र की मस्जिदो मे कीर्तन करने का आह्वान किया गया।

१३ अक्टूबर, १६८८ की रात को शहाबुद्दीन ने बिना शर्त लॉग मार्च का निर्णय वापस लिया।

१ फरवरी, १६८८ को प्रयागराज कुभ मे संत महासम्मेलन, तृतीय धर्मसंकट अधिवेशन मे एक लाख सन्तो द्वारा श्रीराम शिलापूजन व ६ नवम्बर, १६८६ को श्रीराम मंदिर की आधारशिला रखने की घोषणा की गई।

२७-२८ मई, १६८६ को हरिद्वार मे ११ प्रान्तो में सन्तो की बैठक मे निर्णयो की पुष्टि हुई।

१३-१४ जुलाई, १६८६ को अयोध्या मे विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियो मे बजरग शक्ति दीक्षा समारोह सम्पन्न हुआ। इसमे ६००० बजरग दल के कार्यकर्ताओ ने दीक्षा ली।

२६-२७ जुलाई, १६८६ को नागपुर मे देश भर के ऐसे कार्यकर्ताओ की बैठक हुई जो ५-५ प्रखण्ड पुजो के कार्यकर्ताओ को शिला पूजन कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन दे सकते थे।

शिलान्यास कार्यक्रम के विरोध मे बहुत कुछ कहा गया और किया गया। इसमे सरदार बूटा सिंह, नारायणदत्त तिवारी आदि विभिन्न केन्द्रीय और राज्य स्तर के मंत्रियो, श्री कमलापति त्रिपाठी, श्री वी०पी० सिंह आदि राजनीतिक नेताओं ने ही नही, द्वारका के जगदगुरु स्वामी स्वरूपानद जी ने भी परिषद की इस योजना को सफल न होने देने के लिए अपने-अपने स्तर पर प्रयास किए।

सरकारी स्तर पर इसे रोकने के प्रयास चालू रहे। उत्तर प्रदेश सरकार ने १४ अगस्त, १६८६ को प्रयाग उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ से शिला पूजन कार्यक्रमो का निषेध प्राप्त करने का असफल प्रयास किया।

स्वामी स्वरूपानन्द जी द्वारा यहाँ तक कहा गया कि शिलान्यास का मुहूर्त शुभ नही है। दक्षिणायन मे शिलान्यास नही होना चाहिए। काशी की विद्वत् परिषद् से निर्णय कराया गया। उसके अनुसार दक्षिणायन मे शिलान्यास मे कोई

बाधा नहीं बताई गई। साथ ही ६ नवम्बर को १०-१२ बजे से पूर्व भूमि उत्खनन और १० नवम्बर, १९८९ को १-३३ से १-३८ बजे तक शिलान्यास के लिए उत्तम काल बताया गया।

१७ से २२ सितम्बर, १९८९ तक "इन्द्रप्रस्थ धर्म यात्रा" का कार्यक्रम चला। इसमे १८५० साधुओ ने भाग लिया। सन्तगण प्रतिदिन दिल्ली के अलग-अलग क्षेत्रों मे २० से २५ कि०मी० की यात्रा करते थे। भारी तादाद मे जनता उनके दर्शनो और आशीर्वाद पाने के लिए एकत्र होती थी।

२२ सितम्बर, १९८९ को दिल्ली के बोट क्लब की जनसभा मे देश के प्रमुख सन्त उपस्थित थे। इस सभा मे शिला पूजन और शिलान्यास के कार्यक्रम मे बाधा उपस्थित होने पर सरकार को भीषण संघर्ष की चेतावनी दी गई।

तत्कालीन गृहमंत्री श्री बूटा सिंह द्वारा महन्त अवैद्यनाथ जी, महन्त नृत्यगोपाल दास जी, श्री दाऊ दयाल खन्ना श्री अशोक सिंघल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी के घर वार्ता के लिए निमन्त्रित किया गया।

वार्ता के फलस्वरूप परिषद के ३० सितम्बर, १९८९ से होने वाले कार्यक्रमो को सरकारी सुरक्षा और सहयोग देने की सूचना देशभर के पुलिस विभाग को दी गई।

३० सितम्बर, १९८९ से पूर्व घोषित कार्यक्रमानुसार शिलापूजन के कार्यक्रम ग्राम-ग्राम और नगर-नगर में होने लगे।

१३ अक्टूबर, १९८९ को लोकसभा के आकस्मिक अधिवेशन में एक प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया कि सरकार शिलापूजन के कार्यक्रम से सहयोग नही करे। विश्व हिन्दू परिषद से माँग की गई कि वह शिलापूजन कार्यक्रम को रद्द कर दे।

१५ अक्टूबर, १९८९ को श्री तारकुण्डे ने सुप्रीम कोर्ट मे याचिका प्रस्तुत की कि विश्व हिन्दू परिषद द्वारा आयोजित शिलापूजन की यात्राओं पर रोक लगाई जाए।

१६ अक्टूबर, १९८९ को लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई।

१७ अक्टूबर, १९८९ को विहिप द्वारा श्री बूटा सिंह जी से मिलकर स्पष्ट किया गया कि कार्यक्रम किसी भी स्थिति मे स्थगित नही किया जाएगा।

१८ अक्टूबर, १९८९ को श्री राम जेठमलानी की अपील विश्व हिन्दू परिषद के नाम निकाली गई कि शिलान्यास कार्यक्रम हर दशा मे वापस ले लिया जाए।

१८ अक्टूबर, १९८९ को श्रीमती शीला दीक्षित को विहिप ने बता दिया कि वे प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री को सूचित कर दें कि वे अनावश्यक विवाद से बचने के लिए शिलान्यास होने दें।

१८-१९ अक्टूबर, १९८९ को श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति द्वारा

मनोनीत उच्चाधिकार प्राप्त समिति की आकस्मिक बैठक हुई।

११ अक्टूबर, १९८९ दिल्ली के प्रेस क्लब मे महन्त अवैद्यनाथ ने घोषणा की कि शिलान्यास हर परिस्थिति में प्रस्तावित स्थान तथा निश्चित समय पर होगा।

२७ अक्टूबर, १९८९ को उच्चतम न्यायालय ने श्री तारकुण्डे की याचिका पर निर्णय दिया कि धार्मिक जलूस निकालना संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार है। अतः श्रीराम शिलाओ को अयोध्या तक लाना रोका नही जा सकता।

२ नवम्बर, १९८९ को काशी के विद्वान शिलान्यास का स्थान निश्चित करने अयोध्या पहुंचे। इस अवसर पर मंदिर के मुख्य स्थपति श्री चन्द्रकान्त सोमपुरा भी उपस्थित थे। सभी की महमति से विग्रह से १९२ फीट पूर्व दिशा मे एव वहाँ से दक्षिण दिशा मे साढे सत्रह फीट पर स्थान निश्चित हुआ।

२ नवम्बर, १९८९ की साय निश्चित स्थान पर ८ फीट का चतुर्भुज बनाकर लीप कर झण्डा गाड दिया गया।

५ नवम्बर, १९८९ से हजारो की सख्या मे सन्त और महन्त तथा स्थान-स्थान से पूजित श्रीराम शिलाओ से भरे रथ अयोध्या पहुचने लगे।

६ नवम्बर, को १९८९ तत्कालीन प्रधान मत्री, गृहमत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमत्री आदि ने पूज्य देवरहा बाबा से भेंट करके शिलान्यास का स्थान परिवर्तन करने की पेशकश की।

७ नवम्बर, १९८९ को बाबा से वार्ता मे निर्णय हुआ कि जहाँ पर झण्डा लगा दिया गया है वही शिलान्यास होगा।

७ नवम्बर, १९८९ को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की इस रिट पर कि न्यायालय शिलान्यास के स्थान को विवादित बताकर शिलान्यास पर रोक लगाने के आदेश जारी करे, फैसला दिया कि सरकार ही फैसला करे कि यह स्थान विवादित है या नही।

६ से ८ नवम्बर, १९८९ तक अयोध्या मे सरयू तट पर बने विशाल नगर मे सम्पूर्ण देश से भारी सख्या मे आए बजरग दल के कार्यकर्ताओं और सन्तो के जो उद्गार व्यक्त हो रहे थे उससे यह निश्चित था कि ९ नवम्बर को मार्गदर्शक मण्डल के प्रमुख धर्माचार्य, विश्व हिन्दू परिषद के पदाधिकारीगण और १५ हजार कार्यकर्ता गिरफ्तारी देंगे। वातावरण बहुत क्षुब्ध हो गया।

८ नवम्बर, १९८९ को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह घोषित कर दिया गया कि शिलान्यास स्थल विवादित भूमि नहीं है। शिलान्यास स्थल पर लगा पुलिस बल हटा लिया गया। अयोध्या के आकाश पर घिरे विषाद के काले बादल एकदम हट गये।

९ नवम्बर, १९८९ को १०-१२ बजे से पूर्व ही महन्त अवैद्यनाथ जी,

वामदेव जी महाराज, महन्त श्रीरामचन्द्र परमहंस जी उपस्थित हो गए। हजारों दर्शकों के बीच भूमि उत्खनन का कार्य सम्पन्न हुआ।

१० नवम्बर, १९८९ को लाखों की संख्या मे उपस्थित जनता के तुमुलनादों और शंखध्वनियों के बीच ठीक समय पर बिहार के हरिजन बन्धु श्री कामेश्वर चोपाल द्वारा भारत एवं विश्व के लगभग हर देश के ४५० प्रेस-प्रतिनिधियों के समक्ष प्रथम शिला रखी गई। बाद मे विभिन्न सन्तों-महन्तों की २०० शिलाओं से शिलान्यास का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। ठीक १.३५ बजे अयोध्या की ओर मुंह करके सम्पूर्ण देश मे पुष्पांजलि अर्पित की गई।

१० नवम्बर, १९८९ की रात्रि को मार्गदर्शक मण्डल की बैठक मे विचार हुआ कि शिलान्यास कार्यक्रम की स्वाभाविक परिणति निर्माण में होनी है और इस निर्माण कार्य के लिए कार सेवा हेतु ११ नवम्बर, १९८९ को संतगण जाएं। यदि रोका गया तो देश मे होने वाले चुनाव को ध्यान मे रखकर सत्याग्रह जैसा कठोर कदम न उठाए।

११ नवम्बर, १९८९ को ७ हजार से ऊपर सन्त और गृहस्थ सरयू तट से कुदाल, फावडा आदि लेकर चले। जन्मभूमि पर जब निर्माण कार्य जिलाधीश की आज्ञा से रोका गया तो संतगण वापस आ गए।

२७-२८ जनवरी, १९९० को प्रयाग मे आयोजित सन्त सम्मेलन मे १४ फरवरी, १९९० के दिन शुभ मुहूर्त निकाल कर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की घोषणा की गई। साथ ही ६ फरवरी, १९९० तक बातचीत के लिए द्वार खुला रखा गया।

६ फरवरी, १९९० को प्रधानमंत्री ने श्रीराम जन्मभूमि यज्ञ समिति की सर्वाधिकार समिति के सदस्यों को वार्ता के लिए बुलाया। वार्ता के पश्चात् प्रधानमंत्री ने अपने सहयोगियों से चर्चा करने के लिए समय माँगा। बाद मे गृह सचिव ने सूचित किया कि प्रधानमंत्री ने समस्या के समाधान के लिए कुछ और समय माँगा है तथा इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति गठित करना स्वीकार कर लिया है।

सरकार के रुख से समिति सन्तुष्ट नहीं थी। अतः सत्याग्रह की तैयारी उ०प्र० मे सब प्रकार से पूर्ण हो गई। इधर प्रधानमंत्री ने एक वक्तव्य दिया कि वे ४ माह मे समस्या का समाधान निकालने का विश्वास रखते हैं।

दिल्ली मे उपस्थित सर्वाधिकार समिति के सदस्यों की बैठक हुई। निश्चय किया गया कि ८ फरवरी, १९९० को समिति की आपात् बैठक बुलाई जाए। बैठक से पूर्व प्रधानमंत्री से मिलकर समस्या के समाधान की आशा का आधार समझ लिया जाए।

८ फरवरी १९९० को समिति के दिल्ली में उपस्थित सदस्य प्रधानमंत्री से

मिलने गए। प्रधानमंत्री ने अपना ४ मास मे समस्या के निदान का विश्वास दोहराया। इस विश्वास ने समिति के सदस्यों को उनकी अपील पर पुनः विचार के लिए प्रेरित किया।

६ फरवरी, १९९० को सर्वाधिकार समिति की दिल्ली मे हुई आपात् बैठक में यह सोचकर कि जो समस्या ४५० वर्षों से उलझी हुई है उसके लिए ४ मास और प्रतीक्षा की जा सकती है, प्रधानमंत्री की अपील को स्वीकार कर लिया गया।

२८ मार्च को मदिर निर्माण की तिथि के बारे मे विश्व हिन्दू परिषद ने सरकार को अल्टिमेटम दिया।

१ मई को जन्मभूमि विवाद के रगमच पर एक नए पात्र का प्रवेश हुआ। द्वारकापीठ के शकराचार्य स्वरूपानद, जो वि०हि०प० के झडे से अलग खड़े होकर, शास्त्रीय आधार के साथ आज निर्माण कार्य शुरू करना चाहते थे। उन्हे गिरफ्तार कर लिया गया। प्रतिक्रिया मामूली रही। ६ मई को उन्हें रिहा कर दिया गया।

७ जून को राम-जन्मभूमि-बाबरी-मस्जिद आन्दोलन से सबधित पक्षों की उच्च स्तरीय वार्ता फिर शुरू हुई। लेकिन ३१ जुलाई तक वह विफल हो ग । २४ जून को मदिर-निर्माण के लिए कारसेवा-समिति बनी। २५ ता० से सत्याग्रह की तैयारी शुरू हुई। उधर बाबरी मस्जिद की रक्षा के लिए भी समिति बनी। ३१ जुलाई को गृहमत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति मे विवाद को लेकर सासद डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी और डॉ० विजयकुमार मलहोत्रा में तीखी झडप हुई। डॉ० स्वामी ने मांग की कि सरकार हिन्दू नेताओ को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून मे गिरफ्तार करे। डॉ० मलहोत्रा ने इस पर चुनौती देते हुए कहा कि जन्मभूमि स्थल पर मदिर बनाने से कोई रोक नहीं सकता। स्मरणीय है कि डॉ० स्वामी कभी सघ के स्वयसेवक तथा भा०ज०पा० कार्यकारिणी मे रह चुके हैं किन्तु जनता पार्टी मे भाजपा घटक के अलग होते समय वही बने रहे।

प्रधानमंत्री वी०पी० सिंह ने २ अगस्त को बैठक बुलाई। लेकिन दोनो पक्षो ने उसकी उपेक्षा की। उत्तर प्रदेश जनता दल ने फैसला किया कि वह अयोध्या मे मदिर निर्माण को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। वि०हि०प० द्वारा दी गई चुनौती से सरकार के साथ-साथ जनता दल का सगठन भी निपटेगा। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष व मुख्यमंत्री मुलायम सिह की अध्यक्षता मे यह निर्णय लिया गया।

५ अगस्त को विहिप महासचिव अशोक सिंघल ने घोषणा की कि परिषद पूरे देश मे पाच हजार वाहिनी (ब्रिगेड) तैयार करेगी। मदिर-निर्माण मे सरकार ने बाधा खड़ी की तो ये वाहिनियां गिरफ्तारी देंगी। प्रत्येक वाहिनी मे १०१ व्यक्ति

होंगे। ये लोग ३० अक्तूबर से पहले अयोध्या पहुंच जायेंगे—जहाँ उस दिन से कारसेवा शुरू होनी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने विरोध किया तो आंदोलन अयोध्या तक सीमित नहीं रहेगा।

केन्द्र में वार्ता विफल हो जाने के बाद उ० प्र० के पुलिस और गुप्तचर तंत्र को मुस्तैद किया गया। गुप्तचरों की खबर यह थी कि यदि २६ सितम्बर, ६० (विजयादशमी) से प्रारभ होने वाली साधु संतों की विजय यात्राएं निकलीं तो उसी प्रकार दंगे भड़केंगे जैसे ८५-८६ में रामजानकी रथों के निकलने पर भड़के (या भड़काए गए) थे। गुप्तचरों की रपट यह भी थी कि इस बार विजय यात्राओं पर बड़े पैमाने पर जवाबी हमले होंगे। इस दौरान सरकार को डावाडोल करने की कोशिश कुछ राजनैतिक दल करेंगे।

इस पर प्रदेश सरकार ने विजय-यात्राओं पर प्रतिबंध लगाना तय किया। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भाजपा के बड़े नेताओं और जिलों-तहसीलों में सक्रिय जुझारू हिन्दूवादी नेता और कार्यकर्ताओं की सूची भी तैयार की। सूची में उन लोगों का नाम था, जो समय-समय पर संघर्ष करते रहे हैं, और जेल जाने का भी हौसला रखते हैं।

२० सितम्बर के आसपास संघ के सरकार्यवाह प्रो० राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया, राम जन्मभूमि मुक्ति समिति अध्यक्ष सासद महंत अवैद्यनाथ, उच्च-न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश देवकीनंदन अग्रवाल, वि० हि० प० के कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुहरि डालमिया, महासचिव अशोक सिंघल, संत संघर्ष समिति प्रमुख स्वामी चिन्मयानंद, वि० हि० प० के प्रदेश अध्यक्ष श्रीशचंद्र दीक्षित, रा० स्व० संघ के बौद्धिक प्रमुख एच० वी० शेषाद्रि, महंत नृत्य गोपाल दास आदि लोगों को बंदी बना लेने की योजना तैयार की गयी। ये सारी गिरफ्तारियाँ उ० प्र० सीमा में जो जहां है—जैसे है के आधार पर होनी थी।

२६ सितम्बर ६० से संतों और परिषद के नेताओं के नेतृत्व में सौ प्रमुख धर्म स्थानों व महत्वपूर्ण शहरों से विजय यात्राएं अयोध्या के लिए रवाना होनी थी। इन्हें रोकने के लिए एहतियान के तौर पर शालीनता के साथ, उक्त संगठनों के अलावा, कार सेवा समिति, धर्मस्थान मुक्तियज्ञ समिति, राम जन्मभूमि मन्दिर पुनरुद्धार न्यास, हिन्दू जागरण मंच, बजरंग दल, शिवसेना, विश्व हिन्दू अधिवक्ता संघ, मन्दिर निर्माण समर्थक भारतीय मुस्लिम युवा सम्मेलन के प्रमुख कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी होनी थी। साथ ही बाबरी मस्जिद एक्शन कमिटी के उन जुझारू लोगों की भी सूची तैयार हुई, जो परिषद के कार्यक्रमों को देखते हुए कुछ उपद्रव कर सकते थे या कोई जवाबी कार्यक्रम बना सकते थे।

उक्त नेताओं के कार्यक्रमों व दौरों पर सरकारी गुप्तचरों की पैनी नजर थी। उधर हिन्दू नेता तीन बातों पर अडिग थे, एक—मंदिर निर्माण की तिथि सिर्फ

युद्ध की स्थिति मे टाली जायेगी। दो—प्रस्तावित शिलान्यास स्थान और मन्दिर के नक्शे मे कोई फेरबदल नहीं होगा, जहां इस समय मूर्तिया रखी हैं। इन तीनो कार्यक्रमो को पूरा करने का निर्णय वृन्दावन मे सतो ने लिया। गुप्त बैठक मे यह तय किया गया कि सरकार हिंसा पर उतरी तो गुरिल्ला शैली से निपटा जाये।

इस बीच बजरगदल ने अपने सभी कार्यकर्ताओ को निर्देश दिया कि वे स्वतन्त्रता दिवस को चेतावनी दिवस के रूप मे मनाए। इस दिन रात नौ बजे से सवा नौ बजे तक सारे देश के हिन्दू अपने घर की छतो पर घटा घड़ियाल शख बजाकर सरकार को चेतावनी देंगे, कि मन्दिर बना तभी हम मानेंगे कि देश असली मायने मे स्वतत्र हुआ है।

भारतीय मुस्लिम युवा सम्मेलन के अध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने सौ राष्ट्रवादी मुसलमानो के साथ कार सेवा मे हिस्सा लेने की घोषणा पहले ही कर दी थी।

८ अगस्त को डॉ० स्वामी ने माँग की कि रासुका के तहत विश्व हिन्दू परिषद पर रोक लगे तथा बड़े सघ नेताओ की गिरफ्तारी हो।

राज्यसभा मे 'विशेष उल्लेख' के तौर पर बोलते हुए उन्होंने यह माँग की व विहिप के 'फासिस्ट व हिन्दू विरोधी' नजरिए पर चिन्ता जताई। उन्होंने कहा कि हिन्दुओ की सहिष्णुता की परपरा के मुताबिक इस बारे में व्यापक राष्ट्रीय सहमति है कि विवाद समझौता वार्ता अथवा अदालतो के जरिए तय हो। मुस्लिम लीग ने भी इस नजरिए को माना है। विहिप के नजरिए को चारो शकराचार्य तक नामजूर कर चुके हैं, इसलिए उस पर दो साल के लिए प्रतिबध लगाया जाए।

११ अगस्त को प्रधानमत्री वि० प्र० सिंह ने मुस्लिम नेताओं और बुद्धिजीवियो की एक राष्ट्रीय गोष्ठी को सबोधित करते हुए कहा कि सरकार विवाद पर न्यायालय के फैसले को अतिम रूप से मानेगी। न्यायालय का आदेश चाहे अतरिम हो या अतिम, सरकार उसका पालन करेगी। यहा न्यायपालिका का स्थान सरकार से ऊपर है। जहाँ दो धर्मों के लोग एक बिन्दु पर मतान्तर रखते हों, वहा दोनो समुदायो की भावना को बिना ठेस पहुचाए कोई हल निकालने का सही रास्ता, न्यायालय का निर्णय है, इसे मानना होगा। ऐसी स्थिति न्यायपालिका के लिए भी एक चुनौती है। अगर एक बार जनता ने न्यायपालिका मे विश्वास खो दिया तो उसकी दूरगामी प्रतिक्रियाए होंगी।

१४ अगस्त को विवाद का समाधान तलाशने के लिए केन्द्र सरकार ने अखिल भारतीय बाबरी सघर्ष समिति को वार्ता के नये दौर का निमत्रण भेजा। गृह राज्यमत्री सुबोधकात सहाय ने चर्चा के लिए १७ अगस्त तारीख तय की। वार्ता के पिछले दौर में सघर्ष समिति ने उसमे भाग नही लिया था। समिति बैठक मे

भाग लेने पर राजी हो गई। एक्शन कमेटी के उपाध्यक्ष—सैयद अहमद बुखारी ने कहा कि देशभर से लगभग १५ सदस्य बैठक मे भाग लेंगे।

बैठक में इन मुस्लिम नेताओं ने सुझाया कि सरकार पाँच बड़े धार्मिक नेताओं की एक समिति को विवाद का हल सुझाने का काम सौंप दें। इसमें हिन्दू और मुस्लिम दोनो धर्मों के प्रतिनिधि हो। उन्होंने विहिप के प्रतिनिधियों से सीधे बातचीत की तैयारी बताई बशर्ते कि वे खुले मन से बात कर रास्ता निकालें। उन्होंने प्रस्ताव किया कि अगर मुस्लिम नेता राम जन्मभूमि स्थान पर मन्दिर निर्माण में सहयोग देते हैं तो वे हिन्दू नेताओ से अपील करेंगे कि वे श्रीकृष्ण जन्म-भूमि और काशी विश्वनाथ मन्दिर पर बनी मस्जिदों को हटाने का आग्रह छोड़ दें।

२३ अगस्त को अयोध्या के ८० वर्षीय महंत परमहंस रामचन्द्र दास ने अपना ४० साल पुराना मुकदमा वापस लेने की पेशकश कर विवाद मे एक नाटकीय मोड सा लाने की कोशिश की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विशेष खण्डपीठ के सामने पेश अपनी अर्जी मे उन्होंने कहा कि प्राथमिक मुद्दों के आधार पर मामले का निर्णय किए जाने संबंधी आवेदन नामन्जूर होने से, उन्हें इस मुकदमे के जल्द निपटने की आशा अब नहीं रही। जब मैंने दावा पेश किया था तब मेरी आयु ४० साल थी। अब मैं ८० बरस का हो गया हूँ। अब मेरे जीवन में शीघ्र निर्णय की आस टूट गई है, इसलिए मैं अदालत से अपने वाद सख्या २५ सन १६५०, नया नम्बर २, सन १६८६ को अनिर्णीत वापस लेने की इजाजत चाहता हूँ।

२५ अगस्त को प्रधानमंत्री के आह्वान का जवाब देने के अन्दाज मे विहिप ने भारत सरकार से अपील की कि वह राम जन्मभूमि निर्माण के 'ऐतिहासिक आन्दोलन' मे सहयोगी बने। इसके साथ ही परिषद ने मन्दिर पुनरुद्धार की कार्य-योजना घोषित कर दी। विहिप ने तिहरी रणनीति अपनाई। एक तरफ वह सरकार से हो रही बातचीत मे शरीक थी तो दूसरी तरफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विशेष पीठ मे मुकदमा भी लड रही थी। इन दोनो पर उसे पूरा भरोसा नही था। अत: इन मोर्चों और मंचो से अलग हुए बिना उसने तीसरा विकल्प जन आन्दोलन का भी खुला रख छोडा था। अब इसे उसने 'राम जन्म-भूमि पुनरुद्धार आन्दोलन' का नया नाम दे दिया।

विहिप के महासचिव ने बताया कि "पुनरुद्धार की कार सेवा पूजा का अग है। हिन्दू समाज का यह अधिकार है। उसे कोई सरकार नहीं रोक सकती। विहिप की कार्ययोजना के अनुसार व्यापक और गहन जन सम्पर्क किया जायेगा। इसके एक चरण में नवदुर्गा के दिन १६ सितम्बर को श्रीराम ज्योति जलाई जायेगी। हर ज्योति एक रथ मे रखी जायेगी। एक ज्योति काशी विश्वनाथ की ओर तो दूसरी मथुरा की ओर ले जाने की योजना है।

"१२ अक्टूबर से १८ अक्टूबर तक यह ज्योति प्रदान सप्ताह मनाया जायेगा। उसी दौरान ११ से १५ अक्टूबर तक विभिन्न शिविरो मे कार-सेवको के 'वाहिनीप्रमुखो' को प्रशिक्षित किया जायेगा। एक वाहिनी मे १०० कार सेवक होगे। ऐसी ५००० वाहिनियाँ बनेंगी।"

श्री सिंघल और श्रीशचन्द्र दीक्षित ने दावा किया कि उनके आन्दोलन से शाति भग नही होगी। वे लोग शाति भग कर सकते हैं, जो इसके खिलाफ हैं। सरकार उन्हें रोके। महत रामचद्र दास द्वारा मुकदमा वापस लेने के बारे मे उन्होने कहा कि 'न्याय मे देर का अर्थ है, न्याय से इन्कार। हमारी धारणा पक्की हो रही है कि हमे इन्साफ नही मिल रहा है। अदालत के फैसले के इन्तजार की अपील (प्रधानमत्री की) अत्यत भ्रामक है।

"इसके कारण मे एक नया ही वैध मुद्दा उन्होने प्रस्तुत किया, "अदालत मे राम जन्मभूमि मन्दिर के देवता के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है जब कि कानूनन देवता ही उस सपत्ति का अधिकारी एव मालिक है। जब तक देवता को मुकदमे मे एक पक्ष नही बनाया जाता, तब तक अदालत का कोई भी फैसला उस पर लागू नही हो सकता। इन्साफ मे देर और देवता का मुकदमे से बाहर रहना, ये दो कारण हैं, जिससे महत रामचन्द्र दास ने मुकदमा वापस लेकर सरकार को एक सबक सिखाया है।"

इसी दिन मुस्लिम लीग के एक प्रतिनिधिमण्डल ने प्रधानमत्री से भेंट कर माग की कि विश्व हिन्दू परिषद पर रोक लगाई जाए। प्रतिनिधि मण्डल मे श्री बनातवाला और इब्राहिम सुलेमान सेठ थे।

भाजपा नेता कलराज मिश्र ने दोहराया कि भाजपा विश्व हिन्दू परिषद के साथ है। भाजपा भी अपने कार सेवक अयोध्या भेजेगी। कार सेवको की भर्ती के काम मे भाजपा पूरा सहयोग देगी। उन्होने यह भी कहा कि मुलायम सिंह यादव को राममन्दिर के निर्माण का विरोध छोडकर कार सेवक बनकर अयोध्या जाना चाहिए।

३० अगस्त को, अयोध्या मे प्रस्तावित राम मन्दिर के निर्माण के लिए विहिप द्वारा विदशो से अनुदान स्वीकार करने के लिए अनुमति देने का आवेदन भारत सरकार ने ठुकरा दिया। गृह राज्यमत्री सुबोधकान्त सहाय ने लोकसभा मे बताया कि मन्दिर निर्माण स्थल विवादास्पद होने और पूरा मामला न्यायालय मे विचाराधीन होने के कारण अनुदान स्वीकार करने की अनुमति देना उचित नही समझा गया।

१ सितम्बर को भाजपा विधायको की लखनऊ में हुई बैठक मे कार सेवा आदोलन तथा सितम्बर के निर्माण अभियान की विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई। इस कार्यक्रम को देखते हुए अन्य सभी कार्यक्रम रोक दिए गये। उ० प्र० भाजपा

नेता कल्याण सिंह कालवी के अनुसार "जन-जागरण अभियान गाँवों, कस्बो में बहुत तेजी से चल पडा है। सितम्बर के अंतिम सप्ताह तक हर न्याय पंचायत में इस अभियान के तहत् सम्मेलन कर दिए जाएगे। कार सेवा की भी भर्ती का कार्यक्रम जोर पकड रहा है। विधायक और सांसद भी कार सेवा मे शामिल होगे।"

१२ सितम्बर को दिल्ली मे भारतीय जनता पार्टी ने मन्दिर मे निर्माण के लिए जन-आदोलन चलाने का निर्णय लिया। पार्टी अध्यक्ष श्री लालकृष्ण अडवाणी द्वारा राम जन्मभूमि और इससे संबधित मुद्दो पर भाजपा का दृष्टिकोण समझाने तथा जनमानस को राजनीतिक रूप से शिक्षित करने के लिए गुजरात मे सोमनाथ मन्दिर से अयोध्या तक दस हजार किलोमीटर की रथयात्रा करने की घोषणा की गई। उन्होने कहा कि, "यह यात्रा २५ सितम्बर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से शुरू होगी तथा गुजरात, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और बिहार से होती हुई ३० अक्टूबर को अयोध्या (उ० प्र०) पहुँचेगी।"

उन्होने कहा कि वे रथ के रूप मे सजी जीप मे प्रतिदिन लगभग तीन सौ किलोमीटर यात्रा करेंगे। उन्होने अफसोस जाहिर किया कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने विवाद को सुलझाने के लिए कोई गम्भीर प्रयास नही किया।

उसी दिन लखनऊ मे भाजपा ने उ० प्र० मे १ लाख कार सेवको की भर्ती करना तय किया। पार्टी के महामत्री प्रो० रामनदन सिंह ने बताया कि यह सख्या आर० एस० एस० व विश्व हिन्दू परिषद द्वारा की जा रही भर्ती के अतिरिक्त होगी। इन सभी को ३० अक्टूबर को अयोध्या पहुँचने के लिए कहा जायेगा।

मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी ने रथयात्रा का विरोध घोषित किया। इसे उसने 'भडकाने वाला कदम' बताया।

बजरगदल ने दो लाख कार सेवक भेजने का फैसला किया। 'वे त्रिशूल, तलवार व डडे से लैस होगे।' उधर अयोध्या से राम ज्योति यात्राएं देश के प्रमुख नगरो के लिए रवाना हो गई।

उ० प्र० सरकार ने पारम्परिक चौदहकोसी तथा पंचकोसी धार्मिक परिक्रमाओ पर रोक लगा दी। केन्द्र सरकार से आर० पी० एफ० की और अधिक कम्पनियो की माँग भी की।

१५ सितम्बर को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने श्री आडवाणी से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। उसने एक वक्तव्य में कहा कि इससे विहिप नेताओं का कट्टरपन बढेगा जबकि उन जैसे राष्ट्रीय महत्व के नेता को उनके कठोर रवैये को नर्म बनाने का प्रयास करना चाहिए।

१४ सितम्बर को श्री आडवाणी ने मोर्चा सरकार को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि वह यह मान कर न चले कि हमारा समर्थन मिलता ही रहेगा।

विवाद पर धार्मिक नेताओं की बैठक बुलाने का सरकार ने विचार किया। गृह मंत्रालय ने काची कामकोटि पीठ के शकराचार्य के इस प्रस्ताव का स्वागत किया कि दोनों धर्मों के नेताओं की बैठक हो। प्रमुख मुस्लिम नेताओं ने भी इसका स्वागत किया। १५ सितम्बर को शाही इमाम मौलाना सैयद अब्दुला बुखारी ने आपसी बातचीत के इस सुझाव का समर्थन किया।

तत्कालीन जनता दल के दिग्गज नेता चन्द्रशेखर ने कहा कि मंदिर बनाने की योजना इस प्रकार बनाएं जिससे बाबरी मस्जिद सुरक्षित रहे। भाजपा नेतागण अपने प्रभाव से यह सभव बनाएं।

१७ सितम्बर को राजधानी के कई बुद्धिजीवियों ने प्रस्तावित रथयात्रा को 'असामयिक' बताया। उन्होंने कहा कि 'पजाब, कश्मीर और असम' के मौजूदा हालात देखते हुए यह राष्ट्र की एकता व अखण्डता को नुकसान पहुँचा सकती है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने प्रधानमंत्री श्री वी०पी० सिंह, उ० प्र० के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह तथा अन्य पक्षों को पचकोसी परिक्रमा के बारे में नोटिस जारी किया। यह नोटिस महर्षि अवधेश द्वारा दायर जनहित याचिका पर जारी किया गया, जिसमें इन व्यक्तियों को अयोध्या में पचकोसी परिक्रमा को प्रतिबंधित करने से रोकने के लिए अनुरोध किया गया था।

१८ सितम्बर को राष्ट्रीय एकता परिषद की उच्चस्तरीय समिति ने राय जाहिर की कि विवाद में अदालत के फैसले का सम्मान होना चाहिए और अदालती प्रक्रिया में जल्दी होनी चाहिए।

मन्दिर निर्माण के प्रश्न पर विहिप के आर० एस० एस० और गैर आर० एस० एस० विचारधारा वाले पदाधिकारियों में मतभेद के फलस्वरूप परिषद के उपाध्यक्ष श्री देवकीनंदन अग्रवाल ने पदत्याग की इच्छा व्यक्त की। भूतपूर्व न्यायाधीश श्री अग्रवाल विहिप में गैर सघीय धारा के प्रतिनिधि और विहिप के कानूनी सलाहकार रहे हैं। वे अदालतों में परिषद का पक्ष प्रस्तुत करते रहे हैं। उनकी धारणा है कि अदालतों में विलम्ब भले ही हो रहा हो, लेकिन देश की न्यायव्यवस्था से आस्था हटा लेना देश और समाज के लिए घातक होगा। न्याययुद्ध में अततः विजय परिषद के पक्ष की ही होगी क्योंकि सत्य हमारे साथ है और कानून को हाथ में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।

१८ सितम्बर को ही पंडित परमहंस रामचन्द्र दास को अपना मुकदमा वापस लेने की अनुमति मिल गयी।

१९ सितम्बर को श्री देवकीनंदन अग्रवाल ने 'मतभेद' सम्बन्धी समाचार का खण्डन करते हुए बताया कि उन्होंने मतभेद के कारण इस्तीफा नहीं दिया है।

अदालती प्रक्रिया मे शरीक होने के कारण यह कदम जरूरी था, क्योंकि उससे भ्रम पैदा हो रहा था। वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय मे निजी हैसियत से रामजन्मभूमि का मुकदमा लड रहे हैं।

१९ सितम्बर को श्री आडवाणी ने साम्प्रदायिक सद्भाव पर राष्ट्रीय एकता परिषद् की उप-समिति की बैठक की कार्यवाई सम्बन्धी सरकारी विज्ञप्ति का खंडन किया। उन्होने कहा कि विज्ञप्ति मे भाजपा के दृष्टिकोण को पूरी तरह से भ्रामक रूप मे प्रस्तुत किया गया है। पार्टी का दृष्टिकोण है कि अयोध्या जैसे विवाद का फैसला मुकदमे के द्वारा नही हो सकता। न्यायालय केवल स्वामित्व अथवा अतिक्रमण इत्यादि के मामने ही निपटा सकते हैं। वे यह सुनिश्चित नही कर सकते कि क्या अयोध्या मे सोलहवीं शताब्दी के दौरान वह मन्दिर था या नही जो बाबर ने गिरा दिया था, या फिर क्या उसके स्थान पर मस्जिद का निर्माण किया गया था तथा यदि ऐसा था तो उसके बारे में क्या किया जाना चाहिए।

एक बयान मे उन्होने कहा, "हमारे पालमपुर के प्रस्ताव में भाजपा ने सरकार से आग्रह किया था कि वह अयोध्या के सम्बन्ध मे भी वही सकारात्मक रवैया अपनाए जो नेहरू सरकार ने सोमनाथ के बारे में अपनाया था। लोगों की भावनाओ का आदर करते हुए राम जन्मस्थान को हिन्दुओं को सौंप दिया जाये। यदि सभव हो तो समाधान बातचीत द्वारा कराया जाए या कानून बनाकर। मुकदमेबाजी निश्चय ही इसका कतई समाधान नही है। पार्टी के इस दृष्टिकोण मे कोई परिवर्तन नही हुआ है।

"हमे खेद है कि सरकार जो लगातार न्यायालय के निर्णय की बात करती रही, न्यायालय द्वारा मामले को शीघ्रता से निपटाने मे पूरी तरह विफल रही। इलाहाबाद उच्च न्यायालय मे विहिप के कुछ प्रतिनिधियों ने सविस्तार तर्क दिये थे कि क्यों यह मामला इस योग्य ही नही कि इसे आगे चलाया जाये।"

२० सितम्बर को श्री अटलबिहारी वाजपेयी ने परिषद की उच्चाधिकार प्राप्त सद्भाव समिति से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सरकार के तौर-तरीके के विरोध मे यह कह कर इस्तीफा दिया कि सरकार ने समिति की सिफारिशों को उजागर कर और उनकी गलत व्याख्या कर सहमति को तोडा है।

उसी दिन केन्द्रीय गृहमंत्री मुफ्ती मुहम्मद सईद ने यमुनापार करावल नगर मे एक जन सभा मे कहा कि मन्दिर बनाने के नाम पर सरकार किसी भी तरह की हिंसक कार्रवाई सहन नहीं करेगी।

भाजपा ने २२ सितम्बर से मद्रास में होने वाली एकता परिषद की बैठक का बहिष्कार किया। सुभाषिनी अली और रोमिला थापर ने वाजपेयी जी के इस्तीफे को अनौचित्यपूर्ण बताया। बैठक में अदालती फैसला शीघ्र कराने का प्रस्ताव

सर्वसम्मति से पास हुआ। बैठक मे भाजपा के मुद्दे पर चन्द्रशेखर व राजीव गांधी का रुख समान था। उनकी नजर में भाजपा द्वारा बहिष्कार राजनीतिक भेदभाव और सरकार की छीछालेदर का एक ढंग था। शहाबुद्दीन ने परिषद प्रस्ताव का स्वागत किया।

२४ सितम्बर को केन्द्र सरकार ने उ०प्र० मे सुरक्षा बलो की १८० कंपनियां भेजने की घोषणा की। भाजपा अध्यक्ष ने अहमदाबाद मे समर्थन वापस लेने की धमकी दोहराई।

२५ सितम्बर को सोमनाथ मन्दिर प्रागण (प्रभास पाटण, जिला जूनागढ, गुजरात) से आडवाणी जी ने मन्त्रोच्चार के बीच रथयात्रा आरम्भ की। उन्होने जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा, "राम और रामायण किसी धर्म-विशेष के नही बल्कि समूची भारतीय सस्कृति के प्रतीक है। जब इण्डोनेशिया का मुसलमान अपनी सस्कृति का सम्मान करते हुए रामायण और राम का सम्मान कर सकता है तो भारतीय मुसलमान क्यो नही करता ?" स्वय ही इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि "राम मन्दिर का विरोध भारत का सच्चा मुसलमान नही कर रहा है बल्कि वे कुछ लोग कर रहे हैं जो अपनी राजनीतिक महत्वाकाक्षा को पूरा करने के लिए धर्म का भी इस्तेमाल करने मे महारत हासिल कर चुके हैं।'

"सोमनाथ - अयोध्या रथयात्रा से राष्ट्रीयता का भावना उसी ढग से मजबूत होगी जिस ढग से स्वतत्रता सघर्ष के दौरान महाराष्ट्र मे आयोजित गणेशोत्सव से हुई थी। अगर छद्म एव विकृत धर्मनिरपेक्षतावादी बीच से हट जाए तो आज भी इस समस्या का समाधान सभव है। वर्तमान कश्मीर समस्या भी विकृत धर्म-निरपेक्षता की देन है।"

"*धर्म निरपेक्षता दूसरे धर्मवालों को भावनाओं को सहन करने तक सीमित* नहीं है। उसका अर्थ है उनकी भावनाओ का सम्मान भी करना। भाजपा ने वोट या चुनावो मे किसी किस्म के फायदे के लिए यह मुद्दा नही उठाया है। उसके लिए यह मुद्दा कही अधिक व्यापक और गभीर है।" भाजपा के उपाध्यक्ष सिकन्दर बख्त ने कहा, "जो लोग राम मन्दिर को हिन्दुओ का सवाल बताते हैं, वे झूठ बोलते हैं। जिस प्रकार सोमनाथ पर हुए हमले से समूचे हिन्दुस्तान की रूह जख्मी हुई थी, ठीक उसी ढग से किसी बाबर या उसके किसी सिपहसालार द्वारा मंदिर के स्थान पर मस्जिद बना देने से हुई तथा जैसे सोमनाथ का मन्दिर फिर से बना है, वैसे ही राम मन्दिर भी बनना चाहिए।"

दूसरे दिन श्री आडवाणी ने कहा, "हम भी देखते हैं कि कौन रोकता है यह *रामरथ। और अगर यह रथ रोक भी लिया गया तो भारत की जनता का रथ* कौन रोकेगा ?... लेकिन हमे यह लड़ाई तलवार से नही, बलिदान और त्याग से

लड़नी है।... हमे ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है कि इस अभियान से भाजपा को बडा फायदा होगा। किसी राजनीतिक लाभ की खातिर, अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए हमने यह अभियान नहीं छेड़ा है। मुझे ऐसी भी कोई गलतफहमी नहीं कि इससे मेरी छवि बनेगी। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। मैं रहूँ न रहूँ, राम मन्दिर बनेगा और बन कर रहेगा। क्योंकि राम समूचे भारत के अंत.करण मे विद्यमान हैं और यही वजह थी कि महात्मा गाधी ने भी अंग्रेजो को हटाकर कांग्रेस का राज्य स्थापित करने की वजाय रामराज्य की स्थापना की परिकल्पना की थी।"

गुजरात प्रदेश भाजपा के महासचिव नरेन्द्र भाई मोदी ने २ अक्टूबर को कहा कि इस यात्रा से श्री आडवाणी एक लोक लाडले नेता के रूप मे उभरेंगे। हालाँ कि वह इसे इस यात्रा का उपफाल ही मानते हैं। 'इस यात्रा से दो फल मिलने वाले हैं। राम मन्दिर का निर्माण और राष्ट्रीय एकता की परिपुष्टि।'

नव भारत टाइम्स के सवाददाता रमेश गौड़ के अनुसार, "गुजरात मे सोमनाथ से सूरत तक की चार दिवसीय यात्रा को देखते हुए यह बात बिना किसी हिचक के साथ कही जा सकती है कि कल शहरी पार्टी मानी जाती रही भाजपा की पैठ अब दूर-दराज के गांवो तक हो गई है। सूरत नगर का दृश्य तो स्वप्नातीत था। जिसने वह नहीं देखा, वह उस पर आसानी से यकीन नहीं करेगा। लगता था जैसे समूचा नगर ही घर-बार छोड़ कर शहर से ७-८ किलोमीटर दूर से ही सडक के दोनो किनारे आ जुटा है।"

श्री आडवाणी ने दावा किया, "मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में किसी भी आन्दोलन को ऐसा जन-समर्थन मिलते नही देखा है।" संवाददाता रमेश गौड़ ने लिखा, "और जिस ढग से परम्परावादी मानी जाती गुजराती महिलाओ ने अपने घरो से निकाल कर सड़क किनारे घण्टो श्री आडवाणी के रथ का इन्तजार किया था, शहरी और ग्रामीण युवको ने जो गर्मजोशी दिखाई थी, हिन्दुओ के विभिन्न सम्प्रदायो से सम्बद्ध मुनि-महन्त जिस ढग से जन-सभाओ मे इन्हें आशीर्वाद देने के लिए गुजरात मे उनके मच पर एक साथ आ मिल बैठते थे—और तो और, जिस ढग से एक जैन मुनि अपने चातुर्मास के नियमो को दरकिनार कर उन्हे शुभ-कामनाए देने एक सभा मे पहुंच गए थे, उस सबको देखते हुए श्री आडवाणी का यह दावा कोई बहुत गलत या आधारहीन भी नही था।"

भाजपा और विहिप दोनो की उपाध्यक्षा राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने यह उद्घोष करते हुए श्री आडवाणी को विदाई दी, "मृतप्राय हिन्दू समाज मे आज एक नई स्फूर्ति, नई चेतना, नई जागृति और नई प्राणशक्ति आई है तथा हिन्दुओ को नामर्द और नपुंसक समझने वालो को जान लेना चाहिए कि वे न तो नामर्द हैं न नपुंसक।"

उधर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस ने अयोध्या की किलेबदी अपने हाथ मे ले ली। सेना के अधिकारियों ने अयोध्या का मुआयना कर लिया। विहिप ने इस किलेबदी से बचते हुए अपने कारसेवक अयोध्या मे प्रवेश कराने की किलेबदी का संकल्प किया। प्रशासन ने अयोध्या के सभी शिक्षा सस्थान कब्जे मे लेकर वहा अर्धसैनिक बलो को ठहराने की व्यवस्था की। विहिप ने अपनी गतिविधियो का सचालन अयोध्या की बजाय किसी गुप्त स्थान से शुरू किया।

३ अक्टूबर को बाबरी एक्शन कमेटी के उपाध्यक्ष इमाम सैयद बुखारी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय ऐसे किसी भी फार्मूले को स्वीकार नही करेगा, जिसमे अयोध्या की विवादास्पद इमारत के भीतर मूर्तियाँ रखने की बात हो। मौलाना अबुल हसन अली नकवी और मौलाना कल्बे सादिक की मुलाकात ४ अक्टूबर को तय हुई जिसमे दोनो बडे मौलाना आपसी गुफ्तगू कर कोई फार्मूला निकालने का प्रयास करेंगे। ये दोनो क्रमश सुन्नी और शिया मुसलमानो के चोटी के धार्मिक नेता हैं।

४ अक्टूबर को राज्यसभा मे मन्दिर-मस्जिद विवाद को लेकर जद, कांग्रेस व माकपा सदस्यों ने भाजपा पर तीखे हमले किए। उधर राजस्थान मे रथयात्रा की तैयारी भाजपा को तथा कारसेवा का जिम्मा आर०एस०एस०को सौंपा गया। कार सेवा का कार्य ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया।

५ अक्टूबर को दिन भर की बहस के बाद राज्यसभा ने सदन के सदस्य श्री अटलबिहारी वाजपेयी से अपील की कि वे रथयात्रा को रुकवाने मे मदद करें। वाजपेयी मौन रहे।

६ अक्टूबर को प्रमुख मुस्लिम नेताओ ने चेतावनी दी कि अगर १२ अक्टूबर तक सरकार रथयात्रा को नही रोकती तो वे खुद इसे रोकने सामने आ जायेंगे।

६ अक्टूबर को ही रथयात्रा ने श्री आडवाणी ने मध्यप्रदेश मे प्रवेश किया। तब कहा कि "राजीव गाँधी ने कांग्रेस शासित राज्यो को निर्देश दिया था कि रथयात्रा को आगे न बढने दें। इसके बावजूद, आध्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र मे यात्रा मे कोई दिक्कत नही आई। मुसलमानों सहित सभी लोगो ने गजब का उत्साह दिखाया। जो दगे हो सकने की बात फैला रहे थे, गलत साबित हुए।"

८ अक्टूबर को मुस्लिम नेताओ की 'उक्त धमकी' पर सरकार की 'चुप्पी' पर भाजपा नेता प्रो० विजय कुमार मलहोत्रा तथा जगदीश प्रसाद माथुर ने क्षोभ व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधान मत्री और गृहमत्री की चुप्पी से यह धारणा बनती है कि सरकार की इन 'मुस्लिम धर्मांधों' के साथ साँठ-गाँठ है।

६ अक्टूबर को भाजपा ने रथ रोके जाने पर सरकार से समर्थन वापस लेने की चेतावनी दी। मध्यप्रदेश मे रथयात्रा को भारी जनसमर्थन मिला।

१० अक्टूबर को विवाद निपटाने के लिए सरकार द्वारा एक कार्ययोजना

प्रस्तावित हुई। महंत अवैधनाथ ने कोच्चि में चेतावनी दी कि रथयात्रा रोकी तो सरकार गिरेगी।

उ० प्र० में ११ अक्टूबर तक २००० हिन्दू नेता गिरफ्तार हुए। अयोध्या के दो विधायक शिव प्रताप शुक्ला (भाजपा) ओमप्रकाश पासवान (हिन्दू महासभा) भी गिरफ्तार हुए। १२ अक्टूबर को भाजपा अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि गिरफ्तारी के नतीजे गम्भीर होंगे। उन्होंने कहा, 'रथयात्रा का स्वागत मेरे अनुमान से अधिक है। इसने देश को जोडने की एक अद्भुत शक्ति पैदा की है।"

१३ अक्टूबर को रथयात्रा ने देश की राजधानी में प्रवेश किया। प्रधानमंत्री ने १७ को सर्वदलीय बैठक बुलाई। कांग्रेस ने संकेत दिया कि वह इस बैठक का बहिष्कार करेगी। रोहतक में रथयात्रा पर पथराव के बाद हिंसा हुई। राजधानी में रथयात्रा देखने लोग उमड़ पड़े। सरकार द्वारा सुलह की कोशिश जारी रही। श्री आडवाणी ने कहा कि "यह हिन्दू-मुसलमान का विवाद नहीं, एक राष्ट्रीय मसला है। हम कथित मस्जिद के ढांचे को तोडना भी नहीं चाहते। उसे ज्यों का त्यों उठाकर पांच किलो मीटर दूर रखा जा सकता है।"

१४ अक्टूबर को मुस्लिम नेताओं ने रथयात्रा रोकने का इरादा फिलहाल के लिए छोड दिया। यह प्रधानमंत्री के इस आश्वासन के मद्देनजर किया गया कि सरकार बाबरी मस्जिद की हर हाल में हिफाजत करेगी।

१५ अक्टूबर को अयोध्या विवाद पर श्री अटलबिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री से मिले। पत्रकार खुशवन्त सिंह ने रथयात्रा को हिन्दू परम्परा के विपरीत बताया। भाजपा ने सर्वदलीय बैठक के बहिष्कार की घोषणा की।

दिल्ली में पथराव, तोडफोड के बाद तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। १६ ता० को श्री आडवाणी की प्रधानमंत्री से मुलाकात निष्फल रही।

१७ अक्टूबर को भाजपा ने समर्थन वापस लेने का अल्टिमेटम दिया। जद ने हर नतीजे के लिए तैयार रहने का दावा किया। कांग्रेस सर्वदलीय बैठक में अलग रही।

राममन्दिर के मुख्य पुजारी लाल दास ने रथयात्रा को रोक देने को कहा। उन्होंने कहा कि "अयोध्या व फैजाबाद के हिन्दू व मुस्लिम समस्या का हल स्वय ढूढ सकते हैं। इसे राजनीतिक रंग न दिया जाये।" बिहार में रथयात्रा पर कडी सुरक्षा व्यवस्था की गई। इंडियन पीपुल्स फ्रंट ने रथयात्रा के जवाब में 'मैत्रीयात्रा' निकालने की घोषणा की।

१८ अक्टूबर को विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष विष्णु हरि डालमियां ने तीनों मन्दिरों पर हिन्दुओं के अधिकार की मांग दोहराई। अयोध्या में हिन्दू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा बलों को रामरक्षा स्तोत्र व जनेऊ दिये। राम भक्तों ने खेतों और पगडंडियों से अयोध्या जाने की रणनीति बनाई ताकि सम्पूर्ण नाकेबन्दी से

बचा जाये।

केन्द्र सरकार ने १९ अक्टूबर को देर रात जारी एक अध्यादेश द्वारा न्यायालय के समक्ष विचाराधीन विवाद से जुड़ी तथा सबद्ध भूमि का अधिग्रहण कर लिया। विवाद को संविधान की धारा १४३ के तहत उच्चतम न्यायालय में ले जाया जायेगा तथा उसका फैसला आने तक सरकार यथास्थिति बनाये रखेगी। विहिप तथा बाबरी मस्जिद समिति ने यह तीन सूत्री फार्मूला ठुकराया। श्री आडवाणी रथयात्रा व मन्दिर निर्माण पर अडिग बने रहे। बिहार में श्री आडवाणी के खिलाफ वारण्ट तैयार।

२० अक्टूबर से अयोध्या मे स्कूल कालेज ४ नवम्बर तक बन्द। शिलान्यास की जमीन भी विवादित जमीन मे शामिल। फैजाबाद मे सेना का फ्लैग मार्च। दिल्ली, उत्तर प्रदेश सीमा पूरी तरह सील। अयोध्या मे कार सेवा न होने देने की सरकारी घोषणा।

२१ अक्टूबर को सरकार ने अयोध्या अध्यादेश पर विरोध के कारण अमल रोका। आडवाणी का शान्तिपूर्ण सत्याग्रह का आह्वान। संभावित टकराव को लेकर उत्तर प्रदेश मे बेचैनी।

२२ अक्टूबर को रथयात्रा पर रोक सम्बन्धी याचिका नामजूर हुई।

२३ अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने विवाद हल के लिए छह महीने का समय मांगा। छह मुख्यमंत्रियो की समिति उपाय खोजने को नियुक्त। कई शहरो मे तनाव को देखते हुए सेना ने फ्लैग मार्च किया। मोरारजी ने रथयात्रा रोकने की अपील की। रथयात्रा में 'कमल' चिह्न के प्रयोग के विरोध मे दाखिल आवेदन पर निर्वाचन आयोग ने भाजपा को नोटिस भेजा। अयोध्या अध्यादेश रद्द हुआ। भाजपा ने अध्यादेश रोकने के लिए निन्दा की।

२३ अक्टूबर को बिहार मे श्री आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने समर्थन वापस लिया। नाराज भाजपा द्वारा भारत बन्द का आह्वान किया गया। रामरथ सरकार ने जब्त किया। गिरफ्तारी से बिहार मे राजनीतिक खलबली मची। देश के कई भागो मे हिंसा, गुजरात मे ४ मरे। भारत बन्द को शिवसेना का पूर्ण समर्थन। मुलायम ने लालू को बधाई दी।

दिल्ली बन्द के दौरान २४ अक्टूबर को शान्ति रही। राष्ट्रपति ने वि० प्र० को बहुमत सिद्ध करने को कहा। भारत बन्द के दौरान हिंसा मे १८ मरे।

२५ अक्टूबर को सहारनपुर मे मन्दिर निर्माण को लेकर एक व्यक्ति ने आत्महत्या की। जयपुर मे अब तक ४२ सहित देश मे ६१ मरे। राजस्थान, गुजरात में जद-भाजपा गठजोड़ टूटा। शिलान्यास स्थल से टीन की छत हटा दी गई। सभी रास्ते सील कर दिये गये। अयोध्या मे आशंका और असुरक्षा का माहौल।

२६ अक्टूबर को आन्ध्र के राम भक्तों को परिक्रमा की अनुमति मिली। अयोध्या मे कर्फ्यू लगा। देश में श्री आडवाणी की गिरफ्तारी पर भड़की हिंसा मे मरने वालो की सख्या ८२ हुई। बाबरी समिति के नेता जावेद हबीब ने राम के नाम पर मीनार बनाने का प्रस्ताव रखा। गाजियाबाद में रेलो से कार-सेवकों को उतारा गया।

२७ अक्टूबर : विहिप नेता डालमिया व अवैद्यनाथ गिरफ्तार।

राँची की हिंसा मे एक मरा, उ० प्र० में 'बन्द' रहा। मदन लाल खुराना सहित १४७५ कार-सेवक गिरफ्तार हुए। नजरबन्द आडवाणी ने अपने वकील श्री गटाडे को बुलाया। देवीलाल ने जन्मभूमि मे 'सर्वधर्म परिसर' बनाने का सुझाव दिया। अयोध्या की १४ कोसी परिक्रमा कर्फ्यू के कारण वीरान रही।

२४ अक्टूबर उ० प्र० व मध्य प्रदेश की सीमा सील। वि० प्र० सिंह ने रथ-यात्रा को 'मनयात्रा' कहा।

२८ अक्टूबर : राजमाता सिंधिया सहित १५ हजार गिरफ्तार।

इटावा मे कारसेवको पर गोली चली। राँची मे हिंसा के बाद कर्फ्यू, सेना तैनात। अयोध्या मे कर्फ्यू तोडा, अनशनकारी गिरफ्तार।

२९ अक्टूबर, उ० प्र० में हिंसा की लहर। पाँच मरे, लखनऊ मे सेना तलब, कई अन्य नगरो मे कर्फ्यू। अयोध्या मे जिला प्रशासन ने कार सेवा से निपटने की तैयारी की। हिंसा और आगजनी हुई। राजस्थान के प्रमुख शहरो मे सेना तैनात। दमनात्मक कार्रवाई के विरोध में आडवाणी उपास पर। बाजपेयी सहित हजारो कार सेवक गिरफ्तार। मध्यस्थ व्यक्तियो ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री विवाद को सुलझाना ही नही चाहते थे। शिलान्यास स्थल में तोड़-फोड़ की जाँच हेतु उप-कमिश्नर नियुक्त। भाजपा द्वारा ७ दिसम्बर तक देश भर मे सत्याग्रह की घोषणा। भाजपा महासचिव मुरलीमनोहर जोशी ने कहा कि उ० प्र० के इतिहास मे कभी इतनी गिरफ्तारियाँ नहीं हुईं। भाजपा की मान्यता खत्म करने के लिए याचिका।

३० अक्टूबर, अयोध्या मे कार सेवकों ने घेरा तोड़ा। मस्जिद के गुंबद पर ध्वजारोहण। पुलिस की गोली से ११ मरे, सैकड़ो घायल। देश मे जगह-जगह हिंसा। शामली मे ५ मरे। भाजपा ने दावा किया कि अपनी हर मुमकिन कोशिश के बावजूद केन्द्र और उ० प्र० की सरकारें, कार सेवा रोकने मे कामयाब नहीं हो पायी। दो लाख से अधिक कार सेवक अयोध्या पहुंचने में सफल रहे।

३१ अक्टूबर, कई शहरो मे भीषण हिंसा, ४२ मारे गए, सैकड़ो घायल। अयोध्या में कार सेवकों का जमाव कायम। भाजपा की आपात बैठक। मन्दिर निर्माण जारी रखने की घोषणा। बाबरी मस्जिद सुरक्षित। विहिप, भाजपा ने धिक्कार दिवस मनाया। बांग्लादेश मे अयोध्या को लेकर दंगे भड़के। मुलायम

सिंह ने अयोध्या मे सरकार के सफल रहने का दावा किया। कारसेवको की रिहाई का सिलसिला शुरू।

३० अक्टूबर, को अयोध्या में जो कुछ हुआ उसका आँखों देखा हाल नभाटा के पत्रकार रवीन्द्र सिंह ने इस प्रकार लिखा—

"राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के विवादित स्थल के पास ३० अक्टूबर को सवेरे से ही हजारो कारसेवक और रामभक्त इकट्ठा होने लगे थे। भारी बन्दोबस्त और नाकेबन्दी के कारण अयोध्या-फैजाबाद के नागरिको और देश-विदेश से पहुचे अखबार वालो को भी यह विश्वास नही हो पा रहा था कि नाकेबन्दी मे कोई भी व्यक्ति राम जन्मभूमि के आसपास फटक पाएगा।

मैं अपने साथियों के साथ सवेरे पाँच बजे निकल कर शहर की सड़कों पर पाँचकोसी परिक्रमा के लिए निकल आए राम भक्तो की उत्साहित टोलियो का जायजा ले रहा था। इतने मे खबर मिली कि सरयू पुल पर उस पार राम भक्तों और पुलिस बल के बीच जबरदस्त संघर्ष हो रहा है। हम लोग पुल पर पहुँचे तो उस पर धुंए के काले बादल उठते देखे। कारसेवको ने तीन चार वाहनों मे आग लगा दी। लगभग १५ हजार कारसेवको की भीड का दबाव बढा और पथराव हुआ तो पुलिस और अर्ध सुरक्षा बल के जवान पीछे हटने लगे। मैं और टाइम्स आफ इंडिया के साथी पथराव मे फस गए। कारसेवको ने फोटो खींच रहे नेशनल हेराल्ड के फोटोग्राफर मुन्ने बख्शी का कैमरा छीन लिया और हाथ मे काट लिया। इसी बीच कई बार गोलियाँ चली। हम बीच मे घिरे हुए थे। इतने मे गोलियो से घायल लोगों को पुल पर लाया जाने लगा।

पत्रकार अश्वनी भटनागर ने बताया कि राम जन्म-भूमि पर बवाल हो गया है। उसने यह संदेश पुलिस गाडी के वायरलैस का सुना। हम तुरत राम जन्म-भूमि की ओर रवाना हो गए।

लगभग सवा ११ बजे मैं राम जन्म-भूमि मन्दिर की ओर जाने वाली गली में पहुंचा तो मन्दिर की ओर उमड़ते लोगो मे चर्चा थी कि लोग अन्दर घुस गए हैं और मस्जिद टूट गई, लेकिन मन्दिर का मुख्य द्वार बन्द था। वहां जिलाधिकारी रामशरण श्रीवास्तव खडे थे। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड रही थी। पूरा इलाका नारो से गूंज रहा था। दुनिया भर के फोटोग्राफर और पत्रकार इधर-उधर मकानों या मन्दिरों पर मोर्चा संभाले हुए हर क्षण को कैद करने की कोशिश मे थे। लोगों का सैलाब बैरियर पर टक्कर मार रहा था। मैं भी वहीं पहुँच कर हालात से रूबरू होना चाहता था। भीड को चीरता मैं आगे की ओर बढा तो भीड के रेले ने पलक झपकते बैरियर तक पहुचा दिया। यह राम भक्तो और जन्म-भूमि के बीच का अंतिम अवरोध था। मेरे साथ एक हिन्दी पत्र के संपादक भी थे। एक परिचित पुलिस अधिकारी ने हमे बैरियर के बगल के रास्ते से अन्दर कर

लिया।

राम जन्मभूमि स्थल पर पहुंचने को आतुर हजारो की भीड़ बैरियर को तोडने का प्रयास कर रही थी। अगली पंक्ति के राम भक्त बैरियर से लटके हुए थे तो कुछ जमीन पर बैठकर उसे पैरो से हिला रहे थे। पुलिस उन्हें लाठियो से ठोकर देकर पीछे हटा रही थी।

यह सब देखने के बाद मैंने मुख्य द्वार के बाहरी कोने मे सीढ़ी पर अपने लिए जगह बनाई और खडा हो गया। अभी दो मिनट भी नही गुजरे थे कि ठीक ११ बजकर ५५ मिनट पर बैरियर टूट गया और कारसेवको ने अन्दर जाने के लिए लोहे की ग्रिल के मोटे दरवाजे को हिलाना शुरू किया। मैं डर गया कि यदि दरवाजा गिरा तो दब जाऊंगा।

ठीक बारह बजे यह द्वार भी टूट गया और भीड़ पागलो की तरह श्रीराम की जय करती हुई अन्दर की ओर दौड़ पड़ी। पुलिस बल उन्हे लाठियो से बाहर की ओर ठेलने लगा। इसी बीच ग्रिल के पीछे खड़े अधिकारियो को गोली चलाए जाने के बारे मे चर्चा करते सुना तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सामने भीड़ मे खडे अपने पत्रकार साथियो को इशारा कर पीछे हटने को कहा। तब तक अन्दर गोलियाँ चलने की आवाज आई। उनमे तीन फायर बन्दूक से थे तथा बाकी रबर की गोलिया थी।

इन कुछ ही क्षणो मे लगभग हजार लोगो का रेला अन्दर की ओर बढा और मैं भी उसी रेले के साथ अन्दर चला गया। इस रेले के अन्दर घुसने के बाद मुख्य द्वार फिर बन्द हो गया।

अन्दर का दृश्य तो बहुत अजीब था। मुख्य द्वार से गर्भ गृह तक के रास्ते मे राइफलें ताने खड़े अर्ध सुरक्षा बलो के जवान रास्ते से हट कर एक ओर खड़े हो गए। उन्होने अपनी राइफलें कन्धे से चिपका ली। राम भक्त और कारसेवको की भीड पूरे गर्भ गृह मे फैल गई। जिसे जो मिला उसी से तोड़फोड़ की गई। देखते ही देखते गर्भ गृह की बाहरी दीवार टूट कर गिरने लगी। कुछ साधु तो ईंट उठा कर गर्भ गृह की दीवारो के प्लास्टर को ही तोडने लगे।

कुछ साधु और कारसेवक पलक झपकते गुम्बद पर चढ गए और कलश को उखाडने लगे। कारसेवकों ने पीछे पहुच कर कटीली बाड को भी तोडा। गर्भ गृह की पिछली दीवार मे बड़ा छेद कर दिया। लोगो के सिरों पर जुनून सवार था। चारो ओर म धूल के बादल उठ रहे थे। वहां मौजूद १५ जवान खामोश थे। उनकी बन्दूकें राम भक्तो की ओर नही नीचे झुकी थी। खुशी से नाचते एक राम भक्त ने इस सवाददाता को गोद मे उठा लिया।

बदहवासी और सदमे से उबरने पर अफसरो ने बडी सख्या मे अर्ध सैनिक बलो को अन्दर दाखल कराया। उन्होने अन्दर आकर कारसेवको को बाहर

निकालना शुरू किया। कारसेवकों ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के बाद प्रतिरोध नहीं किया। विवादित स्थल पर चार मिनट तक कारसेवकों के कब्जे के बाद एक बार फिर पुलिस काबिज हो गई।"

२ नवम्बर, अयोध्या मे ३० कारसेवक मारे गये, २०० घायल हुए। जन्म-भूमि परिसर से दूर तक लाठियाँ, गोलियाँ चली और आसूगैस के गोले फूटे। भाजपा सासद उमा भारती और हरेन पाठक गिरफ्तार हुए। देशव्यापी हिंसा मे ५० मरे। बिजनौर में मृतक संख्या ४५ से अधिक हुई। मेरठ दगे मे ९ मारे गए। विहिप ने कारसेवा जारी रखने का ऐलान किया।

"*अयोध्या मे इस दुखद काण्ड की शुरुआत आज सवेरे लगभग दस बजे हुई।* जब मनीराम की छावनी, डाकखाना मार्ग तथा दिगम्बर अखाड़े की ओर से कार-सेवकों के जत्थे रामधुन व कीर्तन करते हुए राम जन्मभूमि स्थल की ओर बढने लगे। देखते ही देखते अयोध्या कोतवाली के निकट हजारों की सख्या मे कार सेवक इकट्ठे हो गए। वे राम जन्मभूमि स्थल की ओर रामलला के दर्शन करने जाना चाहते थे। कारसेवको की इस भीड को पुलिस और अर्द्ध-सैनिक बलो ने कोतवाली से पहले ही रोक लिया। उधर दिगम्बर अखाडे की ओर से आए कारसेवकों की भीड हनुमान गढी चौक पर जमा हो गई। कारसेवक कीर्तन कर रहे थे तथा रामधुन गा रहे थे।"

कारसेवक सड़क पर ही बैठ गए और कीर्तन करने लगे। केन्द्रीय सुरक्षा बलो के जवानो और सरकारी अफसरो ने इन कारसेवको को सडक से उठा कर छावनी की ओर जाने का आदेश दिया। जब कारसेवक नही माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के बाद कारसेवकों की भीड दिगम्बर अखाड़े की ओर जाने वाली गली मे घुस गई। उन्होंने वहाँ पुलिस पर पथराव किया। इस पर सुरक्षा बलो ने पहले तो जम कर आँसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। उसके बाद गोलियाँ चलाईं। सुरक्षा बलो ने दिगम्बर अखाडे से लगी पतली गलियों में लगभग पचास गोलियाँ चलाईं, जिससे उस गली में अनेक लोग मारे गए। पुलिस बलो ने लाशो को खीच-खीच कर आसपास की गलियो मे डाल दिया।

गली के मुहाने पर खड़े देश विदेश के तमाम सवाददाताओं व प्रेस फोटो-ग्राफरो ने जब गोलियों के बीच जाकर असलियत को देखना चाहा तो केन्द्रीय सुरक्षा बल के एक अधिकारी ने पत्रकारो को धकिया कर पीछे कर दिया। फोटो-ग्राफरों को भी पीछे धकेला गया। जिला आयुक्त और एक डी० आई० जी० *आदि ने भी पत्रकारो को आगे बढने से रोकना चाहा। पुलिस अफसर गलियो में* बिछी लाशो को छिपाना चाहते थे। इस बीच सी० आर० पी० के एक जवान ने आकर बताया कि बहुत सारे लोग मारे गए हैं। तो सारे पत्रकार व फोटोग्राफर गोलियों और लाठियों की परवाह किए बिना आगे बढ गए।

दिगम्बर अखाडे के सामने नारायणी आश्रम मे छुपकर बैठे सहमे हुए कारसेवको ने सवाददाताओ को बताया कि अन्दर गोली से घायल चार कारसेवक पड़े हैं। इतने मे पुलिस अधिकारियों की फौज आ गई तो कारसेवकों ने फाटक बन्द कर लिया। पुलिस के जवान फाटक पर टूट पडे। पहले तो फाटक तोडने की कोशिश की गई, फिर एक खिडकी तोड़कर पुलिस वाले अन्दर घुसे और उन्होने फाटक खोल दिया। घायलों को एक मैटाडोर मे लाद कर अस्पताल ले जाया गया। वहां जमा बाकी कारसेवको को गिरफ्तार कर लिया गया।

कोतवाली के निकट गोलीबारी से उत्तेजित कारसेवको की भीड जैसे ही आगे बढी तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। भीड फिर भी हिली नही तो पुलिस ने उन पर आंसू गैस छोडी। कोतवाली के आगे की सड़क के दोनो ओर के मकानों पर सी०आर०पी० के जवान राइफलें ताने खडे थे। मकानो की छतो पर बैठे नागरिक जैसे ही आंसू गैस का गोला चलता तो उसका प्रभाव कम करने के लिए बाल्टी से पानी फेंक देते थे। इसके बावजूद भीड ने रामजन्मभूमि स्थल की ओर जाने के लिए हल्ला बोला। तभी पुलिसकर्मियो ने गोलियाँ चला दी। यहाँ भी कई लोग मारे गए। आंसू गैस को प्रभावहीन करने के लिए छत से पानी फेंक रहे एक साधु को ऊपर ही निशाना बना दिया। वह गोली लगते ही नीचे आ गिरा और उसने दम तोड दिया।

अयोध्या और फैजाबाद के अस्पतालो मे घायलों की लाइन लगी है। मरने वालो मे से कानपुर के अवकाश प्राप्त कैप्टन एम० एल० अरोड़ा, सुजागंज बाराबकी के राम अचल गुप्त को तो पहचान लिया गया है। बाकी मृतकों की शिनाख्त नही हो पाई है। मरने वालो मे कई साधू हैं।

जब पुलिस वालो ने एक आदमी को मारा तो उसके दो भाई उसे बचाने के लिए उसके ऊपर गिर पडे। पुलिस ने उन दोनों को भी भून दिया।

इस दो घण्टे की कर्रवाई मे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और मण्डल आयुक्त ने बढ-चढ कर भूमिका निभाई। जिलाधिकारी रामशरण श्रीवास्तव असहाय से नजर आए। एक स्थान पर उन्होंने जवानों को गोली चलाने से जब रोकना चाहा तो उनकी बात किसी ने नही मानी। कोई यह बताने को तैयार नही है कि कुल कितनी गोलियाँ चलाई गई और कितने लोग मारे गए। नभाटा सवाददाताओ ने सभी जगहो का मुआयना करने के बाद यह अनुमान लगाया है कि मरने वालो की सख्या ३० से ऊपर है। अभी जो व्यक्ति गम्भीर रूप मे घायल हैं उनके बारे मे कुछ कह पाना मुश्किल है।

कारसेवको ने गोली काण्ड के बाद कई लाशो को अखाड़ो, छावनियो तथा मदिरो मे ले जाकर रख लिया। कुछ लाशों को पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिया है। इस घटना के बाद पूरा शहर दहशत और सदमे की हालत मे है और कार-

सेवक फिर से छावनियों में लौट गए हैं। वहाँ अगली रणनीति पर विचार चल रहा है।"

३ नवम्बर. बंगला देश के हिन्दू विरोधी दंगों मे १ मरा, मन्दिरों की मरम्मत शुरू। पाकिस्तान मे हिन्दू विरोधी प्रदर्शन। बिहार मे भाजपा का चुनावी नारा घोषित-राममन्दिर और रामराज। अयोध्या मे सेना का फ्लैग मार्च। उ० प्र० में अखबार जब्त। कर्फ्यू के विरोध मे अयोध्या में जुलूस १० शव बरामद।

देशभर मे हिंसक घनटाएं जारी, ५७ मरे, हापुड मे सेना तैनात। भाजपा द्वारा अयोध्या मे जाँच दल भेजने की घोषणा। दिल्ली मे ११ भाजपा सासदो सहित हजारो ने गिरफ्तारी दी।

४ नवम्बर : देश व्यापी हिंसा मे १७ जानें गईं। आडवाणी रिहा, ७ नवम्बर के बाद अयोध्या जायेंगे। जनता दल टूटने के कगार पर। सभी कार सेवकों को लौटने के निर्देश। भाजपा कार्यकर्ताओ का सामूहिक उपवास।

५ नवम्बर कारसेवको की रिहाई शुरू। जनता दल टूटा। वाजपेयी व अन्य रिहा। विवादास्पद धर्मस्थान पर 'रामयज्ञ' आरम्भ। बजरंग दल मे १० लाख स्वयंसेवको की भर्ती की घोषणा।

६ नवम्बर : वाजपेयी, आडवाणी राष्ट्रपति से मिले।

७ नवम्बर राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का पतन। अविश्वास मत पास होने के बाद वि० प्र० सिंह का इस्तीफा। आडवाणी ने लोकसभा मे कहा, वि० प्र० सिंह भी कारसेवा करना चाहते थे।

८ नवम्बर भाजपा का सरकार बनाने से इन्कार। शेखावत ने विश्वास मत जीता।

११ नवम्बर. नए प्रधानमत्री चन्द्रशेखर विवाद का हल ढूंढने राजमाता व सिंघल से जाकर मिले। आडवाणी प्रधानमत्री से मिले। टकराव से बचन की अपील।

१२ नवम्बर: अयोध्या मे ६ दिसम्बर से पुन. कारसेवा शुरू करने की घोषणा। बाबरी एक्शन कमेटी द्वारा कारसेवा पर रोक लगाने की माँग।

१४ नवम्बर. पुरानी दिल्ली मे साम्प्रदायिक हिंसा, ५ मरे, कर्फ्यू लागू।

१६ नवम्बर: राष्ट्रवादी युवा मुस्लिम फोरम ने विवाद के हल हेतु राष्ट्रपति को एक तीन सूत्री फार्मूला पेश किया—विवादित इमारत को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर उसका नाम राम-रहीम स्मारक रखा जाए। अयोध्या के बलिदानियो का अस्थिकलश देश भर घुमाना तय। वामपंथी दलो ने इस पर रोक लगाने की माँग की।

३० नवम्बर: अयोध्या विवाद पर उच्चस्तरीय वार्ताएँ। उधर शेखावत शामिल।

१ दिसम्बर : चन्द्रशेखर ने अयोध्या पुलिस कार्रवाई को उचित बताया। राजीव गांधी द्वारा जांच आयोग गठन का सुझाव। जद (स) ने सुझाव को विचारणीय बताया।

४ दिसम्बर : विवाद का हल ढूंढने त्रिपक्षीय बैठक । दोनों पक्ष सबूत पेश करेंगे।

५ दिसम्बर : केन्द्र ने अयोध्या मे शान्तिपूर्ण सत्याग्रह को अनुमति दी। साध्वी ऋतंभरा कैसेटों पर दिल्ली में रोक लगी।

६ दिसम्बर : अयोध्या मे शान्तिपूर्ण सत्याग्रह जारी। पहले दिन १५०० लोगो ने गिरफ्तारी दी।

७ दिसम्बर : चन्द्रास्वामी अयोध्या पहुंचे। विहिप ने अलिप्तता जाहिर की। सत्याग्रह मे ७६७ गिरफ्तार।

११ दिसम्बर : शिवसेना का कारसेवक डाइनामाइट से मस्जिद को उडाने की कोशिश मे गिरफ्तार।

६. मुस्लिम पक्ष

मुसलमान भी इस मामले मे किसी से भी पीछे नही हैं। बाबरी मस्जिद को आर्डिनेशन कमेटी के आधीन सगठित मुसलमान अल्पसंख्यो पर बहुसंख्यको के द्वारा खतरे के प्रति सदैव सचेत रहे हैं और इस दिशा में मुस्लिम भावनाओ को प्रबलता प्रदान कर रहे हैं। जैसे ही फैजाबाद के जनपद न्यायाधीश ने भवन को, हिन्दुओ की पूजा के लिए खोलन का आदेश जारी किया मुस्लिम नेताओ ने फरवरी सन् १९८६ मे बावरी मस्जिद को आर्डिनेशन कमेटी का गठन कर लिया। इसने शीघ्र ही राष्ट्रव्यापी मुस्लिम "मोनिंग" का गठन भी कर लिया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मुस्लिम विधायकों ने ६ फरवरी, १९८६ को ज्ञापन दिया

हम, राज्य विधान मण्डल के निम्नलिखित सदस्य इन दिनों राजकीय माध्यमो द्वारा श्रीराम-जन्मभूमि या जन्मस्थल के रूप मे प्रचारित किये जाने वाले स्थान बाबरी मस्जिद अयोध्या जिला फैजाबाद के सबंध मे निम्नांकित तथ्यो की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और आपसे देश की धर्मनिरपेक्षता व प्रजातांत्रिक संरचना के मुस्लिमो एवं अन्य अल्पसख्यको का विश्वास स्थापित करने के लिए तत्काल उपचारात्मक कदम उठाने का आग्रह करते हैं।

(१) यह कि तुजुके-बाबरी या बाबर की संक्षिप्त जीवनी सहित इतिहास की अन्य प्रमाणिक पुस्तको से यह पूर्णतया सिद्ध होता है कि बाबर ने अयोध्या मे कभी कोई मंदिर नही बनवाया था और यह कि बाबरी मस्जिद नामक विवादास्पद मस्जिद का निर्माण बाबर के आदेश पर जमीन के खाली टुकडे पर किया गया था और उसे ही ४५० वर्षों मे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता रहा है। अयोध्या मे किसी भी विध्वस का और इसके खण्डहर पर किसी मस्जिद के निर्माण का कही कोई उल्लेख नही है। आइन-ए-अकबरी या आलमगीर नामा में भी नहीं।

(२) यह कि १८८५ में स्वयं को "जन्म स्थान" का महंत होने का दावा

करने वाले एक महंत रघुवर दास ने फैजाबाद उप-न्यायाधीश की अदालत में एक मुकदमा दायर किया था (मुकदमा सं० ६१/२८०, सन् १८८५) और मुकदमें के वाद पत्र में उसने बयान दिया था कि "जन्म-स्थान" का चबूतरा पूर्व पश्चिम की ओर २१ फीट व उत्तर-दक्षिण की ओर १७ फीट का था और चूंकि वहाँ कोई निर्माण नहीं हुआ था अतः उसे वहाँ अन्य पुरोहितों को गर्मियो में अतिशय गर्मी और सर्दियो मे अतिशय ठण्ड तथा बरसात के कारण अत्यन्त कठिनाइयो का सामना करना पड़ता था और कथित २१ × १७ फीट चबूतरे के ऊपर मंदिर बनाने की अनुमति दी जाए। इसी १९-१-१८८५ के वादपत्र मे पैरा-४ मे यह बताया गया कि मार्च या अप्रैल १८८३ मे फैजाबाद के उपायुक्त ने कुछ मुस्लिमो के ऐतराज करने पर कथित मंदिर का निर्माण कार्य रोक दिया था।

(३) कि १८८५ का मुकदमा, संख्या ६१/२८०, २४-१२-१८८५ को उप-न्यायाधीश, फैजाबाद ने खारिज कर दिया और मुद्दा संख्या ६ का निपटारा करते हुए न्यायालय ने गोपाल सहाय अमीन द्वारा बनायी गयी स्थल-योजना के आधार पर प्रेक्षण दिया था कि "मस्जिद व चबूतरे के बीच मे एक दीवार थी और स्पष्ट है कि मस्जिद व चबूतरे के बीच पृथक चारदीवारी मौजूद है और उस तथ्य को इस तथ्य से भी समर्थन मिलता है कि लगान विवाद के मामले मे सरकार द्वारा सीमा रेखा बनायी गयी है।" इसी फैसले मे यह प्रेक्षण भी दिया गया कि उसके गिर्द मस्जिद की दीवार है और उस पर शब्द "अल्लाह" लिखा है। यदि ऐसे स्थान पर स्थित चबूतरे पर स्थित मंदिर बनाया जाता है तो घटानाद व शखनाद गूंजेगा, हिन्दू और मुस्लिम दोनो एक ही रास्ते से गुजरेंगे और यदि हिन्दुओ को मंदिर बनाने की इजाजत दी जाती है जो किसी न किसी दिन कोई अपराधिक काण्ड हो जाएगा और हजारो लोग मारे जायेंगे" और यह कि "ऐसे स्थल पर मंदिर का निर्माण करने की अनुमति देना और कत्ल की बुनियाद डालने के सदृश होगा, इसलिए···नीति के मद्दे नजर और न्याय का विचार करते हुए वाछित अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।" उक्त उप-न्यायाधीश, फैजाबाद और कोई नहीं एक हिन्दू पंडित थे, पंडित हरिकिशन।

(४) यह कि उपरोक्त फैसले के विरुद्ध की गयी अपील व २४-१२-१८८५ की डिग्री को जिला न्यायाधीश, फैजाबाद ने २६-३-१८८६ को खारिज कर दिया (सिविल अपील स० २७ सन् १८८६—महंत रघुवीर दास बनाम राज्य सचिव एव अन्य)।

(५) यह कि कथित बाबरी मस्जिद का कुछ भाग १९३४ के साप्रदायिक दगो मे नष्ट हो गया था जिसका सरकारी लागत पर पुर्ननिर्माण व मरम्मत की गयी थी।

(६) २६-१२-१९४४ के सरकारी गजट मे वक्फ के आयुक्त ने अपनी रपट

मे भी सुन्नी वक्फ माना था।

(७) यह कि १६६० के सील बन्द रजिस्टर में उक्त मस्जिद को मस्जिद बाबरी के रूप मे दर्ज किया गया है।

(८) यह कि उपरोक्त दस्तावेजो के आधार पर कथित मस्जिद व उससे सलग्न भूमि को, उ०प्र० मुस्लिम अधिनियम १६३६ के तहत वक्फ के उ०प्र० सुन्नी केन्द्रियमण्डल ने वक्फ (वक्फ स० २६ फैजाबाद) के रूप मे दर्ज किया गया है।

(६) यह कि २१-१२-१६६६ तक कथित मस्जिद मे निर्बाध रूप से नमाज अदा की जाती रही और १६४६ मे २२/२३ दिसम्बर की रात को मस्जिद मे छलपूर्वक व गलत तरीके से श्री रामचन्द्र जी की मूर्तियाँ रख दी गयी। यह तथ्य सिविल न्यायाधीश की अदालत, फैजाबाद मे उ०प्र० राज्य की ओर से उपायुक्त (श्री जे०एन० उग्र) द्वारा मुकदमा सख्या २ सन् १६५० (गोपाल सिह विशारद बनाम जहूर अहमद व अन्य) मे दायर २४-४-१६५० के लिखित बयान से भी प्रमाणित होता है। १६५० के नियमित मुकदमा सख्या २५ मे (श्री परमहस रामचन्द्र दास बनाम जहूर अहमद व अन्य) मे भी राज्य सरकार ने यही रुख अपनाया था इसमे भी फैजाबाद के उपायुक्त ने राज्य सरकार की ओर से जनवरी १६५१ मे लिखित बयान दायर किया था। इनसे यह पूर्णतया सिद्ध होता है कि राज्य सरकार कथित निर्माण को श्री रामचन्द्र जी का मन्दिर नही बल्कि बाबरी मस्जिद मानती आ रही थी। अचानक १-२-१६८६ को फैजाबाद के एस०एस०पी० व जिला न्यायाधीश ने फैजाबाद जिला न्यायाधीश के समक्ष १६८६ के विविध सिविल अपील स० ८ मे विपरीत रुख अपनाया (उमेश चन्द्र पाण्डे बनाम उ०प्र० राज्य व ३ अन्य) जो १६५० के नियमित मुकदमा स० २ मे तिथि २५-१-१६८६ को उमेशचन्द्र पाण्डेय की अर्जी पर पारित २८-१-१६८६ के मुन्सिफ सरकार फैजाबाद के आदेश के विरुद्ध दायर की गयी थी। यह उल्लेखनीय है कि उक्त-उक्त उमेशचन्द्र पाण्डेय न तो उस मुकदमे के पक्षकार हैं और न ही उन्हे १६५० के मुकदमा स० २ का पक्षकार बनाया गया था।

(१०) कि यह यहाँ भी उल्लेनीय है कि १६५० के नियमित मुकदमा स० २ के वादी गोपाल सिह विशारद की वर्षो पहले मृत्यु हो चुकी थी और उनका स्थान किसी ने नही लिया था। इस तरह मुकदमा अपने आप खारिज हो गया था तथा कानूनी भाषा मे कहा जाए तो वह २५-१-१६८६ को या १-२-१६८६ को बिल्कुल भी निलम्बित नही था। इस तरह मस्जिद का ताला खोलने या दर्शन अथवा पूजा पर रोक लगाने के मुकदमे मे ऐसा कोई आदेश पारित नही किया जा सकता था किन्तु अजीब बात है कि राज्य परिषद जिला न्यायाधीश व न्यायालय म उपस्थित एस०एस०पी० या जिला न्यायाधीश ने मामले के इस पक्ष पर ध्यान ही नही

दिया और ऐसा लगता है कि बहुसख्यक समुदाय के आक्रोश भरे समूह को खुश करने के लिए पूर्वनियोजित रूप से जिला प्रशासन द्वारा १-२-१९८६ का आदेश प्राप्त किया गया और यह सब कार्य राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की पूर्व-स्वीकृति या इस मामले के सूत्रधार व्यक्तियो व उच्च पदस्थ अधिकारियो की सलाह व स्वीकृति के बिना किया गया हो यह बात हमारे गले नही उतरती है'

(११) यह कि १-२-१९८६ का कथित आदेश, जिस तरीके से मुस्लिमो के पीछे और किसी भी मुस्लिम को कथित अपील का पक्षकार बनाए बगैर तथा कुछ मुस्लिमो का पक्षकार बनाए जाने की अर्जी को नामन्जूर करके प्राप्त किया गया उससे देश के सारे मुस्लिम हक्के-बक्के रह गये हैं और उससे सरकार और साथ-साथ न्याय पर से भी उनका भरोसा उठ गया है। यह और भी हैरानी की बात है कि १९६१ के नियमित मुकदमा स० १२ के उ०प्र० सुन्नी वक्फ केन्द्रीय बोर्ड लखनऊ तथा अन्य वादियों तक को जिन्होने फरीदाबाद सिविल न्यायालय मे इसी मस्जिद की बाबत घोषणा व कब्जे के लिये मुकदमा दायर किया था और जिसका मामला अभी निलम्बित है, न तो १९८६ की अपील का पक्षकार बनाया गया और न ही इस मामले मे कोई नोटिस दिया गया हालांकि १९६१ का मुकदमा सं० २ के तहत सहित तीन अन्य मुकदमे जोड दिये गये हैं।

(१२) यह कि मस्जिद का ताला खोलने और उसे पूजा आदि के लिये खुला छोडने क कारण देश भर के मुस्लिमों मे रोष व्याप्त हो गया है और हमे भी इससे जबरदस्त धक्का लगा है और इसके मद्देनजर हम आपसे न सिर्फ मस्जिद की पवित्रता की रक्षा करने के लिये बल्कि देश के धर्मनिरपेक्ष व प्रजातान्त्रिक तानेबाने व कानूनी प्रणाली मे मुस्लिमो का विश्वास पुनः स्थापित करने के लिए भी तत्काल उपचारात्मक उपाय करने का आग्रह करते हैं।

इसलिए हम राज्य सरकार से अविलम्ब निम्नलिखित कदम उठाने की मांग करते हैं।

(१) बाबरी मस्जिद की उसकी मलग्न वक्फ संपत्ति के साथ रक्षा की जाये और उन्हे उनके २२-१२-१९४९ मे मौजूद स्वरूप मे सरक्षण प्रदान किया जाए।

(२) विश्व हिन्दू परिषद व बजरंग दल आदि के उत्तेजक नारो वा भाषणो पर ध्यान देकर उन्हें रोकने और अपराधी व्यक्तियो को दडित करने की फौरन कार्यवाई की जाए।

(३) मस्जिद मे या उसकी सीमारेखा मे पूजा करने वा मूर्ति स्थापना करने पर तत्काल रोक लगायी जाए।

(४) मुस्लिमो को बाबरी मस्जिद में बिना रोक-टोक के नमाज अदा करने और उससे सम्बद्ध मामलों की देख-रेख की अनुमति दी जाए।

(५) मस्जिद का कब्जा कानून द्वारा या मामले पर फौरन फैसला करके

मुस्लिमो को पुनः सौंपा जाए।

१. मो० मसूद खान, विधायक, २. काजी कलकमुर्रहम, विधायक, ३. सफीकुर्रहमान वर्क, विधायक, ४ मो० आजम खान, विधायक, ५. काजी मोहिउद्दीन, विधायक, ६. अब्दुल वहीद कुरैशी, विधायक, ७. अमीर आलम खान, विधायक, ८. खुर्शीद अहमद, विधायक, ९. अब्दुल वदूद, विधायक, १०. बुनियाद हुसैन अंसारी, विधायक, ११. फरीद महफूज किदवई, विधायक, १२. फज्लुल बरी, विधायक, १३. फसीउर्रहमान उर्फ मुनान खान, विधायक, १४. हाजी मो० हयात, विधायक, १५. एम० रिजवानुल हक, विधायक, १६ मो० अकील, विधायक, १७. मुहम्मद अली खान, विधायक।

मुस्लिम सांसदों ने प्रधानमंत्री को ३ मार्च, १९८६ को इस प्रकार ज्ञापन दिया—

जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद द्वारा हाल ही मे बाबरी मस्जिद, अयोध्या के बारे मे दिया गया मुस्लिम जमात के लिए बहुत अफसोसजनक रहा है, तथा इससे मुल्क मे संगीन हालात पैदा हुए हैं। इससे अगर सावधानी के साथ नहीं निपटा गया तो एक लाइलाज राष्ट्रीय संकट खडा हो सकता है।

हम संसद के मुस्लिम सदस्य आप के सामने तथ्य प्रस्तुत करते हुए अर्ज करना चाहते हैं। शुरूआत मे ही हम आपको आश्वत करते हैं कि निम्न तथ्यो का वर्णन बाबरी मस्जिद के इतिहास तथा उसकी कानूनी स्थिति से सम्बन्धित विपुल एव अकाट्य प्रमाणो पर आधारित है।

(१) कि, मस्जिद बादशाह बाबर के राज्यकाल मे उसके एक राज्यपाल मीर बाँकी द्वारा वर्ष १५२८ मे एक खाली भूखण्ड पर बनायी गयी।

(२) कि, एक अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त इतिहासकार ए०एस० बीवरीज, जिसने तुजुक-ए-बाबरी का अंग्रेजी मे अनुवाद किया है तथा बहुत सारी पाद-टिप्पणियाँ दी हैं, ने अपनी पुस्तक "बाबर के संस्मरण" (खण्ड २, लदन, १९२४, पृष्ठ ६७९-८०) मे बाबर के अवध मे होते हुए गुजरने का उल्लेख किया है। बीवरिज ने विषय को बारीक ब्यौरो के साथ प्रस्तुत किया है लेकिन बाबर के अयोध्या मे आने का कोई उल्लेख नहीं है। अवध के बागी गवर्नर शेख बायजीद से निपटने के बाद बाबर ने बाकी बेग ताशकदी (मीर बाँकी) को अवध का राज्यपाल बनाया और लौट गया। यह सच्चाई डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर वक्फ, फैजाबाद की रिपोर्ट से भी प्रमाणित होती है जो उत्तर प्रदेश के मुख्य आयुक्त वक्फ को १६ सितम्बर १९३८ को प्रस्तुत की गयी थी। यह मस्जिद की दीवारो पर उत्कीर्ण लेखों से भी यह प्रमाणित होता है। इन्हे इतिहासविद ए०एस० बीवरिज द्वारा मानी गयी है। पंडित हरिकिशन, सब जज फैजाबाद ने मुकदमा न० ६११/२८०-

१८८५ मे अपने २४-१२-१८८५ को दिये गये फैसले में भी यह माना है। पं० हरिकिशन के फैसले की प्रतिलिपि इस ज्ञापन के परिशिष्ट "ए" के तहत संलग्न है।

(३) जिला वक्फ आयुक्त की उपरोक्त रिपोर्ट से साबित होता है कि सन् १८६४ मे दो गांव, भराईपुर तथा शोलेपुर मस्जिद के रख रखाव के लिए वार्षिक ६० रु० नक्द अनुदान मे बदले, राजस्व मुक्त ग्रामों के रूप मे दिये गये, जो मूलतः बादशाह बाबर द्वारा मन्जूर किए गए थे, तथा बाद मे अवध के राजा द्वारा रु० ३०२/३१६ की रकम तक यह अनुदान बढ़ा दिया गया था।

(४) वर्ष १८८५ मे एक महंत रघुवर दास ने सब जज, फैजाबाद के कोर्ट मे एक मुकदमा दायर किया (मु०न० ३१२८०-१८८५) और यह आरोप लगाया कि राम जन्मस्थान के चबूतरे पर छत या भवन नही है तथा पुजारी को बड़े अत्यधिक गर्मी सर्दी और बारिश जैसी मौसमी कठिनाइयाँ झेलनी पडती हैं। अतः उसने प्रार्थना की उक्त २१ × १७ फीट म चबूतरे पर एक मंदिर बनाने दिया जाए। यह दावा १९-१-१८८५ को दायर किया गया। दावे के परिछच्छेद ४ मे कहा गया था कि अप्रैल १८८३ मे फैजाबाद के उपायुक्त ने साम्प्रदायिक सदभाव बनाए रखने के मद्देनजर उक्त मन्दिर के निर्माण की अनुमति नही दी थी।

(५) कि सब जज, फैजाबाद पंडित हरिकिशन ने उक्त मुकदमा न० ६१/२८०-१८८५ अपने आदेश से २४-१२-१८८५ को खारिज कर दिया। कोर्ट के अमीन श्री गोपाल सहाय द्वारा तैयार किये गये मौका-नक्शे के आधार पर कोर्ट ने कहा कि "मस्जिद तथा चबूतरे के बीच एक दीवार है, और यह स्पष्ट है कि मस्जिद तथा चबूतरे के बीच अलग-अलग चौहद्दियाँ हैं। यह तथ्य इस बात से भी पुष्ट होता है कि हाल के विवाद से पहले सरकार द्वारा निर्मित चौहद्दी रेखा मौजूद है।" न्यायालय ने आगे कहा कि "इसके गिर्द मस्जिद का कुआ है जिस पर "अल्लाह" लफ्ज खुदा हुआ है। यदि हिन्दुओं को मन्दिर बनाने की अनुमति दे दी जाती है, तो किसी न किसी दिन कोई फौजदारी मामला बन सकता है और हजारों लोग मारे जा सकते हैं।" और यह कि "ऐसी स्थिति मे मन्दिर निर्माण की अनुमति देना दगो व कत्लो की बुनियाद रखना होगा अत. राहत का दावा मन्जूर नहीं किया जाना चाहिए।"

(६) कि, उपरोक्त ता० २४-१२-१८८५ के फैसले के खिलाफ जिला न्यायाधीश, फैजाबाद के न्यायालय मे अपील दायर की गयी (दीवानी अपील न० २७ सन् १८८५ महंत रघुवर दास बनाम राज्य सचिव तथा अन्य) अदालत ने ता० २६-३-१८८६ के अपने आदेश के तहत यह अपील खारिज कर दी।

(७) कि, १९३४ के साम्प्रदायिक दगो के दौरान मस्जिद क्षतिग्रस्त हुई जिसकी तत्कालीन यू०पी० सरकार ने मरम्मत करवायी।

(८) १८६० के "मिसलबन्द" रजिस्टर मे उक्त मस्जिद बाबरी के नाम मे दर्ज है।

(६) कि, वक्फ आयुक्त की, २६-२-१६४४ को सरकारी राजपत्र मे प्रकाशित रिपोर्ट मे इस मस्जिद का उल्लेख सुन्नी वक्फ के तौर पर किया गया है।

(१०) कि, उपरोक्त तथ्यो के आधार पर यू०पी० सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फस ने उक्त मस्जिद को वक्फ के तौर पर इस प्रकार दर्ज किया है—वक्फ न० २६, फैजाबाद, यू०पी० मुस्लिम वक्फ कानून, १६६० के तहत।

(११) कि, २२-१२-१६४६ तक उक्त मस्जिद मे मुस्लिमो द्वारा नियमित रूप से नमाज अदा की जाती रही। २२/२३-१२-१६४६ की रात मुस्लिम-विरोधी जनूनियो की एक हिंसक भीड ने, तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट मि० के०के० नैयर की मिलीभगत से मस्जिद पर जबरन कब्जा कर लिया। इस गंदी वारदात के बाद उक्त मजिस्ट्रेट को इस्तीफा देना पडा था। श्री रामचन्द्र जी की मूर्तियाँ मस्जिद मे चोरी से प्रस्थापित कर दी गयी। मौका-ए-वारदात पर तैनात कॉनस्टेबिल श्री माता प्रसाद द्वारा दर्ज अयोध्या पुलिस थाने की सूचना रपट मे इस सच्चाई की पुष्टि होती है कि मूर्तियाँ २२/२३।

(१२) कि, २३ दिसम्बर १६४६ को रात चोरी से स्थापित की गयी। उक्त एफ०आई०आर० की प्रतिलिपि इस ज्ञापन के साथ परिशिष्ट बी के तौर पर सलग्न है। दिसम्बर, १६४६ को दण्ड विधान सहिता की धारा १४४ के तहत फैजाबाद तथा अयोध्या मे लागू आदेश के बाद मस्जिद को भा०द०वि०न० धारा १४५ के तहत कुर्क कर लिया गया।

(१३) कि, १६-१-१६५० को एक श्री गोपाल सिंह विशारद ने मुन्सिफ सदर, फैजाबाद की अदालत मे मुकदमा नं० २-१६५० दायर किया। यहाँ यह सब बताना प्रासगिक होगा कि, सिविल जज, फैजाबाद की अदालत मे डिप्टी कमिश्नर, फैजाबाद, श्री जे०एन० उग्र के मुकदमा न० २-१६५० मे प्रस्तुत लिखित बयान मे तथा राज्य सरकार के आर०एस० न० २५-१६५० मे दर्ज लिखित बयान मे यह स्वीकार किया गया है कि श्री रामचन्द्र जी की मूर्तियाँ मस्जिद मे बतौर शरारत रखी गयी थी। श्री जे०एन० उग्र, उप आयुक्त, फैजाबाद द्वारा मुकदमा न० २/१६५० मे लिखित बयान की प्रतिलिपि इस ज्ञापन के परिशिष्ट ई मे सलग्न हैं। इसी तरह एक अन्य मुकदमा निर्मोही अखाड़े द्वारा दायर किया गया। अन्ततः एक चौथा मुकदमा उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फस, लखनऊ द्वारा फैजाबाद के सिविल जज की अदालत मे दायर किया गया जिसका पंजीकरण क्रमाक १२—१६६१ है। इन चारो मुकदमो को मिलाकर रजि० सूट न० १२—१६६१ को—जो कि वक्फ बोर्ड द्वारा दायर किया गया था, अग्रणी मुकदमा बनाया गया।

उपरोक्त सभी लिखित बयान जो राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं, यह पूर्णतया स्थापित हो जाता है कि राज्य सरकार उक्त इमारत को बराबर बाबरी मस्जिद ही मानती रही है, न कि श्री रामचन्द्र जी का मन्दिर।

(१४) मस्जिद के प्रापकत्व (रिसीवरशिप) से सम्बन्धित एक मामले में उक्त अग्रणी मुकदमें नं० १२-१९६१ की फाइल इलाहाबाद उच्चन्यायालय द्वारा रख ली गयी थी। यह अब भी उसी अदालत (लखनऊ खण्डपीठ) के पास है।

(१५) कि, अकस्मात् २५-१-१९८६ को एक श्री उमेशचन्द्र पाण्डेय, अधिवक्ता फैजाबाद ने मुकदमा नं० २-१९६० मे, मुंसिफ की अदालत मे, आवेदन किया कि फैजाबाद के डी० एम० तथा एस० पी० को परिसर का ताला, खोलने का निर्देश दिया जाए ताकि वह तथा हिन्दू समाज के अन्य सदस्य वहाँ पूजा कर सकें। २८-१-१९८६ को विद्वान मुंसिफ ने आदेश दिया कि चूँकि मामला उच्च न्यायालय के सामने है, आवेदन अगली निर्धारित तिथि को प्रस्तुत किया जाए।

(१६) फिर भी, उक्त मुंसिफ के आदेश के खिलाफ ३०-१-१९८६ को जिला न्यायाधीश के सामने एक अपील दायर की गयी। इसकी सुनवाई १-२-१९८६ को हुई। इस तारीख को कुछ मुस्लिमो को इस कार्रवाई का पता चला और उन्होंने इस अपील मे एक पक्ष बनने के लिए आवेदन किया, क्योकि श्री उमेशचन्द्र पाण्डेय ने, मुकदमे के किसी पक्षकार को अभियोजित नही किया था। मूल मुकदमो मे जो मुस्लिम पहले से पक्षकार थे उन्होने भी पक्ष बनने के लिए आवेदन किया। किन्तु जिला न्यायाधीश द्वारा असमर्थनीय रूप से इन प्रार्थनाओं को अस्वीकार कर दिया गया। उन्होने असम्बद्ध रूप से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तथा एस० पी० से पूछताछ की जो शरारती लोगो के साथ मिले हुए लगते थे। उनके अतर्कसंगत तथा अप्रजातान्त्रिक बयान के आधार पर कि मस्जिद का ताला खोल दिये जाने पर कानून और व्यवस्था की कोई समस्या नही खडी होगी। जिला न्यायाधीश ने अपील मन्जूर की तथा डी० एम० एवं एस० पी० को निर्देश दिया कि विवादग्रस्त स्थल परिसर से ताला खोल दिया जाए। उसी दिन शाम ५-१५ बजे ताला तोड़ दिया गया।

(१७) यह बताना भी प्रासंगिक होगा कि, जो आदेश साजिश के जरिए तथा, मुस्लिम के पीठ पीछे किया गया है, उसमे स्पष्ट तौर पर ये खामियाँ हैं—

(१) विचाराधीन आवेदन का आवेदक, उक्त किसी भी मुकदमे मे पक्षकार नही है, अतः उसे सुनवाई का अधिकार नही है।

(२) कि, उक्त मूल मुकदमो मे जो मुस्लिम पक्षकार रहे हैं, तथा जिन्होंने अपील मे पक्षकार बनने का आवेदन भी किया था, उन्हें पक्षकार नही बनाया गया।

(३) जिला न्यायाधीश ने जैसा कि गलती से किया है, अपीलो मे बयान

कभी दर्ज नहीं किये जाते।

(४) मुसिफ द्वारा जारी आदेश अपील योग्य नही है, क्योंकि उन्होने अभी मुकदमे का फैसला नही किया है।

(५) अपील जिला न्यायाधीश द्वारा सुनी गयी तथा इकतरफा आदेश जारी कर, उसी दिन उस पर अमल किया गया।

(६) सबसे बढ़कर, ऐसा कोई आदेश जारी नही किया जा सकता था, जबकि मूल मुकदमे के अभिलेख इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ खण्डपीठ) के पास पड़े हुए हैं।

(१८) कि, जिला न्यायाधीश के आदेश का नतीजा है— "दंगे, मुल्क के कई हिस्सों में लागू संचारबन्दी, तथा सामूहिक गिरफ्तारियाँ। इस आदेश से ऐसे हालात पैदा हुए हैं, जिनमें मुस्लिमो का न्यायप्रणाली मे भरोसा हिल गया है।

(१९) कि, हम यह आरोप लगाने पर विवश हैं, कि राष्ट्रीय दूरदर्शन नेटवर्क ने इस विवाद मे एक पक्ष बन जाने जैसा रवैया अपनाते हुए मस्जिद मे हिन्दू भक्तो के प्रवेश का दृश्य प्रसारित किया है तथा विवादित परिसर को "राम जन्मभूमि" कहा है। अखिल भारतीय आकाशवाणी का भी यही रुख रहा है।

(२०) कि, मुस्लिम समुदाय की तरफ से किये गये शान्तिपूर्ण व प्रजातान्त्रिक विरोध पर कानून और व्यवस्था तत्र का समर्थन प्राप्त बहुसंख्यक समुदाय ने रोष प्रकट किया।

(२१) दरअसल चुभने वाली बात यह है कि भारत की वास्तविक प्रजातान्त्रिक व धर्मनिरपेक्ष जीवन शैली को कायम रखने और समृद्ध करने वाले मूल्य विकृत हो रहे हैं और यदि भारत को मजबूत और अखण्ड रखना है तो तत्काल कुछ किया जाना चाहिये इस सम्बन्ध मे हम सम्माननीय प्रधानमत्री का ध्यान फैजाबाद के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और स्वतंत्रता सेनानी श्री अक्षय पडित के शोक संताप की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं जिन्होने १९५० मे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गृहमत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का ध्यान बाबरी मस्जिद को जबरन एक मन्दिर मे परिवर्तित करना चाहने वाले कुछ हिन्दू कुविश्वासियो की जोर जबरदस्ती गुण्डागर्दी की ओर आकृष्ट किया था।

"राह-ए-फर्ज पर" शीर्षक से उर्दू मे श्री अक्षय पडित का यह क्रन्दन इस ज्ञापन-पत्र के उपाबन्ध एक मे वर्णित है।

इस पृष्ठभूमि के मद्देनजर, हम मुस्लिम सासद, आपसे निम्नांकित माँगों की पूर्ति के लिये उपयुक्त उपाय करने की प्रार्थना करते हैं—

(क) कि आप इस मामले मे तत्काल हस्तक्षेप करें और बाबरी मस्जिद मुस्लिम समुदाय को पुनः सौंपने के लिये फौरन उपाय करें।

(ख) कि फैजाबाद के जिला न्यायाधीश द्वारा १-२-१९८६ को पारित

आदेश के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की जाए।

(ग) कि जिला न्यायाधीश के रूप मे १-१२-१६८६ के अपने आदेश मे प्रेक्षण दिया क्या कानून व व्यवस्था कायम करने के लिये अधिकारीगण स्वतत्र रूप से उपाय कर सकते हैं अतः बाबरी मस्जिद की बावत ३१-१-१६८६ को मौजूद यथास्थित वहाल की जाए।

(घ) कि, इस सम्पत्ति से सम्बद्ध सभी विलम्बित मुकदमो का निपटारा छः माह को अवधि के अन्दर किया जाए।

(च) कि, विभिन्न राजनैतिक दलो का प्रतिनिधित्व करने वाले सासदों का एक शिष्ट मण्डल बाबरी मस्जिद का दौरा करने के लिये अयोध्या भेजा जाए तथा उसी शिष्टमण्डल को उक्त मस्जिद की मौजूदा असली हालत सामने लाने के लिये मस्जिद के फोटो लेने और नक्शा बनाने की सुविधा मुहैया की जाए।

(छ) कि, राजकीय माध्यमों को उक्त परिसर को राम जन्मभूमि के रूप मे प्रचारित न करने का निर्देश दिया जाये।

लोकसभा

(१) काजी जलील अब्बासी, (२) अकबर जहाँ बेगम, (३) सरफराज अहमद, (४) आबिदा अहमद, (५) अनवर हसन, (६) अब्दुल हन्नान असारी, (७) इब्राहिम सुलेमान सेन, (८) गुलाम महमूद बनातवाला, (६) बशीर टी, (१०) हुसैन दलवई, (११) अब्दुल रशीद काबुली, (१२) असलम शेर खान, (१३) मोहम्मद अयुब खाँ, (१४) महफूज अली खाँ, (१५) चौधरी रहीम खाँ, (१६) जुल्फिकार अली खा, (१७) सैयद शहाबुद्दीन, (१८) सलाद्दीन ओवैसी, (१६) फकीर मोहम्मद ई० एस० एम०, (२०) अहमद पटेल, (२१) अजीज कुरैशी, (२२) सलाहुद्दीन, (२३) पी०एम० सईद, (२४) हाफिज मो० सिद्दीकी, (२५) सैफुद्दीन सोज, (२६) तारीक अनवर, (२७) गुलाम यजदानी, (२८) जैनुल बशर।

राज्य सभा

(२६) सैयद हाशिम रजा आबिदी, (३०) हमानूल्ला असारी, (३१) अमरारुल हक, (३२) एफ० एम० खान, (३३) मो० हाशिम किदवई, (३४) बी० बी० अब्दुल्ला कोया, (३५) असद मदनी, (३६) गुलाम रसूल मट्टू, (३७) मिर्जा इर्शाद बेग, (३८) रफीक आलम, (३६) गुलाम मोहिउद्दीन शाल, (४०) शमीम अहमद सिद्दीकी, (४१) राव वली उल्लाह।

७ फरवरी, १६८६ को अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रो ने संकल्प

अंगीकृत किया।

"इस मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय मे पवित्र कुरान के विरुद्ध हाल मे रिट याचिका दायर करने और शाहबानो केस मे अपने आत्म-सम्मान को एक सीधी चुनौती मानकर मुस्लिम व्यक्तिगत कानून पर आक्रमण करने के बाद बाबरी मस्जिद को मन्दिर मे परिवर्तित करने का मामला उठाया और भारत सरकार से इन हालात को जल्द सुधारने की माँग की ताकि मुस्लिम युवक कही ऐसे तरीके अपनाने को मजबूर न हो जाए जो देश के लिए विनाशकारी हो। हम माँग करते हैं कि बाबरी मस्जिद के मामले मे यथापूर्व स्थिति कायम की जाए।"

"हम यह भी माँग करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद ४४ को निकालकर मुस्लिम व्यक्तिगत कानून में हस्तक्षेप का रास्ता सदा के लिये बन्द कर दिया जाए।"

वि०हि०प० द्वारा भारत सरकार को ६ अक्टूबर १९८९ को पेश किये गये दस्तावेजो पर बाबरी मस्जिद समन्वय समिति ने की टिप्पणिया इस प्रकार थी।

विस्तृत उत्तर देने से पूर्व मेरा कहना है कि किसी भी दस्तावेज मे अपेक्षया विशाल परिप्रेक्ष्य मे देखे गये विवाद के दो बुनियादी मुद्दो पर एक भी प्रमाण मौजूद नहीं है।

(१) क्या बाबरी मस्जिद श्री रामचन्द्र जी के जन्मस्थल पर खडी है ? यदि हाँ तो बाबरी मस्जिद के निकट स्थित राम जन्मस्थान मन्दिर एव बाबरी मस्जिद की बाहरी चारदीवारी मे स्थित राम चबूतरे का धार्मिक स्तर क्या है ?

(२) क्या बाबरी मस्जिद बनाने के लिये उस स्थान पर पहले से विद्यमान विशाल मन्दिर को नष्ट किया गया था ?

(१) बाबर का इतिहास वृत (क्र०सं० १ व ४)

दोनो (लीडन व अर्स्किन या बीवरिज) मे से कोई भी सस्करण इसका सकेत नही देता कि बाबर ने कभी अयोध्या को छुआ भी था। अपनी टिप्पणी मे श्रीमती बीवरिज केवल फैजाबाद के उपायुक्त नेविल का उदाहरण देती है अन्य कोई मौलिक स्रोत या प्रमाण प्रस्तुत नही करती। इस्लाम के बारे मे उनकी भ्रान्त धारणा पृष्ठ एल० एक्स० वी० आई० आई० आई० (परिशिष्ट) मे नीचे दिये गये नोट से स्पष्ट हो जाती है। इसलिये वह १८५७ के उत्तरकाल के ब्रिटिश लेखकों की जानी-मानी पक्षपातपूर्ण व भ्रान्तधारणाओं को प्रस्तुत करती है।

(२) सरकारी प्रकाशनो से कुछ अश (मद २ व ३)

प्रारम्भिक ब्रिटिश सकलन व गजट ज्यादातर स्थानीय अफवाहो पर आधा-

रित है और इतिहास के वक्तव्यो के समर्थन मे कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश नही करते। बाद के राजपत्रो ने भी १८७० के कार्नेजी के ऐतिहासिकरे खाचित्र के मामले मे पिछले प्रकाशनो का शब्दश: अनुसरण करने के अलावा अन्‍य कुछ भी योगदान नही किया।

समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा लिखे गये इतिहासो की तरह गजट भी राजनैतिक मकसद लिये होते थे; जो बांटो और राज करो की नीति का पोषण करते थे। इसके लिये वे तथ्यो के रूप में स्वीकार करते और विधिवत खोजबीन किये बगैर स्वैच्छिक रूप से उन्हें प्रस्तुत करते थे। मकसद होता था हिन्दुओ और मुस्लिमो मे मौजूद खाई को और गहरा करना।

लेकिन कार्नेजी के ऐतिहासिक रेखाचित्र ने, जिसकी गजट से अनुरूपता थी, सिद्ध किया है कि १८५५ से १८७० तक मुस्लिम बाबरी मस्जिद मे नमाज अदा करते थे जबकि हिन्दू राम चबूतरे पर धार्मिक रीति संस्कार सम्पन्न किया करते थे। इसके १९४९ तक आगे जारी रहने की बात सिद्ध करने वाले अन्य अभिलेख भी मौजूद हैं। पूछा जा सकता है कि यही स्थिति पुन क्यों नही स्थापित हो सकती है ?

हिन्दू-बौद्ध मूल के कुछ स्तम्भो के सम्बन्ध मे यही कहा जा सकता है कि निर्माण सामग्री प्राचीन खण्डहर के मलबे से लेकर दोबारा प्रयोग की गयी थी जैसा कि आज भी होता है। और केवल १४ स्तम्भ इस प्रकार प्रयोग कर भी लिये जाए तो बाकी का क्या हुआ ?

(३) जन्म प्रकाशन (क्र०सं० ३ (२रा भाग) तथा ६)

स्वाभाविक है कि अयोध्या के बारे मे लिखते हुए यूरोपीय लेखकों ने महज राजपत्रो (गजटो) व पिछली पुस्तकों का अनुसरण किया होगा। श्री बेकर कोई भी मौलिक स्रोत प्रस्तुत नही करते हैं।

माइकल विवार का मामला वास्तव मे चिन्तनीय है। वह हनुमानगढी स्थित मस्जिद को बाबरी मस्जिद समझ बैठे हैं। १८५५ मे, विवाद की जड़ और विषय हनुमानगढी की मस्जिद भी बाबरी मस्जिद नही। यह उनके शोध का कृत्रिम स्तर प्रदर्शित करता है।

(४) कानूनी दस्तावेज (क्र०स० ११ व १२)

इन दस्तावेजो का सम्बन्ध १८८३-८५ के राम चबूतरा मामले से है। इन अभिलेखो के अध्ययन से सिद्ध होता है कि स्वय बाबरी मस्जिद पर किसी बिन्दु पर कोई दावा नही किया गया है।

(५) राजस्व अभिलेख (मद ७, ८ व १३)

इसमे न सिर्फ यह सिद्ध होता है कि बाबरी मस्जिद का अस्तित्व था बल्कि यह भी कि मुतावली के जरिये मुस्लिम समुदाय द्वारा उसका प्रबन्ध होना था और वह उनके कब्जे मे थी और यह भी कि उसे राजस्व अधिकरण द्वारा मान्य व लागू धर्मस्व का समर्थन मिला था।

ज्ञातव्य है कि मस्जिदो को उनके स्थान के सदर्भ मे जाना जाता है। तदनुसार बाबरी मस्जिद को १९वी सदी के विभिन्न दस्तावेजो मे अयोध्या जामा मस्जिद, जन्मस्थान मस्जिद, मस्जिद सीता रसोई, मस्जिद जन्मभूमि, चूंकि १६वी सदी मे रामपथ के उदय के बाद अयोध्या को रामचन्द्र जी का नगर व जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद स्थित है उस राजकोट को दशरथ का किला के रूप मे मान्यता मिली थी। किन्तु इससे यह सिद्ध नही होता कि बाबरी मस्जिद का स्थान श्री रामचन्द्र जी का जन्मस्थान है या उसका निर्माण उस स्थान पर पहले से मौजूद मन्दिर को नष्ट करने के बाद किया गया था।

(६) वक्फ अभिलेख (मद ९ और १०)

यह अधिक विधिसम्मत तो नही है पर १९४९ मे अयोध्या की स्थिति का कुछ जायजा देता है जब उस स्थान के मुस्लिमो को परेशान किया गया था और उन्हे बाबरी मस्जिद मे नमाज अदा करने मे रोका गया था। रपट भी यह बताती है कि २२-२३ दिसम्बर १९४९ को बाबरी मस्जिद पर गैर कानूनी कब्जा कैसे किया गया था। किन्तु इन्ही दस्तावेजो से यह भी साबित होता है कि मस्जिद मे १९४८ तक बदस्तूर नमाज अदा की जाती रही थी और यह कि उसका इन्तजाम उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा किया जाता था। इस बिन्दु पर हमारे पास पुलिस रिकार्ड मौजूद है मुकदमेबाजी के रिकार्ड और सबसे ऊपर श्री अक्षय ब्रह्मचारी का ज्ञापन है।

(७) पुरातात्विक अभिलेख (रिकार्ड) राम जन्मभूमि विवाद (क्र०स० ५)

भारतीय पुरातत्व विज्ञान वार्षिकी १९७६-७७ निम्नलिखित खोज प्रस्तुत करती है :

(१) अयोध्या मे और विशेषकर रामकोट मे प्रथम मानव निवास प्राय. ई० पूर्व० ७वी शताब्दी मे हुआ था।

(२) ई० सन् ३री शताब्दी तक उस पर कब्जे के अनेक परवर्ती दौर आए।

(३) इनमें से एक दौर जिसे प्राचीरोत्तर दौर कहते हैं ई० पूर्व ३री सदी

से पहली ईसवी सदी तक चला।

(४) स्थायी सरचना की दृष्टि से ई० सन् की ३री सदी व ई० सन् की ११वी सदी के बीच उस पर स्थापित कब्जे मे अन्तराल है।

(५) उस स्थान पर गुप्त काल का संकेत नही मिलता।

चूँकि रामचन्द्र जी का युग बहुत पहले का युग बताया गया है, पुरातात्विक रपट अयोध्या को दशरथ की नगरी मानने पर सन्देह करती है। दूसरे कहा जाता है अयोध्या मे राम जन्मभूमि मन्दिर का निर्माण विक्रमादित्य ने किया है। यदि उसका सम्बन्ध गुप्त राजवंश से है तो यह दावा पुरातात्विक अभिलेखो से सरासर गलत सिद्ध हो जाता है। लेकिन प्रश्न फिर भी अनुत्तरित रह जाता है कि क्या अयोध्या मे कभी कोई उल्लेखनीय मन्दिर बना था या उसे बनाया किसने था और कब बना था। इस प्रकार पुरातात्विक रपट राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के मूल तथ्यो पर प्रश्नचिह्न लगाती है।

निष्कर्ष-टीका

मैं यहाँ जोडना चाहूँगा कि अयोध्या कन्नौज साम्राज्य का एक हिस्सा था जिसका सबसे कुशल शासक हर्ष (६०६-६३६ ई० सन्) हुआ था। तदनन्तर ७वी से ६वी सदी तक कन्नौज पर प्रतिहारो का राज रहा। ११६४ मे पठानो ने कन्नौज राज्य को पराजित किया और अयोध्या लेकर ११६४ से १५२६ तक ३०० वर्षों तक शासन किया तब बाबर सामने आया। ह्वान स्वाग या फ्हीद सहित अन्य चीनी यात्रियो ने सभी नगरो की विस्तृत रपट छोडी थी वस्तुतः ह्वान स्वाग ने अयोध्या को बौद्ध केन्द्र माना था। कन्नौज साम्राज्य के या प्रतिहारो के किसी भी उपलब्ध रिकार्ड से अयोध्या मे ऐसे किसी मन्दिर के निर्माण की कोई पुष्टि नही होती। मजे की बात यह है कि कार्नेगी तक ने कसौटी स्तम्भों को बौद्ध कला कौशल का नमूना बताया था।

पठान काल मे ऐसे किसी मन्दिर के अस्तित्व या विनाश का कोई रिकार्ड नही है। सवाल उठता है कि यदि राम जन्म-भूमि रामकोट मे विद्यमान था, और मान लिया जाए कि ऐसा कोई मन्दिर गुप्त या प्रतिहारो ने बनाया था जो वह ३०० से अधिक वर्षों तक नष्ट क्यो नही हुआ या उस समय की लूटपाट मे भी कैसे सलामत रहा जबकि कोई अन्य उल्लेखनीय स्मारक नही रह पाया था, इसीलिये ऐसे किसी मन्दिर का अस्तित्व संदेहास्पद है जो गुप्त काल, कन्नौज काल, प्रतिहार काल या पठान काल तक कायम रहा ताकि बाबर द्वारा नष्ट किया जाए।

इसका कोई साहित्यिक प्रमाण भी नही है १५२८ में जब बाबरी मस्जिद बनी थी तब तुलसीदास ३० वर्ष के थे वे अयोध्या मे रहते थे और वही उन्होंने

रामायण लिखी थी। किन्तु श्री रामचन्द्र के जन्मस्थान मे श्री रामचन्द्रजी को समर्पित किसी मन्दिर के अस्तित्व या विनाश का कही भी हल्का-सा सकेत नही दिया था।

अयोध्या का हिन्दू तीर्थ स्थान के रूप मे महत्व बताने वाले आइन-ए-अकबरी के रचनाकार अबुल फजल से लेकर पाणिकर तक किसी भी इतिहासकार ने बाबरी मस्जिद बनाने के लिये किसी मन्दिर को ध्वस्त करने का उल्लेख नही किया है।

विनष्ट (?) मन्दिर के पुनर्निर्माण का प्रश्न अकबर के समय मे नही उठाया गया था (जो केवल पीढी बाद आया था और इसलिये जनता के मानस मे ताजा था) और न ही दिसम्बर १६४६ तक किसी विख्यात धार्मिक या राजनैतिक नेता द्वारा उठाया गया था। बाबर की अपनी जीवनी हिन्दू वास्तुकला के प्रति उसके प्रशसात्मक दृष्टिकोण व अन्य धर्मों के प्रति उसकी सहिष्णुता की पुष्टि करती है। दरअसल उसने तो अपने बेटे को हिदायत दी थी कि यदि वह अपना साम्राज्य कायम रखना चाहता है तो हिन्दू के पूजन-स्थलो को हाथ न लगाए।

एक और दिलचस्प सवाल उठा है। दूसरा कोई भी मन्दिर जो विशेषकर श्री रामचन्द्र जी को समर्पित किया गया हो व भारत मे १६वी सदी से पहले था अब अस्तित्व मे नहीं है इसलिये यह नही कहा जा सकता है कि उन सभी मन्दिरो को बाबर या किसी दूसरे शासक ने नष्ट किया था वस्तुत. सभी इतिहासकार प्राय: यह मानते हैं कि राम के पथ ने उसकी उपस्थिति दर्शायी थी और तुलसी दास द्वारा स्थानीय भाषा मे रचित रामायण की लोकप्रियता के फलस्वरूप जन सामान्य का समर्थन प्राप्त कर लिया था।

इसलिये इन दस्तावेजो मे इस पत्र के आरभ मे चर्चित मूल मुद्दो के सबध मे कुछ भी मौजूद नही है और यह हमे कोई अगली जानकारी नही देते। जिम्मेदारी अब भी दावेदारो के ऊपर है।

ऐतिहासिक (कानूनी दस्तावेजो की सूची)

(१) लेडन की बाबर की जीवनी

(२) श्रीमती बीवरिज कृत बाबर की जीवनी (उपरोक्त दस्तावेज मे बाबरी मस्जिद मे प्राप्त शिलालेखो का उल्लेख है)

(३) लगान मुक्त अनुदान (जून १८६०) प्रथम बन्दोबस्त के रजिस्टर की नक्ल-उर्दू प्रतिलिपि (पर्चे)

(४) पी० कार्नेगी द्वारा फैजाबाद तहसील का ऐतिहासिक रेखाचित्र।

(५) बन्दोबस्त अधिकारी न्यायालय का आदेश, फैजाबाद तारीख ३-१-

१८७०

(६) मुख्यायुक्त सचिव, अवध द्वारा आयुक्त फैजाबाद डिविजन को भेजे गये २५-८-१८६३ के पत्र

(७) फैजाबाद जिला न्यायाधीश का १८/२६-३-१८८६ का फैसला

(८) अवध न्यायिक आयुक्त का १-११-१८८६ का फैसला

(९) १९२८ का फैजाबाद गजट

(१०) वक्फ निरीक्षक (लखनऊ) मो० इब्राहिम की रपट दिनाक १०-१२-१९४०

(११) वही दिनाक २३-१२-१९४१

(१२) भारतीय पुरातत्व विज्ञान १९७,-७७

(१३) हम बेंकर कृत अयोध्या (इसमे मार्टीन १८३८, अंक २/३३६ के अंश भी शामिल हैं)

(१४) माइकल विचार लिखित लेख

(स्रोत मुस्लिम इंडिया)

बाबरी मस्जिद संघर्ष समन्वय समिति के अध्यक्ष सैयद शहाबुद्दीन के अनुसार—

"मैं इसे भाजपा की राजनीतिक रणनीति मानता हूँ। मण्डल आयोग से पैदा हुई स्थितियो से खुद को बचाने के लिए भाजपा ने यह कदम उठाया है। इसके बहाने वह जनता को वरगलाना चाहती है। पिछले चुनावो मे हिन्दू का इस्तेमाल करने के लिए राजीव ने ताला खुलवाया। भाजपा सोचती है कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। उसकी तैयारी का ही यह एक तरीका है।

आडवाणी जैसे समझदार व्यक्ति को इस तरह कोई कदम नही उठाना चाहिए था कि भाई-भाई मे तनाव बढे।

उनका कहना है कि यह पदयात्रा सम्प्रदायिक सदभाव के लिए है?

जब आप मस्जिद-मन्दिर के विवाद को लेकर चले हैं, तो नाजुक हालत मे सदभाव कैसे बनेगा? वैसे आडवाणी जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। मैं आशा करता हूं कि वे ऐसी कोई स्थिति पैदा नही होने देंगे और मामले को बातचीत से हल करने की कोशिश करेंगे।

बाबरी मस्जिद १५२८ मे बनी, तब से १९४९ तक तो किसी ने दावा नही किया। अयोध्या मे आधा दर्जन से ज्यादा ऐसी जगहे हैं जिनकी रामचन्द्र जी की जन्मस्थली के रूप में पूजा होती है। शुद्ध संत तुलसीदास तक ने मन्दिर तोडकर मस्जिद बनाए जाने का कोई जिक्र नहीं किया। रामचरित मानस मे न सही, अपने सामकालीनो से पत्र-व्यवहार मे तो वे इस पर कुछ कह सकते थे। अब्दुर्रहीम खानखाना से उनकी गाढ़ी दोस्ती थी। उनको भी तुलसी ने कुछ नहीं लिखा।

अगर इतना बड़ा मन्दिर था तो किसी ने उसे देखा होगा। किसी भी लेखक या विदेशी यात्री ने इसका कहीं वर्णन तक नहीं किया। मुसलमानों ने सन् ११६२ में अयोध्या पर कब्जा किया। और बाबर सन् १५२८ में शासक बना। यह ताज्जुब की बात है कि मुसलमानों ने सन् ११६२ से १५२६ तक मन्दिर रहने दिया और बाबर ने उसे आते ही तुड़वा दिया।

मेरी समझ में यह बात नहीं आती। यह तथ्य है कि अयोध्या को बाबर ने हिन्दुओं से नहीं, मुसलमान पठानों से लिया था। ग्वालियर में हिन्दू राजा था। चंदेरी में था। उन्हें जीतने के बाद तो बाबर ने वहाँ के मन्दिर नहीं तोड़े बल्कि वहाँ की खूबसूरती के बारे में अपनी डायरी के कई पन्ने रंग दिए। जो आदमी अपनी वसीयत में बेटे को लिखे कि एक अच्छी सल्तनत वही है जो जनता का दिल जीते। जिस बाबर ने लिखा है कि राज्य में गोहत्या बन्द कर दो, दूसरों के धर्मस्थल पर हाथ न लगाओ उसी के बारे में ऐसा कहने का क्या औचित्य है? मन्दिर के होने या उसे तोड़ने का जिक्र तक किसी इतिहास की किताब में नहीं है।

इसकी जड़ में कुछ फासिस्ट लोग हैं जो चाहते हैं कि यहाँ हिन्दू राज्य हो। वे खुद को राष्ट्रप्रेमी कहते हैं पर उनके मंसूबे और हैं। पहले मुसलमानों ने राज्य किया, उनका अपमान किया, अब तुम उनका करो। मन्दिर तो एक बहाना है। मैं कहता हूँ कि मन्दिर तोड़कर मस्जिद बनाने का कोई ऐतिहासिक सबूत मिल जाए तो मैं पहला आदमी होऊंगा जो कहेगा कि गलत जगह पर, मस्जिद बनी है। इसीलिए यह मस्जिद नहीं है।

पहले तो मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि यह विवाद भगवान राम की जन्मभूमि या उनके मर्यादा पुरुषोत्तम होने से नहीं जुड़ा है। वे हम सबके पूज्य हैं। बाबर का नाम इस विवाद से जोड़ दिया गया। मुसलमान तो उसे पीर भी नहीं मानते। वह एक राजा था। राम से उसकी तुलना हो ही नहीं सकती। मुसलमानों के लिए भी वे श्रद्धा के पात्र रहे हैं। विवाद रामचन्द्र जी बनाम बाबर नहीं है।

फिर विवाद किस पर है?

एक विवाद तो अदालत में है। अदालत को यह फैसला करना है कि २२-२३ दिसम्बर १९४९ की रात से पहले वहाँ क्या स्थिति थी। इसका सामना करने से विश्व हिन्दू परिषद घबराती है कि हार जाएंगे। अदालत के सामने जाने से वे कतराते क्यों हैं? वे यह भी जानते हैं कि अदालत में बहस इस पर नहीं होगी कि रामचन्द्र जी वहाँ पैदा हुए थे या नहीं, वे अवतार थे या नहीं। वह यह भी नहीं कहेगी। कि अयोध्या ही रामचन्द्र जी की जन्मभूमि है या नहीं क्योंकि यह तो विश्वास का प्रश्न है। सवाल है कि बाबरी मस्जिद वाली जगह आज

विवादास्पद हो चुकी है और कुरान मे ऐसी किसी भी जगह नमाज पढने की मनाही है। फिर मुसलमान इस जगह को क्यो नही छोड देते ?

शरीयत मे यह नही लिखा है कि मस्जिद बनने के ४५० वर्ष बाद आप विवाद खड़ा करें और कहे कि जगह विवादास्पद है और छोड़ दो। उसमे लिखा है कि मस्जिद बनाते समय ध्यान रखो कि वह जगह झगड़े की न हो या उसे जबर्दस्ती न लिया गया हो।

शाहबानो और इसमे बहुत अन्तर है। वहाँ मुद्दा यह नही था कि शाहबानो किसी की बीबी थी या नहीं। उसे तलाक दिया गया या नही। जबकि यहाँ मुद्दा है कि मन्दिर था या नही। वहाँ मामला शरीयत से जुडा था। हमारे यहाँ न्यायपालिका से ऊपर विधानपालिका है। उसी ने "मुस्लिम पर्सनल लॉ" को स्वीकारा।

मुलायम जो कर रहे हैं, वह बहुत अच्छा है। मैं ऐसे कामो की सराहना करता हूँ। जनता को बताना जरूरी है कि मामला धर्म का नही, राजनीति का है। जब तमाम पार्टियाँ इस पर एक होगी तो हजार सिंघल या अवैद्यनाथ भी कुछ नही कर सकते।

इसका हल कानून और बातचीत के जरिए ही हो सकता है। मैं तो कहता हू कि मस्जिद को वही रहने दो। आप राम चबूतरे से लेकर सरयू नदी के किनारे तक रामचन्द्र जी का भव्य मन्दिर बनाइए। हमे खुशी होगी। मन्दिर मस्जिद एक साथ होगे तो यह भारतीय गौरव का एक स्मारक होगा। आपसी भाईचारे और विश्वास का प्रतीक होगा।

"मन्दिर निर्माण रोकने मे मैं क्या कर सकता हूँ ? करना तो सरकार को है। सविधान की रक्षा करना उसका दायित्व है। यदि अदालत की मर्यादा और सविधान पर आँच आती है तो उसे बचाना किसी समुदाय की नही, बल्कि राज्य की जिम्मेदारी है। उसे मुकाबला करना चाहिए। लेकिन मैं पूछता हूँ कि अवैद्यनाथ या सिंघलो के मन्दिर बने और भारतमाता का मन्दिर टूट जाए, तो क्या यह राष्ट्रहित मे होगा ? विश्व हिन्दू परिषद या भाजपा की यह चुनौती मुसलमानो को बल्कि सविधान को है।"

७. पक्ष धर्मनिरपेक्षतावादियों का

भारत में धर्मनिरपेक्षतावादी गांधीजी को अपना सबसे महान आदर्श मानते आये हैं। यदि इस समय वे उपस्थित होते तो क्या कहते और करते ?

इस संदर्भ मे हाल ही मे हुई एक नाटकीय घटना उल्लेख योग्य है। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कृष्णलाल शर्मा के कथित रूप से एक 'गाधी फार्मूला' प्रधानमंत्री चद्रशेखर के पास भेजा। टाइम्स आफ इंडिया के तथा अन्य शोध-कर्त्ताओं ने समूचा गाधी वाङ्मय छान मारा किन्तु उन्हें वह कहीं नहीं मिला। सोमनाथ मन्दिर के पुनरुद्धार के संदर्भ मे गाधी जी की कथित सम्मति का उल्लेख श्री शर्मा ने किया था। इस पर धर्मनिरपेक्षतावादी आलोचकों ने उन पर यह आरोप लगाया।

यह जीवनजी देसाई 'नवजीवन' के माध्यम से २३ जून १९५० को ही स्पष्ट कर चुके थे। लेकिन साम्प्रदायिकता और फासिज्म हमेशा झूठ के बल पर ही चलते हैं। वे झूठ को इतनी बार दोहराते हैं कि वह सच लगने लगता है। जहाँ झूठ सम्भव नहीं होगा, वहाँ अर्धसत्य का सहारा लिया जाता है मसलन यह बात पिछले दिनों बार-बार कही गई कि बाबरी मस्जिद मे १९४९ से नमाज नहीं पढ़ी गई लेकिन यह बात चालाकी से छिपा ली गई कि नमाज क्यों नहीं पढ़ी गई। प्रभाव यह पैदा किया कि मुसलमानों ने स्वयं इस मस्जिद का परित्याग कर दिया है। चूंकि इस इमारत का ४० वर्षों से मस्जिद के रूप मे उपयोग नहीं हुआ है, अतः इसे मस्जिद कैसे कहें। यह तो एक जीर्ण-शीर्ण ढांचा है। सच यह है कि यहाँ नमाज पढ़ना तभी बंद हुआ, जब १९४९ मे यहाँ नमाज पढ़ना तो दूर, मुसलमानों के प्रवेश तक पर पाबंदी लगा दी गई। फिर मुसलमान यहाँ नमाज कैसे पढ़ते। जहाँ तक 'ढांचे' के जीर्ण-शीर्ण होने का सवाल है, तो १९४९ से ही यह पूरी इमारत रिसीवर के कब्जे मे है और आप जानते हैं कि रिसीवर विवादित सम्पत्ति की देखभाल का कितना ध्यान रखते हैं।

ऐसा नहीं कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के सवाल पर कोई वास्तविक

गाधी फार्मूला नही हो सकता। हिन्दु-मुस्लिम सवालो पर गाँधी जी आजीवन सोचते रहे। भारत मे साम्प्रदायिक सौहार्द को वे इतना महत्वपूर्ण मानते थे कि उसके बिना आजादी भी उन्हे मजूर नही थी। साम्प्रदायिक सौहार्द की बलिवेदी पर ही वे अन्त: शहीद हुए। अत. राम जन्मभूमि के सवाल पर रोशनी पाने के लिए कोई उनके पास जाए, तो उसे निराश नही होना पडेगा।

गाधी जी के धार्मिक विचारो मे एक बात बहुत बुनियादी है। वे धर्म को व्यवस्था और सगठन का नही, बल्कि व्यक्ति का निजी मामला मानते थे। २२-९-१९४६ के 'हरिजन' मे वे लिखते हैं, मैं अपने धर्म पर अत्यधिक भरोसा रखता हूँ। मैं उसके लिए जान भी दे सकता हूँ। लेकिन यह मेरा निजी मामला है। राज्य को उसमे कुछ भी लेना-देना नही है। यानी धार्मिक विवादो मे राज्य का जरा-सा भी हस्तक्षेप उन्हे पसद नही था। विधायिका, प्रशासन और न्यायपालिका, तीनों राज्य के ही अग हैं। गाधी जी का संदेश स्पष्ट है—धर्म चूकि व्यक्ति का निजी मामला है, अत: किसी भी धार्मिक विषय को लेकर राज्य की किसी भी धार्मिक *शाखा के पास नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक कि उसे राजनीति का विषय भी* नही बनाना चाहिए। गाधी जी ९-८-१९४२ के 'हरिजन' मे बहुत साफ-साफ कहते हैं, धर्म एक व्यक्तिगत मामला है, जिसके लिए राजनीति मे कोई जगह नहीं होनी चाहिए।

यदि किसी धार्मिक विश्वास के सवाल पर दो भिन्न धर्मावलंबियों मे मतभेद हो जाए तो। वैसी स्थिति मे गाधी जी का सदेश है, "हिन्दुओ और मुसलमानो, ईसाइयो, सिखो तथा पारसियो को हिंसा का सहारा लेकर अपने मतभेद नही सुलझाने चाहिए। (यग इडिया, २४-१२-१९३१) मन्दिर और मस्जिद का सवाल तो दूर की बात है। यदि कोई मुसलमान गाय मारने जा रहा हो, तब भी गाधी जी नही चाहेंगे कि बल-प्रयोग के द्वारा उसे रोका जाए। अपने इसी लेख मे गाधी जी कहते हैं, "अगर हिन्दू किसी गाय की जान बचाने के लिए मुसलमान की हत्या कर डालते हैं, तो यह बल प्रयोग नही तो क्या है। यह तो किसी मुसलमान को जबरदस्ती, हिन्दू बनाने की इच्छा रखने जैसी बात हुई।" गाधी जी की यही सलाह मुसलमानो के लिए भी है, "इसी तरह यदि मुसलमान हिन्दुओ को मस्जिद के सामने बाजा बजाने या कीर्तन करने मे जबरदस्ती रोकना चाहते हैं, तो यह बल प्रयोग नही तो और क्या है।" खूबी तो इसमे है कि तमाम शोर-गुल के बावजूद हम अपनी प्रार्थना मे लीन रहे। दोनो का संयुक्त निष्कर्ष यह है, "अगर हम एक-दूसरे से अपनी-अपनी धार्मिक इच्छाएँ मनवाने की निरर्थक कोशिश जारी रखते हैं, तो आनेवाली पीढियाँ हमे अधर्मी जगली करार देंगी।" (यग इडिया, २४-१२-१९३१)

कानून का सहारा नही, हिंसा का सहारा नहीं, जबरदस्ती नही। तो फिर

विवाद का निपटारा कैसे हो। गाँधी जी कहते हैं, एकमात्र प्रभावशाली और सम्मानित रास्ता है मुसलमानों को दोस्त बनाना और गाय की जान बचाने का काम उनकी निष्ठा पर छोड देना। अगर वे मुसलमानो के हाथ से गोवध नही रोक सकते, तो वे कोई पाप नही करते और गाय को बचाने के लिए जब वे मुसलमानो से झगडते हैं, तो वे महान् पाप करते हैं।" (यग इडिया, २४-१२-१९२१) इस विचार के अनुसार यदि अतीत मे मन्दिर तोडकर मस्जिदें बनी हैं और मस्जिद तोडकर मन्दिर बने हैं, तो इनमे साम्प्रदायिक सौहार्द बढेगा ही, यदि ऐसी सभी जगहो पर पूर्वस्थिति लागू कर दी जाए। लेकिन यह काम राजी-खुशी होना चाहिए। इसमे जोर-जबरदस्ती बिल्कुल नही हो सकती। इसके लिए सत्याग्रह भी नही किया जा सकता, क्योकि वह भी दबाव डालने का एक रास्ता है। धर्म से जुडे हुए किसी भी मामले मे गाधी जी किसी भी प्रकार के दबाव की सलाह नही दे सकते।

प्रश्न किया जा सकता है कि कोई हिन्दू राजी-खुशी अपना मन्दिर गिराकर मस्जिद क्यो लौटाएगा या कोई मुसलमान अपनी मस्जिद गिराकर मन्दिर क्यो लौटाएगा। वह जरूर लौटाएगा, अगर उससे आपने सचमुच दोस्ताना रिश्ता बनाया है। अगर दोस्ताना रिश्ता नही बनाया है, तो वह अपनी जिद्द पर अडा रहेगा। अगर आपने संख्या-बल के आधार पर उसे झुका लिया, तो वह हमेशा के लिए आपका शत्रु हो जाएगा। जो हिन्दू बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम-जन्मभूमि मन्दिर बनाना चाहते हैं, उनका उद्देश्य अगर सचमुच धार्मिक है, तो उन्हे उच्चकोटि की मनुष्यता का परिचय देना होगा और प्रत्यक मुसलमान के हृदय मे इतनी जगह बनानी होगी कि वह खुद ब-खुद कहने लगे कि आप मन्दिर बना लीजिए। इसके अलावा जितने भी उपाय है, उनका सच्ची धार्मिकता से कुछ भी लेना-देना नही हो सकता।

भीड़-बल से मस्जिद तोड़कर या हटाकर मन्दिर बनाने की बात छोड़िए, बने-बनाए मन्दिरो मे भी जहाँ हरिजनो का प्रवेश प्रतिबंधित था, वहाँ हरिजनो का जबरदस्ती प्रवेश गाधी जी को पसन्द नही था। वे मानते थे कि हर व्यक्ति को अपने ढग से पूजा पाठ करने का अधिकार है। यदि कुछ व्यक्ति हरिजन को अपने मन्दिर मे नही घुसने देना चाहते, तो हरिजन को उन व्यक्तियो के धार्मिक विश्वास का सम्मान करना चाहिए और भगवान् को दूर से ही नमस्कार करके लौट आना चाहिए। गाधी जी अस्पृश्यता के सख्त खिलाफ थे। अस्पृश्यता के विरुद्ध जैसा अभियान उन्होने चलाया, उसकी कोई सानी नही है। फिर भी धर्म के मामले मे वे इतने सवेदनशील थे कि हरिजनो को जबरदस्ती मन्दिर प्रवेश की सलाह नही देते थे।

गाधी जी ऐसे व्यक्ति नही थे, जिसे धार्मिक साधना के लिए मन्दिर जाने

की जरूरत पड़े। उनके लिए मन्दिर, मस्जिद और चर्च सब समान थे। उनका कहना था, "मन्दिर, मस्जिद या चर्च…ईश्वर के इन तीनों स्थानो में से कोई भेदभाव नही करता।" (यग इडिया, २८-८-१९२४) उनका राम भी वह राम नही था, जिसे मन्दिर या प्रसाद की जरूरत हो। गांधी जी अपने एक अद्भुत लेख "मोक्षदाता राम" (पहले पहल, भोपाल मे प्रकाशित साप्ताहिक, २९ अक्टूबर ९० के अक मे उद्धृत) मे कहते हैं, "ये तो देहधारी राम ही नही हैं जो हमारे हृदय मे बसते हैं। ये राम देहधारी हो ही नही सक्ते। अंगूठे के समान छोटा-सा तो हमारा हृदय और उसमे भी समाए हुए राम देहधारी क्यों कर हो सकते हैं। किसी साल चैत्र की नवमी को उनका जन्म हुआ ही नही होगा। ये तो अजन्मा हैं। वह मानने का कोई कारण नही कि कोई ऐतिहासिक पुरुष ईश्वर के रूप मे या ईश्वर किसी ऐतिहासिक पुरुष के रूप मे अवतार लेता है। ऐसे राम के लिए कोई किसी से कैसे झगडने जा सकता है।

गाधी जी स्वय मूर्तिपूजक नही थे। लेकिन वे मूर्ति-पूजा का बुरा भी नही मानते थे। हाँ, मूर्ति-पूजा के इस उत्साह का समर्थन वे कदापि नहीं कर सकते थे, जिसके कारण हजारो लोगो को जेल जाना पड़े, दर्जनो को अपनी जान गंवानी पड़े, बड़े पैमाने पर सामाजिक अशान्ति पैदा हो तथा राष्ट्र के टूटने का खतरा पैदा हो जाए।

धर्मनिरपेक्षतावादियो के एक बडे आदर्श डॉ० लोहिया रहे हैं। वर्तमान सकट के वारे मे उनके निम्न विचारो को वे चेतावनी के रूप मे प्रस्तुत करते हैं—

डॉ० लोहिया ने लिखा है, "मैं भारतीय इतिहास का एक भी ऐसा काल नही जानता, जिसमे कट्टरपंथी हिन्दू धर्म भारत मे एकता या खुशहाली ला सका हो। जब भी भारत मे एकता या खुशहाली आई, तो हमेशा वर्ण, स्त्री, संपत्ति आदि के सम्बन्ध मे हिन्दू धर्म मे कट्टरपथी जोश बढ़ने पर हमेशा देश सामाजिक और राजनीतिक दृष्टियो से टूटा है और भारतीय राष्ट्र मे, राज्य और समुदाय के रूप बिखराव आया है मैं नहीं कहता कि ऐसे सभी काल, जिनमे देश टूट-टूट कर छोटे-छोटे राज्यो मे बट गया, कट्टरपथी प्रभुता के काल थे, लेकिन इसमे कोई शक नही कि देश मे एकता तभी आई, जब हिन्दू दिमाग पर उदार विचारों का प्रभाव था।

आगे डॉ० लोहिया लिखते हैं—"कट्टरपथी हिन्दू अगर सफल हुए, तो चाहे उनका उद्देश्य कुछ भी हो, भारतीय राज्य के टुकडे कर देंगे, न सिर्फ हिन्दू मुस्लिम मे, बल्कि वर्णों और प्रान्तो की दृष्टि से भी। केवल उदार हिन्दू ही राज्य को कायम करा सकते हैं। (हिन्दू धर्म मे उदारवाद और कट्टरवाद की) पाँच हजार वर्षो से अधिक की लडाई अब इस स्थिति मे आ गई है कि एक राजनीतिक समुदाय और राज्य के रूप मे हिन्दुस्तान के लोगो की हस्ती ही इस बात पर

निर्भर है कि हिन्दू धर्म मे उदारता की कट्टरता पर जीत हो।"

डॉ० लोहिया ने भी हिन्दुओ से जबरदस्त अपील की कि वे अपने मुस्लिम भाइयो से रागात्मक एकता स्थापित करें।

धर्मनिरपेक्षतावाद के पक्षधर हिन्दुओ मे अधिक तथा मुस्लिमो मे (यदि अनुपात से भी देखा जाए तो) कम पाये जाते हैं। पूर्व मन्त्री और आरिफ मोहम्मद खा एक हैं। शाहबानो प्रकरण मे उन्होंने खुलकर मुस्लिम कट्टरपंथियो का विरोध किया था तथा मन्त्री पद से भी इस्तीफा दे दिया था। इस सम्बन्ध मे उनका कहना है कि "(धर्म को कुर्सी तक पहुँचने का माध्यम बनाया जा रहा है)" लोकसभा मे ७ नवम्बर को उन्होने अपने विचार इस प्रकार रखे—

पिछले कुछ दिनो मे अयोध्या विवाद को लेकर जो कुछ हुआ, उसके कारण आज का राजनैतिक सकट पैदा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मत और विश्वास के अनुसार एक निर्णय किया और राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने अपने सिद्धान्त और विश्वास के आधार पर यह जानते हुए भी कि सरकार के अस्तित्व को संकट पैदा हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। मतान्तर होने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और परिणामस्वरूप आज इस विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। परन्तु जैसा प्रधानमन्त्री जी ने कहा है, हमारे मन मे यह आशा नही है कि विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा और सरकार बच जाएगी। बुनियादी उद्देश्य सरकार को बचाना नही बल्कि राष्ट्रीय आदर्शों, विशेषकर धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यवस्था को किस तरह बचाया जाए उसका उपाय खोजने के लिए हम लोकतन्त्र की इस सर्वोच्च सस्था मे आए हैं। महाभारत मे आता है कि पाडवो और कौरवो की शिक्षा जब प्रारम्भ हुई तो गुरु द्रोणाचार्य ने पहला पाठ दिया 'सत्यवद धर्मंचर।' पाठ देने के बाद जब राजकुमारो को सबक सुनाने के लिए कहा गया तो युधिष्ठिर को छोड़कर बाकी सभी राजकुमारो ने रटी हुई लाइन सुना दी। युधिष्ठिर बहुत दिनो तक गुरु की डाँट खाते रहे लेकिन पहला पाठ न सुना सके। अपने जीवन के अन्त मे उन्होने कहा कि गुरु ने पहले दिन जो पाठ दिया था, उसको याद करने मे पूरा जीवन लग गया क्योकि इस पाठ को पढना, तोते की तरह रटना नही बल्कि इसे अपने जीवन मे उतारना और उसके अनुसार आचरण करना है। हम राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं लेकिन राष्ट्रीय एकता के सामने उत्पन्न सकट का मिलकर मुकाबला करने के लिए तैयार नही हैं। राष्ट्रीय मोर्चा ने इस मामले पर दृढ स्टैंड लिया है और सिद्धान्तो की रक्षा के लिए कुर्सी को कुर्बानी पर लगा दिया है। आदर्शों और सिद्धान्तो की रक्षा के इस सघर्ष मे क्या यह उचित नही था कि वे सभी दल और व्यक्ति जो राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, एकजुट होकर

इस सकट का सामना करते ? लेकिन जैसा मैंने कहा, हम आदर्शों की बात करते हैं, अपने आचरण मे उन आदर्शों को उतार नहीं पाते और राष्ट्रीय एकता एवं धर्मनिरपेक्षता का राग उसी तरह अलापते हैं जैसे कौरवों ने 'सत्यवद धर्मम्चर' का पाठ तेजी से सुना दिया था।

मैं मानता हूँ, चाहे अयोध्या विवाद हो, दूसरी जगहों पर होनेवाले दगे हों, या इलाहाबाद हो, यह सब केवल लक्षण हैं, अलामत हैं, उस बीमारी के जिसे साम्प्रदायिकता या साम्प्रदायिक राजनीति कहते हैं। लडाई लक्षण से नहीं होती। इलाज लक्षण का नही होता, बीमारी का होता है। अब प्रश्न है कि यह साम्प्रदायिकता कहाँ से पैदा होती है साम्प्रदायिकता जन्म लेती है उस मानसिकता से जहाँ समान धार्मिक मान्यताओ और भावनाओ को राजनैतिक संगठन का आधार बनाया जाता है, जहाँ राजनैतिक महत्व-काक्षाओं को प्राप्त करने के लिए धार्मिक भावनाओ को भडकाया जाता है, जहाँ धर्म या मजहब जो बुनियादी तौर पर खुदा या परमेश्वर तक पहुँचने का माध्यम है, उसे कुर्सी तक पहुँचने के माध्यम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अयोध्या के सम्बन्ध मे मेरा निश्चित मत है कि इस विवाद से जुडे दोनो पक्षो मे—यदि वे धर्म या मजहब का प्रतिनिधित्व करते हैं तो—उनमे इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वे शान्तिपूर्ण वातावरण मे बैठकर इस विवाद का कोई समाधान निकालें। इसलिए कि धर्म नाम है करुणा का, वेदना का, शान्ति का, दूसरे के अधिकार के प्रति सचेष्ट रहने का, अपने दायित्व को पूरा करने का। धार्मिक काम मे हिंसा या तनाव का स्थान नही हो सकता। यदि इसी बात को दूसरी तरह कहा जाए तो जहाँ हिंसा और तनाव हो, वहाँ धर्म का मजहब नही हो सकता। भारत की धार्मिक परम्परा यही है। डॉ० राधाकृष्णन ने कहा था कि भारत एक ऐसी प्रयोगशाला है जहाँ विभिन्न धर्मों, सस्कृतियो, भाषाओ इत्यादि का सम्मिश्रण हुआ है और उनके नजदीक आने और सह-अस्तित्व के सफल अनुभव से हम पूरी दुनिया को प्रकाश दे सकेंगे। पूरी दुनिया को रास्ता दिखा सकेंगे कि विभिन्नता, टकराव या कमजोरी का नही बल्कि समन्वय और एकता का माध्यम बन सकती है। लेकिन आज इस प्रयोग, इस दर्शन, इस आदर्श के सामने गम्भीर चुनौती है जिसके लिए महात्मा गाधी ने अपना जीवन बलिदान किया, जिसके लिए प० नेहरू ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, जिसके लिए हमारे स्वतन्त्रता सेनानियो ने अनेको त्याग किए।

श्रीमन, मजहब क्या है ?

दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इनसान को
वर्ना ताअत के लिए कुछ कम न थे करोंबयाँ

मजहब वास्तव मे यही दर्देदिल है, सिर्फ किसी खास तरीके से इबादत या

पूजा-पाठ का नाम नहीं है। जिसको हम सर्व शक्तिमान कहते हैं, सर्व व्यापी कहते हैं, रब्बुल आलमीन कहते हैं, उसमे यह ताकत भी है कि वह हम सबको एक जैसा बना देता या हमारी सोच एक जैसी बना देता। यह उसकी ताकत से बाहर नहीं था। लेकिन जो उसने नहीं किया, वह हम करना चाहते हैं, यह सोच हमारी प्राचीन धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप नहीं है। भारत का प्राचीन धार्मिक दर्शन क्या है? एक सद विप्रा बहुधा वदन्तिः। सच्चाई एक है, हक एक है लेकिन जाननेवाले उसे अलग-अलग नामों से पुकारते हैं। हमारी प्राचीन परम्परा 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की परम्परा है। सम्पूर्ण जगत जो अनेक विविधताओं और विभिन्नताओं से भरा हुआ है, उसके लिए परिवार की भावना रखने का उपदेश हमारी प्राचीन परम्पराएँ देती हैं। श्री अरविन्द ने अपने एक भाषण मे कहा था कि विष्णु का जितना अंश एक हिन्दू के अन्दर है, उतना ही एक मुसलमान मे है, सिख मे है, ईसाई मे है, बल्कि किसी भी जीव मे है। भारतीय धार्मिक मान्यता समन्वय की मान्यता है, अलगाव की नहीं। मन्दिर या मस्जिद इबादत के लिए हैं, श्रद्धा व्यक्त करने के लिए हैं, आध्यात्मिक विकास के लिए हैं और उससे भी बढ़कर जिस परमेश्वर या खुदा के सामने सर झुकाते हैं, उसके बन्दों का दर्द दिल मे जगाने के लिए है।

अगर हम बात करते हैं दशरथनन्दन श्रीराम की, तुलसी, कबीर, और गाँधी के राम की, उन श्रीराम की जिन्हें अल्लामा इकबाल ने 'इमामे-हिन्द' कहकर पुकारा है तो वह तो घट-घट मे बसते हैं। वह श्रीराम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मर्यादा की रक्षा के लिए उन्होंने न केवल सिंहासन छोड़ दिया बल्कि माँ-बाप, प्रजा और अयोध्या को भी छोड़कर चले गए थे। आज उनके नाम पर जो आन्दोलन चलाया जा रहा है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ लेकिन उसमे मुझे लगता है कि राष्ट्रीय मर्यादा और संवैधानिक मर्यादा के सामने गम्भीर प्रश्न-चिह्न लग गए हैं। सरकार किसी की भी हो लेकिन संविधान की शपथ लेने के बाद क्या यह मेरा राष्ट्रीय धर्म नहीं है कि मैं संवैधानिक मर्यादाओं की रक्षा करूँ? क्या सरकार मे रहते हुए यह मेरा कर्तव्य नहीं कि मैं न्यायपालिका के किसी भी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करूँ। न्यायालय के आदेश का अनुपालन न करके यदि उसकी अवहेलना की जाए तो क्या यह संवैधानिक मर्यादा की रक्षा होगी या उसका उल्लंघन होगा? सरकार न्यायपालिका के आदेशों का उल्लंघन करके क्या राष्ट्रीय मर्यादा की रक्षा करेगी या उस मर्यादा को तोड़ने की दोषी होगी? *आपने इलाहाबाद के बारे मे पूछा था—बहन मायावती* ने भी मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैंने मुस्लिम पर्सनल लॉ का विरोध किया। यह सही नहीं है। वास्तविकता यह है कि मैंने पर्सनल लॉ का विरोध नहीं किया बल्कि उस भाषा और प्रवृत्ति का विरोध किया जिससे संविधान और न्यायपालिका की अवमानना

होती थी। जब यह भाषा उस सम्प्रदाय के लोगों ने बोली जिससे मेरा भी सम्बन्ध है, मैंने तब विरोध किया। आज अगर हमारे दूसरे भाई वह भाषा बोलते हैं तो उसका भी विरोध करना पड़ेगा। हमारी भाषा या भाषण यदि ऐसे हैं जिससे न्यायालय, या संविधान की अवमानना होती है तो यह निश्चित रूप से राष्ट्रीय मर्यादा का उल्लंघन है। मैं आपकी बात से इनकार नहीं करता, खास तौर से माननीय सदस्य श्री लोढ़ा जी ने शाहबानो केस के बारे में कहा है। माननीय लोढा जी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, हमारे देश के प्रमुख न्यायविदों में हैं, वह इस बात से सहमत होंगे कि संसद को यह अधिकार है कि वह ऐसा कोई कानून पास कर दे जिससे अदालत द्वारा दिया गया निर्णय निष्प्रभावी हो जाए।

आप अदालती फैसले को बेअसर करने के लिए संसद में कोई भी कदम निश्चित रूप से उठा सकते हैं। लेकिन फैसला आने से पहले ही यदि मैं चिल्लाता रहूँ कि मैं न्यायालय का फैसला नहीं मानूँगा तो यह न्यायालय, कानून और संविधान की मानहानि होगी।

लेकिन मैं यह नहीं मानता हूँ कि आपकी नीयत न्यायालय या संविधान की अवमानना करने की है। मैं यह आरोप किसी माननीय सदस्य या दल के ऊपर नहीं लगा सकता। हो सकता है कि धार्मिक श्रद्धा से विह्वल होकर आपने ऐसी बात कही हो। मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप ठण्डे मन से इन सभी बातों को सोचेंगे तो इस सन्दर्भ में प्रयोग की जानेवाली भाषा, शैली तथा सरकार से आपकी अपेक्षा—इन सब पर अवश्य ही पुनर्विचार करेंगे।

श्रीमन, जैसा मैंने पहले कहा, समस्या तब पैदा होती है जब राजनैतिक सत्ता की प्राप्ति या राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धर्म का दुरुपयोग किया जाता है वरना बुनियादी तौर पर मजहब या धर्म तो प्यार-मोहब्बत का रास्ता दिखाने के लिए है। श्रीमन, तूतीये-हिन्द अमीर खुसरो हजरत निजामुद्दीन औलिया के सबसे बड़े मुरीद थे। इसी दिल्ली में महरौली के पास अपने साथियों के साथ जा रहे थे। सामने से गाँव वालों का एक जुलूस नजर आया जो देवी के मन्दिर जा रहा था। जुलूस के साथ बाजा था और कुछ लोग मस्त होकर नाच रहे थे। इन लोगों की श्रद्धा देखकर हजरत अमीर खुसरो से रुका न गया और वह भी नाचते-गाते हुए इस शोभायात्रा के साथ मन्दिर तक गए। जब वहाँ से लौटे तो साथियों ने कहा कि हजरत, यह बुतपरस्तों का जुलूस था, क्या आपके लिए इसमें सम्मिलित होना उचित था? हजरत अमीर खुसरो ने कहा—

हर कौम रास्ता राहे, हम दीन किबला गाहे।
मन क़िबला रास्त करदम बरतर्ज कज क्लाहे।

अर्थात् हर कौम और हर दीन सीधे रास्ते पर सहजावस्था है जिसमें इन्सान कण-कण में खुदा के वजूद को महसूस करता है जहाँ उसका सांस लेना भी इबादत

हो जाती है। उसके बाद कहा है कि यदि तुम्हारे लिए यह सम्भव नहीं हो तो ध्यान-धारणा के माध्यम से पूजा करो। वह भी न हो सके तो तीसरे दर्जे पर प्रतिमा पूजा है और यदि वह भी तुम्हारी श्रद्धा और भावना को न जगा सके तो फिर होम यात्रा अपनाओ। इससे स्पष्ट है कि भारतीय धार्मिक दर्शन, धार्मिक मान्यताओ मे विविधता का प्रावधान है, धार्मिक श्रद्धा व्यक्त करने के तरीको मे विभिन्नता को मान्यता दी गई है। उसे लडाई का कारण नही बनाया जा सकता—यही अपने देश के धार्मिक दर्शन का सार है।

हम यदि धर्म का मर्म समझने का प्रयास करें और राजनीति के बाजार मे धार्मिक भावनाओ के मोल-तोल को रोक दें तो फिर शायद अयोध्या जैसा विवाद का समाधान ढूंढने मे आसानी हो जाएगी और वह समाधान प्रतिस्पर्धा की भावना के साथ नहीं बल्कि एक-दूसरे की भावनाओं के आदर, सह-अस्तित्व और साझी विरासत के आधार को मजबूत करने वाला होगा।

पिछले चुनाव मे भारतीय जनता पार्टी और वामपथी दलो के साथ हमारा सीटों का तालमेल था। राष्ट्रीय मोर्चे का अपना चुनाव घोषणापत्र था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और वामपथी दलो के घोषणापत्र अलग-अलग थे। कई मामले ऐसे थे जिसमे राष्ट्रीय मोर्चा, भाजपा और वामपथी दलो के घोषणापत्रो मे समानता थी लेकिन कई मुद्दो पर हमारे मतो मे अन्तर था। स्टैण्ड पॉइंट अलग थे। श्रीमन, मुझे याद है इसी माननीय सदन मे कश्मीर सम्बन्धी चर्चा मे जब विपक्ष की ओर से पूछा गया कि राष्ट्रीय मोर्चा और भाजपा का स्टैण्ड क्या है तो माननीय श्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि सविधान की धारा ३७० के सन्दर्भ मे राष्ट्रीय मोर्चे और भाजपा के बीच मतान्तर चुनाव के बीच भी था जब भाजपा ने राष्ट्रीय मोर्चे को समर्थन देने का निर्णय किया और आज भाजपा यह अपेक्षा नही करती कि राष्ट्रीय मोर्चा भाजपा के स्टैण्ड को स्वीकार कर लेगा। श्रीमन, मैं यह नही समझ पाता हूँ कि जिस तरह कश्मीर पर हमारे बीच मतान्तर था, उसी तरह अयोध्या विवाद पर भी था। यह मतान्तर बुनियादी तौर पर यह है कि सवैधानिक मर्यादा की रक्षा करना हम अपना दायित्व मानते हैं जिसका अर्थ यह है कि न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। हमने यह नही कहा कि आप जो कह रहे हैं, गलत है या दूसरा पक्ष गलत है। हमने केवल यह कहा कि या तो आप बातचीत से कोई समाधान निकाल लें और यदि यह न हो सके तो फिर जब तक मामला न्यायालय के विचाराधीन है तब तक अन्तरिम आदेश को लागू करना हमारे सवैधानिक और नैतिक दायित्व होगा। कश्मीर के मामले पर जहाँ हजारों लोग विस्थापित होकर आ रहे थे, जहाँ देश की एकता और अखण्डता के लिए चुनौती थी, वहाँ आपने उदार दृष्टिकोण अपनाया और यह अपेक्षा नही रखी कि हम अपना स्टैण्ड

छोड़कर आपकी बात मान लें। लेकिन दूसरे मामले पर जहाँ कश्मीर की तरह हमारे-आपके बीच मतान्तर था, आपने हमारे ऊपर दबाव डाला कि हम आपकी बात मान लें—जिस तरह आप कह रहे हैं। वरना आप समर्थन वापस ले लेंगे।

श्रद्धा और अकीदत की भावना महत्वपूर्ण है। उसे किस तरह व्यक्त किया जाए, यह महत्वपूर्ण नहीं है। मन्दिर और मस्जिद उसी श्रद्धा को व्यक्त करने के स्थल हैं। यदि हम प्राचीन भारतीय धार्मिक दर्शन के अनुसार जाएँ और श्रीमन, मुझे यह कहने मे हिचक नहीं है कि मेरी इस दर्शन मे पूर्ण आस्था है, तो भारतीय धार्मिक दर्शन यह है कि धर्म एक है, पथ अलग-अलग हैं। यदि हम इस बुनियादी सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर देर में जिस सगुण परमेश्वर की पूजा होती है, मस्जिद मे निर्गुण रूप में उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाती है। भारत का धार्मिक दर्शन यही है। भारतीय दर्शन यह नहीं कहता कि किसी खास तरीके से श्रद्धा व्यक्त करके ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। उपनिषद का एक श्लोक है—

उत्तम सहजावस्था, द्वितीय ध्यानधारणा।
तृतीय प्रतिमा पूजा, होम यात्रा चतुर्थ॥

अर्थात् पूजा करने का सबसे अच्छा तरीका।

श्रीमन, मुझे आज खुशी है कि हमने राष्ट्रीय आदर्शों और कुर्सी के बीच आदर्शों की रक्षा का रास्ता चुना है। मुझे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र प्रेम या हमारी राजनैतिक व्यवस्था के प्रति आस्था पर कोई सन्देह नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल, वह इस पूरे प्रकरण पर पुनर्विचार करेगी और सोचेगी कि जो कुछ हुआ है, क्या इसके लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाया जा सकता था। मैं कुछ और नहीं, केवल उनसे अपने स्टैण्ड पर पुनर्विचार करने का निवेदन करता हूँ···(व्यवधान) · मैं वोट के लिए कतई नहीं कह रहा हूँ। सरकार बचाने की बात नहीं कर रहा हूँ। बल्कि अपने राष्ट्रीय आदर्श और धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यवस्था को बचाने की बात कर रहा हूँ। जहां तक सरकार का प्रश्न है, मैंने पहले ही कह दिया कि हमें यह खुशफहमी नहीं है कि सरकार बच जाएगी। हम यहाँ यह प्रस्ताव सरकार बचाने के लिए नहीं बल्कि संवैधानिक और राष्ट्रीय मूल्यों और मान्यताओं के बचाव के लिए इस सर्वोच्च लोकतान्त्रिक संस्था के सामने लाए हैं। सरकार का गिरना महत्वपूर्ण नहीं लेकिन हमारे सिद्धान्त, आदर्श और राष्ट्रीय आन्दोलन की विरासत बची रहे, इस पर यदि हम विचार कर सकें और इसके लिए मिलकर काम कर सकें तो यह वास्तविक उपलब्धि होगी। श्रीमन, उर्दू का एक शेर है—

जिस धज से कोई मकतल में गया,
वह शान सलामत रहती है।

यह जान तो आनी-जानी है,
इस जान का जाना खास नही ।।

श्रीमन, मैं मानता हूँ कि हमारी सरकार आज गिर जाएगी और सिद्धान्तों की रक्षा के लिए एक नही, दस सरकारें गिर जाएँ, उसका कोई महत्व नही। सरकार बचाने से ज्यादा महत्वपूर्ण काम अपने आदर्शों और सिद्धान्तो को बचाने का है। मुझे पूरा विश्वास है कि अपने बुनियादी आदर्शों को बचाने, धर्म-निरपेक्षता की रक्षा करने और राष्ट्रीय आन्दोलन के नेताओ के सपनो को साकार करने के लिए हम अपने-आपको पूरी तरह समर्पित कर देंगे।

वामपंथी और जनवादी बुद्धिजीवी धर्मनिरपेक्षतावादियो की अगली पंक्ति मे लामबन्द है। विख्यात जनवादी कवि बाबा नागार्जुन का कहना है—

"भाजपा की रथयात्रा साम्प्रदायिकता का अश्वमेध घोड़ा है। उसमे धार्मिकता जरा-सी भी नही है। भाजपा ने अपनी रथयात्रा का जो भौगोलिक नक्शा तैयार किया है, उसे अगर आप गौर से देखेंगे, तो उसके भीतर देश के प्रमुख पूँजीपतियो और सेठो की पूंजी के विशाल पर्वतो की शृंखलाएँ आपको नजर आएँगी। दरअसल भाजपा तो साम्प्रदायिकता की झील है। वह रथयात्रा के बहाने साम्प्रदायिकता की झाग पैदा कर रही है।"

"इस सम्बन्ध मे मैं बगला कथाकार मानिक बदोपाध्याय की एक कहानी की चर्चा करना चाहूँगा। उसमे समाज के बड़े-बड़े बुद्धिजीवी एक जगह इकट्ठा होकर बड़ी-बड़ी समस्यायो पर बहस करते हैं। बीच बहस मे एक आदमी आकर सयोजक से कहता है कि बाजार मे शुद्ध सरसो के तेल की कीमत दो रुपये कम हो गई है। यह सुनते ही सभी बाजार की ओर दौड पड़ते हैं। कहने का अर्थ है कि आम आदमी और खुद अयोध्या निवासियो को भी रथयात्रा, पथयात्रा से कोई मतलब नही है। भाजपा सेठों के काले धन को लेकर साम्प्रदायिकता का काला धुआँ फैला रही है। वह साम्प्रदायिक राजनीति के धुएँ मे आगामी चुनाव का भुट्टा सेंक रही है।"

असल मे लोगो मे जो यह भ्राति फैला दी गई है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मन्दिर तोडे थे, उसका फायदा भाजपा उठाना चाहती है। के०एम० मुन्शी ने भी अपने उपन्यास 'सोमनाथ' मे यही उल्टा-सीधा प्रचार किया है। लेकिन सच्चाई यह है कि वह सेठो को लूटने आया था। उस इलाके मे प्रवेश करने के कई रास्ते थे। वह बडी नौकाओ पर लुटेरो के दल के साथ आया। उसे सूचना मिली थी कि वहाँ बडे-बड़े सेठ हैं और उन्हें आतंकित करने से ढेर सारे सोने-हीरे, जवाहरात और अनेक सुन्दरियाँ मिलेंगी। सो वह लूटपात के ख्याल मे आया था। उसी क्रम मे उसे सोमनाथ के मन्दिर का पता चला। उसे जानकारी मिली कि भगवान की मूर्ति के पेट मे ढेर सारे हीरे-जवाहरात और सोना है। पुराने

समय मे देवताओ की मूर्ति के पेट मे जानबूझकर कीमती चीजें रखी जाती थी ताकि वे वस्तुएँ सुरक्षित हैं। उस जमाने मे भगवान की "मूर्ति ही 'लॉकर' थी। गजनवी ने बैंक के लॉकर की भाँति ही मन्दिर और मूर्ति तोड़े थे और सम्पत्तियाँ लूटी थी। गजनवी आज फिर जिन्दा हो गया है। उसकी आत्मा एक नए शरीर मे प्रवेश कर गई है और आज वह लोगो की धार्मिक भावना के साथ खिलवाड कर रहा है।"

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह को अपने कट्टर धर्मनिरपेक्षतावादी रुख के लिए 'मौलाना मुलायम सिंह' की उपाधि विरोधको से मिल चुकी है। उनके विचार मे यह एक तरह से संतुलित धर्मनिरपेक्षतावादी राजनीति का प्रतिनिधित्व करता है। धर्मनिरपेक्ष होते हुए भी ऐसा स्थिति सापेक्ष दृष्टिकोण रखने वालों के विचार मे मैंने मुस्लिम साम्प्रदायिकता *या किसी प्रकार की साम्प्रदायिकता* की वकालत कभी नही की। मैंने हमेशा न्याय की बात की है। श्रीराम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद मे मैंने कभी किसी का पक्ष नही लिया। मैं लगातार एक ही बात दुहराता रहा हूँ कि इस मामले मे अदालत का फैसला दोनों पक्षो को मानना चाहिए। यही न्यायपूर्ण रास्ता है। यही लोकतांत्रिक रास्ता है। एक और रास्ता है कि दोनो पक्ष आपस मे बैठकर कोई समाधान निकाल लें।

विश्व हिन्दू परिषद का कहना है कि राम जन्मभूमि हिन्दुओ की आस्था से जुड़ी है, इसलिए यह स्थल अदालत के विचार अधिकार से परे है।

इस तरह की दलील देने वाले लोग दरअसल राम की मर्यादाओ को भी भूल गये हैं। जो लोग राम मन्दिर का निर्माण करना चाहते हैं, उन्हे याद करना चाहिए कि राम, मर्यादापुरुषोत्तम क्यों कहलाए। क्योकि वे समस्त मर्यादाओ का पालन करते थे। *मर्यादा के पालन के लिए उन्हे अपनी पत्नी से अलग होना पड़ा।* क्या अब श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या मे ही सारी मर्यादाओं को तोडकर मंदिर का निर्माण किया जाएगा? कानून का उल्लंघन करनेवाले लोग मर्यादा की रक्षा नही कर सकते। मैं मन्दिर-निर्माण का विरोधी नही हूँ। लेकिन मैं मानता हूँ कि कोई गैरकानूनी *काम नहीं किया जाना चाहिए।*

प्रमुख नेता अदालत का फैसला मानने की बात कर रहे हैं। मेरी राय मे विश्व हिन्दू परिषद को भी ऐसी ही घोषणा करनी चाहिए। अदालत के फैसले को मानने से इनकार करना लोकतंत्र के हित मे नहीं है।

साम्प्रदायिकता तो कांग्रेस पार्टी की पिछली सरकारो और प्रशासन की देन है। श्रीराम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद को कांग्रेस सरकारों ने ठीक से डील नही किया। कांग्रेस ने इसका हल ढूँढने की कोशिश नही की। १६८० मे कांग्रेस सरकार की वापसी के बाद ही साम्प्रदायिक तनाव बढ़ने लगा था। इस

तनाव को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए ही हमारी सरकार इस समस्या का स्थायी और कानूनसम्मत हल निकालना चाहती है।

मेरी सरकार के दृढ रुख के कारण जनता दल से हिन्दू मतदाताओ के नाराज होने का खतरा बताया जाता है।

कौन खुश होता है और कौन नाराज होता है, यह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि देश के हित मे क्या उचित है और क्या अनुचित। मैंने वोट की राजनीति कभी नही की। मैं जिस क्षेत्र से चुनकर विधानसभा मे आया हूँ उसमे एक लाख ८२ हजार मतदाता हैं। इनमे सिर्फ ५ हजार मुसलमान हैं। इस क्षेत्र से मैं ५ बार जीत चुका हूँ। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद पर भी मेरी राय कोई नही है। सबसे पहले १६ मई १९८६ को इटावा मे एक सभा मे मैंने कहा कि ईश्वर और अल्लाह इन्सानियत के लिए हैं। इनके नाम पर कत्लेआम होता है तो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता अपना खून बहाकर भी उसे रोकेंगे। हमने रामरथ रोकने की घोषणा की। कुछ लोगो ने हमारे क्रान्तिरथ पर हमला किया। रथ तोड दिया। चुनाव तो उसके बाद हुए। और हमारी जीत हुई। जनता साम्प्रदायिक नहीं है।

दरअसल यह धार्मिक विवाद है ही नही। इस आन्दोलन के पीछे सिर्फ दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग नोट बटोरना चाहते हैं और कुछ लोग वोट की राजनीति कर रहे हैं। कोई हिन्दू मस्जिद गिराकर मन्दिर बनाने की बात नही कर सकता। मस्जिद गिराकर बननेवाला मन्दिर पवित्र हो ही नही सकता।

हम सद्भावना रैलियो का आयोजन कर रहे हैं। हमारा मकसद दोनो सम्प्रदायो मे सद्भावना, मित्रता और प्रेमभाव पैदा करना है। साम्प्रदायिकता तो वे फैला रहे हैं। हमारी सभाओ मे लोगो की भीड़ उमड रही है। इससे साफ है कि लोग आपस मे सद्भावना चाहते हैं। वे कृष्ण जन्मभूमि की बात भी करते हैं। हमसे ज्यादा कृष्ण को मानने वाला कौन हो सकता है। हम यदुवंशी हैं। कृष्ण भी यदुवंशी थे। कृष्ण के हितैषी हमसे ज्यादा वे कैसे हो गए?

८. स्थिति सापेक्ष धर्मनिरपेक्षतावाद

धर्मनिरपेक्षतावादी काग्रेस आज बहुसंख्यक हिन्दू समाज की अयोध्या मे राम मन्दिर के निर्माण से जुडी भावनाओं के साथ हो गई लगती है। यह भाजपा की ही जीत है कि अब काग्रेस को भी उसी की भाषा बोलनी पड रही है। अन्तर केवल इतना है कि काग्रेस शिलान्यास स्थल पर मन्दिर का निर्माण बिना मस्जिद को तोड़े करना चाहती है और भाजपा मस्जिद को वहां से दूर स्थानान्तरित करने की माँग कर रही है।

"इतिहास में हम पढते हैं कि हिन्दुस्तान अपनी आपसी फूट के कारण बार-बार हारा और बिखरा, लेकिन हम समझते हैं कि लोग कोई और थे, जिन्होंने वे पुरानी बेवकूफियाँ की। बीसवी सदी मे रहने वाले हम रोशनखयाल लोग मानते हैं कि इतिहास से हम इतना तीखा सबक ले चुके हैं कि जब हम उन गलतियों को दुहरा ही नहीं सकते, जो हमारे पुरखो ने एक अन्धेरे जमाने में की थी। लेकिन ऐसा नहीं है। हम वही हैं, जो हमारे पूर्वज थे। यदि उनकी दुम टेढ़ी थी, तो आज १९९० मे सारी दुनिया की आंखो के सामने हमारी भी दुम टेढी हो रही है। लेकिन हम इनकार कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, कि अपनी आपसी फूट के कारण हिन्दुस्तान एक बार फिर बिखर रहा है। यदि हम मान भी रहे हैं, तो इस फूट का ठीकरा किसी दूसरे के सिर पर फोड रहे हैं, और यह भूल रहे हैं कि हिन्दुस्तान के बिखरने के बाद यह प्रश्न बेमतलब हो जाएगा कि बिखराव के लिए ज्यादा दोषी कौन था।

जरा आसपास देखिए। पंजाब भारत के हाथ से जा रहा है। ब्यास नदी के उस पार बन्दूकवालो का राज लगभग कायम हो गया है, और सरकारी मशीनरी तार-तार हो चुकी है। इतने हजार कत्ल पंजाब में हो चुके हैं, लेकिन न्यायालय में कोई मुकदमे नही चल रहे। स्कूलो मे राष्ट्रगीत नही गाया जा सकता, और हिन्दी नही पढाई जा सकती।

लेकिन अब दिल्ली के सिर के ऊपर यह सब चल रहा है, तब गगा-यमुना वाले आर्यावर्त का ध्यान कहाँ है?

आर्यावर्त की सबसे बड़ी चिन्ता यह है कि १५२८ मे बाबर ने जिस मस्जिद को बनवाया था, उसका फैसला आज और अभी हो, क्योंकि यदि आज और अभी फैसला नहीं हुआ, तो शायद भगवान राम पराजित हो जाएगे, और सन् १९९१ तक बाबर का राज सारे हिन्दुस्तान पर कायम हो जाएगा। यह कितना ग्लानिमय दृश्य है कि १५ अगस्त १९४७ को पहली बार मिले इस लम्बे चौडे आजाद देश को हम अपनी नाक नही मानते, अपने अभूतपूर्व लोकतंत्र को हम इस पृथ्वी का सबसे दुर्लभ चमचमाता मन्दिर नही मानते, ४३ साल तक इस देश के एक और अखण्ड रहने को हम विश्व का आठवां आश्चर्य नही मानते, लेकिन १५२८ का एक भूला-बिसरा मुकदमा जीतने के लिए हम राष्ट्रीय आन्दोलन की पौने दो सौ सालो की पुण्याई को लुटाने के लिए तैयार हैं। जाहिर है कि हम अयोध्या के लिए नहीं, बल्कि १९९० की नई सयोगिता के लिए लड़ रहे हैं।

"आपको ऐसी कई कथाए याद होगी कि जब हमलावर लाहौर आ गया, या पानीपत आ गया, तब भी दिल्ली के सुलतान अपनी रगरेलियो मे व्यस्त रहे। दिल्लीवालों को अपनी दिल्ली सोनीपत और गुडगाँव से भी हमेशा बहुत दूर लगती रही है। ऐसा अब भी हो रहा है। जब भारत के प्रधानमंत्री को अपना समय कश्मीर और पंजाब और असम और तमिलनाडु के लिए देना चाहिए, तब आर्यावर्त का फूटपरस्त समाज अयोध्या को समस्या नम्बर एक बनने पर अमादा है। लेकिन यदि लालकृष्ण आडवाणी ने देश को अयोध्या-केन्द्रित और वि० प्र० सिंह ने उसे जाति-केन्द्रित कर दिया, तो आर्यावर्त के इस सुन्न करने वाले हंगामे मे हमें पता ही नही चलेगा कि भारत के अन्य राज्य कब हमसे कट कर अलग हो गए। यदि हम अपने आपको लकवा ग्रस्त कर लेंगे, तो मालूम ही नहीं होगा कि पड़ोस के कमरो में कौन आया था, जो घर का सारा सामान उठा ले गया।

"आडवाणी कहते हैं कि उनकी लड़ाई मुसलमानो से नहीं, नकली धर्मनिरपेक्षो से है। अर्थात् उन हिन्दुओं से है, जो अपने हिन्दू होने को हिकारत से देखते हैं, और मुसलमानो की हर मोड पर 'तुष्टि' करते हैं। इस बहस को फिलहाल छोडिए। लेकिन हमारा कहना यह है कि लालकृष्ण आडवाणी जिन हवाओ का विमोचन कर रहे हैं, उनके चलते भविष्य मे खतरा यह है कि हिन्दुओ के हाथो ही यह हिन्दुस्तान टूट जाए। यदि अयोध्यावाद और जातिवाद के कारण देश बँटा रहा, और केन्द्र सरकार को साँस लेने और होश मे आने तक की फुर्सत नही मिली, तो कश्मीर और पजाब हम खो देंगे।"

"इसके बाद यदि हिन्दू-बहुल भारत के हिन्दुओ ने इस देश की अखण्डता के प्रति अपना संकल्प खो दिया, तो वह कौन-सी डोरी है जो असम या तमिलनाडु के हिन्दुओ को भारत से बाँध कर रख सकेगी ? पंजाब को अलग होते देख असम क्यो नही अलग होना चाहेगा ? और असम को अलग होते देख'' ! इस प्रकार

अयोध्या मे मन्दिर हमे मिल जाएगा, लेकिन हम सचमुच १५२८ मे जा पहुंचेंगे। और यह सब हिन्दुओ के हाथो होगा, क्योंकि कश्मीर के अलावा मुसलमान अब कहीं भी क्या कर सकते हैं, सिवाय इसके कि वे आर्यावर्त को भी लेबनान की तरह छलनी कर दें। एक स्थिर और आश्वस्त हिन्दू राष्ट्र जब आर्यावर्त की धरती पर भी कायम करना मुश्किल है, और लालकृष्ण आडवाणी जब कोई धर्म-राज्य सचमुच चाहते ही नहीं, तो फिर यह सारा बखेडा हो किस लिए रहा है ?"

"नकली धर्म निरपेक्ष लोग हिन्दुओं को हिकारत से न देखें, और मुस्लिम तुष्टिकरण न करें, यह भी आन्दोलन का एक वैध मुद्दा हो सकता है, जैसे कि विश्वनाथ प्रताप सिंह का ओबीसीवाद आन्दोलन का एक वैध मुद्दा हो सकता है। लेकिन जरा इन मुद्दो को समूची तस्वीर के अन्दर रखकर देखिए ! तब लगेगा कि लोकतन्त्र की मन्दी आँच मे लम्बे समय तक जूझ कर उनका समाधान खोजा जा सकता है। सारे देश को जलाकर आज और अभी उनका समाधान कौन उचित मानेगा ? सयोगिता के खातिर लड़ाई लड़ना भी सम्बद्ध पक्षो को उन दिनों जीवन और मरण का ही प्रश्न लगा होगा। लेकिन यदि हमारी दृष्टि आज भी संयोगितायुगीन है, तो फिर हममे और हमारे पूर्वजो मे फर्क क्या रहा ? इतिहास की भूलो ने हमे क्या सिखाया ?

"३० अक्टूबर को अयोध्या मे बाबरी मस्जिद पर फहराए गए भगवे झण्डे के बाद अगर बाग्लादेश या पाकिस्तान मे कुछ भी न हुआ होता तो यह एक असामान्य घटना होती। भारत मे कोई भी मेरठ, मुरादाबाद या अलीगढ पाकिस्तान और बाग्लादेश मे बडा-सा भारत विरोधी आन्दोलन प्रेरित करता रहा है। जब बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद उग्र नही था, तब भी सिंध मे हिन्दू मन्दिरो को तोड़ा जा रहा था और हिन्दुओं को पाकिस्तान मे निकलने के लिए मजबूर किया जा रहा था। इसी तरह बाग्लादेश मे चकमा लोगो के खिलाफ खूनी सघर्ष छिडा हुआ था और चकमाओ को भारत मे शरण लेने के लिए मजबूर किया जा रहा था। अब तो खैर भारत मे मुस्लिम अस्मिता पर सबसे बडा हमला हुआ है जिसे अगर नाकाम न किया गया होता तो मुस्लिम देशो मे उठनेवाले भारत-विरोधी आन्दोलन को ठण्डा कराने का कोई नैतिक आधार इस भारतीय राष्ट्र राज्य के पास न होता। सतोष की बात यह है कि समूची कश्मीर घाटी एक तरह मे सेना के हवाले है और पाकिस्तान अभी चुनावों के नशे से नहीं उबरा है।

"बाग्लादेश के चट्टगाँव, ढाका आदि कई शहरो मे हिन्दू मन्दिरों पर हमले हुए हैं और हिन्दू सम्पत्ति को भीषण नुकसान पहुचाया गया है। कहा जा रहा है कि बाग्लादेश बनने के बाद हिन्दुओ पर वहाँ सबसे बड़ा हमला हुआ है। इसकी तार्किक परिणति यह हो सकती है कि बांग्लादेश से हिन्दुओ का पलायन शुरू हो

जाए। १९६३ मे मू-ए-मुबारक काण्ड के दौरान तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान मे तीव्र प्रतिक्रिया हुई थी और हिन्दुओ को निशाना बनाया गया था जिसके कारण हिन्दुओं का भारत आना शुरू हो गया था। बांग्लादेश बनने के दौरान भी हिन्दुओं के खिलाफ माहौल था और लाखो शरणार्थी भारत आ गए थे।"

"लेकिन जरा भारत मे बांग्लादेश और पाकिस्तान के प्रशासन की तुलना कीजिए। भारत मे बाबरी मस्जिद पर झण्डारोहण को लेकर (जो निश्चय ही क्षणिक था), एक आधुनिक भारतीय के मन मे अपराधबोध है। प्रशासन द्वारा सख्ती से पूरे किए गए अपने दायित्व के कारण झण्डारोहण स्थायी न हो सका। इसे आम भारतीय ने एक बडी राहत की तरह महसूस किया है और यह स्थिति तमाम मुसलमानो और उनकी अस्मिता के स्मारको को सुरक्षा का एक कवच उपलब्ध कराती है। क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे मे भी यह कहा जा सकता है ' राष्ट्रपति इरशाद कह रहे हैं कि बांग्लादेश मे साम्प्रदायिक दंगे बर्दाश्त नही किये जायेंगे। लेकिन उनकी पुलिस ११ हिन्दू मन्दिरो के तोडे जाने को टुकुर-टुकुर देखती रहती है।"

इस स्थिति सापेक्ष धर्मनिरपेक्षतावाद की दृष्टि मे श्री वि०प्र० सिंह की तथा कथित धर्मनिरपेक्षता पर प्रश्नचिह्न लग गया है।

"यह सम्भव है कि भारतीय जनता पार्टी इस हद तक आगे नही जाना चाहती थी, और ३० अक्टूबर की ओर उसे धकेलने वाले असली मोहम्मद अली जिन्ना का नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह ही है। अटलबिहारी वाजपेयी कह रहे हैं कि वि० प्र० सिंह ने भाजपा को आश्वासन दिया था कि वे ऐसा कोई रास्ता खोजने से सहमत हैं, जिससे आडवाणी की नाक भी रह जाए और बाबरी मस्जिद भी न टूटे, और सबको कुछ महीनो की मुहलत मिल जाए। अटलबिहारी के *अनुसार वि० प्र० सिंह तैयार थे कि ३० अक्टूबर को कोई छोटा-सा जत्था* अयोध्या पहुंच जाए और आडवाणी के नेतृत्व मे एक प्रतीकात्मक कारसेवा शिलान्यास-स्थल पर हो जाए, और अगला तूफान अगली तारीख तक टल जाए।"

"जब आडवाणी दिवाली पर दिल्ली रुके, तब कई फार्मूले हवा मे घूम रहे थे। वे क्या थे ? लगता है कि जिस अध्यादेश के द्वारा सरकार ने बाबरी मस्जिद और उसके आसपास की सारी जमीन का राष्ट्रीयकरण किया, उसका मसौदा लालकृष्ण आडवाणी को बताया गया था, और उस पर उन्होंने अपने हाथो से सशोधन सुझाए थे। इस अध्यादेश का मन्दिर वालो ने सीमित स्वागत किया था। उसके तीन सूत्र थे। जमीन का राष्ट्रीयकरण, विवादहीन जमीन को मन्दिर के लिए उपलब्ध करना, और झगड़े की जमीन पर अदालत के फैसले का इन्तजार करना। क्या भाजपा सहमत थी कि यदि इस बार ३० अक्टूबर को प्रतीकात्मक

कार सेवा हो जाने दी जाए, तो वह विश्व हिन्दू परिषद को इन तीन सूत्रों के लिए मना लेगी ? लेकिन कारसेवा तभी हो सकती थी जब शिलान्यास की जमीन को विवादहीन माना जाए, जैसा कि राजीव गाँधी ने पिछले साल माना था, और मुफ्ती मोहम्मद सईद ने भी इस साल संसद में दुहराया था। जिसे वि० प्र० सिंह सरकार स्वय विवादहीन बता चुकी थी उसे ३० अक्टूबर पास आते ही विवादग्रस्त घोषित करके उसका राष्ट्रीयकरण कर लेना, और उसे राष्ट्रीयकरण से मुक्त करने के बाद भी विवादग्रस्त मानना, इस सबके पीछे कौन सी दूरगामी समझ अथवा योजना थी ?"

"विश्वनाथ प्रताप सिंह को अपनी कुर्सी की ज्यादा परवाह नहीं है, यह तो सही है। वे लम्बे समय की राजनीति शायद तब से कर रहे हैं, जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। इसलिए यह सम्भव है कि उन्होंने ऐसी परिस्थितियाँ बनाईं कि राम रथयात्रा को रोकना आडवाणी के लिए असम्भव हो जाए, और फिर जब वे सरकार से समर्थन वापस ले लें, तो देश से कहा जाए कि आज ऐतिहासिक सवाल यह खड़ा हुआ है कि हम धर्मराज्य बनाने वाले हैं या सहिष्णु राज। बताओ राजीव गाँधी, तुम किसके साथ हो ? बताओ अखबार वालो, तुम किसके साथ हो ? और जो धर्मराज्य का साथ देगा, उससे काला और कौन हो सकता है।"

"दो प्रमाण इस तर्क के पक्ष में और हैं। चन्द्रशेखर ने जब भारतीय जनता पार्टी को समझा कर रास्ता खोजना चाहा, और राष्ट्रीय एकीकरण परिषद की एक उप समिति में जब आडवाणी और वाजपेयी ने एक ऐसे मसौदे पर कोई एतराज नहीं किया, जिसमें लिखा था कि मसला अदालत से तय कर लिया जाए तो वि० प्र० सिंह की महान सरकार ने क्या किया ? उसने खबर तुरन्त लीक कर दी, ताकि भाजपा कहीं सचमुच सही रास्ते पर न आ जाए ! खबर छपी तो दोनों नेताओं को तुरन्त अपनी घोषित पटरी पर लौटना पड़ा।"

"महन्त अवैद्यनाथ आदि ने पिछले साल एक समझौता केन्द्रीय गृहमंत्री बूटा सिंह और मुख्यमंत्री नारायण दत्त के साथ किया था, जिसमें लिखा था कि शिलान्यास के अलावा हम अदालत के फैसले का इन्तजार करने को तैयार हैं। जब ३० अक्टूबर पास आई तो अखबारों में इस समझौते को विज्ञापन के रूप में छापा गया। लेकिन साल भर तक इस समझौते के इस सूत्र को आगे बढ़ाते हुए विश्व हिन्दू परिषद से बातचीत शुरू क्यों नहीं की गई ? कारण यह तो था कि बूटा सिंह और तिवारी के किसी नेक काम को भी यह सरकार हाथ नहीं लगाना चाहती थी, अथवा कारण यह था कि सरकार को इस समझौते की जानकारी ही नहीं थी। अगर दूसरी बात सही है तो कितनी माशा अल्लाह हमारी सरकार है।"

"इन सब कारणों से हम मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को १६ अगस्त

१९४६ के कोने मे धकेलने की जिम्मेदारी विश्वनाथ प्रताप सिंह की है। वि० प्र० सिंह एक ऐसे नाटककार हैं, जो अपने पात्रो के हर सोए हुए अन्तर्विरोध को जगा कर, और उसे एक खन्जर मे बदल कर ही कथानक को आगे बढाते हैं। मसलन वे राजीव गांधी से पूछेंगे कि बताओ काग्रेस पजाब मे विधान सभा चुनाव चाहती है या नही ? अगर वे कह दें कि नही, तो पंजाब की नाराजी का ठीकरा राजीव के सिर फूटेगा, और सविधान-सशोधन मे काग्रेस के वोट बैठे-बिठाए मिल जाएँगे। अगर वे कह दें हाँ, तो चुनाव के खून खच्चर की जिम्मेदारी काग्रेस की होगी और केन्द्र सरकार मासूमियत से कह देगी कि हम क्या करें, काग्रेस ने सविधान सशोधन ही नही होने दिया।"

कुल मिलाकर यह हिन्दी फिल्म के पटकथा लेखक का तरीका है, जिसमे विलेन किसी पात्र की कनपटी पर पिस्तौल ताने खड़ा है, और सामने एक माँ है, जिसे चुनाव करना है कि वह बेटे की जिन्दगी को महत्व दे, या उन उसूलो को, जिनके लिए उसने फिल्म भर संघर्ष किया है। लेकिन प्रश्न यह है कि राजनीति मे क्या किसी सकट को इन कनपटी पर पिस्तौल वाले हाहाकार क्षण तक आने देना चाहिए ? जैसा कि आर० के० लक्ष्मण ने एक कार्टून में बताया है, देश की जनता को उन्होने आरक्षण और धर्मराज्य के चीते पर चढा दिया है, और खुद झाड़ी मे खड़े देख रहे हैं कि देखें, अब यह किसे नीचे उतरती है।"

लेकिन हम यह याद दिलाना चाहेंगे कि देश विश्वनाथ प्रताप सिंह का नही है। वह विश्व हिन्दू परिषद का भी नही है। वह राजीव गांधी या चन्द्रशेखर या देवीलाल का भी नही है। इसलिए नाटककार की पटकथा, कैसी भी हो, पात्रो को कोई भी खेल इतना आगे बढ़ कर नही खेलना चाहिए कि देश की किस्मत ही दाँव पर लग जाए। इन्दिरा गांधी की पटकथा यदि भिंडरावाले को एक हद तक मौका देती थी, इसका मतलब यह नही होता कि सारे सिख उग्रवादी खालिस्तान की माँग करने लगे। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के कारसेवको को ऐसा कोई काम नही करना चाहिए कि १९९० को १९४६ की तरह याद रखा जाने लगे। जिम्मेदार कौन था, और किस हद तक था, इसमे हमें क्या फायदा होगा, यदि नतीजा यह हो कि महज एक जिद के खातिर, जिससे पीछे हटने के रास्ते भाजपा भी तलाशती रही है, यह सारा हिन्दुस्तान ही बिखर जाए और मिट्टी हो जाए।

जैसा कि हम कई महीनो पहले लिख चुके हैं १९४७ के बाद मे जो राष्ट्र-राज्य हमारे बीच खडा है, वह हमारे इतिहास का सबसे अद्भुत मन्दिर है। इससे ज्यादा शानदार चीज तो हमने गौतम बुद्ध से आज तक रची ही नही। अब जनता दल चाहता है कि इस मन्दिर की नीव बदली जाए, और समानता पर आधारित एक नया-सा मन्दिर यहाँ बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इस-

मन्दिर के खम्भे बदले जाए, और हिन्दुत्व से प्रेरणा लेने वाले स्तम्भों पर इस मन्दिर को टिकाया जाए। हमारा निवेदन यह है कि भारत के इतिहास का यह पहला और एकमात्र मन्दिर खण्डहर में बदल गया, तो इस बात का कोई सबूत नहीं है कि भारत की जनता में यह प्रतिभा है कि इस किस्म का दूसरा मन्दिर वह खुद व खुद बना लेगी। यदि यह मन्दिर खण्डहर बन गया, तो अयोध्या के मन्दिर को लेकर क्या भाजपा चाहेगी?

"भाजपा के लिए सोचने का मौका है। जन्मभूमि आन्दोलन के बाद देश के विभिन्न भागों में फैली हिंसा कैसे रुके। सरकार तो अपना काम करेगी ही, पर भाजपा के लिए सोचना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह हिंसा सीधे-सीधे आन्दोलन के बाद हुई प्रतिक्रिया से जुड़ी है जिसमें पार्टी को यश नहीं मिल रहा। अब तक उ०प्र०, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, आन्ध्र और तमिलनाडु में सैकड़ों लोग मर चुके हैं। जब आडवाणी रथयात्रा शुरू कर रहे थे तभी आशंका व्यक्त की गई थी कि इससे साम्प्रदायिक तनाव फैल सकता है। आडवाणी और उनके साथी इससे इनकार करते रहे। और बाद के दिनों में प्रमाणस्वरूप यह भी कहते रहे कि देखिए, जहाँ-जहाँ से यात्रा गुजरी है वहाँ कहीं भी कुछ नहीं हुआ। पर ऐसा तो कोई नहीं कह रहा था कि जहाँ से यात्रा निकलती जाएगी, पीछे लाशें बिछा देने वाली तलवारों और तमंचों से लैस होकर लोग सड़कों पर निकल आएंगे। बात तो उस माहौल की होती है जिसमें हिंसा किसी जीवाणु की तरह मौके की तलाश में छिपी बैठ जाती है। जयपुर और दूसरे शहरों से वह गिरफ्तारी के बाद प्रकट हो गई। चूँकि हिंसा का सम्बन्ध तनाव भरे माहौल से होता है इसलिए पहले कर्नलगंज में हुए भयानक साम्प्रदायिक ताण्डव को भी उसी वातावरण की पैदाइश माना जाएगा जो रथयात्रा जैसे कार्यक्रमों की घोषणा मात्र से ही बनना शुरू हो जाता है। अलीगढ़, हैदराबाद, कानपुर इसी की पैदाइश हैं।"

'तो अब भाजपा क्या करेगी? गांधीजी से बड़ा अहिंसा दर्शन तो भाजपा का हो नहीं सकता और न ही उसका मन्दिर कार्यक्रम आजादी के आन्दोलन से बड़ा मिशन माना जा सकता है। गांधीजी ऐसे मौकों पर जो करते थे वही भाजपा के लिए आदर्श हो सकता है। सफलता के शिखर पर पहुँचना चाह रहे किसी कार्यक्रम को गांधी तत्काल वापस ले लिया करते थे जिसमें अगर हिंसा का प्रवेश हो जाया करता था। भाजपा को नाज है कि आजादी के बाद पहली बार किसी कार्यक्रम के साथ इतना विराट जनसमूह आ जुड़ा है। अगर यह सच है तो भाजपा का दायित्व भी उसी मात्रा में बढ़ जाता है। हिंसा के इस नंगे नाच के बाद पार्टी का कर्तव्य बन जाता है कि वह अपने समर्थकों व प्रशंसकों के नाम एक चेतावनी जारी करे कि तत्काल हिंसा न रुकी तो मन्दिर आन्दोलन वापस ले लिया जाएगा और न रुके तो वापस ले ही लिया जाना चाहिए। इसका जरूरी अर्थ नहीं कि

भाजपा के लोग ही हिंसा कर रहे हैं। पर आज पहली जिम्मेदारी तो इसी पार्टी की बनती है। वैसे भी इस आन्दोलन से भाजपा को मनचाही राजनीतिक पूँजी मिल चुकी है, हालाकि अपयश भी कम नही मिला है। पर अगर हिंसा बदस्तूर जारी रही और भाजपा चुप रही तो इसका पूँजी का ग्राफ नीचे और अपयश का ग्राफ ही ऊपर जाएगा।

"सन् १९८६ तक जो जन्मभूमि-विवाद हिन्दुओ के लिए एक हाशिए का मुद्दा था, वह आज यदि एक केन्द्रीय मुद्दा बन चुका है, तो एक माने मे यह विश्व हिन्दू परिषद और भारतीय जनता पार्टी की सफलता है। बाढ के कारण जल-स्तर को ऊँचा उठाने मे उन्हे कामयाबी मिली है। लेकिन यह बाढ इतनी प्रलयंकर नही है कि आडवाणी या अशोक सिंघल को ही भारत के हिन्दुओ का एकमात्र प्रवक्ता मान लिया जाए। यदि हिन्दू-मुस्लिम गृहयुद्ध शुरू हो जाए तो नरसंहार के ध्रुवीकरण के कारण आडवाणी हिन्दुओ के एकमात्र प्रवक्ता बन सकते हैं। लेकिन जब ऐसा होगा, तब देश के लेबनानीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और वह भारतमाता जीवित नही बचेगी, जो भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिन्दू परिषद की ही नही, बल्कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू की भी भारतमाता है। स्वयं लालकृष्ण आडवाणी नही चाहेंगे कि अयोध्या मे मन्दिर तो बन जाए, लेकिन दिल्ली का वह मन्दिर ध्वस्त हो जाए, जो हजारो सालो के बाद आज हमारे सामने है। मुस्लिम वोट विश्वास जीतने के लिए जो नीतियाँ अपनाई गई हैं, उनसे 'मुस्लिम पुष्टिकरण' हुआ है, और मुस्लिम साम्प्रदायिकता को बढावा मिला है, यह मानने का आडवाणी जी को अधिकार है। लेकिन वे भी स्वीकार करेंगे कि मुस्लिम अविश्वास और असुरक्षा को हद से ज्यादा बढने देना खतरनाक है और मुस्लिम विश्वास प्राप्त करने की जरूरत स्वयं भारतीय जनता पार्टी को भी है। इसलिए जन्मभूमि आन्दोलन का लक्ष्य राम मन्दिर बनाना हो सकता है, लेकिन मुस्लिम संवेदनाओ पर स्टीमरोलर चलाना उसका लक्ष्य नही हो सकता।"

"इस पृष्ठभूमि मे क्या आम राय उभरती है? एक तो यह जाहिर है कि हिन्दू जन्मभूमि पर एक राम मन्दिर चाहते हैं। लेकिन बाबरी मस्जिद को नष्ट भ्रष्ट करके वही एक मन्दिर बनाया जाए, क्या यह इस देश की हिन्दू सर्वानुमति है?"

"जन्मभूमि पर मन्दिर होना चाहिए, यह कामना इस विश्वास पर आधारित है कि बाबर के सेनापति मीर बाँकी ने जहाँ एक मस्जिद बनवाई, वहाँ पहले एक राम जन्मभूमि मन्दिर मौजूद था। यह विश्वास चाहे गलत हो, और इतिहास के अकाट्य प्रमाणो मे चाहे वह साबित नही किया जा सके, लेकिन डेढ सौ सालो से जो विवाद अयोध्या मे चल रहा है, वह इसी विश्वास पर आधारित है। हिन्दू

नही, बल्कि १६वी सदी के मुसलमान और अंग्रेज लेखक भी प्राय: लिखते रहे हैं कि अयोध्या मे एक जन्मभूमि मन्दिर था, जिसे मीर बाँकी ने नष्ट किया, हालाँकि वामपथी इतिहासकारो का आजकल तर्क यह है कि १६वी सदी के अंग्रेजो ने हिन्दू-मुस्लिम फूट पैदा करने के लिए इन किंवदंतियो को या तो जन्म दिया, या हवा दी, और मुसलमानो ने जो लिखा, वह अपनी बुतशिकन, मूर्तिभंजन छवि को पुख्ता करने के उत्साह मे लिखा। लेकिन जिस चीज को हिन्दू, मुसलमान और अंग्रेज डेढ सौ साल से गढते रहे हैं, इसके बारे म अब सन् १६६० मे क्या किया जाए ?"

"मामला मुश्किल इसलिए भी हो गया कि १६३६ मे बाबरी मस्जिद का मस्जिद के रूप मे कोई उपयोग मुसलमान नही कर रहे हैं। १६४६ से बाबरी मस्जिद की इमारत के अन्दर राम की मूर्तियाँ स्थापित हैं। चालीस साल से भक्तजनो का आना जाना वहाँ चल रहा है। अर्थात् परित्यक्त इमारत मे राम-मूर्तियाँ रख रखा कर हिन्दुओ ने उसे राम मन्दिर बना ही लिया है। ३७ साल किसी बाजू के दरवाजे से प्रवेश करके वहाँ राम की पूजा होती रही, लेकिन १६८६ मे मजिस्ट्रेट ने अगला ताला खोला तबसे सामने का प्रवेश भी खुल गया है। इस ताजा इतिहास का अब क्या हो ? क्या १६३६ से पीछे जाकर इमारत को फिर एक सक्रिय और जीवित मस्जिद बन जाने दें ? क्या १६४६ से पीछे जाकर भगवान राम की जो मूर्तियाँ इमारत मे स्थापित हैं, उन्हे हटवा दें ? ताकि वहाँ न मन्दिर रहे, न मस्जिद ? क्या १६८६ के पीछे जाकर आगे का ताला बन्द कर दें और बाजू से घुस कर राम-पूजा चलने दें ? या इस सबमे आगे जाएँ और जहाँ कुछ बेढगी हिन्दू मूर्तियाँ रखी हैं, वहाँ विश्व हिन्दू परिषद को एक नया राम मन्दिर बना लेने दें ? यह मन्दिर क्या बाबरी मस्जिद की इमारत को छोड कर नहीं बन सकता ? बने तो क्या नाक कट जाएगी ? बाबरी मस्जिद की हर ईंट और हर खम्भे को कही दूर ले जाकर क्या एक नयी बाबरी मस्जिद बनाई जाए, और इस जगह नया राम मन्दिर बनने दिया जाए ? क्या इससे मुसलमानो की नाक कट जाएगी ?

"फिलहाल मामला टल जाए, और आज की तनातनी कम हो जाए, इस दृष्टि से कई लोगो की सलाह है कि अदालत के फैसले पर सब कुछ छोड दिया जाए। लेकिन यदि अदालत फैसला दे कि मस्जिद को पुनर्जीवित कर दिया जाय, और राममूर्तियाँ हटा दी जाएँ, तो क्या हिन्दुओ को इतने लम्बे आन्दोलनो के बाद स्वीकार्य होगा ? यदि वह फैसला दे कि बाबरी मस्जिद को टूटने दिया जाए, तो मुसलमान इसे मान लेंगे ?

"दरअसल यह ऐसा मामला है, जिसे अदालतो के बजाय हिन्दुओ और मुसलमानो के प्रामाणिक धार्मिक एवं सामाजिक नेताओ को आपस मे ही

निपटाना चाहिए। लेकिन यहाँ दो दिक्कतें हैं। एक तो हिन्दू और मुस्लिम मनोवैज्ञानिक ग्रन्थियों की दिक्कत है। हिन्दुओं के पास ४३ साल से एक ऐसा हिन्दुस्तान है, जैसा पहले कभी नहीं रहा। इस कारण उन्हें उदार और आश्वस्त होना चाहिए, दीन और पराजित नहीं। लेकिन अगर आर०एस०एस० प्रभावित हिन्दू अपने पराजय बोध से उबर ही नहीं पा रहे, और वे इतिहास के सारे अतिक्रमणों का प्रतीकात्मक इलाज अयोध्या में खोज रहे हैं। वे इस बात में भी दुखी हैं कि जैसे समाज-रचना और राष्ट्रीयता की बहसों में ईसाई, सिख या मुसलमान अपने धर्म की भूमिका की चर्चा सहजता से करते हैं, उसी सहजता से भारत में हिन्दुत्व की भूमिका की चर्चा क्यों नहीं होती? इसे साम्प्रदायिकता क्यों माना जाता है। दूसरी ओर भारत के मुसलमानों में भी पराजय बोध है। अपनी विजेता किंवदन्ती के बाद यह पराजय बोध उन्हें अपनी खोल में लौटाता है। बाबरी मस्जिद की जगह राम मन्दिर बन जाए, और हमेशा के लिए हिन्दू-मुस्लिम-चख चख बन्द हो जाए, तो अयोध्या की मस्जिद शायद वे कल छोड़ दें। लेकिन उन्हें भय है कि यह सिलसिला अनन्त है, और पता नहीं कहाँ जाकर खत्म होगा।

"इन हिन्दू और मुस्लिम ग्रन्थियों को लोकतान्त्रिक राजनीति कम नहीं करती, बल्कि बढ़ाती है और उनका इस्तेमाल करती है। यह हमारी दूसरी बड़ी दिक्कत है। लेकिन इस दुर्गुण के बावजूद लोकतन्त्र में इतने फायदे हैं कि हम उसे छोड़ नहीं सकते। लोकतन्त्र के दुर्गुणों को यदि हमें संयमित रखना है, तो जाहिर है कि राजनीति से परे ऐसे सामाजिक नेता हमें चाहिए, जो राजनीति द्वारा तोड़े गए पुलों के विकल्प बन सकें और दरारों को जोड़ सकें।"

"लालकृष्ण आडवाणी और विश्व हिन्दू परिषद भी हिन्दू दिमाग की बुनावट को थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। इसलिए उन्होंने भी मस्जिद को गिराने की बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि मस्जिद को ईंट दर ईंट कहीं ले जाया जाए और हिन्दुओं के खर्च से इमारत नई जगह खड़ी कर दी जाए। लेकिन जिन लोगों ने हिन्दू साम्प्रदायिकता को इतने गर्म धरातल पर पहुँचाया है, क्या उनका कोई नियंत्रण अब अपने समर्थकों और कारसेवकों पर रह गया है? ३० अक्टूबर को कारसेवा शुरू करवाने में लालकृष्ण आडवाणी और अशोक सिंघल सफल हो गए। उन्होंने मुलायम सिंह के बावजूद जो करना था, करके दिखा दिया। क्या इस सफलता के बाद यह बहुत जरूरी नहीं हो गया है कि कारसेवा को जारी रखने का आह्वान रद्द कर दिया जाए? यह इसलिए भी जरूरी है कि दिल्ली में आज कोई कारगर सरकार नहीं है और अगले कुछ महीनों तक एक कारगर सरकार उभर पाने की आशा भी नहीं है। एक सरकारविहीन देश पर हिन्दू जिद यदि हावी होना चाहेगी, तो इस देश में किस्म-किस्म के लोग कोशिश करते

रहेंगे कि देश प्रायः सरकार-विहीन ही रहे, ताकि सब अपनी-अपनी प्रायवेट जिदें पूरी कर सकें।" यदि इस देश के हिन्दू अपनी हिन्दू-बहुल सरकार का सम्मान नहीं करेंगे और अपने ही बनाए हुए कायदे कानूनों की और संविधान की यों धज्जियाँ उडाएंगे, मानों किसी विदेशी आक्रान्त ने हमें तंग करने के लिए उन्हें बनाया है, तो बताइए कि और कोई इस सरकार और इस संविधान की क्यों इज्जत करेगा ?

"खास कर भारतीय जनता पार्टी से हम कहना चाहेंगे कि उसके सभी लक्ष्य लगभग पूरे हो चुके हैं और अब मामले को ज्यादा तूल देकर वह भारत के आगामी बँटवारों का रास्ता ही साफ करेगी। भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्य दो थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आरक्षण के मुद्दे पर हिन्दू समाज को बीसियों जातिवादी खाँचों में बाँटना चाहा था, ताकि हिन्दू को एक करने का भाजपा का स्वप्न हमेशा के लिए खतम हो जाए। भाजपा ने आरक्षण का जवाब आडवाणी के रामरथ से दिया। दूसरा लक्ष्य भाजपा का यह था कि जब आगामी चुनाव निकट आए, तब ऐसा कोई गर्म मुद्दा मौजूद हो, जो भाजपा के हिन्दुत्व-वादी तेवर को अधिकतम वोट दिला सके। अतः यदि वि०प्र० सिंह आरक्षण के ब्रह्मास्त्र का उपयोग नहीं करते, तो भी भाजपा अपने हिन्दू ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कोई न कोई मौका देख कर करती ही। लेकिन आज जबकि भाजपा के दोनों लक्ष्य पूरे हो चुके हैं, तब कारसेवा जारी रखने का अभियान वि०प्र० सिंह और उनकी जनता दल सरकार के शरीर पर तो कोई नया घात नहीं करता, लेकिन (कोई आड़ न होने के कारण) वह भारतमाता के शरीर पर अब सीधे और गहरे घाव करता है।

"दरअसल भाजपा का ऑपरेशन प्रतिशोध उसी समय पूरा हो गया, जब आडवाणी अपने रामरथ पर पूरे हिन्दुस्तान में घूम कर बिहार में गिरफ्तार हो गए और विश्वनाथ प्रताप सिंह से समर्थन वापस लेकर भाजपा ने जनता दल सरकार को एक लँगडी बतख बना दिया। यदि कोई कमी रह गई हो, तो वह ३० अक्टूबर की कारसेवा ने पूरी कर दी। अब तो कोई पार्टी ही शेष नहीं है, जिससे भाजपा बदला ले सके। इसलिए अब जो कार्रवाई होगी, उसे आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो चीज इस कार्रवाई से ढह रही, है, उसका नाम भारतीय राष्ट्र-राज्य है।"

"हिन्दुओं को चिढ़ा कर या नाराज करके भारत का राज नहीं चलाया जा सकता, यह बात भाजपा को यदि रेखांकित करनी थी, तो वह उसने कर दिया है। लेकिन स्वयं भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आ जाए, तो भी वह भारत के मुसलमानों को चैन और आराम का माहौल दिए बगैर इस देश पर कैसे राज करेगी ? जैसा कि हमने कभी लिखा था, भारत में किसी भी बडे वर्ग को नाराज

करके यहाँ हुकूमत चल ही नही सकती। (यदि सारे गंजे लोग सरकार के दुश्मन हो जाएँ, तो वे भी यहाँ सरकार को असंभव बना सकते हैं।) जब ऐसा है, तो मुसलमानों को नाराज रख कर कैसे राज चल सकता है। और यदि एक बार हिन्दुओ ने इस अवधारणा पर मुहर लगा दी कि इस देश मे राज्य, पुलिस, अदालत, संविधान आदि सब बेमतलब हैं और सिर्फ लाठी ही जायज है, तो मुस्लिम आतंकवाद को जन्म लेते यहाँ कितनी देर लगेगी? कश्मीर से कन्याकुमारी तक तब कितने लेबनान हमारे बीच होंगे? इस आगामी सभावना से निपटने के लिए भाजपा के पास कौन-सी दृष्टि है? जब बंगाल मे गोरखों को नाराज करके ज्योति बसु काम नही चला पाए और असम मे बोडो को नाराज करके प्रफुल्ल महंत नही चला पाए हैं, तो भारत के हृदय-प्रदेशो मे बसे मुसलमानो को दहशत मे डाल कर भारत के हृदय का इन्तजाम कैसे किया जाएगा?

"लेकिन सब कुछ डूबा हुआ नही है। एक तरफ कारसेवको की टोलियाँ हैं, तो दूसरी तरफ सेना और पुलिस हैं, जो एक खण्डहरनुमा मस्जिद की रक्षा मे जुटी हैं। कांग्रेस है, वामपंथी पार्टियाँ हैं, रामराव हैं करुणानिधि हैं, मुलायम सिंह यादव का जनता दल है, अर्थात् बहुसंख्य हिन्दू हैं, जो जानते हैं कि अन्ततः राष्ट्र ही हमारा सबसे बडा मन्दिर है। यदि कोई हिन्दू राष्ट्र चाहे, तो यही हमारा हिन्दू राष्ट्र भी है, क्योंकि आखिर यह हिन्दुओ के बहिष्कार से बना राष्ट्र तो नही है। भाजपा के लोग नही पहचानते कि इससे अधिक हिन्दुत्व का आग्रह किया तो हम इससे कम राष्ट्र रह जाएँगे।" दरअसल चालीस साल पहले यह पहचान पाना भी हिन्दू प्रतिभा का ही कमाल था कि इतना-इतना सशक्त राष्ट्र राज्य यदि हम बनाना चाहते हैं तो उसमे इतना-इतना हिन्दुत्व ही चलेगा, इससे ज्यादा नही।

"हमारा स्वतन्त्रता संग्राम मुख्यतः गाँधी जी के नेतृत्व मे लडा गया था, लेकिन तब भी अनेक तरह के भारत थे, जो आजादी के बाद अस्तित्व मे आने के लिए मचल रहे थे। कम्युनिस्ट भारत था। समाजवादी भारत था। एक सामन्ती भारत भी था, जिसने अपने को स्वतन्त्रता संघर्ष की लपटो से दूर रखने की भरसक कोशिश की। आजादी के ४३ साल बाद हम पाते हैं कि अनेक ऐसे भारत इतिहास के रोलर के नीचे दब कर लगभग अस्तित्वहीन हो चुके हैं। सामन्ती भारत (रियासतों) को तो आज लोकतान्त्रिक भारत ने पैदा होते ही खा लिया और कही चूँ तक नही हुई। कम्युनिस्ट और समाजवादी भारत थक-से चुके हैं और अब उन्होने अपने को उस महासागर के हवाले कर दिया है जो सभी प्रकार के द्वीपो को शरण देते हुए भी अविरल तरंगित रह सकता है। बीच मे एक स्वतन्त्र पार्टी का भारत भी उभरा था, पर उसने जल्द ही अपनी निरर्थकता को पहचान लिया। हिन्दू भारत के स्वप्न मे जरूर कुछ ऐसी बात है कि वह न केवल नही मरता, बल्कि श्लथ भी नही होता और इतिहास के हर मोड पर हमसे बहस

करता हुआ उपस्थित हो जाता है। लालकृष्ण आडवाणी का रथ उसी स्वप्न का पुनरोदय है।

"लेकिन इस हिन्दू स्वप्न की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह अपना कोई ऐसा रूप नही बना पाया है जो व्यापक हिन्दू समाज को मजूर हो सके। इसलिए हम पाते हैं कि सोमनाथ के मन्दिर से आडवाणी का रथ आगे बढता है, तो उससे पश्चिम बगाल, कर्नाटक या तमिलनाडु का हिन्दू मन आलोडित नही होता। यह कुछ वैसी ही घटना है जैसे देवीलाल का गाँव सभी गाँव वालो को विचलित नही करता या मुलायम सिंह यादव का निज भाषा प्रेम दूसरो को अपनी भाषा से प्रेम करने की प्रेरणा नही दे पाता या विश्वनाथ प्रताप सिंह का आरक्षण भारतीय समाज का एक खण्ड-स्वप्न बन कर रह जाता है। भाजपा को हिन्दू से प्रेम है, और वह हिन्दू को नये ढग से परिभाषित भी करना चाहती है लेकिन यह परिभाषा कुछ इस तरह बनाई गई है कि वह हिन्दू समाज मे ही उत्साह की अखिल भारतीय तरगें नही पैदा कर पाती। भाजपा इस हद तक तो हमारी राजनीतिक सच्चाई है कि वह हमारे हिन्दू होने को उसी तरह रेखाकित करती है जिस तरह इसलाम मिश्र को और ईसाइयत यूरोप को, या साम्यवाद हाल तक सोवियत रूस को रेखाकित करता था, या अब भी चीन को करता है, लेकिन भाजपा इस हद तक एक मिथक भी है कि वह हिन्दू भारत को एक ऐसा भारत बनाना चाहती है जिसके साथ हम आज तक परिचित नही रहे। आज से सौ साल पहले तक तो एक धर्मराष्ट्र तलवार के जोर पर बनाया जा सकता था और आज भी दुनिया मे बहुत-से भूमिखण्ड हैं जहाँ इस तरह की कोशिशें सफल हुई हैं (मसलन ईरान, इस्राइल या पाकिस्तान), लेकिन जब तक भारत मे लोकतान्त्रिक हवाएँ बह रही हैं और भारत को स्वाभाविक भारतीयता कायम है, तब तक भाजपा अपने घोषित उद्देश्यो के साथ एक नाराज और दुखी पार्टी के रूप मे ही जीवित रह सकती है।

"श्री आडवाणी धर्म की राजनीति करने वालो पर बरसते हैं और 'छद्म और विकृत' धर्मनिरपेक्षतावादियो पर बरसते हैं। यानी जितना मुसलमानो पर बरसते हैं उतना ही हिन्दुओ पर भी बरसते हैं। वे कहते हैं कि य तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी बीच मे हट जाएँ तो आज भी इस समस्या का समाधान सभव है। जाहिर है भाजपा का असली सघर्ष हिन्दू बनाम मुसलमाम नही, बल्कि हिन्दू बनाम हिन्दू है।" इसीलिए जब आडवाणी कहते हैं कि यह मुद्दा वोट या चुनावी फायदे मे ऊँचा तथा कही अधिक व्यापक तथा गम्भीर है, तो हमे उन पर यकीन करना चाहिए। लेकिन यकीन इस पर भी करना चाहिए कि जब तक हिन्दू का पूरा धर्मान्तरण नही हो जाता और वह सच्चे अर्थो मे हिन्दू नही रह जाता, तब तक भाजपा गुस्सैल लोगो की पार्टी बनी रहेगी।

और इसीलिए यह सवाल भी उठता है कि जब तक भाजपा का गुस्सा देश के सभी हिन्दुओं का गुस्सा नहीं बन जाता, तब तक भाजपा को क्या इतना गुस्सा करने की छूट दी जा सकती है कि वह बेशकीमती ताना-बाना ही बिखर जाए कि जिसमें कोई भी खण्ड-स्वप्न अपने गुस्से का इजहार करने के लिए आज स्वतन्त्र है? विश्वनाथ प्रताप सिंह बिना पूरी सामाजिक राजनीतिक तैयारी किए अगर आरक्षण का आग्नेयास्त्र अचानक भीड़ में फेंक देते है, तो क्या आडवाणी भी अपना एक तीखा हिन्दू तीर लेकर एक ऐसे ही अभियान पर नहीं निकले है? उनके हिन्दू स्वप्न को अपनी उर्वर जमीन खोजने का पूरा हक है, लेकिन क्या उसे यह हक भी है कि वह उस खेत को ही झुलसा डाले जिसमें तरह-तरह के पौधे लहरा रहे हैं? वह भी ऐसे मौके पर, जब दूसरी कई आगें पहले से ही भभक रही हैं? और सरकार एक खोई हुई भैंस की तरह लापता हो रही है।

"श्री आडवाणी को कम-से-कम अपने स्वप्न की खातिर ही अधूरे, अपर्याप्त भारत को बचाए रखने की कोशिश करनी चाहिए जो उन्हें हिन्दू राष्ट्र का स्वप्न देखने की छूट देता है। गृहयुद्ध के मुहाने पर खड़ा, कानून-व्यवस्था के कवच से वंचित और लोकतांत्रिक उदारवाद के खून में सना हुआ भारत सिवाए तानाशाहों और अराजकतावादियों के और किसी के काम का नहीं हो सकता। चूंकि इतने बड़े और विविधता भरे देश में कोई तानाशाही चल नहीं सकती, अतः यहाँ अगर व्यवस्था चरमराती है, तो एकमात्र विकल्प अराजकता ही है। राम जन्म-भूमि अभियान के कारण यदि यह देश हिन्दू राष्ट्र तो बन नहीं पाए, लेकिन हिन्दू अराष्ट्र के अपने अन्धकारमय अतीत की ओर हम लौट जाएँ तो अयोध्या में बने मन्दिर को लेकर आखिर हम क्या करेंगे। हम फिर दुहराना चाहेंगे कि जो भी हिन्दू मन्दिर इस देश में देखना चाहते हैं, वह हमारे बीच में है, और द्वारका के प्राग्ज्योतिषपुर तक वह एक राष्ट्र राज्य के रूप में फैला हुआ है। वह करोड़ों मन्दिरों का एक मन्दिर है, जो पहली बार १९४७ के बाद हमें नसीब हुआ है। इस मन्दिर को यदि क्षति पहुँची तो किसी भी तीर्थ का कोई भी मन्दिर उसकी भरपाई हजारों सालों तक नहीं कर सकेगा। भाजपा को भी इस सच्चाई का अहसास है। इसलिए हम पाते हैं कि कगार से छलाँग लगाने से पहले वह अक्सर झिझकती है, और चाहती है कि यदि हिन्दुस्तान नहीं रहा, और सिर्फ भाजपा की नाक रह गई, तो इस नाक का वह क्या करेगी? भाजपा की इस झिझक का भी सदुपयोग देश की राजनीति में होना चाहिए।

"आडवाणी के रथ को मिले समर्थन का इशारा यही है कि उन्हें सिर्फ भाजपा के वोटरों का नहीं, हिन्दू जनता का समर्थन मिल रहा है। इतने विराट समर्थन के बाद खुद आडवाणी के पास मन्दिर निर्माण शुरू करने या उत्तर प्रदेश सरकार से टकराने के अलावा तीसरा विकल्प नहीं बचा क्योंकि तीसरा विकल्प भाजपा की

आत्महत्या ही हो सकता है।

आखिर दोनो समुदायो को रहना तो इसी देश मे एक साथ है। हिन्दुओं की भावनाओ को रौंदकर देश को सामान्य बनाए रखना उतना ही मुश्किल है जैसे देश के सबसे बडे अल्पसख्यक समुदाय को अपमानित कर यहाँ शान्ति बनाए रखना सम्भव नही। इसलिए अब पराजय की भावना से ऊपर उठकर आज सोचा जाना चाहिए कि ऐसा कैसे हो कि मन्दिर भी बन जाए और मस्जिद के सम्मान की भी रक्षा हो जाए। एक धर्मनिरपेक्ष देश की प्रतिभा इतनी कुन्द तो नही हो सकती कि वह सभी धर्मों को अपने होने का बराबर सुख प्रदान न कर सके।

"भारत मे इस बात को लेकर कोई बड़ी बहस प्रायः नही है कि अगर हिन्दू पुनरुत्थानवादी ताकतो ने अयोध्या मे अन्ततः बाबरी मस्जिद को ढहाकर राम मन्दिर का निर्माण वहाँ शुरू कर दिया तो अन्तरराष्ट्रीय जगत में और विशेषकर मुस्लिम देशो मे इसकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। यह सही है कि कोई भी देश अन्तरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओ से डर कर अपने जरूरी फैसले एक हद तक ही पलट सकता है और राम मन्दिर का मामला आज ऐसे मुकाम पर है जहाँ से पीछे लौटने का मतलब है *हिन्दू पुनरुत्थानवाद की आत्महत्या*। लेकिन *हिन्दू पुनरुत्थानवाद* अगर वाकई राष्ट्र प्रेम से परिचालित है, तो उसे अन्तरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओ की भी परवाह करनी चाहिए।

"हिन्दू पुनरुत्थानवादी अक्सर इस्राइल का उदाहरण देते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि १९४८ मे अपने आधुनिक अस्तित्व से लेकर आज तक इस्राइल ने किस तरह बार-बार अरबो का भुस भरा है। वे बताते हैं कि किस तरह एक बडे देश मिस्र को एक पिद्दी देश इस्राइल से कैम्प डेविड समझौता करने को विवश होना पडा—सिर्फ इसलिए कि उसकी सीमाओं पर शान्ति रहे और १९६७ के युद्ध मे छीना गया उसका सिनाई प्रायद्वीप उसे वापस मिल सके। वे बताते हैं कि किस तरह इस्राइल के डर से सऊदी अरब, मिस्र, सीरिया, लीबिया, लेबनान, फिलिस्तीनी मुक्ति सगठन, इराक और खाडी के तमाम देश काँपते रहे हैं। वे कहते हैं कि इस्राइल ने कोई एक दशक पहले किस तरह इराक के परमाणु ठिकानो पर हमले करके अरबो की कमर तोड दी थी। वे कहते हैं कि इस्राइल ने आज भी अरबो के कई इलाको-गाजापट्टी, जोर्डन नदी के पश्चिमी तट क्षेत्र और गोलान पहाडियो पर कब्जा किया हुआ है और १९८० मे पूर्वी येरुशलम को येरुशलम मे मिलाकर वह उसे अपनी राजधानी घोषित कर चुका है। वे बताते हैं कि किस तरह इस्राइल ने फिलिस्तीनियो का बार-बार दमन कर उनके आन्दोलनो को कुचल दिया है और बदली हुई अन्तरराष्ट्रीय आबोहवा के बावजूद फिलिस्तीनी राष्ट्र का कागज से जमीन पर उतरना फिलहाल असम्भव है।

"इन तमाम बातो का अन्तर्निहित उद्देश्य यह समझना होता है कि जब ८३

प्रतिशत यहूदी 'आबादी वाला देश अपनी १६ *प्रतिशत अरब आबादी* के प्रति तुष्टिकरण की नहीं, बल्कि दमन की नीति अपनाता है और अपने चारों ओर अरब देशों को डराकर रखता है तो लगभग ८३ प्रतिशत हिन्दू आबादी वाला देश भारत हो करीब १२ प्रतिशत मुस्लिम आबादी के प्रति तथाकथित तुष्टिकरण की नीति क्यों अपनाता है। तर्क यह होता है कि सन् १९६३-६४ तक भारत में मुसलमान डर कर रहते थे लेकिन अब वे बहुसंख्यक हिन्दुओं को डराकर रखना चाहते हैं। तर्क यह होता है कि १९७१ में पाकिस्तान के अंगभंग होने और बांग्लादेश के बनने के बाद अब सीमाओं की ओर से भी पहले जैसा खतरा नहीं रह गया है।"

"इन तमाम तर्कों के जरिये यह समझाने की कोशिश की जाती है कि हिन्दुओं को निर्णायक राजनैतिक ताकत के रूप में अब उभरना चाहिए और यह कि राम मन्दिर निर्माण दरअसल उसी दिशा में एक उग्र अभ्यास है। के० नरेन्द्र सरीखे पत्रकार १९६७ के *अरब-इस्राइल युद्ध के बाद से भारत के इस्राइलीकरण* के शातिर तर्क देते रहे हैं और होम्योपैथी की दवा की तरह आज इन तर्कों ने बीमारी को उघाड़ दिया है। अन्दर की फुंसियाँ और फफोले भारत की त्वचा पर फूट पड़े हैं।

"*यह सही है कि मुस्लिम समस्या से जूझने वाला भारत* कोई इकलौता देश नहीं है। सोवियत संघ और चीन जैसे समाजवादी देशों को भी इस समस्या से आज दो-चार होना पड़ रहा है। लेकिन इस्राइल भारत का आदर्श नहीं हो सकता। कुछ बातों में भारत और इस्राइल में समानता हो सकती है। मसलन जैसे भारत हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिख आदि कई धर्मों की जन्मस्थली है, वैसे ही यहूदी, ईसाई और मुस्लिम धर्म किसी न किसी स्तर पर इस्राइल से निकले हैं। लेकिन भारत में इन धर्मों के बीच उस तरह का खूनी टकराव नहीं रहा है जो पश्चिम एशिया के इन तीनों धर्मों के बीच रहा है और आज भी जारी है। हिन्दू धर्म ने बौद्ध, जैन और सिख धर्मों को जिस तरह अपने में समाहित कर लिया (ऑपरेशन ब्लू स्टार के बावजूद हिन्दू और सिखों के बीच एकता के तन्तु नष्ट नहीं हुए हैं) वैसे यहूदी धर्म ईसाई या मुस्लिम धर्म को या इनमें से कोई एक धर्म दूसरे दो धर्मों को अपने में समाहित नहीं कर सका।"

"लालकृष्ण आडवाणी कह रहे हैं कि सऊदी अरब तथा पाकिस्तान में भी सड़कों को चौड़ी आदि करने के नाम पर मस्जिदों को हटाया गया है।

"हो सकता है, यह ठीक भी हो। पर अयोध्या में मामला सड़क चौड़ा करने का नहीं है। मुस्लिम समुदाय के नेता बेशक तथ्य को नहीं पहचानना चाहते कि येरुशलम की तरह अयोध्या और राम मन्दिर हिन्दुओं के लिए पवित्र हैं लेकिन वे इसे भारत में अपनी प्रारम्भिक उपस्थिति के स्मारक के रूप में अक्षुण्ण रखना चाहते हैं। इसलिए इस विवाद को वे अपनी अस्मिता पर हमले का रूप दे रहे हैं।

इस पृष्ठभूमि मे मस्जिद का ध्वस भारत के बाहर भी भूकम्प के झटके प्रेरित करेगा। अभी कश्मीर के सवाल पर पाकिस्तान ने भारत को मुसीबत मे डालना चाहा था और हमे यह नही भूलना चाहिए कि बाबरी मस्जिद विवाद के बाद कश्मीर मे हिन्दू मन्दिरो पर हमले हुए थे। इसलिए वक्त का तकाजा यह है कि मुस्लिम धार्मिक नेताओ को मनाकर ही अयोध्या मे राम मन्दिर बनाया जाए ताकि राष्ट्र मन्दिर अक्षुण्ण रह सके और कलश पर सीमा के उस पार से न तो हमलावर बादल मँडराएं और न ही सुदूर देशों मे कोई निंदा अभियान शुरू हो। वैसे भी भारत आज जिन समस्याओ से जूझ रहा है, वे अभूतपूर्व है और भारत को धीरे-धीरे दुबला कर रही हैं।

"पूरे अयोध्या विवाद की भावना को दो सवालो के इर्दगिर्द लपेटा जा सकता है—एक, क्या यह हिन्दू धर्म का पुनर्जागरण है? दूसरा, मन्दिर निर्माण से हिन्दुओं को क्या हासिल होगा? अयोध्या प्रसंग को अपना समर्थन देने से पहले हर हिन्दू को खुद से ये सवाल पूछने चाहिए।"

"मन्दिर निर्माण करने वाले नेताओं का दावा है कि वे भारत में इस महान और प्राचीनतम हिन्दू धर्म को फिर से उसकी खोई हुई गरिमा दिलाना चाहते हैं। यह सपना वैसा ही है जैसा स्वामी विवेकानन्द का था। आम हिन्दू को भी यह बात जम रही है। उसका मानना है कि दुनिया मे अन्याय-अत्याचार बढ रहे हैं, और यह धर्म के ह्रास के कारण है। धर्म की प्रतिष्ठा से दुनिया का अधर्म समाप्त हो जाएगा।

लेकिन भारत मे जो हलचल है, वह क्या वास्तव मे हिन्दू पुनर्जागरण है। पुनर्जागरण का मतलब है क्या? इसी सदी के शुरुआत मे देश ने एक पुनर्जागरण आन्दोलन देखा है। तब पुनर्जागरण और पुनरुत्थान शब्द एक ही अर्थ मे इस्तेमाल हुए हैं। अनुभव बताता है कि ऐसा आन्दोलन किसी धर्म के प्रवर्तन मे नया जोश भरने, धर्म की समयानुकूल नई व्याख्या करने, धर्माचरण के नए सिद्धात स्थिर करने, धर्म प्रचार व धर्माचरण मे आ गई कुरीतियो को खत्म करने आदि का दौर होता है। यह एक नई बहार की तरह है।

"लेकिन भारत मे इस समय क्या हो रहा है? धर्म की व्याख्या को कोई चेष्टा, धर्मप्रचार की कोई गतिविधि? हिन्दू समाज की सेवा का कोई अभियान? कुरीतियो के निवारण का कोई उपक्रम? नारी दाह, छूआछूत, भ्रष्ट आचरण को लेकर कोई चिंता?"

"नही, इनमे से कुछ भी नही। जो हो रहा है, वह है—नारेबाजी, जुलूस, प्रदर्शन, मन्दिर-निर्माण, फसाद, चुनाव, वोट बैंक, टकराव और प्रतिशोध। ये महज राजनीतिक हलचल के लक्षण हैं।

"मस्जिद की जगह एक अदद मन्दिर बना देने से हिन्दू धर्म का भला हो

जाएगा, इस तर्क पर विश्वास करने की प्रवृत्ति पता नही भोलापन है या बेवकूफी। धर्म के प्रति आस्था जगाने का एक ही तरीका अब तक मानव जाति को आता था और वह यह कि धर्म के मूल सिद्धान्तो, उसकी करुणा, उसके प्रेम का लोगो मे प्रचार करना। विवेकानन्द से लेकर दयानन्द तक सभी सन्तो ने यही किया। दयानन्द कुछ विधर्मियों के प्रति बेहद कडवे दिखाई देते हैं, लेकिन यह महान विचार उनको कभी नही सूझा कि मस्जिद ढहाने मे धर्म का प्रचार चुटकियो मे हो जाएगा। आश्चर्य! धर्म प्रचार का रास्ता एक ही है और उसका कोई शार्टकट नही है। सन्त के हृदय मे मानव के लिए अपार प्रेम न हो तो वह दो कदम नही चल सके। आज जो नेता धर्म का मुग्दर भाँज रहे हैं, उनका हिन्दू धर्म के उत्थान मे कोई उल्लेखनीय योगदान है? मन्दिर विवाद न हुआ होता तो इनमे से किसी का नाम इस देश ने जाना हुआ होता? वे सब नेता एक झगडे के चलते अचानक अखबारो की सुर्खियो मे जगह पा रहे हैं। उनकी दयानन्द, विवेकानन्द और परमहंस से तुलना नही की जा सकती। मस्जिद गिरा कर अपना मन्दिर बनाने का आदेश उन्हें सपने मे मिला है। अगर हिन्दू धर्म इतना गौरवशाली है, जितना उसके अनुयायी बताते हैं, तो उसके पतन का दौर अब शुरू होता है। याद कीजिए गीता प्रेस ने हिन्दू धर्म की जितनी सेवा की है मन्दिर बना कर उसकी शताश सेवा भी नही हो सकती।

"धर्म शिक्षा का सबसे बडा माध्यम है। आज हिन्दू समाज मे वे सभी बीभत्स कम हो रहे है, जिनकी पिछले पुनर्जागरण काल मे कल्पना भी नही की गई थी। एक समय राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ जग लडी थी। आज क्यो नही कोई हिन्दू नेता सामाजिक उत्थान के मोर्चे पर आगे आता? क्या यह मान लिया गया है कि हिन्द समाज मे सुधार की जरूरत नहीं? या धर्म मे उसके लिए क्षमता नही रह गई? हिन्द नेताओ को इस सवाल से कतराने का मौका नही दिया जाना चाहिए।

लेकिन इसमे विकट सवाल है—मन्दिर बना से हासिल क्या होगा? मान लिया कि न सिर्फ बाबरी मस्जिद को, वरन देश की तमाम मस्जिदो को हटा कर मन्दिर बन जाते हैं। तो भी इससे हिन्दू समाज या धर्म को क्या मिलेगा? कोई धर्मानुरागी कह सकता है कि इससे धर्म का उत्थान होगा। लेकिन अभी हमने विचार किया है कि यह तरीका धर्म के उत्थान मे रत्ती भर सहयोग नही दे सकता। इससे धार्मिक कर्मकाण्डो का शोर बढ सकता है, लेकिन धर्म मे आस्था नहीं बढ सकेगी। इससे हिन्दू समाज की विकलांगता दूर नही हो सकती, बढ जरूर सकती है।

"इस सवाल के जवाब मे हो सकता है कि हिन्दू नेता सच्चाई स्वीकार लें और कहें कि यह एक लम्बी योजना का अग है। योजना दो तरह की हो सकती है।

एक यह कि मस्जिदें गिराने के बाद विधर्मियों को देश से बाहर निकाल दिया जाए और भारत को हिन्दू राष्ट्र बना दिया जाए। लेकिन उसके बाद ?

हिन्दुओं के सोच की आज अगर यही दिशा है तो उनके विवेक पर तरस आना चाहिए। क्या एक हिन्दू राष्ट्र मे आपको बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, मूल्यवृद्धि, बाढ़, अकाल, विदेशी कर्ज, भुगतान संतुलन, राजनीतिक अस्थिरता, बाहरी हमले का भय और जिन्दगी के तमाम दुःख नहीं सताएंगे ? क्या धार्मिक हो जाना किसी देश की तमाम समस्याओं का हल है ?

"धर्मनिष्ठ कहेगा कि ये समस्याएं आज भी हैं, तब भी रहेंगी, लेकिन हिन्दू राष्ट्र मे हमें संतोष मिलेगा।" समस्याएं वैसे ही कौन-सी खत्म हो रही है ?

"इस तरह के तर्क का जवाब दुनिया का इतिहास खुद देता है। दुनिया के मजहबी मुल्कों मे कोई भी ध्यान दीजिए—कोई भी पूरी तरह लोकतन्त्र नही है। लोकतन्त्र सिर्फ उन्हीं समाजों की विशेषता है जो धर्मनिरपेक्ष हैं। नेपाल जैसे देश को लोकतन्त्र के लिए अपनी धार्मिकता को खत्म करना पड रहा है।

धर्मनिष्ठ यहां यह जिद पकड सकता है कि उसे लोकतन्त्र की फिक्र नही है। हिन्दू राष्ट्र के लिए वह लोकतन्त्र की बलि दे सकता है।

"उसका जवाब भी बाहरी दुनिया से मिलता है। कोई भी गैर लोकतान्त्रिक देश आर्थिक रूप से खुशहाल नही है। जिस तरह लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष समाज की विशेषता है, उसी तरह औद्योगीकरण, आधुनिकता, प्रगति और खुशहाली लोकतान्त्रिक समाजों की विशेषताएं हैं। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, सीमा के पार आप इस नियम पर अमल होता देख सकते है। धर्मवादी जिस समय लोकतन्त्र की अवमानना करेगा, वह अपने जीवन को शाश्वत कष्ट और यन्त्रणा के नरक मे धकेले जाने की राह खोल देगा।

"दूसरी योजना यह हो सकती है कि हिन्दू राष्ट्र न बनाया जाए, लेकिन एक हिन्दू वोट बैंक बन जाए। इससे सरकार पर हिन्दुओं का दबदबा बढ जाएगा।

"यह काफी लोकप्रिय तर्क हैं। इसके पीछे एक भारी भ्रम काम कर रहा है। वह यह कि सरकार अल्पसंख्यकों (मुसलमानों) को संतुष्ट करने की नीति पर चल रही है। जैसा कि भाजपा के नेता कहते हैं, सरकार हिन्दुओं के साथ सौतेला व्यवहार करती है और वे हिन्दू हैं, जो इस देश मे अल्पसंख्यक हो गए हैं।

"यह वास्तव में सिर्फ भावना और भाषा का एक चमत्कार है। आप मुसलमानों को मिलने वाली सरकारी रियायतों की सूची बनाने चलें तो आपको शर्मिन्दा होकर कलम नीचे रख देनी पड़ेगी। असल मे आरक्षण जैसी सुविधा का भी लगभग सारा फायदा हिन्दू जातियों को मिल रहा है।

'अगर आप मन्दिर निर्माण से वोट बैंक के सम्बन्ध को स्वीकार कर रहे हैं तो आप फस चुके हैं। आपको यह भी स्वीकार करना होगा कि मन्दिर निर्माण इस

तरह धार्मिक नहीं राजनीतिक कदम हैं। बेहतर है अब हिन्दुत्व के उत्थान और ईश्वर के नाम के तमाम छद्मों को छोड़ दिया जाए, और सीधे सच्चाई को स्वीकार कर लिया जाए। हाँ, हम हिन्दू इस देश मे अपना दबदबा चाहते हैं। यह वर्चस्व की लडाई है। ठीक है, इसी स्तर पर बहस करें। राजनीतिक वर्चस्व मुमकिन है हिन्दुओं को कुछ सुविधाएं दिला दें। लेकिन कौन-सी सुविधाएं? मन्दिरों के निर्माण के लिए सरकारी मदद ? गोवध पर पाबंदी ? इसके अलावा कौन-सी सुविधाए ले सकते हैं हिन्दू ? वे हिन्दू होने के कारण अब तक किसी सुविधा मे वन्चित रहे हैं ?

"हिन्दू धर्म के सिद्धान्तो मे जिसका दूर का वास्ता न हो, हिन्दू समाज की खुशहाली मे जिसका कोई रिश्ता न हो, जो सिर्फ आतक और अशाति पर पनप रहा हो, ऐसा छद्म पुनर्जागरण आज से पहले कभी नही देखा।

"एक विराट त्रासदी करीब है। भौतिक रूप से वह घटे न घटे, इस देश की भावना मे इसने ऐसे घाव पैदा किए हैं जो बरसों तक खून उगलते रहेंगे। अपने को दुनिया के सबसे प्राचीन और सबसे महान धर्म का अनुयायी मानने वाले हिन्दुओं के लिए फैसले का यह अतिम क्षण है।

"क्या भारत को साम्प्रदायिकता की सुरगो का मनालन-प्रदेश बनाना भाजपा जैसी पार्टी का अभिप्रेत हो सकता है ? निर्विवाद कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से कोई कम राष्ट्रवादी नही है। लेकिन अगर सत्ता पाने के तर्क से या हिन्दुओ को जोडने के तर्क से वह राम मन्दिर को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर उस रथयात्रा का सचालन कर रही है, जिसको लेकर मुसलमानों मे डर है और हिन्दुओ के ही एक बड़े वर्ग मे उपेक्षा है तो उसे समय रहते अपने निर्णय पर पुर्नविचार करना चाहिए।

"हिन्दू जिस राम को जानता है, वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उन्हे राज्य की मर्यादाओ का इतना ध्यान है कि वनवास भोगते हैं और सीता को राज्य की खातिर त्याग देते हैं। वे तमाम पिछडी जातियो और वनवासियो के बीच काम करके इन्हे सगठित करते हैं। वे संघर्ष करके भी सत्ता के दावेदार नही बनते। इसलिए सत्ता उनके पास चेरी की तरह आ जाती हैं। स्वाभाविक रूप से रामराज्य उसके बाद स्थापित होता है। दशरथ के पुत्र होने के तर्क से ही वे रामराज्य की स्थापना नही करते। वे पहले समाज के सभी वर्गों का समर्थन अर्जित करते हैं।

"*भाजपा अपने को हिन्दुओं की (स्वयभू) पार्टी मानकर एक राम-राज्य* स्थापित करना चाहती है। भाजपा के राम भी दशरथ के राम हैं। अयोध्यावासी हैं। पर उन्हे आज के समाज के अनेक हिन्दुओ और मुसलमानों का समर्थन नही है। भाजपा रथयात्रा के जयघोषों को वोट समर्थन में अनूदित करना चाहती है।

उस तरह वह पारम्परिक राम की मर्यादा का हरण कर रही है। वह राम का अवमूल्यन कर रही है। महात्मा गांधी के महास्वप्न में भी कहीं राम राज्य था। उनके राम के बारे में कहा जाता है कि वे निर्गुण थे। ऐसे निर्गुण कि एक कोण से देखो तो अल्लाह लगें और दूसरे कोण से देखो तो ईश्वर लगें।

"अगर भाजपा अयोध्या में ऐसे राम मन्दिर की स्थापना करे जिसकी मूर्ति में ईश्वर और अल्लाह दोनों अवतरित हों तो किसी को क्या परहेज हो सकता है? तब तो भाजपा इस देश की एक बड़ी और प्रामाणिक पार्टी बन सकती है। लेकिन द्वन्द्व यह है कि भाजपा के राम का यह रूप उभरने में कई दशक लग सकते हैं जबकि भाजपा सारे सोने के अण्डे आज ही निकाल लेना चाहती है।"

"राम मन्दिर बनाने का रास्ता भाजपाई रास्ता नहीं हो सकता। वह गांधीवादी ही हो सकता है। मौजूदा रास्ता तो एक और पाकिस्तान के निर्माण का रास्ता ही साबित हो सकता है जबकि गांधीवादी रास्ता अंततः मौजूदा पाकिस्तान को भी खत्म करने का रास्ता है। अन्तर्विरोध यह है कि आडवाणी भी मौजूदा पाकिस्तान को खत्म कर उसके भारत में विलय या किसी महासंघ का स्वप्न देख रहे हैं जैसे कि ४५ वर्षों बाद अब दोनों जर्मनियों का विलय हुआ है। मगर वे यह भूल रहे हैं कि जर्मनी का विभाजन इसलिए समाप्त हुआ कि महाशक्तियों के निहित स्वार्थ समाप्त हो गए हैं जबकि अन्दरूनी ताना-बाना कभी नष्ट ही नहीं हुआ। वह इतिहास, भाषा, धर्म और संस्कृति के सरोकारों में मौजूद था। सरोकार कहीं समान थे तो कहीं एक-दूसरे के पूरक। भारतीय उपमहाद्वीप के प्रसंग में भाषा, धर्म और संस्कृति के परस्पर विरोधी होने के तर्क अभी भी विद्यमान हैं जो राम मन्दिर अभियान से कम नहीं होते बल्कि और मजबूत होते हैं। (यहां इस कुतर्क को जरा थोड़ी देर के लिए अलग रखना होगा कि गांधी ने बँटवारे को अन्ततः मंजूर कर लिया था।)

"भाजपाई रास्ता इतना पूर्वाग्रहपूर्ण और उतावली भरा है कि उसे सम्वाद से परहेज है। उसे अपनी न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है। उसे अपने होने पर यकीन नहीं है। उसे डर है कि भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है हालांकि आबादी का अनुपात कमोबेश वही है जो आजादी के बाद था। वह रास्ता बार-बार यह रेखांकित करना चाहता है कि पाकिस्तान में विभाजन के बाद हिन्दू आबादी नाममात्र की ही रह गई है, बांग्लादेश से चकमा व अन्य हिन्दुओं को निकलने के लिए विवश किया जाता रहा है जबकि भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। पर यह देखने की कोशिश नहीं की जाती कि अगर मुसलमान बढ़े हैं तो उस अनुपात में हिन्दू भी तो बढ़े हैं। बहरहाल मुसलमानों की बढ़ती आबादी और एक सीमित राजनैतिक शक्ति के रूप में उनका उभार भाजपा को अयोध्या में राम मन्दिर के निर्माण को प्रेरित करता है। इसके पीछे दर्शन यह

नही है कि राम का मन्दिर बन जाए बल्कि यह है कि हिन्दू एक राजनैतिक ताकत के रूप मे अपने को उग्रता से रेखाकित करें। सवाल यह है कि तमाम पार्टियो के जरिए हिन्दू ही तो अपने को रेखाकित कर रहे हैं, फिर उग्रता की जरूरत क्या है? काग्रेस, जनता दल, माकपा, भाक्पा, अगप, द्रमुक, तेलुगू देशम्, ब० स० पा० तमाम धर्म निरपेक्ष राजनैतिक दल एक बडे अर्थ मे हिन्दू ही तो हैं। इन तमाम धाराओ से जो राजनीति बनती है, वह गैर हिन्दू कहां है? लेकिन इन तमाम राजनैतिक दलो का राम मन्दिर बनाने का रास्ता अलग है चूंकि उनके राम अलग हैं, इसलिए भाजपा बेसब्र बन गई है।

यह बेसब्री भाजपा की निर्णायक राजनैनिक शक्ति कम, अप्रासगिक अधिक बना सकती है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश मे भी मुस्लिम लीग जैसी पार्टी निर्णायक नही बन सकी है, इसलिए भारत मे भी भाजपा वह नही बन सकती जहां मिजाज और भी अलग है। दूसरा कारण यह है कि पजाब मे हम देख चुके हैं कि धर्म को राजनीति के साथ मिलाने से किस तरह के अराजक समीकरण बनत हैं। (इस कारण के साथ ही बजरग दल आदि के चरित्र का परीक्षण अगर आप करें तो आपको चौंकाने वाले परिणाम मि र सकते हैं) क्या भाजपा चाहेगी कि शहरी धर्मभीरु मध्यवर्ग की उसकी पहचान को भविष्य के अराजक तत्व दूषित करें?

आश्चर्य की बात यह है कि जिसे हिन्दुत्व की राजनीति कहा जा रहा है, उसने हिन्दू समाज के सामने अभी तक कोई आन्तरिक एजेन्डा नही रखा है। हिन्दू समाज एक हो जाए, अच्छी बात है। हिन्दू समाज जग जाए, यह भी अच्छी बात है। लेकिन सवाल तो यह है कि वह जग कर और एक होकर करे क्या? इसी प्रश्न के उत्तर मे निहित है कि राजनीति हिन्दुत्व की है या किसी और चीज की?

"अगर यह हिन्दुत्व की राजनीति है, तो वह जिन प्रश्नो से जूझना जरूरी समझेगी, उनमे से कुछ इस प्रकार हैं। हिन्दू समाज का आन्तरिक ढांचा क्या हो? जाति व्यवस्था का क्या किया जाए? अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया जाए या नही? हिन्दू समाज मे औरतो की स्थिति क्या हो? समाज का राज्य से क्या रिश्ता हो? हिन्दू जमात को किस तरह का राज्य चाहिए? हिन्दू निजी कानून मे क्या-क्या परिवर्तन किए जाएँ? पिता की सम्पत्ति मे बेटियो का हिस्सा हो या नही? मन्दिरो के साथ क्या किया जाए? पूजा-पाठ को बनाए रखना चाहिए या निर्गुण ईश्वर की आराधना की जाए? हिन्दू की पोशाक क्या हो? अन्य सभ्यताओ से हम क्या सीख सकते हैं, क्या नही? उद्योगीकरण तथा आधुनिकता का क्या कोई हिन्दू संस्करण हो सकता है? हिन्दू साहित्य के प्रतिमान क्या होने चाहिए? क्या कोई हिन्दू उपन्यास हो सकता है? या, हिन्दू नाटक?

आदिवासियो का भी कुछ तुष्टिकरण हुआ है। पिछड़ी जातियो का तुष्टिकरण हुआ है। यहाँ तक कि राशनिंग, सस्ती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, सस्ते दूध तथा हाउसिंग की विभिन्न योजनाओं के द्वारा शहरो मे रहने वाले निम्न म०व० और मध्य वर्ग का भी तुष्टिकरण हुआ है। किसानो का भी तुष्टिकरण हुआ है।

जब आप किसी वर्ग के सम्यक् कल्याण के लिए कुछ ठोस काम नही करना चाहते और फिर भी उसे अपनी ओर खीचना चाहते हैं, तो आप उसके तुष्टिकरण का प्रयास करते हैं। मुस्लिम तुष्टिकरण इसी तरह की कोशिश है। लेकिन यह आर्थिक या सामाजिक वर्गों के आधार पर न हो कर धर्म के आधार पर है, इस लिए ज्यादा खतरनाक है। सभी को इसका विरोध करना चाहिए, लेकिन इसलिए नही कि मुसलमानो का तुष्टिकरण किया जा रहा है, बल्कि इसलिए कि इस तरह का तुष्टिकरण गलत है। भाजपा द्वारा मुस्लिम तुष्टिकरण का विरोध अखरता नही, यदि उसके सारे के सारे मौलिक मुद्दे मुसलमान विरोधी न होते। तब मुस्लिम तुष्टिकरण का उसका विरोध एक सैद्धान्तिक लोकतान्त्रिक मुद्दा माना जाता। लेकिन हम पाते हैं कि यह भाजपा की सामान्य तुष्टिकरण—चिन्ता का अंग नही, बल्कि मुस्लिम चिन्ता का अग है, तो हमे बाध्य होकर उसके पीछे साम्प्रदायिक आग्रह देखने पड़ते हैं।

हैरत की बात यह है कि हिन्दू राष्ट्र को तो एक असम्भव स्वप्न करार दिया जाता है, लेकिन हिन्दू राष्ट्रीयता की बात जरूर की जाती है। यदि हिन्दू राष्ट्र की कोई अवधारणा नही है, तो हिन्दू राष्ट्रीयता का मतलब क्या हो सकता है? सगत मतलब एक ही हो सकता है कि हिन्दू दिमाग राष्ट्र की सरचना को नए ढग से परिभाषित करें। क्या भाजपा या विश्व हिन्दू परिषद ने इस दिशा मे कोई मौलिक कोशिश की है? निश्चय ही भाजपा अन्य अनेक दलो की तुलना मे ज्यादा राष्ट्रप्रेमी है। लेकिन वह अपने राष्ट्रप्रेम को किसी स्वस्थ या सगत राष्ट्रीयता मे बदल नहीं पाई है। उसका राष्ट्र प्रेम एक बीमार किस्म का राष्ट्र प्रेम है। इसीलिए वह राष्ट्र के अन्य अगो को आश्वस्त नही, आशंकित करता है। ऐसा राष्ट्र प्रेम, जिसमे राष्ट्र के सभी हिस्सो से सच्चा प्रेम न हो, अंततः राष्ट्रघातक सिद्ध होता है।

९. सम्यक् समाधान की दिशा

विख्यात साहित्यिक और चिन्तन श्री विद्यानिवास मिश्र इस समस्या के सम्यक् और संतुलित समाधन की खोज मे बुद्धिजीवियो की भूमिका को रेखाकित किया हैं।

"आज सही अर्थ मे उनकी अग्नि परीक्षा है जो अपने को बुद्धिजीवी कहते हैं और जो विवेक के धरोहरी कहे जाते हैं, क्यो आज दिन सिद्धान्तो का समर्थन करना है, वे ऐसे आवरणो मे बन्द हैं, जिन आवरणो को चीरना कठिन हो गया है क्योकि वह सुविधाजनक नही है। हमारी स्थिति ऐसी है कि हम मूल्यो पर बात करते समय मूल्यो से अधिक मूल्यों के रखवारो की बात करते हैं और ये रखवारे ऐसे हैं कि उनमें जुड कर मूल्य सन्दिग्ध हो गए हैं। धर्म निरपेक्षता सुनते-सुनते कान पक गए हैं। एक ओर दूरदर्शन प्रचार करता है लोकमान्य तिलक के द्वारा दी गई धर्म की परिभाषा का कि स्वदेश और विश्व से जो जोड़ता है, वह धर्म है, दूसरी ओर धर्म को छोटा कहा जा रहा है, राजनीति को धर्म से दूर किया जा रहा है। जिस देश मे राजनीति धर्म पर आश्रित नही स्वय धर्म रही है और राजधर्म धर्म का अग रहा है। वहाँ विश्व की गति को मगलमय दिशा मे सचालित करने वाला धर्म उपेक्षणीय हो जाए, यह कितनी बडी विडम्बना है और उस धर्म के साक्षात विग्रह राम इतिहास के मुखापेक्षी हो जाएँ, यह कितनी वडी ग्लानि का विषय है।

जिनके चरित्र मे उदारता, तितिक्षा, सत्य, करुणा साकार होती है, उन्ही को आज मतो की राजनीति से तोला जा रहा है, और बुद्धिजीवी इस राजनीति के समर्थन मे वक्तव्य दे रहे हैं. यह सुनकर बहुत गहरी चिन्ता होती है।

पिछले बीस वर्षों मे ऐसी विचित्र उलटफर हुई है कि राष्ट्र राज्य के नीचे चला गया है और राज्य कुर्सी के नीचे चला गया है। ऐसी स्थिति में राष्ट्र के भी ऊपर जिस माताभूमि का स्थान था, उसकी तो कोई चर्चा ही नही है, है तो हाशिये मे।

भारत के बुद्धिजीवी ने शाहे वक्त की चिन्ता बस औपचारिक रूप से की है, वह सनातन प्रभु की बात करता है, जो ऐसा है कि प्रभु से अधिक परिवारी है,

भाई, पुत्र, प्रिय, पिता, माता किसी न किसी निजी रिश्ते मे बधा है इसीलिए वह इतिहास नहीं है, वह वर्तमान नही है, वह दूर नही है, पास है पर आज बुद्धिजीवी शाहे वक्त से इतना सहमा हुआ इसलिए है कि वह आस्तिकता को पिछड़ापन मानता है, ढोंगी नास्तिकता को आधुनिकता और प्रगतिशीलता मानता है।

आज समय आ गया है कि बुद्धिजीवियो की जमात से खारिज होने का जोखिम उठा कर कुछ लोग आगे आएँ और कहे कि राजनेताओ, मूल्यों से खिलवाड़ न करो। साम्प्रदायिक सद्भावना के नाम पर, देश की अखण्डता के नाम पर जातीय इतिहास की रक्षा के नाम पर निरीह जनता को मोह मे भ्रमित न करो। हिन्दू जानता है कि इतनी शताब्दियो मे जो हमारे साथ है और विभाजन का वरण न करके जो हमारे साथ है, वह हमारा परिजन है, उसको छोटा समझना अपने कुटुम्बभाव को छोटा समझना है और मुसलमान भी जानता है कि डाल से बिछुड़ने की क्या पीडा होती है, अभी तक लाखो-लाखों लोग पाकिस्तान में मुसलमान होते हुए भी बेगाने बने हुए हैं। ऐसे परिजनों के बीच सद्भावना की बात करना बेमानी है, उन्हे तो सिर्फ यह बतलाना है कि परिवार मे दो सदस्यों के विचार अलग होते हैं, स्वभाव अलग होते हैं, पर उनका घर एक होता है। घर का मोह छोह एक होता है। यह न बतला कर हम निरन्तर यही सुनते हैं कि हिन्दू मुसलमान दो सम्प्रदाय हैं, इनमे सद्भावना होनी चाहिए। जो दोनो के साथ जीने की ऐतिहासिक से अधिक मानवीय विवशता है, उस पर हम बल नही देते क्योकि वह कहेंगे तो राजनीति कैसे चलेगी। हम सेक्यूलरवाद के आराधक हो गए हैं, बिना जाने कि सेक्यूलरवाद मजहबी सस्थानो के अधीन राज्य सस्थानों के विरोध मे जनमा, जबकि हमारे देश की बुनियाद ही इस पर है कि धर्म सभी मजहबो का, मतो का ध्यान रखता है, वह इनसे ऊपर है, इनके बीच का सवाद-सूत्र बनाए रखता है। आज भी गाँव का हिन्दू हो या मुसलमान, सच्चाई की बात आती है तो कहता है मेरा धरम कबूल नहीं करता, मैं यह काम नही करूँगा।

यह धरम न इस्लाम है न आस्तिक, न नास्तिक, न वैष्णव या बौद्ध, वह मानव धर्म है। ऐसे देश में सेक्यूलरवाद अर्थहीन है। सबका मगल चाहने वाले देश मे एक दूसरे को सहने की बात छोटी है, एक दूसरे के लिए जीने की बात विधि रूप मे सोची जानी चाहिए। भारतीय स्वभाव की इस उदारता को संकीर्ण दृष्टि से देखने वाले ने कायरता माना और नकली प्राचीनता के गौरव की बात की। इसी कारण बुद्धि भेद भयकर रूप से पढ़े-लिखे को ग्रस रहा है।

एक ओर इतिहास की दुहाई देकर हम कहते हैं कि अगड़ा जातियो ने पिछड़ी जातियों को पहले सताया, अब उन्हे इसका फल भोगना चाहिए, दूसरी ओर उसी तर्क को हम महमूद गजनी, मुहम्मदगोरी, बख्तियार खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के प्रसंग में इतिहास को भूलने के लिए कहा जाता है, जबकि

समीचीन यह है कि इतिहास के तर्क को थोथा माना जाए, आज जिस स्थिति में पूरा समाज है और ऊँच-नीच के भेद से अलग हो रहा है, समान देशवासी की भूमिका मे प्रवेश कर रहा है, उसकी संगति मे सब विधान हो। पर हम कही तो इतिहास की कमियों को पूर्ति मान कर पूजेंगे और कही प्रगतिशीलता की दुहाई देकर इतिहास को बदलने की बात करेंगे। सच्चाई से यह कतराना इस समय की सबसे भयकर बेईमानी है।

इस बेईमानी को उभारने में हमें अब सकोच नही करना चाहिए। हमे स्पष्ट कहना चाहिए कि पश्चिम से आयातित नेशनलिटी और सिक्यूलरिज्म कौडी काम की नही, यह वसुधैव कुटुम्बकम् से और सर्वभूत हित से बहुत छोटी चीजें हैं। यह भी हमे स्पष्ट करना चाहिए कि इतिहास से हर गति को नापना अधूरी और इसीलिए अर्धसत्य प्रक्रिया है, इसमे निहित खतरो से सावधान रहना चाहिए, यह सावधानी देश की सनातन वर्तमान दृष्टि को समझने से आएगी।

न इतिहास गौरव से आएगी, न सुनहले भविष्यत् के सपने से। हमें स्पष्ट करना चाहिए कि हमारे लिए बराबरी से ज्यादा महत्व तादात्म्य का है, सम्पूर्ण जीवन की एकता का है और हमारी आचार सहिता को बराबरी और गैर बराबरी के प्रपच मे नही पडना चाहिए यह परस्पर अवलम्बिता दो सौ वर्ष के दौरान पूरी तरह आ गई थी। तभी हनुमानगढी की रक्षा मुसलमान ने की, किसी मराठा शासक ने कोई मस्जिद नही तोडी, फकीर ने हरि मन्दिर की अमृतसर मे नीव रखी, इसी कारण सन्त और फकीर एक दूसरे के मुरीद हुए और दोनों समान रूप से पूज्य हुए, मन्दिर की पूजा मे मुसलमान गायक अपरिहार्य अग बना *और ताजिए उठाने में हिन्दू सहयोगी बना। यह भाव केवल तिरोहित हुआ लगता* है, भीतर कही है।

एक दूसरे की जरूरत आज भी है इस जरूरत को बात रेखांकित करना अधिक प्रभावकारी होगा, बनिस्बत बराबरी या निर्गुण सिक्यूलरवादिता की बात।

उसी तरह अगड़ी-पिछडी के रूप मे न सोच कर हम सोचना चाहिए इस रूप मे किसकी कितनी कमी है और उसकी पूर्ति को किस प्रकार की वरीयता दी जानी चाहिए। वर्णाश्रम मे लाख खराबी रही हो पर उसमे परस्पर सापेक्ष भाव पर बल दिया गया था, पूरे समाज को एक शरीर जो माना गया था, आज सामाजिक सरचना की इस मूलभूत एकता को, अनदेखा किया जा रहा है तो इस पर पुनर्विचार करना चाहिए।

यह सब तभी सम्भव होगा जब बुद्धिजीवी सत्ता के ठीकेदारों का पल्ला छोड़ें और अपनी स्वायत्तता का परिचय दें यह स्वायत्तता एक बड़े स्व की पहचान से आएगी। उस स्व की पहचान मे जिसे सशय होगा, वह स्वायत्त नही हो सकेगा।

बड़ी गहराई से पिछड़े शतक की गतिविधियो की समीक्षा की जाएगी तो बहुत कुछ साफ हो जाएगा कि मनुष्य को विश्व मे अब यन्त्र नही रहना है, न उसे बंधे रहना है कुछ मान लिए गये मतवादो से, उसे समग्र जीवन को ध्यान रख कर अस्तित्व और सार्थक अस्तित्व का रास्ता बनाना है। इस प्रकार की सोच की शुरुआत आज के जैसे वातावरण मे ही होती है और अब होनी चाहिए।

'धर्मनिरपेक्षता' शब्द की जिस प्रकार एक तरह से 'मुद्रास्फीति' हुई है, उसी प्रकार एक और शब्द है 'साम्प्रदायिकता' जिसका 'अवमूल्यन' या मुद्रा संकोच हुआ है। एक विचारक के अनुसार—

सम्प्रदाय क्या है ? हिन्दू धर्म का इतिहास पलटें तो पाएगे कि सम्प्रदाय का उसमे एक विशिष्ट और गौरवपूर्ण स्थान है। सम्प्रदाय वहाँ एक ऐसे समूह को कहा गया है जिसमे एक विशेष प्रगतिशील विचार के अनुयायी होते हैं। सम्प्रदाय के साथ प्रगतिशीलता अनिवार्य रूप मे जुडी हुई है। कहते हैं कि हिन्दू धर्म मे जब जडता आ गई तो इसके ठहरे हुए पानी मे फिर से धारा पैदा करने के लिए कई सम्प्रदाय हुए, जैसे—वैष्णव-सम्प्रदाय, शैव-सम्प्रदाय, शाक्त-सम्प्रदाय इत्यादि। इन सब सम्प्रदायो का विचार था कि जडता विध्वंसक है। आओ, हमारे प्रगतिशील विचारो को ग्रहण करो, कि मोक्ष का यही सही मार्ग है। इन सम्प्रदायों ने हिन्दू धर्म मे जबर्दस्त आन्दोलन पैदा किया। महान सामाजिक परिवर्तन हुए और हिन्दुत्व को पराकाष्ठा पर पहुँचाने की तीव्रतम प्रक्रिया शुरू हुई। जिन अछूनो और पिछडो पर हुए अत्याचार की कहानी कहते आज के राजनेता करुणा-विगलित होते हैं, उन्हो अछूनो और पिछडों को इन सम्प्रदायो में आदरपूर्ण स्थान दिया गया। भक्ति के समस्त द्वार उनके लिए खुले थे। बौद्धो के दो सम्प्रदाय-हीनयान और महायान तथा जैनो के भी दो सम्प्रदाय—श्वेताम्बर और दिगम्बर हुए। इनके आपसी झगडे वैचारिक थे। पर इनके युद्ध की चर्चा इतिहास नही करता। ये सब अपने रास्ते मे धर्म के विकास मे सलग्न थे। हरेक सोच को आदर देना भारतीय सस्कृति की विशेषता रही है।

अब बात यह उठती है कि सम्प्रदाय यदि प्रगतिशीलता का प्रतीक है तो साम्प्रदायिक प्रगतिशील हुआ। और साम्प्रदायिकता का अर्थ प्रगति के प्रति कटिबद्धता हुई। आज भी हम जब स्वामी दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द, राजा राममोहन राय के विभिन्न समाजो की चर्चा करते हैं तो साफ-साफ पाते हैं कि सरचना और भावना मे ये समाज पूरी तरह सम्प्रदाय ही हैं। हममे से कोई नही कह सकता कि ये समाज सुधारक प्रगतिशील नही थे। तो फिर यदि यह सम्प्रदाय शब्द इतने खूबसूरत अर्थ को अपने मे समेटे हुए है तो साम्प्रदायिकता क्यो बदनाम हुई ? क्या हमारी सारी लडाई एक सही और अर्थवान शब्द के खिलाफ हो रही है ? क्या साम्प्रदायिकता सचमुच नाक-भौं सिकोडने की वस्तु है ?

इस समय बिन्दु पर गौर करने से प्रतीत होता है कि साम्प्रदायिकता के अर्थ की विकृति कई चरणो मे हुई है। पहला चरण है जब ईसाइयो मे कैथोलिक और प्रोटेस्टैंट सम्प्रदाय तथा मुसलमानो मे शिया और सुन्नी सम्प्रदाय हुए। अगर इस लेखक को मुसलमान और ईसाई तुरन्त 'साम्प्रदायिक' घोषित नही करें तो वह कहना चाहेगा कि सम्प्रदाय का अर्थ यही से बिगडना शुरू हुआ है। कैथोलिको और प्रोटेस्टैंटो मे तथा शिया और सुन्नी मे अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जमकर लडाइयां हुई हैं। खूब खून बहा है। ताजा रिपोर्ट बतानी है कि दुनिया के कई देशो मे शिया और सुन्नी की लडाई राज सत्ता के लिए है। कम से कम ऐसी लडाई हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के सम्प्रदायों मे नही देखी गई। अगर बौद्ध हर्षवर्द्धन हिन्दू पुलकेशिन से लड़ता था तो वह दो राजाओं की लडाई थी। चूंकि मुसलमान और ईसाई कमोबेश दुनिया के हर देश में हैं, इसलिए वे जहाँ भी हैं उनकी आपसी लडाई ने अन्य धर्मों को भी सक्रमित किया है। यह और बीभत्स रूप मे तब सामने आता है जब मुसलमान और ईसाइयो की आपसी लडाइयां हिन्दू-मुसलमान, मुसलमान-ईसाई की लडाइयो मे तब्दील हो गई। चीन मे नया रूप मुसलमान-बौद्ध की लडाई है। इस तथ्य को झुठलाना सच्चाई से आँखें मूंदना होगा। और इसी सच्चाई से आँख मूंदने की प्रक्रिया ने साम्प्रदायिकता के अर्थ को गन्दा किया है।

साम्प्रदायिकता के अर्थ को विकृत करने का दूसरा चरण है—सेक्यूलरिज्म (जिसका अनुवाद धर्मनिरपेक्षता है) का उदय। धर्मनिरपेक्षता शब्द प्राचीन साहित्य मे कही नही मिलता। यह सेक्यूलरिज्म का हिन्दी मे रूपान्तरित शब्द है। भारत का सविधान अंग्रेजी मे निर्मित हुआ है। अत. इसमे निश्चय ही वे शब्द लिए गए होंगे जो अंग्रेजी के अपने मौलिक शब्द हैं, जो भारत के किसी भाषा से जुडे हुए नही हैं और जो भारतीय परिवेश के लिए बिल्कुल अजूबा हैं। 'सेक्यूलरिज्म' इसी अंग्रेजी भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ 'धर्म-निरपेक्षता' माना गया है।

यह धर्मनिरपेक्षता भारत के लिए कोई अर्थ नही रखती। यह देश धर्म से अनुप्राणित है। अंग्रेजो का सेक्यूलरिज्म इसलिए चल सकता है क्योंकि धर्म उनके लिए हृदय की वस्तु नही है। उनके पास धर्म के सर्वश्रेष्ठ तत्त्व आत्मा की कल्पना भी उतने व्यापक रूप मे नही। जब वे अपने धर्म प्रचारक विदेशो मे भेजते हैं तो साथ मे पैसो का अजस्र स्रोत भी भेजते हैं। उनका धर्म लोभित करने की चीज है। वह धन की बैसाखी पर खडा है। आज अगर ईसाई मिशनरियाँ मथाल-परगने में पैसा बहाना बन्द कर दें तो वहाँ ईसाई धर्म का प्रचार रुक जाए। हमारे धर्म प्रचारक दयानन्द और विवेकानन्द पर पैसे देकर धर्म प्रचार करने का आरोप लगाने का साहस कोई नही कर सकता। धर्म ने सदैव अपना स्थान यहाँ प्रधान

बनाए रखा है।

जिस देश की प्राणवायु ही धर्म-सापेक्षता है, वहाँ अगर एकाएक धर्म-निरपेक्षता लाद दी जाए तो यह कितना बड़ा विरोधाभास होगा। इस शब्द ने इस देश की जनता को स्तम्भित कर दिया है। वह अभी तक सोच नहीं पाई है कि वह इस भयानक शब्दजाल से कैसे बचे। और जब 'धर्मनिरपेक्षता' की शक्ति बढ़ती है तो 'साम्प्रदायिकता' जो धर्म के विकास में वास्तव में सहायक रही है, गौण होने लगती है। फिर धर्मनिरपेक्षता धर्म पर आक्रमण करती है। इसमें हमारे देश का बहुसंख्यक आहत होता है। अल्पसंख्यक चूँकि भयभीत होता है और थोड़ा-बहुत लोभित भी, इसलिए वह धर्मनिरपेक्षता का पल्ला थामता है, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि वह इस सियासी शतरंज का एक प्यादा भर है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अंग्रेजों ने हैदर और टीपू के विरुद्ध युद्ध में अन्य हिन्दुस्तानी राजाओं को लोभ देकर एक प्यादे की तरह इस्तेमाल किया। बाद में वे उन्हें भी लील गए। जैसे ही धर्म-निरपेक्षता को लगेगा कि अल्पसंख्यक रूपी वोट बैंक उसके हाथ से फिसल रहा है वैसे ही वह उसको दुत्कार देगा। १९८९ के आम चुनाव में कांग्रेस ने ऐसा ही किया। वह अचानक मुस्लिम वोट बैंक को छोड़कर हिन्दू वोट बैंक की तरफ लपकी परिणाम सबको पता है।

अब चूँकि सम्प्रदाय, जो धर्म की कोख से जन्मा है, अपने जन्मदाता पर आक्रमण नहीं देख सकता, इसलिए वह धर्म की रक्षा के लिए तनकर खड़ा हो जाता है। धर्मनिरपेक्ष को यह बात बुरी लगती है। तब वह पूरे वेग से आक्रमण करता है। वह तुलसी दास, मैथलीशरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद जैसे मनस्वि के उद्गाताओं को साम्प्रदायिक मानने लगता है। कबीर और निराला को छोड़कर उनकी नजरों में हिन्दी साहित्य के सारे कवि शब्दों के बाजीगर हो जाते हैं। स्थिति जब ऐसी होती है तो समूचा जनमानस घबराने लगता है। इस घबराहट में वह धर्मनिरपेक्षता से भिड़ता है और बदनामी पाता है। धर्म-निरपेक्षता की यह [illegible] प्रवृत्ति ही समस्त दंगे-फसाद की जड़ है। साम्प्रदायिकता केवल इसलिए होता है क्योंकि धर्मनिरपेक्षता को संविधान में स्थान मिल गया है।

अब इस देश की जनता को ही नये सिरे से साम्प्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता [illegible] करनी पड़ेगी। उसे साम्प्रदायिकता जैसे प्रभावशाली शब्द पर जमी घृणा की धूल को साफ करना होगा। साम्प्रदायिक (यदि आज की शब्दावली में भी वह है, तो भी) होने का सीधा फायदा हम देख पा रहे हैं। रा० स्व० संघ सबसे अनुशासित संगठन है, भाजपा सबसे अनुशासित दल है। इनके बन्दा राजनीति के सर्वश्रेष्ठ इकाइयों [illegible] ते है। किसी भी समस्या पर इनकी नीति बिल्कुल साफ है और वे साम्यवादियों की तरह लकीर के फकीर कभी नहीं रहे। इनके नेतृत्व ने [illegible] कहाँ बैठे हैं भारत, जो दिनोंदिन [illegible]

अधिक इंडिया होता जा रहा है, उसको वे भारत माता और हिन्दुस्तान बनाने के लिए सतत् प्रयत्नशील हैं। हिन्दी उनकी भाषा है। क्या इतने सारे गुण केवल इसलिए धुंधला जाते हैं क्योंकि वे हिन्दुत्व की बात करते हैं या इसलिए कि हिन्दुओ के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलो पर मन्दिर निर्माण की माँग करते हैं ?

जनता दल और मोर्चा सरकार के समर्थको का बडा वर्ग बेहद खुश दिख रहा था कि वी०पी० सिंह ने कांग्रेस-भाजपा सबको मण्डल का दाँव लगाकर चित्त कर दिया है। अब राम जन्मभूमि मुद्दे पर भाजपा पूरे हिन्दू समाज को साथ न ले पाएगी।

पर सच्चाई विपरीत निकली। १९७७ के बाद देश मे किसी मुद्दे पर फिर एक बार व्यापक जन-सैलाव उमड़ रहा है तो वह राम जन्मभूमि के मुद्दे पर ही ! मार्क्सवादियों के शिखर कगूरी को छोड दे तो उनका हिन्दू "मासेज" राम मन्दिर के प्रश्न पर उतना ही उत्साहित है, जितना अन्य कोई साधारण भारतीय उत्तर-प्रदेश, मध्य-प्रदेश, राजस्थान और गुजरात मे मुसलमानो का उल्लेखनीय वर्ग राम-रथ यात्रा के कार्यक्रमो मे उमडा। मण्डलवादी नेताओ के समर्थको का उल्लेखनीय वर्ग भी बिहार में इस मुद्दे पर व्यापक हिन्दू समाज के साथ है। राम मन्दिर अभियान ने अगड़ा-पिछड़ा, हरिजन-सवर्ण, हिन्दू-मुसलमान सभी की सीमाएं तोड दी हैं। क्या कोई आज मुसलमान भारत मे राम-विरोधी है। राम-रथ यात्रा के बारे मे लालकृष्ण आडवाणी का यह दावा अक्षरश सच है कि इससे हिन्दू-मुसलमान-सद्भाव बढा है और आगे भी बढते जाने का रास्ता खुला है।

तो क्या भयभीत बौद्धिक कोई छली-कपटी लोग थे, जो डरा रहे थे कि देश भर मे दंगे भड़क उठेंगे, बँटवारे का नया खतरा उभर उठेगा, गहरी खाई और चौड़ी हो जाएगी, वगैरह। असल मे हमे दूसरो को षडयन्त्रकारी मानते-बताते रहने की कूट-बुद्धि छोडनी होगी। उचित यह है कि यदि आप किसी के बारे मे नही जानते तो चुप रहिए और जानने की कोशिश कीजिए।

यह एक सचाई है कि कांग्रेस-भाजपा-रा० स्व० संघ-विहिप के नेतृत्व के अतिरिक्त शेष दलो के शीर्षस्थ बौद्धिक और नेता सचमुच बहुत चिंतित और परेशान थे। वे मानकर चल रहे थे कि इससे हिन्दु-मुसलमान तनाव चरम स्तर तक जा पहुँचेगा। केवल कांग्रेस तथा भाजपा, इन दो दलो के नेतृत्व से ऐसा नही लगता था। कांग्रेस नेतृत्व यह भलीभाँति जानता था कि इस अभियान को व्यापक समाज का समर्थन प्राप्त है और होगा। उसकी रणनीति यह थी कि अभियान के लिए काम करता रहे, और मीडिया के स्तर पर कांग्रेस भाजपा को कटघरे मे खड़ा कर दे।

बजरंग दल-शिवसेना वगैरह की समस्या दूसरी है। वे देह-मन के स्तर पर

तो वर्तमान मे जो रहे संगठन हैं किन्तु इतिहास-बोध, बौद्धिक विमर्श, मनन आदि के स्तर पर उनकी दशा करुण है। वे एक विचित्र बौद्धिक जगत मे रहते हैं, जहां हिन्दुत्व का अर्थ उनके नेताओ के चित्र-विचित्र भाषण और कौशल हैं तथा जहां अधकचरी अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त एव भावनात्मक स्तर पर संस्कृत के प्रति आकर्षित, उनके कुछ प्रिय नेता लोग ही सार्वभौम हिन्दुत्व के सनातन प्रतिनिधि हैं। लेकिन रा० स्व० सघ और भाजपा की स्थिति भिन्न है। अर्थशास्त्री जय दुबाशी की इस बात मे सत्यांश है कि रा० स्व० संघ भारतीय अंतश्चेतना का प्रतिनिधि वाहक है। इस सत्यांश मे केवल एकांगिता का दोष है, जो कि एक आधुनिक विशेषज्ञ के लिए स्वाभाविक ही है। पूरी सचाई यह है कि रा० स्व० संघ वर्तमान अर्द्ध-प्रसुप्त, अर्द्धजागृत भारतीय अतश्चेतना की प्रतिनिधि सस्था है और आज के पराजित भारतीय समाज मे फिलहाल उससे अधिक तथा बेहतर प्रतिनिधि सस्था और कोई नही है। कांग्रेस है जो उसकी ही तरह भारतीय बुद्धि के एक अन्य व्यापक पक्ष की प्रतिनिधि संस्था है। व्यावहारिक राजबुद्धि की प्रतिनिधि। पर व्यापक बुद्धि और विद्या की साधना की तैयारी से दोनो ही अभी विमुख हैं—कांग्रेस भी भाजपा भी।

अपनी तमाम सीमाओ के बावजूद, रा० स्व० सघ भारतीय बुद्धि की मौजूदा दशा की सबसे बड़ी प्रतिनिधि अभिव्यक्ति है। विश्व हिन्दू परिषद और भाजपा दोनो रा० स्व० सघ की ही संस्थाएं हैं। अतः अब इन्होने राम जन्म-मन्दिर को अपना एक मुख्य मुद्दा चुना ही था, तो बहुत सोच-समझकर। उसके पीछे पचास वर्ष से अधिक का व्यावहारिक अनुभव, व्यापक भारतीय समाज के स्पदन के जुड़ाव, भारतीय मुसलमानो के बारे मे भी पर्याप्त जानकारी और भारतीय स्वभाव की गहरी समझ विद्यमान थी। अब सचाई यह है कि रा० स्व० सघ धीरे-धीरे एक परिपक्व सगठन होता गया है। मुसलमानो से उसका घोर अपरिचय था। डॉ० हेडगेवार की अनेक स्थापनाओ मे इस अपरिचय की झलक है। गोलवलकर के विश्लेषणो मे भी इसकी झलक है। परन्तु राजनीति मे जनसघ-भाजपा की क्रियाशीलता से रा० स्व० सघ के अनेक दिग्गजो को भारतीय मुसलमानो का मन समझने मे कुछ सफलता मिली है। भारतीय मुसलमान और मौजूदा मुस्लिम नेतृत्व के एक बडे अश मे, आपस मे एक गहरी दूरी है, यह भी वे जान गए हैं। उनका लक्ष्य सकीर्ण नहीं है और मुसलमानो के खून-खराबे मे रुचि हो, ऐसा एक भी प्रमुख नेता रा० स्व० सघ मे नही है। जब उनका मन राज करने का है, पर उन्हें वी०पी० सिंह मार्का उतावली नही है। रा० स्व० संघ के शिखर नेतृत्व में बहुत गहरा धैर्य है और आत्मसयम है। वे एक वैचारिक-प्रभाव तथा सास्कृतिक परिवेश के साथ राज करने को ही राज करना मानते हैं। यह उनका विवेक ही है कि लालकृष्ण आडवाणी आज समकालीन भारत के सबसे

बड़े राष्ट्रीय नेता दिख रहे हैं। न कहीं मुसलमानों के प्रति घृणा फैलाई गई, न कोई हूठा हौवा खड़ा होने दिया। न ही राम मन्दिर के प्रति जनोत्साह के साथ विश्वासघात किया गया। एक ऐसी पार्टी जिसके पास समर्थ दार्शनिकों का छोटा-सा समूह न हो, जिसे इतिहास का कोई गहरा ज्ञान न हो, जिसे न ही अर्थशास्त्र और प्रौद्योगिकी के बारे में जिसमें कोई बड़ी स्पष्टता हो और न ही भारतीय समाज की इकाइयों के बारे में जिसकी कोई साफ राय हो, ऐसी पार्टी में अयोध्या आन्दोलन के बारे में वह कर दिखाया, जो भारत के दिग्गज बौद्धिक की मण्डलियों वाले दलों के द्वारा हो पाने की कोई सम्भावना ही नहीं थी।

बौद्धिकों की आशाएं निर्मूल रहीं, तो इसमें उन पर कीचड़ उछालने की उनका उपहास करने की क़तई जरूरत नहीं है। आखिर वे भारतीय बुद्धि के ही एक प्रतिनिधि हैं। उनकी सीमाएं वर्तमान भारतीय बुद्धि की सीमाएं हैं। पराजित, दमित और अशत. बलात रूपान्तरित समाजों में आरोपित राजकीय ढांचों के आश्रय में पलने वाले बौद्धिक वर्ग की ये सीमाएं स्वाभाविक ही हैं। उन बौद्धिकों के प्रति हमें मैत्री और करुणा की भावना से ही देखना चाहिए तथा उनकी कमजोरियों के प्रति करुणा। मिश्रित उपेक्षा का भाव पालना चाहिए। उनमें एक गहरी गुरुभक्ति है। जिन ब्रिटिश अथवा यूरोपीय अमेरिकी गुरुओं के वे प्रत्यक्ष या परोक्ष शिष्य हैं, उनके प्रति उनमें तीव्र आवेश मिश्रित श्रद्धाभाव और समर्पण वृत्ति है। अपने शिष्यत्व के प्रदर्शन में उनका उत्साह समझने योग्य है। परन्तु उनमें एक प्रशिक्षित बौद्धिक रुझान तो है ही राम जन्मभूमि मुद्दे पर जैसा आघात उनकी बौद्धिक स्थिरता को लगा है, ऐसे कुछ आघात और लगने पर वे निश्चय ही वैकल्पिक चिन्तन की ओर प्रवृत्त होंगे। उनके हुनर का तब शायद समाज में सदुपयोग हो सके। अभी तो वे अपने प्रिय पार्टी-नेताओं की बौद्धिक शाखा भर बने हुए हैं।

एक हिन्दू—बुद्धि के गैर - हिन्दू जैसी कोई बौद्धिक अवधारणा अभी तक के पारंपरिक ज्ञान पर तो असम्भव है। हम मुसलमानों, ईसाइयों आदि को विशिष्ट सम्प्रदाय तो मान सकते हैं, परन्तु अपने से नितान्त भिन्न या विरोधी मानव-समूह नहीं मान सकते। किसी भी हिन्दू विचार में इसका कोई आधार नहीं है। दूसरी ओर, मुसलमानों और ईसाइयों के अभी के नेता-अगुआ यह मानने को तैयार ही न होंगे कि वे शैवों, वैष्णवों, लिंगायतों, रामस्नेहियों, कबीरपंथियों, रैदासियों, दादूपंथियों, प्रणामियों सिखों, जैनों, बौद्धों, सतनामियों आदि-आदि की तरह भारतीय समाज के ही स्वाभाविक अंग के रूप में विशिष्ट सम्प्रदाय हैं। वे तो अपने को बिल्कुल अलग, विशिष्ट सम्प्रदाय माने जाने पर बल देते हैं, क्योंकि उनके धर्मप्रवर्तक वहां के नहीं थे। पर भारतीय परम्परा तो ज्ञान के स्तर पर बाहर-भीतर का ऐसा कोई विभाजन अमान्य करती है। तब जाहिर है, मुश्किलें

बहुत आएंगी। हिन्दू बुद्धि इसका क्या समाधान खोजेगी। ये सब बड़े सवाल हैं और बडी चुनौतियां हैं। हिन्दू बौद्धिको को इनसे जूझना होगा और इनका समाधान सोचना होगा।

अयोध्या की ओर उमड़ता सैलाब

जो रथ लालकृष्ण आडवणी ने सोमनाथ से शुरू किया, उसकी स्वीकार्यता का दायरा यकीनन बढ जाता यदि उस पर आडवाणी की अगल-बगल मुलायमसिंह यादव, काशीराम, महेन्द्रसिंह टिकैत और करुणानिधि भी खड़े होकर लोगो का अभिवादन स्वीकार कर रहे होते। *पटवा तथा शेखावत के अलावा वीरेन्द्र पाटील,* चेन्ना रेड्डी, राजीव गाँधी और विश्वनाथ प्रताप सिंह भी अगर विभिन्न राजधानी केन्द्रो मे इसकी आवभगत के लिए खडे होते तो यकीनन पूरी मुहिम की शक्ल बदल जाती। अगर रथ के आस-पास आ जुड़ने वाले लोगो के सैलाब' मे सिखो, जैनो, बौद्धो आदि की भागीदारी मे भी वही उत्साह नजर आता, तो' अयोध्या आन्दोलन की शक्ल मे गुणात्मक बदलाव आ जाता। ऐसा नही हो पाया, तो जाहिर है कि विश्व हिन्दू परिषद इस मुख्यधारा-आन्दोलन को सही मायनो मे मुख्यधारा बनाने मे सफल नही हो पाई और पूरी मुहिम भाजपा की रथयात्रा बन गई। पर क्या इससे आन्दोलन का महत्व खत्म हो जाता है, और रथयात्रा भारत को तोड़ने वाली या साम्प्रदायिकता को बढाने वाली मान ली जानी चाहिए ?

यकीनन आडवाणी की रथयात्रा के दौरान जगह-जगह पर उमड़ने वाला सैलाब देश को तोड़ने के इरादे से इकट्ठा नही होता रहा है। खुद आडवाणी भी मानते होंगे कि यह सैलाब उनके डिब्बों मे पड़ने वाली वोटो की सहस्र धारा नही है। मुलायमसिंह और लालू यादव को भी पता है कि मध्यम और सवर्ण जातियो को बाँटने की जितनी भी राजनीति वे कर लें, पर उनके तमाम वोटरों के मन मे अयोध्या के राम जन्म-भूमि मन्दिर बनाने के प्रति उत्साह है। काशीराम बेशक अपनी हर जनसत्ता की शुरूआत सवर्णों को सभास्थल से उठकर चले जाने के धमकी भरे आह्वान से करें, पर अगर वे राजनीति मे हैं तो उन्हें भी पता होगा कि देश के दलित समुदाय की निगाहें भी अयोध्या पर टिकी हैं और मन्दिर-प्रवेश निषेध की अन्यायपूर्ण सवर्ण व्यवस्था का शिकार होने के बावजूद वे एक नए समाज का नया मन्दिर अयोध्या मे चाहते हैं। राजनीति की साम्प्रदायिक *व्याख्या का मोहपाश उन्हें बेशक मुखर न बना रहा हो पर देश के तमाम द्रविड़ों,* सिखों, जैनों, बौद्धो आदि की उत्सुकता इस वक्त अयोध्या पर केन्द्रित है। अगर ऐसा न होता तो सोमनाथ-अयोध्या रथ को हर गाँव और नुक्कड़ पर उस जन-समूह के दर्शन होते जिसे देखकर भी हमारे राजनेता और बुद्धिजीवी अपनी आँखें

बन्द किए हुए हैं। वह सैलाव अकेले सवर्णों का नहीं हो सकता क्योंकि सवर्ण अपने स्वभाव और संख्या के कारण सैलाब बनने या बनाने की क्षमता नहीं रखते। यह एक हिन्दू सैलाब है जिसे समझने की कोशिश करनी चाहिए।

आजादी के पहले के वर्षों से ही भारत को देखने के दो नजरिया आम लोगों में प्रसारित किया जा रहा था जो स्पष्ट था पर भारत को एक निश्चित शक्ल देने के इरादे से उस पर अमल करने वालो की संख्या भारत मे बढती जा रही थी। इसके मुताबिक भारत एक हिन्दू देश है। भारत की एकता और उन्नति का भविष्य इस बात पर टिका है कि यहाँ हिन्दू कितना जागरूक और राजनीतिक प्राणी बनता है। इस विचारधारा का निश्चित मत था कि अगर हिन्दू की सामाजिक और राजनीतिक चेतना कमजोर नही होती तो यहाँ इस्लामी (और ब्रिटिश) हमले को शकों और हूणो के हमलो की तरह असफलता का मुँह देखना पडता और सफलता मिल जाने पर भी देश मे मुसलमानों का वैसा ही हिन्दूकरण हो जाता जैसा कुषाणों आदि का हो गया। इसलिए यह विचारधारा हिन्दू को एकजुट करने, उसे सामाजिक चेतना देने और सामाजिक प्राणी बनाने मे जुट गई। रास्ता चूँकि आसान नही था और इतिहास के कई सबक उनके ठीक अर्थों में नही समझे गये थे, इसलिए इस विचारधारा मे वह बौद्धिक प्रखरता नही आ पाई जिसके बिना कोई विचारधारा अपना स्थायी प्रभाव नही छोड पाती। पर चूँकि इस विचारधारा मे सकल्प और प्रयास की निरतरता थी इसलिए लोगो के बीच इसका असर बढ़ता गया। राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, विश्व हिन्दू परिषद, राम राज्य परिषद, हिन्दू महासभा आदि कई तरह के सगठनो के जरिए इस विचारधारा का प्रसार किया जाता रहा। राजनीतिक स्तर पर सिर्फ भाजपा (पूर्व जनसघ) ने इसे अपनाया। इसलिए जहाँ सोमनाथ-अयोध्या रथ पर आपको अकेले आडवाणी और उनकी पार्टी के लोग बैठे नजर आ रहे हैं, दूसरा कोई नेता चाहकर भी उसके आसपास नही फटक रहा, वहाँ रथ का स्वागत करने वाला सैलाब उन लोगो का है जिन पर इस विचारधारा का असर है। असर जितना कम-ज्यादा है, उनकी भागीदारी भी उसी डिग्री तक मुखर है। पर भागीदारी है।

भारत को देखने का दूसरा नजरिया उन लोगो का था, जो देश को समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे ढाँचो मे फिट करके देखना चाहते थे और आज तक देख रहे हैं। यह विचार-टेक्नोलॉजी भारत को बँटा हुआ, सडी गली ब्राह्मण-व्यवस्था का प्रतीक और कई धर्मों, संस्कृतियों राष्ट्रीयताओं का सगम मानकर चलती थी। बुद्धिजीवी कितना समाजनिरपेक्ष और विचारकृपण हो सकता है इसका नमूना भारत मे मिला। यहाँ हिन्दुओं के बीच राजनीतिक चेतना जग रही थी, वे इस प्रक्रिया को साम्प्रदायिता बता रहे थे। हिन्दुओं को भारत की एकता

की चिन्ता सता रही थी, पर बुद्धिजीवी बार-बार यही बताने को उतावले हो रहे थे कि भारत कभी एक नही रहा, हमेशा बंटा-बटा रहा है। हिन्दुओ के बीच सामाजिक समता का दर्शन तेजी से फैल रहा था पर बुद्धिजीवी पुरानी सामाजिक व्यवस्था की दुहाई देकर उसे तोडने मे खुश हो रहे थे। हिन्दू खुद को जला रहा था, वे इसे साम्प्रदायिकता का प्रतीक बनाकर मुसलमानो को डरा रहे थे कि देखो यह हिन्दू तुम्हे खत्म कर देगा।

अयोध्या-सघर्ष को इस परिप्रेक्ष्य मे देखें तो क्या सामने आता है? आम हिन्दू नही चाहता कि बाबरी मस्जिद ढहाई जाए, बल्कि कही और ले जाई जाए। पर बुद्धिजीवियो ने मुसलमानो का स्वयंभू ठेकेदार बनकर इस तरह का दुष्प्रचार किया कि हिन्दू इस मस्जिद को ढहाना चाहते हैं और एक नकली तर्क पैदाकर वे मुसलमानो के पक्ष मे खडे होकर मदिर निर्माण को हिन्दू-मुस्लिम सद्भाव का प्रतीक बनाने के बजाए दोनो के बीच सघर्ष स्थली बनाने लगे। बाबर हमलावर था, इससे कौन इनकार करेगा? उसके किसी अवशेष को हटाकर अगर हिन्दू अपनी महत्वाकाक्षाओं को राजनीतिक और राष्ट्रीय सदर्भ देना चाहते हैं और एक हमलावर की कारगुजारियों मे सशोधन चाहते हैं तो बुद्धिजीवी का फर्ज था कि वह मुसलमानो को इसके तमाम पक्ष समझाकर एक राष्ट्रीय सहमति और सहअस्तित्व की भावना पैदा करता। पर वह तर्क जुटाने लग गया कि बाबर हमलावर ही नही था, कि उसने मंदिर तोडा ही नही और यहां तक पूछा जाने लगा कि क्या प्रमाण है कि राम जन्म यही हुआ था? मुस्लिम शासको ने इस देश मे हजारो मदिर तोड़े और जबरन धर्मान्तरण किया। भारत मे हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य की माँग थी कि धर्मान्तरण के विरुद्ध कानून बनाया जाए और सभी नही, बल्कि अयोध्या, मथुरा और वाराणसी के मन्दिर उन्हे लौटा दिए जाए। देश मे हिन्दू-मुस्लिम सद्भाव और सह-अस्तित्व रहे, इसके लिए क्या यह बडी कीमत थी? पर हिन्दू विरोध को अपनी बुद्धिजीविता का पर्यायवाची बना चुके बुद्धि-जीवियो को इतनी-सी बात समझ नही आई। वे हजारो मन्दिरो के ध्वस को इस मिथ्या तर्क से सही साबित करते रहे कि इस देश मे मन्दिर तोडने की परम्परा रही है और वैष्णवो ने भी जैन मन्दिर तोडे हैं। जहाँ-जहाँ हिन्दुओ का मुस्लिम धर्मान्तरण हुआ वहाँ-वहाँ ताली बजाई गई। अयोध्या-मथुरा-वाराणसी की माँग पर सीधे-सीधे हिन्दू-विरोध मे खडे होकर उन्हें साम्प्रदायिक और देश तोड़क कहा गया। सोमनाथ-अयोध्या रथ के साथ उमडते जनसमुद्र को और बुद्धिजीवियो की हिन्दू विरोधी प्रतिक्रिया को इस सदर्भ मे समझना जरूरी है।

परिणाम भी सामने है। जहाँ अयोध्या के राम-जन्मभूमि मन्दिर को लेकर हिन्दू लगातार एकजुट और सकल्पशील होता गया है वहाँ बुद्धिजीवी लगातार अकेले पड़ते गए हैं और अब तो उनकी स्थिति हास्यास्पद हो गई है। पहले कहा

गया कि वहाँ मन्दिर था ही नही। फिर कहा गया कि वहाँ मन्दिर-मस्जिद दोनो को हटाकर कोई राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाना चाहिए। फिर हिन्दुओ को समझाया गया कि आपका धर्म बडा उदार है, सहिष्णु है, एक मन्दिर बनने न बनने से क्या होता है; इसलिए मन्दिर बनाने की हठ छोड दो। भावनाओ और राष्ट्रवादी महत्वाकाक्षाओ से जुडे इस महत्वपूर्ण मसले का हल अदालत से करवाने की पलायनवादी कोशिशो पर आज भी बल दिया जा रहा है। हास्यास्पद बनते हुए यह सीख दी गई कि कण-कण मे राम हैं, एक मन्दिर के लिए जिद कैसी? नवीनतम सीख दी जा रही है कि राम मन्दिर के लिए ऐसा हठ राम के चरित्र की विशेषताओं से मेल नही खाता।

दिलचस्प है कि बुद्धिजीवियो ने हिन्दुओ के साथ सवाद करने की काफी कोशिशें की, पर मुसलमानो के साथ वैसा एक बार भी नही कर पाए हिन्दुओ के साथ भी उनका सवाद इतना सतही था कि वे उनकी आकाक्षाओ से कोई ताल-मेल ही नही बिठा पाए। इसीलिए वे उन्हे साम्प्रदायिक और देशतोडक कहने का विघ्नसंतोषी सुख अनुभव करते रहे। बुद्धिजीवियो की स्टील सोच का नवीनतम सबूत तब मिला जब अयोध्या की ओर उमडते सैलाब को समझने के बजाए वे आडवाणी को अपना रथ रोकने की सीखें छपवाने लगे। रथ रुकने से क्या यह सैलाब रुक जाएगा, जो अगली सदी के भारत का भाग्य-निर्माण करने वाला है?

विश्व हिन्दू परिषद ने मन्दिर निर्माण की घोषणा कर रखी है। इस सैलाब को देखते हुए जाहिर है कि मन्दिर बनेगा। क्रमश मुसलमान भी समझेंगे कि मस्जिद वहाँ से कही और ले जाना देश के साम्प्रदायिक सद्भाव के हित मे है। पर अगर उसके साथ मथुरा और वाराणसी के कृष्ण जन्मभूमि और विश्वनाथ के मन्दिरो के बारे मे भी फैसला हो जाए तो भारत उपमहाद्वीप मे हिन्दू-मुस्लिम सह-अस्तित्व के बारे मे इसकी भूमिका ऐतिहासिक होगी। अगर इस जन-उभार को तात्कालिक मानने की भूल कर सिर्फ अस्थाई या टुकडो मे फैसले किए गए तो समस्या फिर उभरेगी जिसमे से इतिहास की अनदेखी करने वाली हमारी आत सोच पर से ही बार-बार पर्दा हटेगा।

दूसरी बात हिन्दू सगठनो को करनी है। सिर्फ मन्दिरो का सहारा लेकर अगर बार-बार हिन्दू उभार किया गया तो अतत: वह जड और कर्मकाण्डी हो जाएगा। आज देश का हिन्दूमानस पूर्ण परिवर्तन चाहता है। पूर्ण परिवर्तन क्या और कैसा होना चाहिए इस पर अगर ठोस विमर्श न हुआ तो यह उभार प्रति-घाती हो सकता है। आज के रथ पर सिर्फ भाजपाई बैठे हैं। कल को इस पर हिन्दुत्व के सभी जाति-पथ-उपराष्ट्रीय वर्गों का बैठा होना जरूरी है। यह तभी हो सकता है जब केन्द्र में हिन्दुत्व हो, सिर्फ मन्दिर नही, पूरा भारत हो सिर्फ वोट कामना नही। अयोध्या की ओर उमडा यह सैलाब हिन्दुओ का है, वोटरो का

नहीं, जिसकी महत्वाकांक्षाओं और परिवर्तनकामना असीम है। हिन्दू संगठन कभी इस असीमता का प्रतिरूप नहीं बन पाए हैं। भारत के बुद्धिजीवियों की प्रासंगिता इससे जुड़ी है कि इन दो बातों पर वे कैसा सोचते हैं अन्यथा सैलाब में हरेक को साथ बहा ले जाने की शक्ति होती है, और पीछे जमीन को उर्वरा बनाने की भी।

सच्ची बनाम छद्म धर्मनिरपेक्षता

गौर से देखा जाए तो साम्प्रदायिकता और देश को कांग्रेस द्वारा प्रदान की गई धर्मनिरपेक्षता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के लोग भी कांग्रेसी विचारधारा का ही एक समूह है।

साम्प्रदायिकता और धर्म-निरपेक्षता क्या है, यह जानना आवश्यक हो जाता है। मोटे तौर मे धर्म-निरपेक्षता का अभिप्राय सर्वधर्म सद्भाव की नीति से है अर्थात् सभी धर्मावलंबियों की भावनाओ का, हितो का समान सरक्षण परन्तु जैसे ही सिद्धान्त मे असमानता आती है, साम्प्रदायिकता का प्रारम्भ हो जाता है। यह निश्चित है कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त को त्यागकर यह देश आगे बढना तो दूर, जीवित भी नही रह सकता। परन्तु धर्मनिरपेक्षता की आड़ मे बहुसंख्यक वर्ग की जायज भावनाओं की कीमत पर अल्पसख्य है और उसका एकीकृत वोट बैंक है, इस सिद्धान्त पर भी हम राष्ट्र को आगे नही ले जा सकते।

आजादी के बाद तुष्टिकरण के ऐसे अनेक उदाहरण स्थापित हुए। परिणाम-स्वरूप बहुसंख्यक वर्ग की भावनाए आहत हुईं, परन्तु अपनी पारम्परिक उदारता "वसुधैव कुटुम्बकम्" के वशीभूत उसने इस पर ज्यादा महत्व न दिया। कानून की मर्यादा के शव पर शाहबानो प्रकरण, देशी की कीमत पर रुबिया प्रकरण और जगमोहन (प्रशासन) की कीमत पर कश्मीर मे तुष्टिकरण के उदाहरण स्थापित हुए। अब शायद बहुसख्यक वर्ग को लगा कि राम-जन्मभूमि मसले पर उसकी भावनाओ की कीमत पर तुष्टिकरण हो रहा है। तो हाल की उत्तेजना उसकी स्वाभाविक परिणति भर थी। इसमे ज्यादा कुछ नही। विकृत धर्म-निरपेक्षतावादी तत्वों का यह विचार है कि आडवाणी की रथयात्रा से ही यह सब कुछ हुआ। पर वे जरा राम-जन्मभूमि मसले मे लेकर अतीत के इतिहास के पन्नो मे झाककर देखें तो यही कठोर सत्य उभर कर आएगा कि साम्प्रदायिकता तो इस देश की परिस्थितियो मे ही निहित है। फिर भले ही आडवाणी या भारतीय जनता पार्टी हो या न हो, इसमे कोई फर्क नही पड़ता। हां; आजादी के बाद इतना अवश्य हुआ है कि अब तक के सत्ताधीशो ने अपने-अपने स्वार्थ के अनुसार "साम्प्रदायिक के राजनीतिकरण" का भरपूर प्रयास किया है और वे अपने इस

कुत्सित प्रयास में एक हद तक सफल भी हुए हैं। वरना क्या कारण था कि शिया सम्प्रदाय की बाबरी मस्जिद उनके द्वारा चाहने पर भी हिन्दू समुदाय को नहीं सौंपी गई। देश में व्याप्त यह नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, विकृत धर्मनिरपेक्षता, तुष्टिकरण की नीति इन्ही सत्ताधीशो द्वारा साम्प्रदायिकता के राजनीतिकरण के प्रयास की उपज है।

साम्प्रदायिकता भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का परिणाम है, यह विचार वास्तविकता से परे है। जब-जब बहुसख्यक वर्ग ने किसी भी मच से अपनी भावनाओ को प्रकट करने का प्रयास किया, अपनी जायज, तथ्यपरक मांगो को एकजुट होकर उठाने का प्रयास किया, तब-तब इन्हीं सत्ताधीशो ने उस विचार को, उस मच को साम्प्रदायिक करार दिया। फिर भले ही वह मच भारतीय जनता पार्टी का हो, विश्व हिन्दू परिषद का हो या कोई भी अन्य हो। ऐसा करना ही तो इन विकृत धर्मनिरपेक्षतावादी तत्वो के अस्तित्व की गारन्टी है। अल्पसख्यक वर्ग को बहुसख्यक वर्ग से अनावश्यक रूप से आतंकित रखना, फिर स्वय को उनकी रक्षा करने वाला मसीहा बनाकर उपस्थित करना इनकी इसी शैली का हिस्सा है।

एक धर्मनिष्ठ हिन्दू या मुसलमान होना साम्प्रदायिकता नही है परन्तु जब अपने धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करने की बजाय तथ्यो को नकारते हुए दूसरे की उपासना पद्धतियो, उसकी भावनाए आहत करने को अपने मजहब के प्रति निष्ठा मापदण्ड मानते हैं तो वह साम्प्रदायिकता हो जाती है। मौलाना आजाद एक मजहब परस्त मुसलमान थे, साम्प्रदायिक नही। दूसरी ओर मुहम्मद जिन्ना एक मजहब परस्त मुसलमान तो नही थे। परन्तु घोर साम्प्रदायिक अवश्य थे। गाँधी भी तो एक धर्मनिष्ठ हिन्दू थे। यहाँ तक कि भारत मे राम-राज्य की स्थापना की कल्पना उन्ही की थी। इसके लिए उन्होने जीवन भर सघर्ष भी किया। तो क्या वे साम्प्रदायिक थे?

आज देश की परिस्थितियो का तकाजा है कि अल्पसख्यक समाज प्रदूषित, विकृत धर्मनिरपेक्षता को त्यागकर एक सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता अपनाने का साहस दिखाए। अपने पूर्वजो के गौरवपूर्ण अतीत को शान से स्वीकार करते समय हमें उनके द्वारा की गई गलतियो को भी स्वीकार करने का साहस दिखाना होगा। लालकिला गौरव का प्रतीक है तो बाबर द्वारा निर्मित एक ढाँचे को नकारने मे क्या हर्ज है?

भारत के मुसलमानों का कर्तव्य

मुसलमान आज डरे हुए हैं। पचपन साल से जिस बाबरी मस्जिद मे उन्होने नमाज अदा नही की, उसकी बहुत ज्यादा फिक्र उन्हे नही है। १९४९ से जो

रामपूजा वहाँ चल रही है, उसका भी मुसलमानो ने लकनीको विरोध ही किया है। कोई बखेडा उन्होने खड़ा नहीं किया, जैसा कि बैण्डबाजो को लेकर किसी भी शहर मे हो जाता है। फैजाबाद और अयोध्या के युगल-नगरों मे इस बात को लेकर कोई हिन्दू-मुस्लिम तनाव नही रहा कि मुस्लिम गुम्बदो के नीचे हिन्दू पूजा चल रही है। लेकिन मुसलमान आज डरे हुए हैं, तो इसका कारण यह है कि बाबरी मस्जिद उन्हे एक स्याह सिलसिले की शुरुआत नजर आती है। विश्व हिन्दू परिषद ने यदि आज बाबरी मस्जिद को तोड दिया या हटा दिया (तोडने की वकालत करने वाले बाल ठाकरे जैसे नेता भी हमारे बीच हैं, ही), तो कल हजारो मस्जिदो को हटाने के लिए कही कस्बे-कस्बे मे आन्दोलन शुरू न हो जाए। अयोध्या मे राम मन्दिर के निर्माण का अर्थ कही यह न हो कि मुसलमानों को इस देश मे अनिच्छा मे एक नई जीवन-शैली स्वीकारनी होगी।

लेकिन असुरक्षित सिर्फ मुसलमान ही नही हैं। १९४७ के बँटवारे के कारण, पाकिस्तान की शत्रुता के कारण और मध्ययुगीन इतिहास की अपनी समझ के कारण करोड़ो हिन्दू भी अपने को असुरक्षित पाते हैं। (करोडों सुन कर ज्यादा चिन्तित न हो, क्योकि दसियो करोड हिन्दू ऐसे हैं, जिन्हे शायद कोई असुरक्षा न आज है, न पहले कभी रही। लेकिन भारत के बारे मे कोई भी आकड़ा इकट्ठा कीजिए, जैसे भारत मे गजे लोगो की संख्या तो करोड आसानी से हो जाएगे। क्या करें, देश ही इतना बड़ा है। इन हिंदुओ मे इतने लम्बे चौड़े हिन्दुस्तान के राज से कोई आत्म-विश्वास पैदा नही हुआ। इन्हे इस बात से ज्यादा मतलब है कि बाबरी मस्जिद के ठीक नीचे एक नये राम मन्दिर का गर्भ गृह बने ताकि हजारो टूटे हुए मन्दिरो का एक प्रतीकात्मक प्रायश्चित हो सके। और क्योंकि मामला राम का है, इसलिए राजीव गाँधी को शिलान्यास की इजाजत देनी पड़ती है, और विश्वनाथ प्रताप सिह मस्जिद परिसर का राष्ट्रीयकरण करने वाला अध्यादेश निकालते हैं। मामला राम का है, और भाजपा सहयोग दल था, और हिन्दू-निन्दा के पुराने धर्म निरपेक्ष तर्कों से आजकल कोई प्रभावित नही होता, इसलिए न भाजपा को गैर-कानूनी घोषित किया जाता है, न राम रथयात्रा पर पाबन्दी लगाई जाती है, न आडवाणी को हफ्तो तक गिरफ्तार किया जाता है, बल्कि एक ऐसा समाधान खोजा जाता है, जो न राम के प्रतिकूल हो न मुसलमानो के।

इस माहौल को सुधारने मे मुसलमानो का क्या योगदान हो सकता है, मान लीजिए यदि हिन्दू इस बार ज्यादा जिद पर चढे हुए हैं, लेकिन मुसलमान क्या अपने डर की खोल से निकल उन्हे मनाने का ऐतिहासिक काम नही कर सकते?

महात्मा गांधी ने भारत लौटकर अपने आन्दोलन की शुरुआत हिन्दुओ की

दुखती रग को छू कर नही, बल्कि मुसलमानों की दुखती रग को पकड़ कर की थी। पहले महायुद्ध मे तुर्की की हार के बाद तुर्की मे खिलाफत (अर्थात खलीफा का पद) खतम न हो, यह भारतीय मुसलमानो के लिए सन् १९१९ में सर्वाधिक चिन्ता का विषय था। महात्मा गांधी जब भारत मे खिलाफत के शिखर-नेता बने, तो इसका नतीजा यह हुआ कि स्वामी श्रद्धानन्द दिल्ली की जामा मस्जिद मे मुसलमानो के बीच भाषण देने लगे। क्या हमारे हिन्दुस्तान में ऐसा एक दिन दुबारा नही आना चाहिए, जब कोई शकराचार्य जामा मस्जिद मे भाषण दे सके और कोई मुस्लिम फकीर (अमृतसर के स्वर्ण मन्दिर की तरह) अयोध्या के नए राम मन्दिर की नीव रख सके।

यदि हिन्दुओं की आस्थाओ और उनकी (या उनमें से कुछ की) सही या गलत असुरक्षाओ को हमदर्दी से देखकर मुसलमान यह उदार और भव्य फैसला कर सकें कि वे बाबरी मस्जिद हिन्दुओ को सौंप देंगे, तो बीसवी सदी के इन नब्बे वर्षो मे इकट्ठा हुआ सारा हिन्दू-मुस्लिम जहर और मवाद एक क्षण मे फ्लश होकर बह सकता है और एक बिलकुल नया खून इस उपमहाद्वीप की धमनियो मे बहना शुरू हो सकता है। गांधी इस जमीन पर जीतेगा, यह अब सिर्फ इस देश के हिन्दुओ का ही नही, बल्कि मुसलमानो का भी मिशन होना चाहिए, क्योंकि आखिर अब्दुल गफ्फार खान और अबुल कलाम आजाद, डॉ० अन्सारी और हकीम अजमल खां, जाकिर हुसैन और रफी अहमद किदवई की विरासत भारत के मुसलमानो की भी विरासत है।

करोडो मुसलमान होगे, जो मन मे सोचते होंगे कि ऐसा हो जाए, तो कितना अच्छा हो। कुछ लोग तो अब बोल भी रहे हैं। जैसे ऑल इन्डिया शिया कान्फ्रेंस के अध्यक्ष अंजुम कादिर ने कहा है कि अगर यह साबित हो जाए कि हिन्दू लोग १९४७ से काफी पहले से यह मानते रहे हैं कि जहां आज बाबरी मस्जिद है, वही राम का जन्म-स्थान था, तो हम स्वेच्छा से मस्जिद हटा लेंगे, बशर्ते कि संसद मे यह कानून पास हो जाए कि मथुरा और वाराणसी की मस्जिदो को, और देश की सभी धार्मिक इमारतो की यथास्थिति कायम रखने का भारत सरकार वचन देती है। लालकृष्ण आडवाणी ने पिछले दिनों जब एक पुस्तक का विमोचन इण्डिया इन्टरनेशनल सेन्टर मे किया था, तब उन्होंने भी कहा था कि अयोध्या के बाद पूर्ण विराम लगाने का समझौता हो जाना चाहिए।

इस अपील का मतलब यह है कि मुसलमान भी हिन्दुओ की भावुक जरूरतें समझकर उनके साथ पुल बनाए। मसलन शाहबानों के मामले मे स्वतन्त्र विवेक इस बात का पक्ष ले रहा था कि मुसलमान औरतों को हक मिले लेकिन जब हमें लगा कि इस कदम को देश के मुसलमान अपने निजी मामलो मे राज्य का भयावह हस्तक्षेप मान रहे हैं, और गलत हो सही, एक गुबार उनके मन मे इकट्ठा हो रहा

है, तो कांग्रेस ने राजीव गांधी के मुस्लिम पर्सनल ला संशोधन का समर्थन किया। मुस्लिम समाज सुधार से ज्यादा जरूरी उसने यह माना कि मुसलमान यहां अपना नागरिकता-बोध न खो दें। सलमान रसदी की किताब पर पाबन्दी लगाई जाए, यह स्वतन्त्र विवेक को गवारा नही था। लेकिन सारे मुसलमानों को नाराज करके एक किताब भारत मे बिके, और फिर दंगे हो, जिनमे सैकड़ों जानें जाएं, इस भारी कीमत के लिए हम एक किताब के खातिर तैयार नही थे। तो मुस्लिम सवेदनाओ को समझे बगैर तो इस देश का काम ही नही चल सकता। लेकिन हिन्दू संवेदनाओं को समझे बगैर भी मुसलमानों का काम नही चल सकता इस बात को आज हमें रेखांकित करना होगा।

अब हमे देखना है कि समस्या के समाधान में अब तक कौन-कौन से विकल्प प्रस्तुत हुए हैं—

ज० ने० वि० वि० के इतिहासज्ञों ने अपनी विस्तृत व्याख्या के माध्यम से विवाद का हल ढूंढ निकालने का प्रयास किया है। उनके अनुसार "रामजन्मभूमि की सीमा निश्चित कर दी जाय और इमे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया जाय।" यह सत्य है कि यह मुस्लिम साम्प्रदायिक दृष्टिकोण के अनुसार नहो है। सैय्यद शहाबुद्दीन ने तो इस प्रस्ताव को सभी धर्मों का अपमान कहा है। जहां मार्क्सवादी और मुस्लिम सम्प्रदायवादी एक साथ हो जाते हैं वहां यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है।[1] लेकिन इससे प्रस्ताव निष्पक्ष नही हो सकता जैसा कि 'एल्सट' का मत है।

"यदि हम उमर मस्जिद जेरूसलम की चर्चा करें तो मुसलमानो के लिए बाबरी मस्जिद अर्ध विजय ही होगी जबकि हिन्दुओं के लिए यह एक भयानक पराजय होगी। इसलिए ज० ने० वि० वि० के इतिहासकारों को अपने आपको ही धोखा नही देना चाहिए…।"

एक सलाह यह दी गई कि जहां बाबरी मस्जिद बनी हुई है इसे हिन्दुओ के संस्कृति के दो रूप में परिणित कर दिया जाय और इस स्थान पर राम-जन्मभूमि मन्दिर के निर्माण की अनुमति दे दी जाय। बाबरी मस्जिद को किसी अन्य स्थान पर ठीक उसी प्रकार ले जाया जाय जैसे 'आबू सिम्बेल' मन्दिर को मिस्र में अश्वान डैम के रास्ते से दूर ले जाया गया था। भारत के पास भी ऐसी तकनीक है। यह इससे सिद्ध होता है कि ८०० वर्ष पुराना कुदावनी सगमेश्वर मन्दिर (मेहबूबनगर आन्ध्रप्रदेश) को इस स्थान से ६०० मी० दूर ले जाया गया। इस

१. कोएनार्ड एलस्ट—रामजन्मभूमि बनाम बाबरी मस्जिद, हिन्दू मुस्लिम द्वन्द्व का विस्तृत अध्ययन।

सलाह का, भा० ज० पा०, शिवसेना और हिन्दू महासभा ने समर्थन किया है। उसी समय अनेक शिया मुस्लिम नेताओं ने इस योजना को मान लिया था। अखिल भारतीय शिया राजनीतिक सम्मेलन के महासचिव अशगर अली अब्बास ने कहा—"हम उसे हिन्दुओ के सरक्षकत्व मे देना चाहते हैं क्योंकि यह उन्हीं से सम्बन्धित है। हमे अपनी मस्जिद कुछ दूर बनाने में कोई आपत्ति नही है जिसके लिए कि हिन्दुओ ने पहले से ही अपना मत व्यक्त कर रखा है।"

इकबाल अहमद, भा० ज० पा० उ० प्र० की कार्यकारिणी परिषद के एक सदस्य ने घोषणा की है कि—

"राम हमारे पूर्वज थे और राममन्दिर का निर्माण हिन्दुओ और मुसलमानो दोनो का ही नैतिक दायित्व है।"

भारतीय मुस्लिम युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ने सरकार से प्रार्थना की कि वैधानिक तरीको से बाबरी मस्जिद को हिन्दुओ को दे दिया जाय।

बौद्धधर्म गुरु दलाई लामा ने, इस स्थान को हिन्दुओ और मुसलमानो दोनो के लिए पूजा और नमाज के लिए प्रयोग करने का मत व्यक्त किया।

परन्तु मुसलमान बाबरी मस्जिद मे मूर्ति प्रतिस्थापन के लिए किसी भी स्थिति मे तैयार नही हैं, हां जो छूट वे हिन्दुओं को देना चाहते हैं वह यह है कि हिन्दू यदि चाहे तो बाबरी मस्जिद के पास राम मन्दिर बना लें।

जहाँ तक न्यायिक निर्णय का प्रश्न है हिन्दुओ का मत है कि इस मामने में न्यायालय कोई निर्णय नही दे सकता। इस विचारधारा के समर्थन मे हिन्दुओ द्वारा अनेकानेक तर्क प्रस्तुत किए गए हैं—

(i) राममन्दिर को बनाकर जो 'अपराध' सुधार किया जा रहा है वह इसके पहले भी सोमनाथ मे वर्तमान कानून और गणतन्त्र के अस्तित्व के समक्ष किया जा चुका है।

(ii) वर्तमान कानूनो के प्रावधानो मे हिन्दुओं के तीर्थस्थानो की रक्षा का कोई महत्व नही है। "यह तो तभी से सिद्ध हो गया था जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीश की एक पीठ ने झगडे पर यह निर्णय लिया था कि "ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले मे कुछ प्रश्नो को न्यायिक प्रक्रिया से हल करने मे सदेह है।"

(iii) बाबरी मस्जिद की न्यायिक स्थिति मुसलमानो और अग्रेजी शासको द्वारा स्थापित की गई थी जो हिन्दुओ के अधिकारो की जरा भी परवाह नही करते थे। जैसा कि एल्सट् का मत है "प्रत्येक स्वतन्त्रता आन्दोलन विश्व मे शक्ति ढाँचे को ही नही न्यायिक ढाँचे को भी प्रभावित करते रहे हैं। इस दृष्टि कोण से यह निष्कर्ष निकलता है कि न्यायिक निर्णय तो सन १५२८ मे उत्पन्न स्थिति पर ही अटल हैं।

इस सस्कृति में न्याय स्पष्टः केवल पिछले अभिलेखो पर आधारित रहता है।

(iv) हिन्दू कानून की सरचना के अनुमार हिन्दुओ का यह एक वैधानिक मामला है। इस मामले मे, भगवान राम की वैधानिक सम्पत्ति सन् १५२८ मे छिन गई थी। और इलसट् के अनुसार ईश्वर ही अपने मन्दिर का मालिक होता है और अब भगवान राम उस पर अपना अधिकार वापस माँग रहे हैं।

डॉ० गुप्त के शब्दो में "हिन्दू कानून मे देवता एक व्यक्तियता है, जो भूमि को कानूनी अधिकार से अपने पास रख सकता है।" इस प्रकार वेदी या रामजन्म स्थान पर (हिन्दुओ का) पूर्ण मालिकाना अधिकार है।

इलसट् का कहना है कि—

"जैसा कि 'सैटेनिक वर्सेज' आदि के सम्बन्ध मे हिन्दुओं ने अपना योगदान दिया है, हिन्दुओ को भी दुर्भाग्यपूर्ण विवाद मे आशाजनक परिणाम मिलने चाहिए। एक मैत्रीपूर्ण उभयपक्षी निर्णय कि रामजन्मभूमि हिन्दुओ के लिए छोड दी जाय, हिन्दुओ के लिए एक शिक्षाप्रद पाठ यह होगा। और इससे मुसलमानो को भी यह शिक्षा मिलेगी कि वे अपनी तृतीय श्रेणी की भावना को, अन्य समुदायो के लिए अधिक महत्व और पवित्रता युक्त स्थान के लिए, त्याग सकते हैं। इससे मुसलमानो का अपना ही इतिहास उजागर होगा और यह शिक्षा भी मिलेगी कि वे भी दूसरो के लिए सम्मान रखते हैं।"

जैसा कि इन्फा के विख्यात स्तम्भ लेखक, पत्रकार इन्द्रजीत का विचार है कि आज हमारा देश धर्म निरपेक्ष है क्योकि यहाँ हिन्दुओ का बहुमत है। "इस बहुसंख्यक को इस्लाम मे बदलते निश्चय ही अपना देश भी पाकिस्तान अथवा बंगलादेश की भाँति एक इस्लामी गणतन्त्र हो जाएगा और इन अल्पसख्यको का, जो धर्म-निरपेक्षता की जोर-जोर से शपथ लेते हैं कोई अस्तित्व नही रह जाएगा।

जिन्ना के द्विराष्ट्रीय सिद्धान्त पर बहुतो को आशा थी कि भारत हिन्दू राष्ट्र होगा। लेकिन हिन्दुओं ने, जिनका यहाँ अत्यधिक बहुमत था, उदारतापूर्वक भारतीय मुसलमानो की भूमिका को भुला दिया और गांधी और नेहरू की युगो पुरानी नीतियो के आधार पर इसे धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया। अतः सभी विचार धाराएं अल्पसख्यको पर केन्द्रित हो गईं। राष्ट्रीय नेताओं ने विश्व के समक्ष पूर्व विभाजन के समय हिन्दू और मुस्लिम को दो नहीं एक सिद्ध करने का प्रयास किया। अनायास हजारो वर्षों से क्रूरता के शिकार बने हिन्दुओ मे भी कुछ आशा की किरणें आईं। लेकिन किसी ने भी हिन्दुओ की मनोस्थिति की ओर ध्यान नही दिया। कही तक तो नई दिल्ली भी इस विषय में पीछे रही। आज भी

पंजाब के सम्बन्ध में निर्णय लेने में, जहाँ की ४६% जनता हिन्दू है, और जम्मू कश्मीर के सम्बन्ध में भी, वही स्थिति विद्यमान है।"

"हिन्दुओं ने विभाजन के समय धर्म निरपेक्षता की मर्यादा रखी तो मुस्लिम नेताओं को चाहिए था कि वे उनके शासकों द्वारा अधिग्रहीत विवादास्पद स्थानों का यथाशीघ्र निबटारा करा दें। उदाहरणार्थ अयोध्या में राम मन्दिर, काशी का विश्वनाथ मन्दिर और मथुरा का कृष्ण मन्दिर हिन्दुओं के पवित्र एवम् सम्माननीय स्थल रहे हैं जिनके बारे में किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। इनके प्रति दोनों सम्प्रदायों (हिन्दू और मुस्लिम) का अगाध स्नेह रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न हो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जब-जब संघर्ष की घड़ियाँ आई देश की धर्म निरपेक्षता हर बार आड़े आ गई। रामजन्मभूमि विवाद एक ऐसी स्थिति में पहुँच गया है जहाँ से विस्फोटित ज्वालामुखी अपूरणीय हानि का कारण बन सकता है।

"अयोध्या का राम मन्दिर मुसलमानों द्वारा स्वयमेव हिन्दुओं को दे देना चाहिए और उन्हें अपनी मस्जिद को अन्यत्र कहीं ले जाने के उत्तरदायित्व का वहन करना चाहिए। यह कोई नई बात नहीं है।" जैसा कि अरब विश्व के संदर्भ में इन्द्रजीत का कहना है—"मैंने सउदी सरकार के आमन्त्रण में रियाद् और जेद्दाह की यात्रा की है—जहाँ मस्जिदों को चाहे वे ऐतिहासिक हों या विशाल, स्थानापन्न या गिराई गई हों हैं जिनमें कोई धार्मिक और भावनात्मक प्रधानता नहीं है। इसी प्रकार वहाँ कभी में कोई भी बाधा नहीं जाती। कई मस्जिदों, कब्रिस्तानों को (सउदी राजधानी को पुर्ननियोजित एवम् आधुनिक और सुन्दर बनाने के लिए) दूसरी जगह ले जाया गया है।

मुसलमानों को हिन्दुओं की मनोदशा को समझना चाहिए और धर्मनिरपेक्ष राज्य के पक्ष में हिन्दुओं के निर्णय का स्वागत करना चाहिए। विवाद जहाँ आ कर अड़ गया है, वहाँ से सतुलित, सम्यक् और स्थायी समाधान तभी निकलेगा, जब वह दोनों पक्षों को अपनी विजय का एहसास दिलाए और किसी को पराजित होने का दुःख न पहुँचाए। ऐसा समाधान धार्मिक या आध्यात्मिक नेता ही दे सकते हैं। ऐसे नेताओं के विचारार्थ जन बल योगोद्योग विद्यापीठ के आचार्य अम्बिका प्रसाद ने एक सुझाव यह प्रस्तुत किया है :

एक : हिन्दुओं को विजय का एहसास दिलाने के लिए यह जरूरी है कि मुसलमान उसे राम जन्मभूमि मान लें। मुस्लिमों को फतह का एहसास दिलाने के लिए मूर्तियाँ वहाँ से हटा ली जायें तथा निकट ही प्रस्तावित मन्दिर में रख दी जायें। मस्जिद का ढांचा ज्यों का त्यों बना रहे।

दो : उस ढांचे को हिन्दुओं के ध्यान केन्द्र और मुस्लिमों की इबादतगाह के रूप में प्रयुक्त किया जाये। कबीर, गांधी या किसी भी ध्यानयोगी की तरह वहाँ

हिन्दू श्रीराम की निर्गुण रूप में ध्यानोपासना कर सकते हैं, जब कि मुस्लिम अपने ढग से वहाँ नमाज या इबादत कर सकते हैं। व्यवस्था की दृष्टि से दोनो धर्मानुयाइयो के लिए, आवश्यकता हो तो अलग-अलग समयावधि निश्चित की जा सकती है।

तीन मन्दिर निर्माण मे हिन्दू-मुस्लिम दोनो धर्मों के कारसेवक और आर्थिक योगदान हो। इसके प्रतिदान के रूप में हिन्दुओ द्वारा संलग्न भूमि मे मन्दिर और सांस्कृतिक केन्द्र के साथ 'राम-रहीम' या पैगम्बरी अस्पताल का निर्माण कराया और उसे बाबरी मस्जिद ट्रस्ट को सौंपा जा सकता है। तब यह पूरा परिसर न केवल एक धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक केन्द्र बन जायेगा और दोनो धर्मों के लोगो को शाश्वत विजय का एहसास दिलाता रहेगा।"

आज स्थिति यह है कि ६ दिसम्बर से शुरू कारसेवा कार्यक्रम भी सफल होने की उम्मीद नही है, अतः उसे सत्याग्रह और जेल भरो आन्दोलन का नाम दिया गया है। साफ है कि परिषद यह मान कर चल रही है कि उसकी माँग सरकार को मन्जूर नही होगी। न्यायालय से विश्व हिन्दू परिषद को कोई आशा नही है। परिषद का यह भी कहना है कि मामला जन विश्वास का है, अतः राम जन्मभूमि विवाद का न्यायिक परीक्षण नही हो सकता। सरकार राजी नही।

ऐसी सूरत में दो ही रास्ते बचते हैं—(१) जोर-जबरदस्ती कर विवादग्रस्त भूखण्ड पर कब्जा कर लिया जाए और मन्दिर निर्माण शुरू कर दिया जाए। (२) मुसलमान समाज मे सघन काम किया जाए और उसे राजी किया जाए कि वह बाबरी मस्जिद को वहाँ से हटा दे। पहला रास्ता व्यर्थ साबित हो चुका है। अतः दूसरा रास्ता आजमाने के अलावा चारा क्या है? एक सुझाव और है:

"प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर का कहना है कि वे बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद सुलझाने को अपना नम्बर एक काम मानते हैं और इसके लिए सबसे बात करेंगे। कर भी रहे हैं। यदि चन्द्रशेखर की मेहनत से समाधान निकल आता है तो अच्छी बात है। लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होगा? मुसलिम समुदाय और भाजपा के बीच जो ३६ का रिश्ता बन गया है, वह तो बना ही रहेगा। आज की सबसे कठिन चुनौती यही है कि इस रिश्ते को कैसे बदला जाए। भाजपा, विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल आदि हिन्दूवादी सन्स्थाएँ यदि मुसलमानों से सीधा संवाद करती हैं तो न केवल राम जन्मभूमि का रास्ता प्रशस्त होगा, बल्कि ये संस्थाएँ जिस भारत का स्वप्न देखती हैं, उसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी होगा।

यह भी स्पष्ट है कि बाबरी मस्जिद को हटाने का काम, जो भाजपा की माँग है, हिन्दुओ की ओर से नही हो कर मुसलमानों की ओर से हो, तो यह हिन्दू

मुस्लिम रिश्तों के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। हिन्दू यह काम करेंगे, तो मुसलमानों के दिल में कसक बनी रह जाएगी। मुसलमान करेंगे, तो हिन्दू उनके प्रति कृतज्ञता का अनुभव करेंगे और गर्मजोशी दिखाएँगे। लेकिन मुसलमान बाबरी मस्जिद को हटाने के लिए तभी तैयार होंगे, जब वे इस ओर से सचमुच आश्वस्त हो जाएँगे कि (१) यह साम्प्रदायिक सौहार्द के हित में जरूरी है। (२) इस अनुरोध के पीछे मुसलमानों के प्रति भाजपा की कोई दुर्भावना नहीं है। मुसलमानों में यह आश्वस्ति पैदा करने के लिए जरूरी है कि भाजपा, विश्व हिन्दू परिषद आदि के कार्यकर्ता मुस्लिम बस्तियों में काम करने के लिए समय निकालें, मुसलमानों के घरों में जाएँ तथा उन्हें अपने तर्कों से कायल करें। इस दिशा में हिन्दुओं के बीच काफी काम हो चुका है। जरूरत मुसलमानों को प्रबुद्ध करने की है। राजनीतिक दल होने के नाते भाजपा का यह एक राजनीतिक कर्त्तव्य भी है। आखिर वह भारतीय जनता पार्टी है, हिन्दू जनता पार्टी नहीं।

भाजपा को यह महसूस करना चाहिए कि इस मुद्दे पर सिर्फ मुसलमानों की प्रतिनिधि संस्थाओं से बातचीत करने से कोई लाभ नहीं होगा। अव्वल तो ऐसी संस्थाएँ हैं ही नहीं, जो सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती हों। यदि उन्हें प्रतिनिधि मान लिया जाए, तो भी सिर्फ कुछ मौलवियों या सामंतों को राजी करने से क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा वह एक राजनैतिक सौदेबाजी होगी। सौदेबाजी से मुसलमान समाज के विचारों को नई दिशा नहीं दी जा सकती। उससे आम मुसलमान का रुख और कठोर होगा। इसके विपरीत यदि व्यापक मुसलमान समाज में काम किया गया और उसे 'बहुसंख्यक हिन्दू समाज' की भावनाओं से अवगत कराया गया, तो यह एक गहरा सांस्कृतिक राजनीतिक काम होगा। इसके परिणाम भी स्थायी होंगे। इतनी बड़ी संख्या में हिन्दू और मुसलमान एक-दूसरे के नजदीक आएँगे और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को भी बल मिलेगा।

भाजपा को शिकायत रही है कि उसके अलावा सभी दलों ने मुस्लिम तुष्टिकरण किया है। भाजपा मुसलमान समाज में इसके खिलाफ भी काम कर सकती है। वह मुसलमानों को समझा सकती है कि किस तरह उन्हें वोट बैंक बना दिया गया है तथा उनके अनुचित तुष्टिकरण के द्वारा उनका राजनीतिक शोषण किया जा रहा है। आखिर मुसलमान इतने बेवकूफ तो हैं नहीं कि जिस बात को भाजपा के लाखों कार्यकर्ता बरसों से समझ रहे हैं, उसे वे न समझ सकें।

फिर मुस्लिम निजी कानून का भी सवाल है। भाजपा का कहना है कि सबके लिए समान सिविल कानून होना चाहिए। संविधान का भी यही आदेश है। लेकिन समान सिविल कानून तभी लागू होगा, जब मुसलमान समाज की ओर से उसकी माँग उठेगी। भाजपा को मुसलमान समाज में यह माँग पैदा करने का

भी उद्योग करना चाहिए। कायदे मे तो यह प्रबुद्ध मुसलमानों का कर्त्तव्य है। लेकिन जब वे अपने कर्त्तव्य से चूक रहे हैं, तो यह काम भी उनके हिन्दू शुभ-चिन्तकों को ही करना पड़ेगा। हो सकता है भाजपा को उस काम मे बहुत कठिनाई आए। मुसलमान मर्द चार शादियाँ करने और 'तलाक' शब्द का तीन बार उच्चारण कर विवाह-विच्छेद की सुविधा से क्यों वंचित होना चाहेंगे? लेकिन जाहिर है कि चूँकि मुसलमान औरतों को चार शौहर रखने की छूट नहीं है और तलाक हासिल करना बहुत कठिन है, अतः वे मन-ही-मन इस कानून के खिलाफ होंगी। अत भाजपा, विश्व हिन्दू परिषद आदि की महिला कार्यकर्ताओं को मुसलमान औरतों से मेलजोल बढ़ाना चाहिए और उन्हे अपनी आवाज बुलन्द करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। मुसलमान समाज के प्रबुद्ध और आधुनिक पुरुषों का उन्हें पूरा सहयोग मिलेगा।"

१०. संभावना : कुछ पटकथाएं

यदि विवाद का ऐसा स्थायी समाधान नहीं होता है तो भविष्य को लेकर कुछ सभावनाएँ मन मे उभरती हैं। इनकी कुछ पटकथाएँ (सिनेरियो) इस प्रकार होगी :

एक : अखिल इस्लामवाद से टक्कर

भूतपूर्व केन्द्रीय रक्षा राज्यमंत्री एव आर्यसमाजी नेता प्रो० शेरसिंह के अनुसार:

"*इक्कीसवी शताब्दी मे जिस भयकर त्रासदी की कल्पना से आज विश्व* आतंकित व चिन्तित है वह आधी से ज्यादा दुनिया मे फैली, कट्टरपन्थी मुल्लाओ द्वारा संचालित अखिल इस्लामवाद और उससे जनित अलगाववाद और आतंकवाद की मुहिम है। इसमे तनिक भी सन्देह नही कि इस्लामी कट्टरपंथी का यह बम अणुबम से कही अधिक विनाशकारी हो सकता है क्योकि इसकी प्रतिक्रिया मे दूसरे मजहबो मे भी कट्टरवाद फैलेगा और यह टकराव मानव समाज के विनाश के लिए उत्तरदायी होगा। ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती थैचर विश्व को यह चेतावनी दे रही थी कि इक्कीसवी शताब्दी मे इस्लामी कट्टरपंथी मुल्ला ही विश्व के सामने सबसे बडी चुनौती बनेंगे।

"अखिल इस्लामवाद के नजरिए को असली जामा पहनाने के लिए जो साधन चाहिए थे, अरब देशो से वे मिलने लगे। छप्पर नही, पाताल फोडकर, बेतहाशा पेट्रो डालर अरब देशो के हाथ लगे। इसके लिए न उनको कुछ तप करना पडा और न परिश्रम। इन देशो की मरुभूमि के नीचे तेल निकल आया और उसके निकालने के लिए अन्य पश्चिमी देशो द्वारा विकसित यत्र और तकनीक सेवा मे उपस्थित हो गए। पहले लीबिया ने इस्लामिक परमाणु बम बनाने के लिए अरबो रुपये पाकिस्तान और उसके वैज्ञानिको को देने की घोषणा की और बाद मे अमेरिका और लीबिया का विवाद छिड़ने के बाद वही काम सऊदी अरब ने किया। पाकिस्तान परमाणु बम बना पाया है या नही और यदि बना पाया है तो इस्तेमाल कर पाएगा कि नही, यह तो निश्चय से नही कहा जा सकता।

परन्तु अखिल इस्लामवाद द्वारा जनित अलगाववाद तथा आतकवाद रूपी 'इस्लामिक बम' का विस्फोट तो जगह-जगह हो रहा है।

अखिल इस्लामवाद के चलते अब ईरान, सऊदी अरब तथा अन्य मुस्लिम कट्टरवादिता मे विश्वास रखने वाले देश, जिन-जिन देशो मे मुसलमान रहते हैं उनके अन्दरूनी मामलो मे दखल देना अपना अधिकार मान बैठे हैं, और उन देशों को अस्थिर करने और तोड़ने के लिए अलगाववादियों कोसब प्रकार की सहायता पहुँचाने को हक बजानिबकहने मे जरा भी सकोच नही करते। कुछ तो अरब देशो के नेताओ, सुल्तानों व अमीरों की महत्वाकाक्षाओ के कारण, कुछ आर्थिक स्वार्थों के टकराव मे उपजे विवादो के कारण और कुछ पश्चिमी देशो की कूटनीति के कारण, अरब देश आपस मे बँटे हुए हैं, नही तो अलगाववाद और आतकवाद भारत, रूस और चीन मे और भी विकराल रूप धारण कर लेते। इन देशो मे जो खेल हो रहा है वह दिन प्रतिदिन बढ रहा है और इनमे सबसे बड़ी भूमिका पाकिस्तान की है, क्योकि मध्य एशिया मे वह फ्रन्ट लाइन देश माना जाता है और उसकी पीठ पर है अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देश।

पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनो ही अपने आपको मुस्लिम देश कहते हैं। पाकिस्तान मे हिन्दू तो नाममात्र ही रह गए, सिन्ध से वे भी पलायन कर रहे हैं। बांग्लादेश से भी बहुत बडी सख्या मे हिन्दू और बौद्ध निकल आए हैं। जो हैं, उनको बराबर के नागरिक का अधिकार नही है। पाकिस्तान मे अहमदियो को कोई नागरिक अधिकार नही। मुहाजिर भी जैसे-तैसे दिन काट रहे हैं।

अफगानिस्तान की हुकूमत का तख्ता पलटने के लिए अमेरिका ने जैसे ही पाकिस्तान को अफगान मुजाहिदीनो के लिए हथियार, पैसा और अन्य साधन दिए, वैसे ही पाक ने मुजाहिदीन के साथ-साथ पंजाब के सिख नौजवानो और कश्मीर के पाक समर्थक जवानो को हथियार, प्रशिक्षण और दूसरे साधन देने शुरू कर दिए। जब भारत ये तथ्य दुनिया के सामने रखता है तो वह भारत को अस्थिर करने और तोडने के लिए दी जाने वाली प्रमाणित मदद से भी साफ इन्कार कर देता है और प्रतिक्रिया मे और अधिक मदद देने लगता है। अब जब अफगानिस्तान से रूसी फौजें वापस चली गई और मुजाहिदीन अफगानिस्तान की सरकार को नही उखाड सके, तब अमेरिका ने रूस से मिलकर सैनिक की बजाय समस्या का राजनीतिक हल निकालने की सोची। परन्तु बिल्ली के भागों छीका टूटा, इराक का द्वन्द्व अमेरिका और सऊदी अरब के साथ छिड़ गया। पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष और राष्ट्रपति ने बेनजीर को चलता किया और सऊदी अरब मे अमेरिकी सेना आ गई। फारस की खाड़ी मे अमेरिका की सहायतार्थ पाकिस्तान अग्रिम पंक्ति वाला देश बन कर खड़ा हो गया। अब फिर अमेरिका की नौसेना के तथा दूसरे आधुनिक हथियार और साधन उसके पास आ

गए और उनके राष्ट्रपति इसहाक खाँ ने कश्मीर को पाकिस्तान मे मिलाकर अपनी अधूरी क्रांति को पूरा करने की बात कह डाली।

मुस्लिम अलगाववाद और अखिल इस्लामवाद का प्रहार विशेष रूप से तीन देशो को झेलना पड़ेगा। वे तीन देश हैं भारत, रूस और चीन। भारत मे मुस्लिम आबादी करीब दस करोड है, रूस मे सात-आठ करोड और करीब-करीब इतनी ही चीन मे हैं।

अफगानिस्तान, तुर्की, इरान, चीन आदि देशों से घिरे हुए तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, उजबेकिस्तान, कजाकिस्तान आदि रूस के रिपब्लिको मे जहाँ मुसलमानो का बहुमत है, रूस से अलग होने की बात चल पडी है। आर्मीनिया ने अपने आपको बाल्टिक के रिपब्लिको की तरह स्वतन्त्र भी घोषित कर दिया है। उन रिपब्लिको मे कुछ जगहो पर फसाद भी हुए हैं और लोग हताहत हुए हैं। चीन के प्रदेश सिक्यॉंग, जिनज्यॉंग मे भी अवस्था बिगड रही है। मुस्लिम अलगाववाद और आतंकवाद ही तीनों देशो को अस्थिर करने और तोडने मे लगा हुआ है। इसी कारण इस क्षेत्र मे राजनैतिक परिवर्तन आया है और अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों के समीकरण बदल रहे हैं। अब रूस और चीन एक दूसरे के मित्र हैं, भारत और चीन के सम्बन्धो मे भी सुधार आया है और आशा है कि उनमे उत्तरोत्तर सुधार होता जाएगा। इन तथ्यो से यह वास्तविकता विश्व के सम्मुख स्पष्ट हो गई है कि आतकवाद जहाँ कही भी वार करता है उसके पीछे मुस्लिम अलगाववादियो का ही हाथ होता है।"

इसी सम्भावना के तहत् भारत मे हिन्दुओ की घटती आबादी को भाजपा नेता विजय कुमार मलहोत्रा रेखांकित करते हैं :

"भारत मे हिन्दुओ की जनसख्या का प्रतिशत निरन्तर कम होता जा रहा है। कुछ लोग इसे चिन्ता का विषय समझते हैं और कुछ इसके लिए चिन्ता करना मूर्खता समझते हैं। जो इसे चिन्ता का विषय नही समझते ऐसे लोग जनसख्या कम होने और जनसख्या मे प्रतिशत कम होने के अन्तर को नही समझते। इस्राइल की जनसख्या कम है, परन्तु इस्राइल मे यहूदियो की जनसख्या मे प्रतिशत कभी कम नही होता और न होने देते हैं। चीन मे यदि एक दम्पत्ति की एक सन्तान का नियम है तो वह चीन के मुसलमानो पर भी उसी प्रकार लागू होता है जैसे कि अन्यो पर। रूस इस समय अपने देश के मुसलमानो की बढती जनसख्या प्रतिशत पर चिन्तित है।

भारत मे भी लोकतन्त्र, सर्व-धर्म-समभाव, सहिष्णुता, उदारता, समानता, यह सब हमारी प्रतिबद्धताएँ तब तक सुरक्षित हैं, जब तक हिन्दुओ का बहुमत इस देश मे है। एक बार मुसलमानों का बहुमत किसी देश मे हो जाए तो उस देश मे ये सब विशेषताएँ समाप्त हो जाती हैं और गैर-मुस्लिम नगण्य स्थिति को पहुँच

इसके विपरीत उसी अनुपात से मुसलमानों की आबादी होनी चाहिए थी २८.७७ करोड। परन्तु १९८१ में उनकी आबादी तीनों देशों मे इस प्रकार थी :

भारत	८.०० करोड
	(अनुमानतः असम की जनसंख्या सम्मिलित करके)
पाकिस्तान	८.१५ करोड़
बांग्लादेश	७.७४ करोड
कुल	२३.८९ करोड़

यानी इन पचास वर्षों मे इस क्षेत्र मे हिन्दुओ की आबादी जहां दुगनी से कुछ अधिक हुई है वहां मुसलमानो की आबादी तिगुनी से कुछ अधिक हो गई है।

दो : हिन्दू धर्म की दिग्विजय

इसकी विलोम अथवा समानान्तर पटकथा की थीम यह है कि अन्तिम विजय हिन्दू धर्म और भारतीय संस्कृति की ही होगी। पिछले दिनों विश्व हिन्दू परिषद ने एक पत्रक प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है 'भारत का समय आ रहा है।'

इस पत्रक में विख्यात स्पेनी भविष्य वक्ता नॉस्त्रेदेमस की भारत, इस्लाम तथा इसाइयत से सम्बन्धित भविष्यवाणियों को बडी गम्भीरता से उद्धृत किया गया है।

वैसे नोस्ट्रेडेमस की भविष्यवाणियो को पूरी दुनिया मे गभीरता से लिया जाता है। क्योकि चार सौ वर्षो के दौरान उनमे से अधिकाश आश्चर्यजनक रूप से सत्य सिद्ध हुई हैं और समय-समय पर पत्र-पत्रिकाओ मे चर्चित रही। जैसे १६ अगस्त १९९० को नाइस, फ्रांस की डेटलाइन पर ए० एफ० प्रे० समाचार-सस्था का यह समाचार दुनिया भर के अखबारो मे छपा।

बीसवीं सदी का अंतिम सघर्ष प० एशिया में

नाइस, फ्रास १६ अगस्त (ए.एफ.प्रे.)। फ्रास के प्रसिद्ध ज्योतिषी नौस्ट्रडेमस ने चार सौ साल पहले यह भविष्यवाणी की थी कि बीसवी सदी का अतिम अन्तर्राष्ट्रीय सघर्ष पश्चिमी एशिया मे शुरू होगा। नौस्ट्रडेमस की रचनाओ के एक विश्लेषक ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस विश्वविख्यात प्राचीन ज्योतिषी ने इस दुनिया मे एक सभ्यता के ही खत्म होने की भविष्यवाणी की थी।

उक्त विश्लेषक ज्यो चार्ल्स फान्टब्रून ने १९८० मे एक अत्यधिक चर्चित पुस्तक 'नौस्ट्रडेमस : इतिहासविद् और भविष्यवक्ता' लिखी थी जिसमे उन्होंने एक कम्प्यूटर की मदद से उनकी भविष्वाणियो को आधुनिक फ्रासीसी मे अनुवाद किया था।

नौस्ट्रेडेमस की भविष्यवाणियो के विश्लेषक चार्ल्स फांटब्रून ने यह नवीनतम टिप्पणी कुवैत पर इराकी आक्रमण के सन्दर्भ मे की है।

नौस्ट्रेडेमस की एक भविष्यवाणी उल्लेखनीय है। मुसलमानों की ईसाई विरोधी जत्था इराक और सीरिया मे उद्वेलित होगा और वह ईसाई कानून को अपना दुश्मन मानेगा।

नौस्ट्रेडेमस ने आगे कहा था 'इराकी लोग स्पेन के मित्र देशो के खिलाफ आक्रमण बोल देंगे जब कि वहाँ के लोग हर्षोल्लास मे लिप्त होंगे। अरब का नेता इस राजशाही के खिलाफ युद्ध घोषित कर देगा और चर्च की सत्ता पर समुद्री आक्रमण मे वह धाराशायी हो जाएगी। ईरान मे दस लाख से अधिक सैनिक इकट्ठे होकर तुर्की और मिश्र पर हमला बोल देंगे।

नौस्ट्रेडेमस ने कहा था कि अन्ततः जीत पश्चिम की होगी पर यह लड़ाई विभिन्न इलाको मे २७ सालो तक चलेगी। यह लड़ाई फ्रास मे भी तीन साल सात महीने तक चलेगी और इराक फ्रास मे लडाई हार बैठेगा।

नौस्ट्रेडमस ने यह भविष्यवाणी सन १५५५ मे की थी। इस ज्योतिषी ने यह भी कहा था कि जुलाई १९९९ मे एक महान नेता का उदय होगा जबकि उसके पहले और बाद मे लडाई जारी रहेगी। विश्लेषक फ्राटब्रून के अनुसार नोस्ट्रेडेमस ने दुनिया के खत्म होने की बात नही की थी बल्कि कहा था कि बीसवी सदी के इस अन्तिम लड़ाई के बाद एक हजार साल शान्तिपूर्ण रहेगा।

नौस्ट्रेडेमस की भविष्यवाणी चौपदियो तथा काव्यमय शैली मे की गयी है। व्याख्याकारो ने उनके अपने-अपने ढग से अर्थ लगाए हैं अत. उनके बारे मे सौ फीसदी निश्चित तो नही कहा जा सकता। फिर भी भविष्यवाणियो के अवतरण वि० हि० प० के प्रचार पत्रक मे दिये गये हैं, उनका आशय यह है कि

उपरोक्त विश्वनेता का उदय भारत मे ही होगा। 'महासागर के नाम वाले धर्म' (यानी हिन्दू) के अनुयायी उसके नेतृत्व मे सगठित होकर इस्लाम पर धावा बोल देंगे। ईसाई आक्रमण से जर्जर मुस्लिम देशो को यहूदियो (यानी इस्राइल) के सहयोग से वे रौद डालेंगे। इस लडाई मे लाखो लोग मारे जायेंगे तथा इस्लाम का बेडा सदा-सदा के लिए गर्क हो जायेगा। सागर के नामवाला (हिन्दू) धर्म फैलकर विश्व धर्म बन जायेगा। आदि-आदि।

इस भविष्यवाणी से उत्साहित हिन्दू पुनरुत्थानवाद की लहर अपने आपको राम जन्म-मन्दिर निर्माण के प्रतीक मे चरितार्थ होती देखती है। उसकी मान्यता है कि जब उधर बर्लिन की दीवार के साथ भौतिकवादी यूरोप का साम्यवादी गढ ढह रहा था, तभी जन्मभूमि पर रामशिलान्यास हो रहा था। यह एक नाटकीय, आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक घटना है, जो हिन्दू-धर्म के विश्व-धर्म या भावी मानवता के धर्म बनने का प्रारम्भ सूचित करती है।

लेकिन बुद्धिजीवी नौस्ट्रेडेमस की भविष्यवाणी पर यह सवाल उठाते हैं, कि हिन्दू-मुस्लिम निर्णायक युद्ध हुआ तो उसमें अवश्य ही अणुबमो का प्रयोग होगा। यह नौस्ट्रेडेमस का युग नहीं, सर्वनाशी अणुबमो का युग है, जो किसी को विजयी नही बनाते। पाकिस्तान का इस्लामी अणुबम यदि दिल्ली पर गिरता है तो उसका प्रलयंकर विकिरण (फाल आउट) इस्लामाबाद तक पहुँचेगा और भारतीय अणुबम पेशावर पर गिराये जाते हैं तो उनकी जहरीली राख दिल्ली को भी शमशान बना देगी। ऐसी हालत मे कैसी-विजय और किसकी विजय ? अणुयुग ने निर्णायक युद्ध के विकल्प को सदा के लिए निरस्त कर दिया है।

किन्तु विजय का एक दूसरा रास्ता भी है। बिना छोटी रेखा को छुए अपनी बडी रेखा खीच देना। जैसी रेखा, दुनिया का सबसे बड़ा और स्थिर लोकतांत्रिक देश बनकर भारत ने खीची। जैसी बाँगला देश का युद्ध जीतकर और फिर उसे खुद-मुख्तार बन जाने के लिए छोडकर भारत ने खीची। इस तीसरे सिनेरियो के अनुसार—हो सकता है कि नौस्ट्रेडेमस की भविष्यवाणी के अनुरूप भावी विश्वनेता के नेतृत्व मे भारत ऐसी कोई बडी रेखा खीचे। हो सकता है वह भावी नेता भारत की गरीबी के शिवधनुष्य को उठाकर तोड़ फेंके। फिर एक यूरोपीय महासघ की तरह दक्षेस देशो का मय अफगानिस्तान और बर्मा के कोई दक्षेशियाई महासघ बना दे और आपसी युद्धो की संभावनाओ को खत्म करके यह बड़ी रेखा खीच दे। सभव है, तब पाकिस्तान तीन चार स्वतंत्र मुल्को मे बंट जाये और स्वतंत्र कश्मीर एव खालिस्तान भी वजूद मे आ जायें तथा सभी उस महासघ के देश बन जायें जिनकी मण्डी, रक्षा-व्यवस्था और विदेशनीति साझा हो। यदि अणुबमो की विभीषिका रूस और अमेरिका का शीतयुद्ध खत्म कर सकती है, आर्थिक स्थितियों का दबाव यूरोप के एक समय के शत्रुराष्ट्रों को एकजुट कर सकता है, तो एशिया मे ऐसा क्यो नही हो सकता ?

यही भारत की सच्ची विश्व-विजय होगी। तब पूरा विश्व राम की जन्मभूमि अयोध्या होगी—ऐसी बस्ती—जहाँ युद्ध नही हो सकता और जो युद्ध से नही जीती जा सकती ! जहाँ दोनो ही प्रतियोगी पक्ष जीतते हैं, और विजय के तौर पर एक नई दुनिया पा जाते हैं !

उभरता नव-हिंदुत्ववाद बनाम राष्ट्रवाद

जन्म-भूमि बनाम बाबरी मस्जिद विवाद को एक जाति या धर्म का दूसरी जाति या धर्म के विरुद्ध युद्ध नही समझना चाहिए। अपने सारतत्व मे यह एक आदर्श के लिए युद्ध है। यह आदर्श मनुष्य जाति के बीच आगामी शताब्दियो मे प्रतिष्ठित होना है और भारत जिसका प्रतिनिधित्व करता है। यह एक ऐसे सत्य के लिए युद्ध है, जिसे उस अधकार और असत्य के विरुद्ध, जो इसे जीतने का प्रयास कर रहे है, अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करनी है।

एक तटस्थ निरीक्षक को उन शक्तियो को देखना चाहिए जो इस युद्ध के पीछे कार्य कर रही है, न कि इस या उस ऊपरी परिस्थिति या घटना को देखना चाहिए। हिंदू अथवा मुस्लिम जातियो की त्रुटियो और गलतियो को देखना निरर्थक है, क्योकि सब मे ही कोई न कोई त्रुटि है और सभी भयानक गलतियाँ भी करते हैं। परन्तु वास्तव मे देखना यह है कि इस युद्ध मे किस पक्ष को उन्होने अपनाया है।

दरअसल यह युद्ध मनुष्य जाति के विकास की स्वतन्त्रता के लिए लडा जा रहा है। उन परिस्थितियों के लिए लडा जा रहा है, जिनमे मनुष्य जाति को अपने अन्दर के प्रकाश के अनुसार सोचने व कार्य करने की स्वतन्त्रता होगी। यह युद्ध सत्य व आत्मा के विकास के लिए लडा जा रहा है। इसमे तिलमात्र भी सन्देह नही कि क्या अयोध्या मे और क्या जम्मू-कश्मीर मे, यदि मुस्लिम पक्ष विजयी होता है तो ऐसी सब स्वतन्त्रता व प्रकाश की आशा का अन्त हो जायेगा जिसे दैवीय व आसुरिक दो शक्तियो के बीच सघर्ष मे दैवीय पक्ष कहा जा सकता है। जो वस्तु देखनी है, वह यही है कि मनुष्य व सगठन किस पक्ष को अपनाते है। यदि वे सत्य का पक्ष लेते है तो वे अपनी सब त्रुटियो, गलतियो व उन मिथ्या हरकतो के बावजूद अपने-आप को ईश्वरीय उद्देश्य का साधन बनाते हैं। गलतियाँ, त्रुटियाँ व मिथ्या हरकतें मनुष्य प्रकृति व सामूहिक मानवीय सबधो मे सर्वथा स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ हिंदू पक्ष की विजय विकास की शक्तियो के लिए मार्ग खुला रखेगी। मुस्लिम पक्ष की विजय भारत को ही नही, जगत् को पीछे धकेल देगी। वह इसका

भयानक रूप से अध.पतन कर देगी, और बहुत संभव है कि एक राष्ट्र व एक जाति के रूप मे जहाँ यह भारत की असफलता और विघटन का कारण बन जाये, वही समूचे विश्व-मानव परिवार की विफलता एव विघटन का कारण बन जाये। यही सबसे मुख्य प्रश्न है। अन्य सब विचार या तो असगत हैं, या गौण महत्व रखते है। हिंदू पक्ष मानवीय मूल्यो को लेकर खड़ा हुआ हैं, यद्यपि वह भी प्राय अपने उच्च आदर्शों मे गिर जाता है, जैसा कि मनुष्य प्राय. करता है। परन्तु मुस्लिम पक्ष आज राक्षसी आदर्शो का प्रतीक है। वह उन मानवीय मूल्यों के लिए खड़ा है, जो विपरीत दिशा मे यहाँ तक आगे बढ गये हैं, कि वे राक्षसी हो गये है।

मुस्लिम राष्ट्र न आपस मे शाति से रहते है, न दूसरो को शाति से रहने देते है। लोकतत्र या तो वहाँ है ही नही या बुरी तरह अपाहिज है। भारत मे मुस्लिम पक्ष परिवार नियोजन इसलिए नही अपनाएगा, क्योकि अतत. अपनी सख्या बढाकर यहाँ फिर राज करने का ख्वाब वह देखता है, या उसके अगुआ उसे दिखाते हैं। वह भारत के लोकतत्र को लोकतत्र और कश्मीर के चुनावों को चुनाव नही मानता और अपने लिए आत्मनिर्णय की रट लगाता है। वह पजाब मे आतकवादी हिंसा की आग, पेट्रोडालर और नशीले द्रव्यो के जरिए भड़काने को जेहाद या धर्मयुद्ध का जायज अग मानता है। भारत के आध्यात्मिक सत्यो से उसे मानों सरोकार ही नही है, क्योकि एकमात्र अपने ही पोथीबद सत्य को वह समूची दुनिया पर लादने योग्य समझता है।

इसीलिए हिंदू पक्ष का श्रीराम जन्मभूमि निर्माण के लिए सघर्ष मे, अपनी परपरागत शातिप्रियता के विपरीत डट जाना, लालचौकपर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की जिद्द पकडना, और नि शस्त्र मुस्लिमो की घुसपैठिया भीड पर अपनी तोपो का मुँह तान देना एक उचित दिशा मे उठाया हुआ कदम बन जाता है और एक दिव्य प्रतीक का महत्त्व प्राप्त कर लेता है। उसके आत्मबलिदानों का उचित परिणाम होगा, जैसा कि इजरायली राष्ट्र के निर्माण मे हुआ है। अब वह तुर्की-ब-तुर्की जवाब देने की स्थिति मे है। उसे नि सदेह ईश्वरी शक्ति का अनुग्रह प्राप्त है, अत वही विजेता होगा।

अब देखना है कि किस तरह हिंदू पक्ष के नेताओ ने अपने-आपको ईश्वरीय शक्ति का साधन बनाया है।

विद्वानो के अनुसार ईसा पूर्व की पहली सदी के मध्य तक दार्शनिक अवधारणाओ का एक विशिष्ट पुजीभूत स्वरूप भारत मे बन चुका था, जिसने भारतीय सभ्यता के ताने-बाने को एक विशेष बहुरंगी स्वरूप दिया। इस सभ्यता की विशिष्टता थी विभिन्न विचारो की बहुलता, जिसमे एकात्मवाद से अनेकात्मवाद तक, आस्तिकता से परम नास्तिकता तक अनेक परस्पर ध्रुवीय विभिन्नताओ

वाले मत-मतान्तर हिन्दुत्व के भीतर सहज समेकित थे। क्लासिकी भारतीय समाज की यह आदर्शवादी वैचारिक उदारता उसके बहुस्तरीय सामाजिक ढाँचे में भी स्पष्ट प्रतिबिम्बित होती थी। यह सामाजिक ढाँचा यों तो चातुर्वर्ण्य के सिद्धान्त पर टिका हुआ था, और पेशे के आधार पर एक क्रमिक परंपरा में समाज को चार जातियों में बाँटता था। पर कुल मिला कर यह पूरी बौद्धिक तथा सामाजिक व्यवस्था गंगा, यमुना तथा अन्य भारतीय नदियों की घाटियों में विकसित उस प्रौढ़ खेतिहर संस्कृति से सीधे जुड़ी थी, जिसका केन्द्रीय और विशिष्ट गुण था विकेंद्रित राजनीतिक अर्थव्यवस्था।

विशाल आकार के बावजूद इस समाज के हर घटक का अपना स्थानीय चरित्र था और उसकी ग्राम्य इकाइयों की अपनी सापेक्षिक स्वतंत्रता थी। इसी वजह से इन लगभग अमूर्त सामाजिक व्यवस्था का स्थानीय स्तर पर बड़ी कुशलता से संचालन हो पाता था।

लगभग सभी स्रोत इस धारणा को पुष्ट करते हैं कि मध्यकाल इस विकेंद्रित और स्थायित्व व्यवस्था में गहरे बदलाव ले आया। यहाँ हम मूलतः इस बदलाव के वैचारिक पहलुओं पर ही दृष्टिपात करेंगे। इस दौर में जो सबसे स्पष्ट बदलाव दृष्टिगोचर होता है, वह है एक नई भक्तिधारा का प्रादुर्भाव जो अनेक भारतीय भाषाओं में रचे जा रहे भक्ति साहित्य से उद्‌भूत हुई थी और एक विलक्षण आध्यात्मिक तथा सामाजिक शक्ति से ओतप्रोत थी। इस भक्तिमार्गी उपासना का एक छोर हिन्दुत्व का मूल उदात्त दर्शन से जुड़ा था, तो दूसरा छोर स्थानीय ग्रामीण समाज द्वारा अरसे से पूजित सम्मानित स्थानीय देवताओं में। वस्तुतः आज भी भारतीय समाज के मर्म में हम अस्तित्ववादी हिन्दू दर्शन से जुड़ी भक्ति-धाराओं तथा उपासना पद्धतियों का जो विविधरंगी बाहुल्य देखते हैं, उसका जन्म इसी काल में हुआ था। यह धारा हिन्दुत्व के मूल स्वरूप के विपरीत कतई नहीं थी। यहाँ तक कि इस्लाम जब मध्यकालीन भारत के विभिन्न कोनों में जा पहुँचा, तो उसके ही कारण उसमें भी ऐसी ही प्रतिक्रियाएं हुईं। इस्लाम में एक उदारमना सूफी मत का उद्‌भव हुआ। यह भक्तिमार्गीय उपासना पद्धतियों के संसर्ग से ही संभव हुआ था। इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्यकाल में सहज आदोलनों के द्वारा भारतीय सभ्यता के भीतर एक ऐसे सहिष्णु और करुणामय समाज का गठन होता चला गया, जिसमें विभिन्न धार्मिक मतावलम्बी स्त्री-पुरुष भी बिना हिंसात्मक टकराहटों के बड़े आनन्द से समवेत रह सकते थे।

अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी में उपनिवेशवाद का मुखौटा लगाए आधुनिकता ने भारत में प्रवेश किया। यहीं से शुरू होती है हमारी त्रासदी। इस औपनिवेशिक आधुनिकता के साथ राजनीतिक प्रभुसत्तावाद और वैज्ञानिक-

तकनीकी तथा आधुनिक संयोजन क्षमता में लिपटा ईसाई धर्म भी भारत आया। भारतीय नैतिक विचारधारा के सवर्ण संरक्षकों की दृष्टि से पश्चिम ने पूर्व को पहली चुनौती धार्मिक नैतिकता के धरातल पर दी। ईसाई धर्म की कुछ खास बातों, जैसे उसका चुस्त सांगठनिक ढाँचा, मात्र एक ही धर्मग्रंथ पर आधारित एक आध्यात्मिक-नैतिक नजरिया, कठोर अनुशासनात्मक आदर्शवाद आदि, ने हिन्दू धर्म के कई नेताओं-प्रवक्ताओं को काफी प्रभावित किया। फलस्वरूप १९वीं सदी के उन सुधार आंदोलनों ने जन्म लिया, जो अपने सांगठनिक और व्यवहारगत स्वरूपों में ईसाई धर्म के तौर-तरीकों से काफी हद तक प्रेरित दिखते थे।

प्रचार-प्रसार के लिए एक चुस्त सांगठनिक प्रचार ढाँचा बनाने तथा हिन्दुत्व के नाम पर एक खास ठोस विचारधारा को आकार देने की चेष्टाएँ सामने आने लगीं। ये चेष्टाएँ अभी हाल तक बहुत सफल होती न दिखती थीं। हिन्दुत्व के प्रचार-प्रसार के लिए ईसाइयत जैसे मुस्तैद प्रचार-प्रसार तंत्र का गठन संभव न हो पाना दरअसल हिन्दू सभ्यता के अपने केन्द्रीय चरित्र से जुड़ा हुआ था।

हिन्दू जीवन दर्शन आध्यात्मिक विचारों के एक दार्शनिक धरातल से जुड़ा हुआ है। पवित्र और अपवित्र की जो विशिष्ट हिन्दू अवधारणाएँ इसे अनुप्राणित करती रही हैं, वे भी मूलतः अमूर्त भावनात्मक-अस्तित्ववादी अवधारणाएँ हैं, ठोस भौतिक आदेश या नियम नहीं, सामाजिक आचार-व्यवहार और संगठन की जरूरतें पूरी करने के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था इस लचीले अमूर्तन को एक स्थानीय जातिगत ढाँचा भर दे देती थी, जिसके सहारे बड़े मजे से समाज का दैनंदिन कार्य-व्यापार चलता जाता था।

लेकिन आज एक नए प्रकार के आधुनिक हिन्दुत्व का एक मुस्तैद सांगठनिक प्रचार-प्रसार तंत्र (जो इतने बरसों तक न बन पाया) बनता दिख रहा है।

इस 'नव-हिंदुत्ववाद' और राष्ट्रवाद के बढ़ते समीकरण से मामला केन्द्रीकृत सत्ता और राजनीति के गढ़ों से भी सहज ही जुड़ता गया। भारत में हिन्दुत्व और राजनीति के इस नए जुड़ाव को अतिरिक्त धार देने लगा है राष्ट्रव्यापी प्रचार-प्रसार माध्यमों का वह जाल, जो प्रिंट तथा दृश्य-श्रव्य दोनों स्वरूपों में आज देश-भर में विद्यमान है। रामायण, महाभारत और अब चाणक्य के अत्यंत लोकप्रिय धारावाहिकों ने नव हिन्दुत्ववाद एवं राष्ट्रवाद के ये समीकरण घर-घर पहुँचाने का काम किया है।

इस तंत्र के रहते देश के कोने-कोने में फैले हिन्दुओं को एकरस हिन्दुत्व का हिमायती बनाना आज पूरी तरह संभव हो गया है। हमारे देखते-देखते यह प्रक्रिया ऐसी गति पकड़ सकती है, इसकी कुछ वर्ष पहले तक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। भाजपा की रथयात्रा इसी हिन्दुत्व का वाहक थी या उसकी

सफलता के पीछे यही कारण थे, निश्चय ही उस रथयात्रा के वृहत्तर सामाजिक परिप्रेक्ष्य वे थे, जो हिन्दुत्व की नई अवधारणा को एकीकृत करने का माध्यम भी बनाते चले गए है।

राजनैतिक परिदृश्य में राष्ट्रवाद और नव-हिन्दुत्ववाद के इन निर्माणाधीन समीकरणों का हम कांग्रेस और भाजपा के रिश्तों में प्रतिबिम्बित देख सकते हैं। कांग्रेस देश की उस अनेकान्तवादी आत्मा की प्रतिनिधि है, जिसमें सब समा जाते हैं। इसीलिए कहा जाता रहा है कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, एक मंच है, जिस पर राजनीति नामक माइक फिट है, जिसकी मार्फत हरेक को अपनी बात कहने और लोगों तक पहुँचाने का हक है। कहनेवालों के अंदाज और व्यवहार पर निर्भर करता है कि उस मंच को गरिमा प्रदान करते हैं या कालिख, उसे स्वीकार्य बनाते हैं या अस्वीकार्य।

इस मामले में कांग्रेस हिन्दुत्व का ही दूसरा नाम है, कुछ फर्क के साथ। दोनों अनेकान्तवादी हैं। दोनों में एक लगी-बंधी पंक्तिबद्ध विचारधारा होने के बजाय सब को समा, सहेज लेने का अद्भुत गुण है। दोनों को खत्म करने की कोशिशों को हमेशा असफलता मिली है। हिन्दुत्व को खत्म करने की कोशिशें सदियों से हो रही हैं और कांग्रेस को दशकों से। पर अपनी असलियत को खोए बिना, अपना नाम बदलने का खतरा उठा कर भी दोनों आज तक बने हुए हैं। मान लीजिए वह कांग्रेस खत्म भी हो गई, जिसने सोनिया गांधी को अपना अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव किया था और अंततः जिसे नरसिंह राव को अध्यक्ष बनाना पड़ा, तो भी कांग्रेस दृष्टिकोण वाले लोग मिल कर फिर एक नया मंच बना डालेंगे, जिसका *नाम कांग्रेस भी हो सकता है, कुछ और भी।* इस मायने में कांग्रेस एक हिन्दू पार्टी है, जिसे नष्ट करना संभव नहीं और इस देश के मिजाज के संदर्भ में जो खत्म भी नहीं हुआ करती।

अगर कांग्रेस भी हिन्दू पार्टी है, तो फिर भाजपा क्या है? वह भी हिन्दू पार्टी है, जिसके चरित्र में कांग्रेस से बस थोड़ा ही अन्तर है। कांग्रेस एक व्यावसायिक हिन्दू पार्टी है, जबकि भाजपा शुद्धतावादी हिन्दू पार्टी है। कांग्रेस ने अल्पसंख्यक-वाद को हिन्दुत्व के समानान्तर खड़ा करने की कोशिश की है, जबकि भाजपा ऐसे किसी वाद को प्रश्रय देने को तैयार नहीं। कांग्रेस बिना घोषणा के हिन्दुत्व का प्रसार करती रही है और इसलिए वह मुसलमानों की हमसफर बन सकी है, जबकि भाजपा घोषणापूर्वक हिन्दुत्व की प्रतिष्ठा चाहती है और इसलिए उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि कैसे मुसलमानों के बीच भरोसा पैदा करे (शायद कभी सत्ता में आने पर अपने व्यवहार द्वारा ही वह वैसा कर पाए)। बिना हिन्दू राष्ट्र का नाम लिए कांग्रेस हिन्दू वोट बटोरती रही है, जबकि भाजपा यह काम हिन्दू

राष्ट्र का नाम लेकर करना चाहती है। चूंकि दोनो हिन्दू पार्टिया है, इसलिए दोनो रहेगी। यह हो सकता है कि सत्ता मे आने के लिए या सत्ता मे आने के बाद कभी भाजपा का ही काग्रेसकरण हो जाए। तब भाजपा नया नामरूप ग्रहण कर लेगी। भारत नामक देश म किसी भी शासन प्रणाली या शासक वर्ग को प्रजारजन करना है, तो उसे अनेकान्तवाद यानी हिन्दुत्व का सहारा लेना ही होगा और उसके व्यावसायिक और शुद्धतावादी दोनो रूप एक-दूसरे के पूरक के रूप मे रहने ही वाले है।

काग्रेस का भावी रूप कैसा बनेगा, इसका सम्बन्ध इस बात से है कि आत्म-विश्वासहीनता के समुद्रतल से वह सतह पर कैसे आती है, आती भी है या नही। काग्रेस स्वस्थ होती है, तो वह अपने भीतर जन मोर्चा, सजपा, जनता दल, वाम पार्टिया सभी को समा लेगी और अवाडी जैसा कोई अधिवेशन कर अपनी अनेकान्तवादी आत्मा को एक नया व्यावसायिक चोला पहना देगी। काग्रेस का अकेला विकल्प चूकि भाजपा है, इसलिए भाजपा का केन्द्र मे सत्ता मे आना इस बात पर निर्भर करता है कि काग्रेस अपना भविष्य कैसा बना पाती है। पर इस सारे ऊहापोह मे इतना तय है कि वाम दल चाह कर भी न तो काग्रेस को हथिया सकते है न उसे मनचाहा चोला पहना सकते है। काग्रेस का कुछ भी हो, पर वाम पार्टियो ने जरूर दिखा दिया है कि उन्हे अब अपनी विकेट की मजबूती का भरोसा नही रहा।

इसलिए अब भाकपा और माकपा जैसी प्रतिबद्ध पार्टिया काग्रेस के नजदीक जाने की कोशिश करती हैं, तो उसका परिणाम क्या हो सकता है? जाहिर है कि ये पार्टिया उसके अनेकान्तवादी रूप को अपनी विचारधारा की प्रतिबद्धता के साथ बाधने की कोशिश करेंगी, इस उद्घोषणा के साथ कि वे काग्रेस को ठीक कर रही हैं या कि वे भाजपा यानी हिन्दुत्व को (यानी जिसे वे साम्प्रदायिक कहकर अपने हिन्दुत्व अज्ञान का ऐतिहासिक परिचय बार-बार देती रहती है) मुकाबला करने के लिए कृतसकल्प है। पर ये दोनो उद्घोषणाएं कितनी थोथी है। व्याव-सायिक हिन्दुत्व की पुरोधा काग्रेस को प्रतिबद्ध करने की फिराक मे यही होने वाला है कि खुद भाकपा और माकपा ही अपनी एकागी विचारधारा का तम्बू अचानक उखडा हुआ पाएंगी। सोपा, प्रसोपा, ससोपा, लोक दल, जनता पार्टी और *जनता दल की यात्राएं करने के बाद* हमारे देश के उद्भट समाजवादी किस कदर काग्रेस के आगे बिना शर्त समर्पण को बेताब हो रहे हैं, इसका प्रतीक वह पत्र था जो मोहन धारिया ने काग्रेस अध्यक्ष को लिखा था। कम्युनिस्टो की हालत इससे अलग नही होनेवाली, इसका प्रमाण यह है कि अपनी एकागी विचारधारा के नखदन्त किसी गहरे तालाब में फेंक देने के बाद अब *ये पार्टिया* सिर्फ धर्मनिरपेक्षता

की रक्षा यानी भाजपा के सर्वनाश को अपना अकेला राष्ट्रीय कर्तव्य मान कर बिना धार की तलवार भांज रही हैं। धार होती, तो कांग्रेस को समाप्त करने की प्रतिज्ञा कर चुकी ये पार्टियाँ नम्बूदिरीपाद या चतुरानन मिश्र की मार्फत कांग्रेस के आगे पत्र समर्पण न करतीं। इन दोनों के पत्र मोहन धारिया के पत्र से एक ही कदम पीछे था और दोनों कदमों में फासला खास नहीं था।

भाजपा का सर्वनाश या कांग्रेस को अपने में रंगना, ये दोनों ही नवीनतम कम्युनिस्ट आकांक्षा नामक सिक्के के दो पहलू हैं। न कांग्रेस खत्म होगी और न भाजपा। देश के राजनीतिक मानचित्र पर अनेकान्तवादी हिन्दुत्व के ये दोनों रूप हीं एक-दूसरे के पूरक बननेवाले हैं और संघर्ष कर एक-दूसरे को निखारनेवाले हैं। इतिहास को कभी भी तरीके से न पढ पानेवाले भारत के कम्युनिस्ट किसी को खत्म करने या किसी को सँवारने के मिथ्यामोह से मुक्त होकर इस बात का शोध करें कि क्यों उनके गढ सिर्फ दो प्रदेशों तक सीमित रह गए हैं, क्यों वहाँ भाजपा का तेजी से विस्तार हो रहा है और क्यों उनके अपने लोगों का मोहभंग हो रहा है। कांग्रेस एक ऐसा शब्द है जो अपना अर्थ खुद-ब-खुद ढूंढ लेगा, ठीक वैसे ही जैसे हिन्दुत्व अपना अर्थ खुद-ब-खुद ढूँढ लिया करता है। इन शब्दों को अपना सीमित अर्थ देने का कम्युनिस्ट प्रयास कोई मतलब नहीं रखता। भाजपा को भी यह सच समझ में आना चाहिए।

अब उसका यह फर्ज बनता है कि अयोध्या आंदोलन को एक बड़ा राष्ट्र-व्यापी भक्ति आंदोलन बनाने की दिशा में अब नई पहल करे।

क्या भाजपा को इस बार केन्द्र में सरकार बनाने के लिए लोगों में वोट मांगना चाहिए था जबकि उसके पास आवश्यक वोट-आधार पहले से नहीं था? हमारा कहना है कि उसे ऐसा अवश्य करना चाहिए था और वैसा कर पार्टी ने जबरदस्त राजनीतिक प्रतिभा का परिचय दिया है। इसके कई लाभ भाजपा को एक साथ हो गए हैं जो अन्यथा होने संभव नहीं थे। भाजपा के जन्मकाल यानी जनसंघ काल में चली आ रही अखिल भारतीय दृष्टि को पहली बार अखिल भारतीय मैदान में उतरने का मौका मिला और सत्ता पाने की आकांक्षा पैदा हुई, जिसके बिना कोई भी राजनीतिक गतिविधि बन्ध्या होती है। अपने प्रचण्ड चुनाव अभियान के मार्फत भाजपा को सारे भारत में अपनी बात कहने का मौका मिला जो इससे पहले इस स्तर पर उसे नहीं मिला था। इसमें उसका वोट-आधार यकीनन बढ़ा है और इस बार पहली बार उसे करीब एक-चौथाई (प्राथमिक आँकड़ों के आधार पर लगभग २५ प्रतिशत) वोट मिले हैं। उसे सारे भारत से वोट और सीटें मिली हैं और वह गैर-भाजपावाद के नाम पर इकट्ठा हो रही पार्टियों का अकेला अखिल भारतीय विकल्प बनकर उभरी है। अर्थात् अब देश

वो स्पष्ट है कि अगर एक तरफ कांग्रेस (और उसके वर्तमान और संभावित साथी) हैं तो दूसरी तरफ भाजपा है। कांग्रेस असफल होती है तो लोग भाजपा को सरकार थमा देंगे। ऐसा पहले नहीं था। इस चुनाव के बाद ऐसा हुआ है तो इसलिए कि भाजपा ने केन्द्र में सरकार बनाने के लिए पूरे भारत में वोट मांगा।

इस दृष्टि से भाजपा के लिए गत चुनाव उपलब्धियों से भरा हुआ माना जाएगा। अब तक भाजपा की छवि यह थी कि वह दूसरे दलों के साथ बने गठबंधनों में रहकर ही काफी सीटें पा सकती है, जबकि अकेले, सिर्फ अपने बूते पड़ने पर वह लुढ़क जाती है। अब तक का उसका चुनावी रिकॉर्ड भी ऐसा ही रहा। उसे सिर्फ दो बार चमत्कारी सफलता मिली है। एक बार १९७७ में, ६८ लोकसभा सीटों के रूप में जब उसने जनता पार्टी में अपने पूर्वरूप अर्थात् जनसंघ घटक के रूप में चुनाव लड़ा। दूसरी बार उसे ८४ लोकसभा सीटों के रूप में १९८९ में सफलता तब मिली, जब उसने जनता दल के साथ बड़े गठबंधन का हिस्सा बन चुनाव लड़ा। इसलिए इस बार अकेले लड़ने के उसके फैसले के बाद ऐसा कहनेवाले कम नहीं थे कि भाजपा का पत्ता साफ हो जाएगा। पर अकेले दल सौ-सवा सौ सीटें पाकर भाजपा ने एक ठोस उपलब्धि इन चुनावों में हासिल की है।

दूसरी उपलब्धि उत्तर प्रदेश में भाजपा का चौबीस साल से चला आ रहा बनवास खत्म हुआ है। १९६७ तक भाजपा (अर्थात् तब जनसंघ) उत्तर प्रदेश में एक बड़ी ताकत थी और कांग्रेस का एक सशक्त विकल्प मानी जाती थी, जो गलत नहीं था। हालत यह थी कि जब कांग्रेस छोड़कर आए चरण सिंह ने प्रदेश में संविद सरकार बनाई, तो सबमें बड़ा घटक होने के कारण जनसंघ के रामप्रकाश गुप्त को चरण सिंह ने अपना उपमुख्यमंत्री बनाया। पर उसके बाद चरण सिंह ने पहले भारतीय क्रांति दल और फिर भारतीय लोक दल बनाकर जातिवादी राजनीति का सूत्रपात किया तो जाति-पराङ्मुख हिन्दुत्व की राजनीति करनेवाले जनसंघ की छुट्टी हो गई। लाख कोशिश करके भी जनसंघ/भाजपा न तो फिर कभी वहाँ पार्टी के रूप में उभर पाए और न ही कोई प्रादेशिक नेतृत्व उभार पाए। पर इन चुनावों में भाजपा ने पासा पलट दिया है। उसने न केवल कांग्रेस को दरिद्र तीसरे स्थान पर धकेल दिया है, बल्कि चरण सिंह के लोक दल (घटकों) के नए उत्तराधिकारी वि० प्र० सिंह-नीत जनता दल को जिसने पिछले चुनावों के बाद प्रदेश में सरकार बनाई थी, दूसरे स्थान पर जाने को मजबूर कर दिया है।

तीसरी उपलब्धि गुजरात की है। पश्चिम भारत में भाजपा का वर्चस्व अब तक राजस्थान में रहा है तो महाराष्ट्र में भी उसकी उल्लेखनीय उपस्थिति रही

है। पर गुजरात की पहचान भाजपा-प्रदेश के रूप में नही रही। 'खाम' राजनीति करनेवाली कांग्रेस ने गुजरात मे जनता पार्टी के अलावा किसी को घुसने ही नही दिया। पिछले चुनावों के साथ भाजपा का संबंध सत्ता राजनीति से जुड़ना शुरू हुआ और थोडे समय में ही प्रचण्ड विचारधारा अभियान की मदद से भाजपा आज लोकसभा सीटों की दृष्टि से ही नही, वोट संख्या के हिसाब से भी गुजरात की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है।

दक्कन भाजपा का चौथा उपलब्धि-स्थल रहा है। यानी कर्नाटक और आंध्र मे भाजपा रही जरूर है, पर सिर्फ अपशकुन काटने के रूप मे। उसकी पहचान हिन्दीभाषी या हद से हद महाराष्ट्र में एक हद तक असरदार पार्टी के रूप में रही है। पर उसे दक्कन की पार्टी कभी नही माना गया। पर इस बार भाजपा कर्नाटक में कांग्रेस के अकेले विकल्प के रूप में उभरी है तो आंध्र मे उसने कुछ सीटें जीती हैं। पर इन दोनों ही प्रदेशों में उसने जितने वोट लिए हैं, उससे उसकी इन प्रदेशों मे कांग्रेस का जीवन विकल्प बनने की मान्यता अगले चुनावों तक ही हो पाएगी। कर्नाटक मे तो भाजपा ने एक चौथाई से भी ज्यादा वोट प्राप्त किए हैं। इसके बाद भाजपा को हिन्दी भारत की या उत्तर भारत की पार्टी कहना पराजित मानसिकता के अलावा कुछ नही होगा।

भाजपा की पांचवी उपलब्धि उन प्रदेशों को लेकर है जहाँ कभी उसके नाम-लेवा भी नहीं थे। केरल मे वह पिछले कई साल से सक्रिय है और अभी तक दस लाख वोटों का ठोस आधार बना लेने के बावजूद वह इसे लोकसभा या विधान-सभा की सीटों मे नही बदल पाई। पश्चिम बगाल जनसंघ/भाजपा के संस्थापक अध्यक्ष श्यामाप्रसाद मुखर्जी का गृहप्रदेश रहा है और यहीं के जनसंघ नेता देवप्रसाद घोष पार्टी के बरसों तक अ०भा० अध्यक्ष रहे हैं। इसके बावजूद जनसंघ/भाजपा यहाँ कभी नहीं पनप पाए। असम में भाजपा का असर बारपेटा जैसे एकाध लोकसभा क्षेत्र में ही रहा है जहां कभी उसने फखरुद्दीन अली अहमद को चुनौती दी थी। इसके अलावा बाकी पूर्वांचल मे भाजपा निराकार रही है। उड़ीसा और तमिलनाडु में उसका कोई खास काम नही रहा। पर इन सभी प्रदेशों मे, खासकर केरल, पश्चिम बगाल और उड़ीसा में, भाजपा ने काफी वोट लिए है। केरल में तो उसे संतुलनकारी मानकर वाम मोर्चा अपना वैकल्पिक कई बार दिखाता रहता है, जबकि प० बंगाल मे उसकी वोट-संख्या वहाँ मीडिया और लोगों के बीच खबर और चर्चा का विषय बने हैं।

ये सभी उपलब्धियाँ भाजपा को एक नई अखिल भारतीय पार्टी का दर्जा देती है। यह दर्जा इन चुनावों के पहले भाजपा के पास नही था। जैसा कि इन चुनावों से पहले भी कहा जा रहा था कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की बने

वेलाग सावका भाजपा राजनीति मे पहली बार हो रहा है, इसलिए यह निश्चय ही एक महत्वपूर्ण घटना है।

निषाद, शबरी और वानरो मे राम का जुड़ाव जितना उनके राजा बनने से पहले प्रकट हुआ है, उतना संभवत: राजा बनने के बाद नही। कम से कम शंबूक-वध, सीता त्याग आदि के विवादग्रस्त साहित्यिक प्रसग तो यही सकेत देते है, कि राजा बनने के बाद उन्हें धर्मसंकट झेलने पडे थे। यदि उनकी जन्मस्थली से उत्पन्न आन्दोलन ने पिछडी जाति के एक सदस्य को राज्य का सर्वोच्च पद दिलाया तो उसे उभरते 'नव-हिन्दुत्ववाद' का एक स्वस्थ लक्षण मानना होगा।

वी. पा. से पी. वी. तक

विख्यात पत्रकार एवं स्वतन्त्र चिंतक श्री गिरिलाल जैन के अनुसार—"राम मन्दिर का निर्माण एक प्रतीकात्मक विजय का संकेत भर है, भाजपा के नेता स्वयं यह बात स्वीकार कर चुके हैं। मन्दिर निर्माण दो बातों का प्रतीक है। एक—बाबर के आक्रमण और मन्दिर ध्वंस के बाद उसी जगह मन्दिर बनाना उस अपमान का बदला नहीं, वरन् हिन्दुओं की प्रतीकात्मक विजय है। मन्दिर-निर्माण के बाद इतिहास का एक पुराना अध्याय बन्द हो जाता है। दूसरा प्रतीक है भविष्य की नीति का।

कहा जाता है कि इस राष्ट्रीय दृष्टिकोण के विस्तार में पश्चिमी विचार या तकनालॉजी बाधक है। मेरे विचार में पाश्चात्य विज्ञान और तकनीक से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। वैज्ञानिक भावना से ईसाइयत और इस्लाम का विरोध था, क्योंकि ये दोनों मजहब 'बन्द व्यवस्था' में विश्वास करते हैं। जबकि विज्ञान खुली जांच पड़ताल का हामी है। यूरोप में विज्ञान और आधुनिकता में ईसाइयत का जबर्दस्त संघर्ष हुआ, विज्ञान और इस्लाम का संघर्ष तो जगजाहिर है ही। वैज्ञानिक दिमाग तो धर्म की भी खोजबीन कर सकता है। उसकी खोज की तो कोई सीमा ही नहीं है। इस खोज के लिए ईसाइयत और इस्लाम तैयार नहीं है। हिन्दू धर्म तो खुलेपन में विश्वास करता है। इस धर्म की बुनियाद है योग, जो पूरी तरह वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक भावना से विरोध न होने के कारण आधुनिक तकनीक से भी हमारा विरोध नहीं हो सकता।"

विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार का जन्मभूमि-विवाद की समस्या पर दोहरा रुख अपनाने के कारण पतन हुआ। विश्वनाथ प्रताप गए तो राजीव की इंदिरा कांग्रेस की बैसाखी लगाकर चन्द्रशेखर भारत की राजनीति के शिखर पुरुष बने। उन्होंने समझौता वार्ता और सद्भावनापूर्वक समस्या का समाधान निकालने का दावा किया। तब तक अयोध्या हत्याकाण्ड (नरसंहार) हो चुका था। मुलायम सिंह, विश्वनाथ प्रताप को छोड़कर चन्द्रशेखर के साथ आ चुके थे।

महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमन्त्री शरद पवार और राजस्थान के भैरों सिंह शेखावत की पहल पर दोनों पक्षों की बैठकें हुई। बैठक का परिणाम किसी

समाधान के रूप में नहीं, बैठक न होने के रूप में निकला। दोनों पक्षों का साथ-साथ बैठना बहुत ही महत्त्वपूर्ण माना गया। इस 'महत्त्व' पर तत्कालीन केन्द्रीय गृहराज्यमंत्री सुबोध कान्त सहाय बार-बार बल देते रहे थे। किन्तु श्री भानुप्रताप शुक्ल के अनुसार, परदे के पीछे सरकारी और गैर-सरकारी स्तर पर जो कार्य किया जा रहा था, वह ध्यान देने योग्य है। पक्ष में वार्ता और परोक्ष में भितरघात का दौर चला। गृह मंत्रालय के अधिकारियों को संतों महामण्डलेश्वरों और शंकराचार्यों के पास भेजा गया कि वे आंदोलन से अलग हो जाएं। संतों में फूट पड़ जाए तो आंदोलन समाप्त हो जाए। यह कहा और कहलवाया गया कि विश्व हिन्दू परिषद्, राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति और श्रीराम कारसेवा समिति हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती। कुछ संतों से आंदोलन और परिषद् विरोधी वक्तव्य भी दिलाए गए। चन्द्रशेखर की सलाह से चन्द्रास्वामी देश के कोने-कोने में घूमे। धन बांटकर संतों का ईमान खरीदने का प्रयास किया। मकर संक्रांति पर प्रयाग में चन्द्रास्वामी ने संत सम्मेलन कराना चाहा, राजीव को आमंत्रित किया। निमन्त्रण स्वीकार करके भी राजीव वहां नहीं गए। संतों ने सम्मेलन का ही नहीं, जो संत और महामण्डलेश्वर चन्द्रास्वामी के साथ जुड़े उनका भी बहिष्कार किया। चन्द्रास्वामी की चाल विफल हुई। चन्द्रशेखर का मुखौटा भी उतर गया।

बन्द कमरे में सर्वोच्च न्यायालय से हिन्दुओं के पक्ष में राय दिलाने की पेशकश की गई, कमरे के बाहर गत चार दशक से चल रहे मुकदमे के निर्णय की प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया गया। न्यायालय में लम्बित मुकदमे का सार संक्षेप यह है कि सरकार इस मामले को लम्बे समय तक लटकाए रखना चाहती है। यदि ऐसा न होता तो मुकदमे के औचित्य के प्रारंभिक मुद्दे पर सर्वप्रथम निर्णय कराने के लिए उसके महाधिवक्ता सहमत हुए होते। 'पूरे मामले का निर्णय पहले और प्रारंभिक मुद्दे पर विचार बाद में' की प्रक्रिया भी राजनीतिक संस्कृति की ओर ही संकेत करती है।

पहले कहा जाता था कि श्रीराम जन्मभूमि का मामला अयोध्या का स्थानीय मामला है। अयोध्या और फैजाबाद के जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय लोग एक साथ बैठकर इसको सुलझा लें। यह सलाह राजीव जी की भी थी और विश्वनाथ प्रताप की भी। अब इसकी बात कोई नहीं करता। तब कहते थे कि अयोध्या की जनता राम आंदोलन के विरुद्ध है। यदि वह आंदोलन के पक्ष में होती तो *कम्युनिस्टों और कांग्रेसियों के उम्मीदवारों को न जिताती। अब जबकि वहां* की जनता राम आंदोलन के समर्थकों को जिता दिया तो ये लोग अपनी स्थापना से पीछे हट गए। क्यों?

मथुरा और काशी की जनता का निर्णय भी कृष्ण और शिवभक्तों के पक्ष मे गया है। उत्तर प्रदेश के मतदाताओ का जनादेश राम मन्दिर के पक्ष मे है। जिस जनता ने अपनी प्रभुसत्ता ससद और विधान सभा को सौपी है, उसी जनता का आदेश है कि अयोध्या मे उसी स्थान पर श्रीराम लला का मन्दिर बने, जिसे साढे चार सौ वर्ष पूर्व तोडकर मन्दिर के खम्भो पर बाबर के नाम पर मस्जिदनुमा कुछ बनाने का असफल प्रयास किया गया था।"

केन्द्र मे पी०वी नरसिंहराव के नेतृत्व में इका सरकार बनाने के बाद उसका लगभग पहला काम था ससद में उपासना स्थल (विशेष उपबध) विधयक पास करवाना। यह विधेयक लोकसभा मे २३ अगस्त को पेश किया गया। इसकी मुख्य धाराए थी—

१. (१) इस अधिनियम का सक्षिप्त नाम उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, १९९१ है।

(२) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

(३) यह ११ जुलाई, १९९१ को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

२ इस अधिनियम मे, जब तक कि सदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) 'सपरिवर्तन' के अतर्गत, उसके व्याकरणिक रूप भेदो सहित, किसी भी प्रकार का परिवर्तन या तब्दीली है,

(ख) 'उपासना स्थल' मे किसी धार्मिक सम्प्रदाय या उसके किसी अनुभाग का, चाहे वह जिस नाम से ज्ञात हो, कोई मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा गिरजाघर, मठ या लोक धार्मिक उपासना का कोई अन्य स्थल अभिप्रेत है।

३ *कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक सम्प्रदाय या उसके किसी अनुभाग के* किसी उपासना स्थल का उसी धार्मिक सम्प्रदाय के भिन्न अनुभाग के या भिन्न धार्मिक सम्प्रदाय या उसके किसी अनुभाग के उपासना स्थल मे सपरिवर्तन नही करेगा।

४ (१) यह घोषित किया जाता है कि १५ अगस्त, १९४७ को विद्यमान उपासना स्थलो का धार्मिक स्वरूप वैसा ही बना रहेगा जैसा वह उस दिन विद्यमान था।

(२) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ पर, १५ अगस्त, १९४७ को विद्यमान किसी उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप के सपरिवर्तन के बारे मे कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है तो वह समाप्त हो जाएगी और ऐसे किसी मामले के बारे मे कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही ऐसे प्रारम्भ पर या उसके पश्चात

किसी न्यायालय, या अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के समक्ष नहीं होगी।

परन्तु यदि इस आधार पर संस्थित या फाइल किया गया कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही में ऐसे स्थल के धार्मिक स्वरूप में १५ अगस्त १९४७ के पश्चात् सपरिवर्तन हुआ है, इस अधिनियम के प्रारम्भ पर लम्बित है तो ऐसा वाद, अपील या अन्य कार्यवाही इस प्रकार समाप्त नहीं होगी और ऐसे प्रत्येक वाद, अपील या अन्य कार्यवाही का निपटारा उपधारा (१) के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(३) उपधारा (१) और उपधारा (२) की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी—

(क) प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम १९५८ या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अन्तर्गत उक्त उपधाराओं में निर्दिष्ट कोई उपासना स्थल जो प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक या कोई पुरातत्वीय स्थल या अवशेष है।

(ख) उपधारा (२) में निर्दिष्ट किसी मामले के बारे में कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही जिसे इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा अन्तिम रूप से निश्चित परिनिर्धारित या निपटा दिया गया है।

(ग) ऐसे किसी मामले के बारे में कोई विवाद जो पक्षकारों द्वारा ऐसे प्रारम्भ के पूर्व आपस में तय हो गया है।

(घ) ऐसे किसी स्थल का कोई संपरिवर्तन जो ऐसे प्रारम्भ के पूर्व उपमति द्वारा किया गया है।

(ङ) ऐसे किसी स्थल का ऐसे प्रारम्भ के पूर्व किया गया कोई सपवर्तिन, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन परिसीमा द्वारा वर्जित होने के कारण किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के समक्ष आक्षेपणीय नहीं है।

५. इस अधिनियम की कोई बात उत्तर प्रदेश राज्य में अयोध्या में स्थित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के रूप में सामान्यतया ज्ञात स्थान या उपासना स्थल को और उक्त स्थान या उपासना स्थल से सम्बन्धित किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही पर लागू नहीं होगी।

६. (१) जो कोई धारा ३ के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

जब हिंदुत्ववादी अलोचकों की नजरों में यह विधेयक देश के "दूसरे

विभाजन की नीव डालने वाला था" उनके अनुसार—"इस विधेयक की अधिकतर शर्तें हिन्दुओ के स्वाभिमान व अस्मिता पर आघात है। मसलन जम्मू-कश्मीर राज्य को इस विधेयक की परिधि से बाहर रखकर वहा के बहुसख्यक मुसलमानो को मंदिर तोडने की खुली छूट दे दी गई है। सर्वाधिक खतरनाक बात तो यह है कि इस विधेयक द्वारा विश्व हिन्दू परिषद् की 'कृष्ण जन्म भूमि' व 'काशी विश्वनाथ मन्दिर' की माग को दफनाने की कोशिश की गई है। जो भी व्यक्ति इसके उलट उनकी पुनर्प्राप्ति के लिए आदोलन छेडेगा, उसे अपराधी मानकर तीन वर्ष के कारावास की सजा दी जाएगी।"

"इस विधेयक द्वारा हिन्दुओ के मूलभूत अधिकारो का हनन किया जा रहा है। यह रूढिवादी कट्टरपथी मुसलमानो के सम्मुख सरकार का आत्मसमर्पण है।

उल्लेखनीय है कि लोक सभा के आम चुनाव से पूर्व इका के घोषणा पत्र मे इस तरह के विधेयक लाने की मुस्लिम लीग की माग को शामिल किया गया था। कहा जा सकता है कि इका मुस्लिम लीग के आगे आत्मसमर्पण कर भले ही कुछ थोक मुस्लिम वोट प्राप्त करने की व्यवस्था करने मे सफल हो जाए, लेकिन इतना तय है कि इस विधेयक से विभाजन के लिए जिम्मेदार दूसरे 'जिन्ना' का उदय होगा।"

विधेयक के समर्थन मे हुए भाषणो मे देश के ऊपर मडरा रहे किन्ही गभीर खतरो का हवाला दिया गया। कश्मीर, पंजाब और असम की परिस्थितियों को देखते हुए इस विधेयक को चुपचाप पारित कर देने की आवश्यकता बताई गई। देश की बिगडती साम्प्रदायिक स्थिति को सुधारने, अल्पसख्यकों अर्थात् मुसलमानो के मन से असुरक्षा का भाव मिटाकर विश्वास उत्पन्न करने, साम्प्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता तथा अखण्डता को बचाने के लिए इस विधेयक को रामबाण उपाय बताया गया। भाजपा के अतिरिक्त सभी दलो ने विधेयक के इन उद्देश्यो का मेजे थपथपा कर स्वागत किया। मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी के नेता श्री सोमनाथ चटर्जी इतना अधिक उत्साहित थे कि उन्होंने कहा कि इस विधेयक को तत्काल सर्वसमति से पारित कर दिया जाना चाहिए। मुस्लिम लीग ने जैसे कोई बहुत बडा मोर्चा जीत लिया है। जनता दल और राष्ट्रीय मोर्चा के सासद बल्लियो उछलने की स्थिति मे थे। काग्रेसी सतुष्ट थे कि उन्होंने मुस्लिम लीग को दिया गया अपना एक आश्वासन पूरा कर दिया।

इस विधेयक के पीछे काम कर रहे राजनैतिक सोमे की मूल प्रवृत्ति भाजपा तथा नव हिंदुत्वनिष्ठ आलोचको की नजर मे है—"पहले समस्या उत्पन्न करना और फिर उसका समाधान करने के लिए एकजुट होने का शोर मचाना। देश की अखण्डता को खतरा पैदा करके उसकी रक्षा करने के लिए सहयोग का हाथ

बढ़ाने का अनुरोध करना। पहले साम्प्रदायिकता और अल्पसख्यकता को बढ़ावा देना, फिर साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने के लिए कुर्बानी देने का आह्वान करना। पहले अपनी राजनीतिक सुविधा और सफलता के लिए अलगाववादियों और आतंकवादियो से गुप्त समझौता करना और बाद मे उस समझौते की शर्तों को अपने-अपने चुनाव घोषणा पत्रो मे नीति और सिद्धान्त के रूप मे शामिल करना, पहले देश को आर्थिक गुलामी और दिवालिएपन की बेसहारा हालत मे डाल देना, बाद मे कर्ज लेने का औचित्य बताना और यदि कोई उनके इस इरादे को भापकर देश के भविष्य का अनुमान लगाकर इस खेमे की कारगुजारियो के प्रति देशवासियों को आगाह करे, इनकी भूलो को बताए, अतीत और आगत का विश्लेषण करके उसके दुष्परिणामो की ओर सकेत करें, देश की दुर्दशा और खतरो के लिए जिम्मेदार नेतृत्व और नीतियो को उन्ही के कर्मों के कटघरे में खड़ा कर दे तो यह खेमा एकजुट होकर उस पर साम्प्रदायिक, सकुचित, दगाई असहिष्णु, नीतिहीन, दिशाविहीन और देश की एकता, अखण्डता को खतरा होने का आरोप लगाकर उसे बदनाम करने लग जाता है।"

धर्मस्थलो की १५ अगस्त, १९४७ की यथास्थिति बनाए रखने वाला विधेयक क्यो लाया गया और श्रीराम जन्मभूमि को इस विधेयक की परिधि से बाहर क्यो रखा गया? १५ अगस्त, १९४७ और ११ जुलाई १९९१ के बीच हुए समझौतों और न्यायालयो के निर्णयों को यथावत बनाये रखने की धारा क्यो जोड़ी गई? भविष्य मे तत्सम्बन्धी कोई विवाद उठाने के अधिकार को क्यो नकारा गया? यदि यह कार्य साम्प्रदायिक सद्भाव निर्माण करने की सद्प्रेरणा मे किया गया होता, यदि इसकी प्रेरणा सास्कृतिक एव राष्ट्रीय होती तो चिन्ता की कोई बात न होती। चिन्ता इसलिए है कि यह विधेयक इका, जनता दल, वाम-पथियो और दूसरे दलो की राजनीतिक विवशता के कारण लाया गया। राजीव ने मुस्लिम लीग और जनता दल, राष्ट्रीय मोर्चा तथा वाममोर्चा के घटको ने अब्दुल्ला बुखारियों की शर्तें मानकर मुस्लिम वोटो का सौदा न किया होता तो १५ अगस्त, १९४७ की यथास्थिति बनाए रखने की धारा वे अपने-अपने घोषणा पत्रो मे शामिल न करते।

"इसका अर्थ है कि देश की एकता, अखण्डता, साम्प्रदायिक सद्भाव, दगा-मुक्त देश कठमुल्लो की किसी न किसी शर्त की सूली पर टगा है। राष्ट्रीय अखडता के प्रति देश के अल्पसंख्यको अर्थात् मुसलमानो की प्रतिबद्धता सशर्त है। यदि उनकी शर्ते मानी जाएगी तो ही वे साम्प्रदायिक सद्भाव और एकजन वाले समरस सास्कृतिक भारत राष्ट्र की सुस्थिर राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति का आश्वासन देंगे अन्यथा देश को खून की नदी मे डूबोते रहने की परिस्थिति पैदा

करते रहेंगे।

"*यह विधेयक काशी विश्वनाथ मन्दिर और मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान* पर बनाए गए आक्रमण एवं अपमान के स्मारकों का स्थायित्व प्रदान करने और उन पर मुसलमानों को कानूनी अधिकार देकर उनकी खुशी प्राप्त करने के उद्देश्य से लाया गया। दसवीं लोकसभा के चुनाव के पूर्व जनता दल, वामपंथियों और इन्दिरा कांग्रेस के कांग्रेसियों ने साम्प्रदायिक तथा मजहबी राजनीति करने वाले मुसलमान नेताओं को ढाढस बंधाया था कि राम जन्मभूमि तो उनके हाथ से गई किन्तु वे यह वायदा करते हैं कि काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्म स्थान के जिस भाग पर उनका अधिकार है, हर सम्भव प्रयास और व्यवस्था करके उसको उनके ही अधिकार में बनाए रखा जाएगा।"

पी० वी० नरसिंह राव के प्रधानमन्त्रित्व काल में हुई इस तुष्टीकरण की घटना पर बरसते हुए इन आलोचकों ने वी० पी० सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल का एक सनसनी खेज रहस्योदघाटन किया। यह घटना जनता दल के शासन के समय विश्वनाथ प्रताप सिंह के प्रधानमंत्रित्व में जारी किए गए उस अध्यादेश का है जिसके अन्तर्गत श्रीराम जन्मभूमि के आसपास की भूमि अधिगृहीत कर ली उसे श्रीराम जन्मभूमि न्यास को सौंपा जाना था। वह अध्यादेश जारी तो हुआ किन्तु अड़तालिस घण्टे में उसे वापस भी ले लिया गया था क्यों?

यह घटना मंत्रिमण्डल के कागजों में दर्ज है। 'इस लेखक ने मंत्रिमण्डल में की गई टिप्पणियां देखी थीं। किन्तु इससे भी महत्वपूर्ण है उक्त मंत्री द्वारा बताया गया सत्य। अध्यादेश जारी करने के पूर्व जनता दल के मंत्रियों ने अपने प्रधानमन्त्री से पूछा था कि क्या उन्होंने मुसलमानों से बात कर ली है? क्या अब्दुल्ला बुखारी से पूछ लिया है? क्या लखनऊ के अली मियां जैसे मौलवियों की राय ले ली है? क्या बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी वालों का मन जान लिया है। क्या यह अध्यादेश जारी होने के पश्चात् की परिस्थिति के सभी पक्षों का विचार कर लिया है? उस समय श्रीराम कार सेवा आंदोलन चरम सीमा पर था। श्रीराम कार सेवा अयोध्या की ओर चल पड़े थे। श्री आडवाणी का रथ सोमनाथ से दिल्ली के पास पहुंच चुका था। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपने सहयोगी मंत्रियों से कहा था '*हां' सबसे बात कर ली है। कोई कठिनाई नहीं आएगी।* अली मियां भी सहमत हैं और अब्दुल्ला बुखारी भी।'

विश्वनाथ प्रताप सिंह के इस आश्वासन के पश्चात् मंत्रिमण्डल ने अध्यादेश को स्वीकृति प्रदान कर दी थी। राष्ट्रपति को रात में नींद से उठाकर अध्यादेश जारी कराया गया। किन्तु दूसरे दिन? दूसरे दिन हुआ यह कि प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप ने अपने सहयोगियों से सम्पर्क किया कि 'मंत्रिमण्डल की

आपात बैठक होती है, सभी उपस्थित मंत्री बैठक में आ जाए।" बैठक प्रारम्भ हुई तो विश्वनाथ प्रताप सिंह बोले "यह अध्यादेश वापस लेना पड़ेगा!"

'क्यों ?' सभी मंत्रियों ने एक साथ प्रश्न किया।

विश्वनाथ प्रताप सिंह का मासूम किन्तु विवश उत्तर था—'अब्दुल्ला बुखारी नहीं मान रहे हैं, अली मियां भी मुकर गए हैं। उनको नाराज करके हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते।' और वह अध्यादेश वापस हो गया था।

एक हिन्दुत्वनिष्ठ की नजर में "यही वह प्रवृत्ति है जिसने देश को तोड़ने में लीगियों की मदद की, यही वह राजनीति है जिसने कश्मीर को पाकिस्तान की दया का गुलाम बना रखा है। यही वह मानसिकता है, जो पीलीभीत में मारे गए आतंकवादियों के पक्ष में धरना देने का आधार प्रदान करती है, यही वह राष्ट्रीय संकल्पना' है जो राष्ट्र को मजहबों और सम्प्रदायों में बांटती है। यही वह चतुराई है, जो श्रीराम का प्रत्यक्ष निषेध तो नहीं करती किन्तु श्रीराम आन्दोलन को साम्प्रदायिक बताकर भारत में बाबरी वंश को प्रोत्साहन देकर, उसका पोषण भी करती है, उसकी शर्तों पर देश का हिताहित भी परिभाषित करती है।"

पी वी नरसिंह राव सरकार द्वारा पास कराये गये इस विधेयक की खिंचाई करते हुए आलोचक आगे कहते हैं—"राजीव की इन्दिरा कांग्रेस की सरकार ने साम्प्रदायिक तत्वों, लीगियों, समाजवादी लोगों, वाममार्गी दलों और इन सबको मिलाकर बने 'धर्म निरपेक्ष वंश' के सहयोग से एक बार पुनः देश के गांव-गांव तक साम्प्रदायिकता का बारूद बिछाने का काम किया। गली-गली में दंगे की जमीन जोत दी। प्रत्येक पूजा-स्थल को विवादास्पद बना दिया। इस खतरे का उल्लेख इसी स्तंभ में गत दिनों किया जा चुका है। १५ अगस्त, १६४७ की स्थिति बनाए रखने के बहाने यदि भारत स्थित कोई अंग्रेज जार्जपंचम और महारानी विक्टोरिया की हटा दी गई प्रतिमाओं को लगाने का पुनः अनुरोध करने लग जाए तो उसका क्या उत्तर देंगे ये तथाकथित सेकुलरिस्ट ? १५ अगस्त, १६४७ के बाद भारत सरकार के पुनर्वास मंत्रालय ने जो मस्जिदें सिखों और शेष हिंदुओं को सौंप दी थी और जहां गुरुद्वारे एवं मंदिर बन गए हैं, उनका क्या होगा ? माना कि सोमनाथ मंदिर को इस विधेयक की परिधि से बाहर रखा गया है, किन्तु श्रीराम जन्मभूमि को जिस विवशता के कारण इसकी सीमाओं से बाहर रखा गया है, क्या वह विवशता शेष पूजा स्थलों को भी विधेयक की सीमा से बाहर रखवाने के लिए प्रोत्साहित और उत्तेजित नहीं करेगी ? जिस कारण श्रीराम जन्मभूमि को कानून की परिधि से बाहर रखा गया, कल वही कारण देश के कोने-कोने में उत्पन्न किया जाने लगे तो इसका दायित्व किसका होगा ? जो मुस्लिम तुष्टीकरण भारत की राष्ट्रीय चेतना और अस्मिता को आहत करता आ

रहा है, क्या इस विधेयक के माध्यम से किया गया कानूनी तुष्टीकरण यहा के हिन्दुओ को इस बात के लिए विवश नही करेगा कि वे इस कानून को रद्दी कागज की तरह कचरे की टोकरी मे फेंक दें ? यदि देश के बहुमत ने ससद के बहुमत को अस्वीकार कर दिया तो ससद के सम्मान और केन्द्रीय सार्वभौम सत्ता का क्या होगा ? ऐसी परिस्थितिया क्यो पैदा की जा रही हैं कि देश आन्तरिक अस्थिरता, आतक और अराजकता का शिकार हो जाए ? साम्प्रदायिक राजनीति को अपनी सत्ता की मूल धुरी बनाकर देश की ८५ प्रतिशत आबादी, अर्थात् यहा के राष्ट्रीय समाज के साम्प्रदायिक होने, मजहब और सम्प्रदाय के सदर्भ मे सोचने एव आचरण करने की परिस्थितिया पैदा करके क्या सबल, सुस्थिर, समरस और परस्पर विश्वास म परिपूर्ण राष्ट्र और समाज निर्माण कर पाना सभव है ?

"धर्मस्थलो के १५ अगस्त १९४७ की यथास्थिति सुरक्षित करने वाला यह विधेयक भी इसी राष्ट्रघाती साम्प्रदायिक प्रवृत्ति और राजनीति का विस्तार है। इस विस्तार का विश्लेषण बहुत ही भयावह है। इस विधेयक ने देश को १५ अगस्त, १९४७ के आस पास वाली उस स्थिति मे पहुचा दिया, जब देश खून मे डूबा था, दगो के कारण लाशो से पटा था और भारत के अभिन्न-अखण्ड भूगोल को काटकर एक मजहबी मुस्लिम राष्ट्र की नीव इन्ही तथाकथित सेकुलरिस्टो द्वारा हिन्दू मुस्लिम समस्या सुलझाने और दगामुक्त भारत का निर्माण करने के लिए रखी गई थी। वही अध्याय पुन खोला गया है। वही आलेख पुन लिखा गया है तो वही दुष्परिणाम पुन सामने आएगे।"

केंद्र की इका सरकार ने वैधानिक मोर्चेबदी के तहत उक्त उपासना स्थल विधेयक पास कराया तो इधर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार राम जन्मभूमि के कथित विवादित ढाचे से जुडी २ ७७ एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर उसका तुर्की-ब तुर्की जवाब दिया। अधिग्रहण कर लेने के साथ ही मन्दिर निर्माण की एक बाधा दूर हो गई। अब राम जन्मभूमि न्यास शिलान्यास स्थल से निर्बाध गति से मन्दिर निर्माण प्रारम्भ कर सकेगा। इस समय विवादित ढाचे को छोडकर राम मन्दिर परिसर की पूरी भूमि या तो सरकार के कब्जे मे है या राम जन्मभूमि न्यास के कब्जे मे।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमन्त्री नारायण दत्त तिवारी के मुख्यमन्त्रित्व काल में रामकथा पार्क के नाम पर जन्मभूमि से जुडी ५८ एकड भूमि का अधिग्रहण किया गया था। उस समय श्रीराम लला के सामने की २.७ एकड भूमि का अधिग्रहण राजनीतिक कारणो से नही किया था। इस २ ७ एकड भूमि पर एक पुलिस चौकी की स्थापना के बाद रामभक्त जनता को श्रीराम लला के दर्शन हेतु भारी परेशानियो का सामना करना पड रहा है। मुलायम के मुख्यमन्त्रित्व काल मे तो

यह पुलिस चौकी भी निरकुश सी हो गई थी। अब इस २७ एकड भूमि का सरकार द्वारा अधिग्रहण के बाद पुलिस चौकी को हटाये जाने मे कोई कठिनाई नही होगी। इस चौकी को हटाकर भूमि को राम जन्मभूमि न्यास को सौंपने के बाद निर्माण की प्रारम्भिक बाधाओ का अन्त हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार बिना किसी वैधानिक कठिनाई के ऐसा कर सकता है। अधिग्रहित भूमि को राम जन्मभूमि न्यास को सौपने की तैयारी चल रही है।

राम जन्मभूमि से जुडे अन्य स्थानो—जहा दुकानें, मदिर आदि हैं—सभी राम जन्मभूमि न्यास के कब्जे मे पहले ही आ चुके है। कथित विवादित ढाचे के समीप उसकी बाहरी दीवार मे सटी तीन दुकानो के स्वामियो ने उन्हे राम जन्मभूमि न्यास को सौप दिया है। अभिराम कथा मण्डप तो पहले ही राम जन्म-भूमि न्यास के पास है। यही विश्व हिन्दू परिषद् की प्रदर्शनी लगी है। साक्षी गोपाल का मदिर, सकट मोचन हनुमान का मदिर, पास-पडोस की झोपडिया अब राम जन्मभूमि न्यास के नाम दर्ज हो गई हैं। इस प्रकार लगभग सारी भूमि पर राम जन्मभूमि न्यास अपना दावा कर सकती है। चूकि प्रदेश मे रामभक्तो की भाजपा सरकार है, वह भी मदिर निर्माण के प्रति उत्सुक है, इसलिए सरकार अपने कब्जे वाली भूमि को राम जन्मभूमि न्यास को सौंपकर मन्दिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर देगी। सरकार ने जिन चार भूखण्डो का अधिग्रहण किया है उनका राजस्व खाता सख्या १५६, १६०, १७१ व १७२ है। सभी भूखण्ड अब राम जन्मभूमि न्यास को देने की तैयारी चल रही है।

विश्व हिन्दू परिषद् के महासचिव श्री अशोक सिहल के अनुसार—प्रदेश सरकार का यह कदम सही समय पर उठाया गया सही कदम है। जिस बडी सख्या मे पूरे देश से रामभक्त जन्मभूमि के दर्शन के लिए आने लगे है, उनको दृष्टिगत रखते हुए इस भूमि के अधिग्रहण की तत्काल आवश्यकता थी।

प्रदेश सरकार के इस फैसले के प्रति केन्द्र के विरोधी रवैए को मुख्यमन्त्री कल्याण सिंह ने चुनौती दी। एक बयान मे मुख्यमन्त्री ने कहा कि केन्द्र सरकार को अयोध्या मे मदिर निर्माण मे दखल देने का अधिकार ही नही है क्योंकि वह राज्य के अधिकार क्षेत्र का मामला है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की भाजपा सरकार को जनादेश केवल राम मदिर के निर्माण के लिए मिला है।

विहिप महासचिव श्री अशोक सिहल ने कहा कि अयोध्या मे मदिर के सवाल पर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार बर्खास्त होने के लिए तैयार है। उन्होंने केंद्र को चेतावनी दी कि वह उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने से पहले राम मदिर के सवाल पर गिरी पूर्व सरकारो का भी ध्यान कर ले। कही ऐसा न हो कि बाबरी नेताओं को खुश करने के चक्कर मे प्रधानमन्त्री राव पूरी लंका के

अस्तित्व को ही दाव पर लगा दें। इसलिए केन्द्र हिन्दुओं के विरोध में कोई कदम उठाने से पहले कई सौ बार सोचे। उन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या की राम जन्मभूमि की एक इंच जमीन भी मुस्लिम वक्फ बोर्ड की नहीं है। विहिप महासचिव ने नेताओं को भी चेतावनी दी कि वे अपनी हरकतों से बाज आएं और अविवादित भूमि को विवादित बताने का दुस्साहस करें क्योंकि वह भूमि शिलान्यास के समय उत्तर प्रदेश की तत्कालीन इका सरकार ने अविवादित घोषित की थी। इका सरकार के समय घोषित अविवादित भूमि अब भाजपा के शासन में विवादित कैसे हो सकती है?

देवोत्थानी एकादशी (१८ अक्तूबर) के दिन अयोध्या में शिलान्यास स्थल के पास आरम्भ हुए रुद्राग महायज्ञ की शिखाओं ने मन्दिर निर्माण का जयघोष कर दिया। यह यज्ञ उन हुतात्मा कार सेवकों की स्मृति में हुआ जो पिछले वर्ष देवोत्थानी एकादशी (३० अक्तूबर) व कार्तिक पूर्णिमा (२ नवम्बर) को रामकाज हित शहीद हुए थे।

३० अक्तूबर १९९१ को 'शौर्य दिवस' मनाया गया। ठीक १२ बजकर ७ मिनट पर शिलान्यास स्थल पर प्रतीकात्मक ध्वजारोहण हुआ। राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के अध्यक्ष गोरक्षा-पीठाधीश्वर महंत अवैद्यनाथ, राम जन्मभूमि न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष परमहंस रामचन्द्र दास व राम जन्मभूमि संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास ने तीन भगवा पताकाएं फहराकर ३० अक्तूबर १९९० को तीनों गुम्बदों पर विजय पताकाएं को फहराने वाले रामभक्तों व उनके सहयोगी रामभक्तों के शौर्य की याद दिलाई। अब ३० अक्तूबर का दिन एक पर्व है। पर्व उन वीर कारसेवकों के शौर्य की स्मृति का, जिन्होंने ३० अक्तूबर १९९० को विजय ध्वज फहराया था। जिस समय यह सब हो रहा था, रामभक्तों की आंखों में आंसू आए हुए थे। प्राय ऐसे सभी रामभक्तों का गला भर आया, जो पिछले वर्ष इसी दिन इस परिवार में आए थे। अपने संक्षिप्त संबोधन में श्री मोरोपंत पिंगले ने मंदिर निर्माण का आह्वान दोहराया—'मंदिर बनेगा और वहीं बनेगा जहां पहले था। यह मंदिर बनेगा शक्ति के आधार पर, न कि किसी की दया और कृपा पर। इसके लिए हिन्दू समाज को एकबद्ध होने की आवश्यकता है।" प्राय सभी वक्ताओं के विचारों के केंद्र में राम मंदिर निर्माण की प्रतिबद्धता रही।

३० अक्तूबर को शौर्य दिवस का कार्यक्रम सफल न हो सके—इसके लिए वि०प्र० सिंह, मुलायम सिंह तथा उनके समर्थकों द्वारा इसका पूरा प्रयास किया गया। अकाली नेता सिमरनजीत सिंह मान का अयोध्या आने का कार्यक्रम व शहाबुद्दीन की उनसे साठ-गांठ इसी शौर्य दिवस को ध्यान में रखकर की गई।

मान की गाजियाबाद मे हुई गिरफ्तारी से बाबर समर्थक मुसलमानो के हौसले पस्त हो गए। बाराबकी के रामसनेही घाट पर वि०प्र० सिंह की गिरफ्तारी ने उनके जले पर नमक का काम किया। इधर मुलायम सिंह जगवत नगर मे चुनाव मे व्यस्त हैं, फिर भी उनके अनन्य साथी मुन्नन खा ने अपनी करामात दिखा दी। २९ अक्तूबर को सरयू पुल पर सजपा के लगभग सौ कार्यकर्त्ता आ डटे और अयोध्या प्रवेश के लिए उद्यत थे। यह वही सरयू पुल है, जहा पिछले वर्ष २९-३० अक्तूबर को रामभक्तो का रेला आया था। वह भी प्रवेश का इच्छुक था। लेकिन मुलायम सिंह की पुलिस उस समय जो दरिन्दगी दिखाई उसकी याद मात्र ही कपा देती है। इस बार सजपा के कार्यकर्ताओ को पुलिस ने तो रोका ही, पुल पर हजारो की तादाद मे रामभक्तो का जमावडा हो गया और अन्तत. सजपा कार्यकर्ताओ को पुलिस की शरण लेनी पडी थी।

३१ अक्तूबर को अयोध्या के विवादित ढाचे पर भगवा ध्वज लहराने व मदिर की उत्तरी दीवार मे की गई मामूली तोड़-फोड ने वास्तव मे रामभक्तो की मदिर निर्माण की उत्कट इच्छा को अभिव्यक्त किया है। यह घटना न तो पूर्व नियोजित थी और न ही जानबूझकर की गई कार्यवाई। निकटवर्ती नगरो तथा पजाब, कश्मीर जैसे सुदूर प्रान्तो से आए रामभक्तो द्वारा की गई यह कार्यवाई तकनीकी रूप मे भले ही अनुशासनहीनता कही जा सकती है। लेकिन यह भी सही है कि इतिहास मे भगवान व आस्था के आगे अनुशासन की सीमा पार हो जाती है और ऐसी अनुशासनहीनता क्षम्य है। पजाब मे आतंकवादियो का राज है, वैसे ही यहा भी आतकवादियों का राज है। नि:सदेह उनका सकेत रामभक्तो की ओर था। जब यही सातो नेता जन्मभूमि परिसर मे वापस आए, तो उनका विरोध किया व 'वापस जाओ' के नारे लगाए। जवाब मे इनकी कार से रामभक्तो पर गोली चलाई गई। कहते हैं पूर्व गृहराज्य मत्री सुबोध कात सहाय ने स्वय भी गोली चलाई।

यह आशका व्यक्त की जा रही है कि उस दिन नारे लगाने वाले कार्यकर्ताओ मे कुछ जनता दल के लडके पुजारी लालदास द्वारा शामिल करा दिए गए थे। जब विनय कटियार जन्मभूमि के द्वार पर कार्यकर्ताओ को वापस जाने के लिए कह रहे थे, तभी कुछ लडके विरोध पर उतारू हो गए। विनय कटियार ने कहा, 'यहा के कुछ पुजारी हमे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनके बहकावे में न आए। तभी बीच से आवाज आई, 'पुजारी लालदास का कोई दोष नही है। हम वापस नही जाएगे।' विहिप व बजरग दल जैसे लौह अनुशासन वाले सगठन के किसी कार्यकर्ता के मुह से अपने नेता के प्रति ऐसे शब्द निकल सकते हैं—ऐसी कल्पना भी नही की जा सकती है। नि.सदेह कुछ बाहरी तत्व

इस पूरी प्रक्रिया मे शामिल है। ऐसे कुछ लड़को को विनय कटियार ने पहचान कर पुलिस के हवाले भी किया है।

इन सभी विरोधियो की यह रणनीति थी कि किसी तरह विश्व हिन्दू परिषद् के २७ नवम्बर तक होने वाले बज्राग रुद्र महायज्ञ व उसके बाद ४० दिनो तक प्रस्तावित श्रीराम महायज्ञ के भक्तिमय कार्यक्रम को सफल न होने दिया जाए। रामभक्तो को उत्तेजित करके विश्व हिन्दू परिषद् के कार्यक्रम के विपरीत कुछ करवाने की उनकी चाल के प्रति विहिप भी सतर्क थी और रामभक्तो को किसी बहकावे मे न आने के निर्देश दे दिए गए थे।

३१ अक्तूबर की घटना की जिम्मेदारी से राम विरोधी राजनेता व यहा के पुजारी लालदास भी मुक्त नही किए जा सकते।

इस सवाददाता से बातचीत मे कथित तथ्यान्वेषी दल के नेता एम०जे० अकबर ने यहा तक कहा कि बाबरी ढाचे के परिसर मे कानून का राज नही है। यहा आतकवादियो का कब्जा है। जब उनसे पूछा गया कि कैसे आतकवादी ? तो जवाब था 'आतकवादियो की कोई जाति नही होती।' उन्होने फिर दोहराया कि जैसे कथित राष्ट्रीय एकता अभियान के बैनर तले दिल्ली मे आए गैर भाजपा दलो के सात नेताओ—सर्वश्री एम०जे० अकबर, सुरेश कलमाडी (सासद) अनिल शास्त्री, व भुवनेश्वर कलिता (सभी काग्रेस) अजय सिह व के०सी० त्यागी (जद) तथा सुबोध कात सहाय (भजपा) द्वारा रामभक्तो पर की गई अभद्र टिप्पणिया उन पर की गई हिंसक कारवाई से रामभक्त उत्तेजित तो होगे ही। हुआ यह कि इन सातो नेताओ ने जिला प्रशासन के मना करने के बावजूद मदिर परिसर में माहौल को विषाक्त करने की हर कोशिश की। यही नही, न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध इका नेता एम०जे० अकबर जन्मभूमि परिसर मे भी गए—जबकि न्यायालय के आदेश से किसी भी मुसलमान को राम जन्मभूमि के इर्द-गिर्द ३०० मीटर की परिधि मे प्रवेश की इजाजत नही है। एम०जे० अकबर ने न्यायालय का अपमान कर रामभक्तो को उत्तेजित किया।

उ० प्र० सरकार द्वारा २ ७ एकड भूमि के अधिग्रहण तथा उसके खिलाफ वी० पी० सिह द्वारा जारी अभियान की समीक्षा करते हुए गिरिलाल जैन ने लिखा कि इस अभियान के द्वारा एक बार फिर वी०पी० सिंह ने भाजपा की 'महान सेवा' की है।

"जब १९९० मे भाजपा नेतृत्व काफी परेशानी महसूस कर रहा था और जनता दल सरकार से अपना समर्थन वापस लेने मे हिचक रहा था, उसी समय वी०पी० सिह ने भाजपा को इस दुविधा और उसके बासी पड चुके काग्रेसवाद-विरोधी रुख से उसे मुक्त कर दिया था। श्री लालकृष्ण आडवाणी की रथ-यात्रा

का निशाना वास्तव में कांग्रेस से ज्यादा वी०पी० सिंह थे। यह रथ यात्रा मण्डल को भाजपा का जवाब था, जो कि चुनावी दृष्टि से काफी प्रभावशाली सिद्ध हुआ।

उसके बाद अब पुनः भाजपा नेतृत्व ने स्वयं को परेशानी से घेर लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी योजना क्या है? यह तो अभी रहस्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने विवादास्पद राम जन्मभूमि के आस-पास २.७ एकड़ जमीन को अधिग्रहीत कर इस दिशा में आगे बढ़ने की अपनी स्वतंत्रता को सीमित कर दिया है। बल्कि अधिग्रहण की प्रक्रिया में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने खुद को इस बात के लिए प्रतिबद्ध कर दिया है कि वह इस भूमि का उपयोग 'पर्यटन विकास' और 'तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाएं' उपलब्ध कराने हेतु करेगी। राज्य सरकार की उस समय निश्चित ही काफी आलोचना हुई होती अगर उसने 'पर्यटन विकास' और 'तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं की योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि पर विश्व हिन्दू परिषद् द्वारा प्रस्तावित राम मन्दिर के मात्र सिंहद्वार के निर्माण की बात को भी शामिल कर लिया होता। किसी भी तौर पर वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस निर्णय की अवहेलना नहीं कर सकती थी, जिसमें सरकार को भूमि के अधिग्रहण का अधिकार इस शर्त पर दिया गया है कि वह न तो इस स्थान को किसी को देगी और न ही इस पर स्थाई ढांचा खड़ा करेगी। इस आदेश की अवहेलना भाजपा के लिए अनेक दूरगामी समस्याओं को जन्म दे सकती है।

यह सामान्य ज्ञान की बात है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार की उपस्थिति ने बाबरी ढांचे पर अचानक हमले या उसे गिराने की आशंका को बढ़ाने की बजाय घटाया ही है। क्योंकि ऐसा कोई कदम विपक्षी दल के लिए भले ही आसान हो परन्तु सत्तारूढ़ दल के लिए संभव नहीं। ऐसी स्थिति में भाजपा के लिए सबसे ज्यादा उचित रास्ता यह होता कि वह अपने समर्थकों और मतदाताओं को यह समझाती कि राम मन्दिर का निर्माण एक अखिल भारतीय विषय है, जो केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है और जब तक लोकसभा में उसे बहुमत नहीं मिलता, तब तक वह इस बात का दावा नहीं कर सकती कि भारत के लोगों ने उस बाबरी ढांचे के स्थानान्तरण और वहीं मन्दिर निर्माण के लिए जनादेश दिया है।"

इसी विश्लेषण को आगे बढ़ाते हुए श्री गिरिलाल जैन ने वी०पी० और पी०वी० सरकारों के चरित्र का अन्तर रेखांकित किया। जहां वी०पी० स्वयं ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चलाने में माहिर सिद्ध हुए, वहीं पी०वी० ने बेहतर ताल-मेल और दूरदेशी का परिचय देते हुए 'सरकार चलाने की अपनी क्षमता सिद्ध

कर दी। शायद प्रधानमन्त्री ने यह महसूस कर लिया कि भाजपा ने खुद को एक कोने में फंसा लिया है। इसलिए वह न तो उत्तेजित हुए और न ही उन्होंने उसे बर्खास्त करने की वी०पी० सिंह की मांग पर कोई ध्यान दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के भूमि अधिग्रहण के कार्य में भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। क्योंकि वह जानते थे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाबरी ढांचे के इर्द-गिर्द की जमीन के अधिग्रहण से ढांचे की रक्षा की संभावना पहले से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। राजनैतिक सूझबूझ और तालमेल की चतुराई में भरा हुआ यही रुख 'एकता यात्रा' के बारे में भी पी० वी० नरसिंहराव ने अपनाया— कैसे?

राम-रथ यात्रा से एकता यात्रा तक

२१ अक्तूबर को राम जन्मभूमि के शिलान्यास स्थल के निकट भूमिपूजन हुआ और राममंदिर के दूसरे पाए (दाहिना स्तम्भ) के निर्माण हेतु उत्खनन हुआ।

मंदिर के दाहिने पास के निर्माण हेतु हुए औपचारिक उत्खनन के साथ ही मंदिर निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई। मंदिर के दोनो पायो के बीच की दूरी चालीस फुट है। इसी के बाद शुरू होगा राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार चन्द्रकान्त सोमपुरा का कहना है कि नृत्य मण्डप के निर्माण में लगभग एक वर्ष लगेगा। तदनन्तर रंग मण्डप आदि का निर्माण होगा। श्री चन्द्रकान्त सोमपुरा ने यह भी बताया कि निर्माण कार्य मे १५०० दक्ष कारीगरो को लगाया जाएगा। वे परिवार सहित अयोध्या आएगे। वे यहा पाच वर्ष रहेंगे।

राम जन्मभूमि पर विहिप का कार्य जारी है। राम जन्मभूमि न्यास समिति अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले मकानो व मंदिरो के मलबो को हटा रही है। रामभक्त आते है, रामलला के दर्शन करते है और इस मलबे को हटाने के कार्य मे अपना थोडा योगदान देकर धन्य हो जाते हैं। मलबे का एक कण उठा लेना ही उनकी हार्दिक खुशी का कारण बन जाता है। राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के अखिल भारतीय मत्री श्री महेश नारायण के अनुसार उ०प्र० सरकार द्वारा अधिग्रहीत २.७ एकड जमीन मे साक्षी गोपाल मंदिर, सकट मोचन हनुमान मंदिर, सीता रसोई, राम चबूतरा, सुमित्रा भवन, सीतापुर तीर्थ, शिलान्यास स्थल, अभिरामदास कथा मण्डप, अखण्ड मानस पाठ स्थल आते है। गत ४१ वर्षो मे यह सम्पूर्ण क्षेत्र हिन्दुओ के कब्जे में है। वैधानिक रूप मे इन सभी स्थानो पर हिन्दू समाज का कब्जा है इसलिए कोई भी मुस्लिम व्यक्ति या संस्था इन पर अपना दावा नही जता सकती है।

हिन्दू समाज के समस्त साधु-सत, विहिप के पदाधिकारी व पूरे देश से आ रहे कारसेवको की उपस्थिति से अयोध्या का हृदय प्रफुल्लित है। घी के दिए व पटाखो की आवाज से हर रामभक्त का सीना गर्व से फूला हुआ है। राम कारसेवकपुरम् एकात्मता व समरसता का प्रतीक बन गया है। आर्यवर्ग, आयुवर्ग का भेद नही,

अमीर-गरीब, अबाल-वृद्ध, नर-नारी समाहित हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी व असम से लेकर कच्छ तक के इलाको का प्रतिनिधित्व है यहा। जय श्रीराम का जयघोष भाषा भेद की दीवारो को तोड कर एकता व अखण्डता का सदेश बिखेर रहा है।

राम कारसेवकपुरम् मे भारत के महापुरुषो के नाम पर आवासो का नामकरण किया गया है। 'श्री गुरुजी' सभा मण्डप की क्षमता दस हजार की है। यहां प्रतिदिन हजारो रामभक्तो, सतो-महात्माओ व विहिप के पदाधिकारियो से मार्गदर्शन व वचनामृत मिलता है। एकलव्य कुटी, दधीचि कुटी, भरत कुटी, शिवाजी कुटी को देखकर भारत की अखण्टता व सास्कृतिक एकता के प्रतीक महापुरुषो की बरबस याद आ जाती है। प्रतिदिन कम से कम छः हजार कारसेवको के रहने व भोजन की व्यवस्था है, लेकिन यह सख्या बढती जा रही है।

राम कारसेवकपुरम् का कुल क्षेत्रफल ५ एकड है। करीब छ माह पूर्व इसे विश्व हिन्दू परिषद् ने खरीदा था। दरअसल इसका इतिहास शहीद रामभक्तो के इतिहास से जुड गया है। साझा से अयोध्या आने वाली सडक के किनारे यह स्थान है। पिछले वर्ष इसी सडक से करीब पचास हजार रामभक्तो ने अयोध्या मे प्रवेश किया था। राम कारसेवकपुरम् मे भारत के प्रत्येक प्रान्त का भवन होगा, जिसमे तत्सबधी प्रान्त से आने वाले लोग ठहरेंगे। चिकित्सालय, वाचनालय, पुस्तकालय, गौशाला, व्यायाम शाला का निर्माण होगा। इस प्रकार यहा लघु भारत का दर्शन हो सकेगा। श्रीराम कारसेवकपुरम् के पास ही श्रीराम कार्यशाला है। यहा की पूरी व्यवस्था श्री बालचन्द्र सम्हाल रहे है। यही पर कारीगरो की व्यवस्था की जाएगी।

उधर इसी दौरान नवम्बर के प्रारम्भ मे सिख नेता सिमरनजीत सिंह मान के साथ सैयद शहाबुद्दीन और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष इब्राहिम सुलेमान सेठ की अखबारो मे फोटो छपी, जिसमे उन्होने 'अल्पसख्यको की एकता' की तलवार थामी हुई थी। खालिस्तान के स्वयघोषित समर्थक की मुस्लिम साम्प्रदायिकता के दो झण्डाबरदारो के साथ छपी इस फोटो ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया और देशवासियो को भारतीय राष्ट्रीयत्व पर प्रहार का सकेत दिया।

शहाबुद्दीन ने अपनी पत्रिका 'मुस्लिम इडिया' में द्विराष्ट्रवादी सिद्धान्त का पुन आहवान किया है। यद्यपि पाकिस्तान एक वास्तविकता बन गया है, फिर भी भारत में मुस्लिम अलगाववाद एक बडी ताकत के रूप मे जारी है, भले ही उसमे कुछ रणनीतिक परिवर्तन किए जाते रहे हो। माग अब किसी इस्लामी देश के लिए नही रह गई है, बल्कि कोशिश है कि व्यवस्थित अभियान चलाकर टुकडो मे बटे हुए विभिन्न वर्गो और 'मडलीकृत' भारत के स्वाभाविक साथियो के रूप मे

सगठित मुस्लिम समाज की छवि को प्रकट किया जाए। सिख पथिक विचार का हिन्दुत्व की रक्षक भुजा मे अलगाववाद मे परिवर्तन। इस काम मे काफी मददगार साबित हुआ है। उदाहरण के लिए 'अयोध्या फैजाबाद के मुसलमानो' द्वारा राष्ट्रपति को दिए गए एक ज्ञापन मे माग की गई है कि 'मस्जिद की सुरक्षा के लिए सिख रेजिमेट को (उपासना स्थल के चारों ओर) तैनात किया जाए।'

यह मात्र कोई सयोग नही है कि अलगाववाद के इन संरक्षको को अयोध्या के राम जन्मभूमि मदिर निर्माण आन्दोलन के विरोध मे अपना ही उद्देश्य दिख रहा है, जबकि कम्युनिज्म के पूरे विश्व मे समाप्त हो जाने और उसके नेहरूवादी सर्वानुमति पर प्रभाव के बाद अयोध्या पर केन्द्रीकृत राष्ट्रीय पुनर्जागरण देश की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए सब से मजबूत आह्वान है।

प्रथमतया, यद्यपि राम मदिर के लिए आदोलन कर्मकाडीय पहलुओ से मुक्त नही है, फिर भी यह किसी भी अर्थ मे कोई धार्मिक अभियान नहीं कहा जा सकता। भगवान राम के प्रतीक और उससे अतीत के अपमान और पराजय की घटनाओ को जोडकर यह आन्दोलन एक नए शक्ति शाली भारत की कल्पना को साकार करना चाहता है। सामान्यत: इस बारे मे जैसी कि शकाए प्रकट की जा रही है—इस आन्दोलन का झुकाव एकेश्वरवादी और ईसाईयत या इस्लाम की तरह सेमेटिक मजहब के रूप मे हिन्दुत्व को बदलना नही, बल्कि इसका उद्देश्य एक सास्कृतिक और सभ्यतामूलक जागृति पैदा करना है। यही कारण है कि पिछले साल कारसेवक मे आर्यसमाज, निहग और जैन पथ के लोग भी शामिल हुए जो कि मूर्ति पूजक नही हैं और यही कारण है कि गत वर्ष श्री लाल कृष्ण आडवाणी की लोकप्रिय किन्तु विवादास्पद रथयात्रा के प्रति लोगो का इतना आकर्षण रहा।

दूसरे, अयोध्या आन्दोलन की अपार लोकप्रियता को भारतीय एकता और अखण्डता पर दबावो की पृष्ठभूमि मे देखना चाहिए। एक ओर भारत राज्य की सत्ता पजाब व कश्मीर मे घटती जा रही है, तथा असम मे भी ऐसी ही हालत है यद्यपि उसका परिमाण कुछ कम है। दूसरी ओर जनतादल जातिवाद और अल्पसख्यक साम्प्रदायिकता के साथ पीगे बढा रहा है। ऐसी स्थिति मे उन प्रतीकों की आवश्यकता बढ गई है जो भारत के साथ जूझने के लिए लोगों के सकल्प को अभिव्यक्त करते हो। अतीत मे काग्रेस और नेहरूवादी दृष्टि ने इस शक्तिवान राष्ट्रीत्व की आकाक्षा को प्रकट किया था। दुर्भाग्य से आजादी के बाद जिन अवधारणाओं ने भारत को एक रखा था, वे बिखर गईं प्रतीत हो रही हैं। परिणामत राष्ट्रीय भटकाव और हताशा की भावना बढ रही है। इस पराजयवाद के स्पष्ट लक्षण सरकार की कश्मीर व पजाब के प्रति नीतियो मे अनिश्चितता मे

प्रकट होते है। इसी प्रकार बुद्धिजीवियो में व्याप्त निराशा भी बहुत साफ-साफ झलक रही है, जो एक ओर तो स्वदेश मे सोवियत टूटन के दोहराए जाने मे आशक्ति है, दूसरी ओर उन विकल्पों को समझना भी नही चाहते, जिनकी जडे भारतीय इतिहास और सस्कृति मे पैठी हुई है।

अयोध्या आन्दोलन इसी बिखराव का जवाब है, जिसने जनता की आकाक्षा को अभिव्यक्त किया है। प्रस्तावित राम मदिर बनने मे दस या बीस साल लग सकते है। लेकिन इस दिशा मे बढ रहे हर कदम मे एक नए आत्मविश्वास से परिपूर्ण और आधुनिक भारत के इन्द्रधनुषी रग निखरते जा रहे हैं। कोई आश्चर्य नही कि मान और शहाबुद्दीन इसके विरोध में हाथ मिलाने की जरूरत महसूस कर रहे है।

अयोध्या मे बाबरी मस्जिद की जगह राम जन्मभूमि मदिर बने, यह इच्छा अब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिन्दू परिषद या राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ (रास्वसघ) की नही है। जो लोग इस मसले को सिर्फ पार्टी राजनीति का विषय मान कर अपनी राजनीति कर रहे हैं, उन्हे यह समझ मे आना जरूरी है कि यह अब पूरे हिन्दू समुदाय की आकाक्षा बन चुकी है। इसलिए अगर भाजपा यह मानती है कि वह इस मुद्दे के भरोसे चुनाव जीती है या वह इस मुद्दे को उसके शिखर तक ले जा कर दिल्ली पर भी राज कर सकती है, तो वह गलतफहमी में है। गलतफहमी मे वे लोग भी है जो ऐसा माने बैठे हैं कि अयोध्या मे राम जन्म-भूमि मदिर बनाना भाजपा का दायित्व या विवशता है, या कि यह सिर्फ सवर्ण हिन्दुओ की इच्छा है, या कि यह सिर्फ उत्तर भारत के हिन्दुओ की इच्छा है। बेशक इस समस्या को सतह पर लानेवाली ताकतें वही थी, जिन्हे हम भाजपा वगैरह के खेमे मे देखते रहे है। इसलिए मदिर आन्दोलन का जितना भी राज-नीतिक लाभ अगर किसी को मिला है या भविष्य मे मिलने की उम्मीद है तो वह भाजपा ही है। पर अब यह मुद्दा भाजपा की किसी भावी विजय-पराजय का अकेला या निर्णायक कारण नही रह गया है। पिछले पाँच साल के आन्दोलन का परिणाम यह हुआ है कि यह मसला अगर कभी सवर्णो के मानस को उत्साहित करता होगा, तो अब वहाँ से आगे बढ कर सभी मध्यम एव दलित जातियो, वन-वासियो एव गिरिजनो के हृदय की धडकन बनता जा रहा है। अगर कभी यह सिर्फ उत्तर प्रदेश के हिन्दुओं का आन्दोलन रहा होगा, तो अब क्रमश पूरे भारत के तमाम हिन्दू इससे खुद का जुडाव महसूस करते जा रहे हैं।

इसलिए जो लोग या राजनीतिक दल अयोध्या आन्दोलन को यह कह कर बदनाम करते है कि अरे, यह तो धार्मिक मुद्दा है, कि देखो, धर्म के नाम पर लोगो में फूट डलवाई जा रही है, कि जो लोग इस आन्दोलन के पीछे है वे कतई धार्मिक

नही है, या कि राम तो कण-कण मे व्याप्त हैं—उनके लिए वही, एक खास जगह पर मंदिर बनाने का आग्रह क्यो है, तो उनके लिए हमारा निवेदन यह है कि बेशक पूरा आन्दोलन एक खास मंदिर के निर्माण के लिए हो रहा है, पर यह एक धार्मिक आन्दोलन वैसे ही नही है जैसे यह किसी एक पार्टी विशेष का आन्दोलन नही रह गया है। यही कारण है कि कुछ निहित स्वार्थ चार-पांच दशकों की एक निरर्थक शब्दावली के गुलाम हो कर इसे धार्मिक, साम्प्रदायिक या धर्मनिरपेक्षता का शत्रु कह कर बदनाम करने मे लगे है, पर इन सब बेतरतीब आरोपो को नकारते हुए इस आन्दोलन की परिधि और प्रभाव फैलते जा रहे हैं।

अयोध्या के राम जन्मभूमि आन्दोलन को गुलामी-पूर्व परिस्थितियो को ठीक करने की राष्ट्रीय आकाक्षा के रूप मे ही देखना चाहिए था। जितना इस्लाम इस देश मे आना था, आ चुका और विभाजन के रूप मे एक राष्ट्रीय त्रासदी भी वह दिखा चुका। जितने हिन्दुओ का इस्लामी धर्मान्तिरण होना था, हो चुका। अब इस देश मे हिन्दुओ और मुसलमानों को एकसाथ रहना है। इस सदर्भ में अयोध्या आन्दोलन पर हमारा राष्ट्रीय नजरिया क्या होना चाहिए था? देश के नेता अपने बनाए नारो के और बुद्धिजीवी जन इतिहास की अपनी वामपथी व्याख्या के दबावो से बाहर निकल कर देश के हिन्दुओ के बीच उभरती आकाक्षा का अध्ययन कर उसका सही समाधान देने के लिए सामने आते। हिन्दुओ की आकाक्षा, बेशक विश्व हिन्दू परिषद के माध्यम से सही (किसी न किसी को तो माध्यम बनना ही था), यह थी कि अयोध्या के राम जन्मभूमि, मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और वाराणसी के विश्वनाथ मंदिरो को, जिन्हे तोड कर मस्जिद बना दिया गया था, लौटा दिया जाए। इस आकाक्षा की पूर्ति मे वे उस यात्रा पर निकले थे, जहां चल कर उन्हे अपने राष्ट्रदेह के अस्वस्थ उपकरणो को ठीक करना था। अगर देश के नेता और बुद्धिजीवी उनकी इस आकाक्षा का सम्मान करते, तो दो परिणाम निकलते। एक, हिन्दुत्व की विकास यात्रा को एक स्वस्थ मुकाम इसके जरिए मिलता। दो, इस देश की जनसख्या के ८५ प्रतिशत हिन्दुओ और ११ प्रतिशत मुसलमानो को एक-दूसरे से टकराने के स्थान पर एक-दूसरे का सम्मान करने का स्वभाव मिलता। इसमे क्या हर्ज था?

नही था, इसलिए यह आज भी सभव है। हिन्दुओ को उनके पवित्रतम समझे जानेवाले तीन मंदिर देकर बदले मे फिर किसी भी मस्जिद की मांग न करने का *समझौता आज भी सभव है। जो हिन्दुओ को मुसलमानो से लड़वा कर साम्प्रदायिक* राजनीति करने मे मशगूल हैं, उन्हे छोड कर सारा देश इस समझौते का स्वागत करने के मूड मे है। अगर साम्प्रदायिक राजनीति करनेवाली ताकतें बाबरी मस्जिद

के नाम पर मुसलमानों को भडकाने के बजाय इस प्रस्तावित समझौते का महत्व समझाने का प्रयास करें तो तय मानिए कि देश का मुसलमान इस समाधान के विरुद्ध नही है।

पर ऐसा हो, इसके लिए साम्प्रदायिक राजनीति करनेवाले नेताओ और उन्हे नकली तर्क देनेवाले बुद्धिजीविया को अपनी स्तब्ध और निस्पन्द विचार परिपाटी से बाहर निकलना होगा। लक्ष्य अगर राजनीति या बुद्धिछल नही है, तो इतिहास और वर्तमान की वास्तविकताओ से दो-चार हो कर नया रास्ता अपनाना होगा। हिन्दुत्व और राष्ट्रीयता जिस तरह एक-दूसरे के पर्यायवाची बन कर लोगो के मानस मे उभर रहे है, उसे देखते हुए अयोध्या मे मदिर बनने के बीच मात्र समय ही एक बाधा नजर आती है। यह लक्ष्य हिन्दुओ और मुसलमानो के बीच सद्भाव के सचार का महा कारण बने पी०वी० नरसिंहराव का सुलझा हुआ दिमाग सभवत अब इसी दिशा मे सोचने लगा है। भाजपा और उसकी एकता यात्रा के बारे मे जो रवैया उन्होंने अपनाया, उससे तो यही सकेत मिलता है।

यह माना जा रहा है कि दोनो का रवैया एक दूसरे के प्रति नरम है। आडवाणी ने कहा है कि राव सरकार को गिराने का उनका कोई इरादा नही है। उन्होंने राव को गत २५ वर्षों का सबमे बुद्धिमान प्रधानमत्री होने का प्रशसा पत्र दिया है। भाऊसाहब देवरस ने सघ परिवार के शक्तिशाली गुट के विचारो को अभिव्यक्ति देते हुए कहा है कि केन्द्र को मजबूती प्रदान करने के लिए भाजपा को कांग्रेस मे मिल कर सयुक्त सरकार बनानी चाहिए। एक साक्षात्कार मे उन्होंने कहा कि वे राव सरकार को गिराने के पक्ष मे नही हैं और चाहते हैं कि उनकी सरकार पूरे पाँच साल चले। यदि कांग्रेस-भाजपा सयुक्त सरकार बनाना संभव न हो, तो भी भाजपा राव सरकार को मुद्दो के आधार पर बाहर से समर्थन देती रहेगी। तथापि श्री देवरस ने कहा है कि यह उनका निजी विचार है और उन्होंने इस बारे मे भाजपा नेताओ से परामर्श नही किया है।

एकता यात्रा के पक्ष और विपक्ष मे चलता धुआँधार प्रचार इस सच की गवाही था। आगे लोकसभा चुनावो की तैयारी के रूप में भाजपा द्वारा आक्रामक एजेण्डा तैयार करना उसकी राजनीतिक रणनीति है उसमे एजेण्डा पर कभी *अयोध्या में मदिर निर्माण सबसे ऊपर आ गया था* जो उसे अब तक की सबसे बडी चुनावी सफलता दिला गया। पर हर दूसरी पार्टी की तरह भाजपा भी जानती है कि एक ही मुद्दा दूसरी बार चुनाव नही जितवा सकता। इसलिए उसने एकता और अखण्डता को अपना अगला चुनावी मचान बनाया। अयोध्या के मामले मे

भाजपा के लिए आसानी यह थी कि देश की जनता को अलग मुद्दा समझाने के लिए उसे खास मेहनत नही करनी पड़ी क्योंकि अयोध्या मे ढांचा पहले से ही खड़ा है जिस पर मंदिर बनवाने की मुहिम चल ही रही थी। यानी अयोध्या मसले की मूर्ति प्रतिष्ठा उसके लाभार्थ पहले से ही हुई पड़ी थी। इस बार समस्या यह थी कि एकता-अखण्डता नामक मुद्दे की मूर्ति प्रतिष्ठा कहाँ और कैसे हो, क्योंकि बिना वैसी साक्षात प्रतिष्ठा के कोई तत्व भला लोगों के गले कैसे उतारा जा सकता है! मसलन १९८४ में कांग्रेस ने राष्ट्रीय एकता की चुनावी लड़ाई श्रीमती गाँधी के गोलियों से छलनी हुए शरीर का शाब्दिक प्रदर्शन करके जीती थी। भाजपा ने अपने नए मुद्दे की मूर्ति प्रतिष्ठा २६ जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराने की घोषणा में कर दी। इसके बाद क्या करना सबसे आसान है, इसका नुस्खा वह सोमनाथ-अयोध्या रथयात्रा में आजमा चुकी थी। एकता यात्रा के जरिए वह इस नुस्खे को फिर से आजमा रही थी।

पर अगर वह आजमा रही थी तो इसमें दूसरे दलों को वैसी प्रतिक्रिया क्यों करनी चाहिए जैसी वे कर रहे थे? चूँकि अपनी-अपनी चुनावी तैयारी करने को हर दल और व्यक्ति स्वतंत्र है तो भला यह क्या माँग हुई कि इस एकता यात्रा पर ही प्रतिबन्ध लगा दिया जाए? प्रधानमंत्री नरसिंह राव का यह प्रस्ताव समर्थन के लायक था कि अगर यात्रा देश की एकता के हित में है तो फिर इसे भाजपा की नहीं, बल्कि सर्वदलीय होना चाहिए। अगर भाजपा का मकसद इस यात्रा को चुनाव ब्रह्मास्त्र बनाना नहीं है तो उसे शुरू में ही इसे सर्वदलीय बनाने का प्रस्ताव खुद ही रखना चाहिए था। वैसा उसने नहीं किया। पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ललकारने जैसी मुद्रा में श्रीनगर चलने का आह्वान कर भाजपा ने साबित किया कि लक्ष्य सिर्फ एकता की तलाश नहीं है। कारवाँ चुनाव तक जा पहुँचता है।

राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए जहाँ पी०वी० नरसिंह राव ने सरकारी मीडिया में एकता-यात्रा को लगभग अछूता रखा, वहीं, 'एकला यात्रा' पर रोक लगाने की माँग उन्होंने अनसुनी कर दी। यही नहीं, इसका पूरा इतजाम किया कि डॉ० मुरली मनोहर जोशी, बिना किसी बड़े हादसे के—जिसकी पूरी सम्भावना नजर आ रही थी,—अपने मकसद में कामयाब हों। भारत के सुरक्षा-बलों के सरक्षण में उन्होंने लाल चौक मे तिरंगा फहराया। अब कांग्रेस का राष्ट्रवाद और भाजपा का नव-हिन्दुत्ववाद, एक ही राष्ट्रीय मुख्यधारा के दो किनारों की तरह जुड़े नजर आ रहे है। परजीवी वामपंथी एमागी उग्रवादी और

कथित मध्यमार्गी, हाशिये पर ठेल दिये गये है। सगठन और विघटन के इस महामथन मे उत्पन्न विष को पचानेवाली शिवशक्ति हमारी पहली जरूरत है। एकजुट राष्ट्रवाद ही वह शिवशक्ति है। फिर इस महामथन से उत्पन्न अमृत के वितरण हेतु एवं वैष्णवी शक्ति आवश्यक है। नव-हिन्दुत्व ही वह वैष्णवी शक्ति बनने की क्षमता रखता है।